दशम माला, खंड 16, अंक 3

गुरुवार, 26 नवम्बर, 1992
5 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

PARLIA
No. 64
Date 12-1-94

(खंड 16 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 16, पांचवां सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 3, गुरुवार, 26 नवम्बर, 1992/5 अग्रहायण 1914 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	1-21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 45	...	...	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	21-199
तारांकित प्रश्न संख्या : 46 से 60	...	...	21-33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 461 से 466, 468 से 515, 517 से 580 और 582 से 690	...	...	33-199
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	...	220-221
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	222-225
(एक) विवाह-अनुच्छेद के कारणों में से एक कारण "मिर्गी" को हटाने के लिए हिन्दू और विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता			
श्री अम्बारासु इरा	...	...	222
(दो) राजस्थान में घग्घर नियंत्रण नहर के आसपास के गांवों में पानी जमा होने की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता			
श्री मनफूल सिंह	...	...	222-223

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(तीन) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार को और धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री मानवेन्द्र शाह 223

(चार) दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेने वाले राजमार्ग में बदलने की आवश्यकता

डा० रमेश चन्द तोमर 223

(पांच) सासाराम, बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सासाराम से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपमार्ग बनाए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान 223-224

(छः) तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में मादा शिशु हत्या की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय योजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

डा० राजागोपालन श्रीधरण 224

(सात) आन्ध्र प्रदेश में मद्यनिषेध लागू करने और इसके कारण राजस्व की होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 224-225

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 225-246

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एच०आर० भारद्वाज 225-227

श्री गुमान मल लोढा 227-234

श्री शरद दिघे 234-236

श्री राजागोपाल नायडू रामा सामी ... 236-237

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 237-239

श्री एम० रमन्ना राय 239-240

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री 240-242

विषय पृष्ठ

श्री कोडीकुन्नील सुरेश	...	...	242-243
श्री जार्ज फर्नान्डीज	...	...	243-245
श्री विजय कुमार यादव	...	...	245-246
नियम 193 के अधीन चर्चा	...	...	247
उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि तथा गेहूं के आयात के कारण कृषि तथा किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति			
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	...	...	247-258
श्री हरचन्द सिंह	...	...	258-261
श्री भोगेन्द्र झा	...	...	261-264
श्री एच० डी० देवगौड़ा	...	...	266-274
श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या	...	...	274-275
श्री कमालुद्दीन अहमद	...	...	275-279
श्री राजवीर सिंह	...	...	279-286
श्री तरुण गोगोई	...	...	286-293
श्री सत्यपाल सिंह यादव	...	...	293-295
श्रीमती सुशीला गोपालन	...	...	295-298
श्री वी०एस० विजयराघवन	...	...	298-300
श्री दत्तात्रेय बंडारू	...	...	300-302
श्री अशोक आनन्दराव देशमुख	...	...	302-304
श्री सुधीर गिरि	...	...	304-305
डा० परशुराम गंगवार	...	...	305-307
श्री तेजनारायण सिंह	...	...	307-308
श्री वी० कृष्णाराव	...	...	308-309
श्री कोडीकुन्नील सुरेश	...	...	310
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	...	...	310-312
श्री ऑस्कार फर्नान्डीज	...	...	312
श्री सैयद मसूदल हुसैन	...	...	312-313
श्री वी० धनंजय कुमार	...	...	313-315

लोक सभा

गुरुवार, 26 नवम्बर 1992/5 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

मानवाधिकार आयोग

41. डा० डी० वेंकटेश्वर राव† :

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मानवाधिकार आयोग के गठन पर चर्चा करने हेतु हाल ही में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई;

(ग) इस सम्बन्ध में की गई/की जा रही अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त आयोग का गठन कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन सहित मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 14-9-92 को एक "मुख्यमंत्री सम्मेलन" आयोजित किया गया था। सम्मेलन ने ऐसे आयोग के गठन के प्रस्ताव का स्वागत किया और सिफारिश की कि प्रस्तावित आयोग पर कानून के आवश्यक ढांचे को तैयार करने के लिए सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रियों तथा 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनाई जाए।

(ग) और (घ) इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति 12-10-92 को मिली और निश्चय किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में सेमिनार आयोजित करके समाज के सभी वर्गों के विचार भी जान लिए जाएं। तदनुसार बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली एवं हैदराबाद में चार सेमिनार आयोजित किए गए। एक और सेमिनार शीघ्र ही आयोजित किया जाने वाला है। इस मामले पर, राज्यों के कुछ मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक में विचार-विमर्श किए जाने का भी प्रस्ताव है।

इन सभी सेमिनारों में व्यक्त किए गए विचारों पर केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में विचार किया जाएगा। आयोग के गठन के लिए अंतिम प्रस्ताव तैयार करने के लिए आगे की कारंवाई समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के तुरन्त बाद की जाएगी।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : महोदय, उत्तर में यह कहा गया है—कि चार सेमिनार आयोजित किए गए और विचार व्यक्त किए गए। मैं माननीय मंत्री से इन सेमिनारों में व्यक्त विचारों को जानना चाहता हूं और क्या उन पर विचार किया जा रहा है। पहले से ही कुछ विशेष आयोग गठित हैं जैसे महिला-आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग मैं यह भी जानना चाहता हूं। कि क्या इस समिति ने इस बात को देखने में सावधानी बरती थी कि इन आयोग में क्षेत्राधिकार न इस आयोगों के क्षेत्राधिकारों को लांघा नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : अभी हमें संपूर्ण जानकारी मिलनी शेष है। चार सेमिनार हो चुके हैं। एक और सेमिनार दिल्ली मे होने जा रहा है और निकट भविष्य में महानिदेशकों, मुख्य सचिवों की बैठक दिल्ली मे होने जा रही है। उसके पश्चात इन सभी बातों पर एक साथ विचार करके इसके बारे में एक निर्णय लिया जायेगा। बहुत से विषयों पर चर्चा की गई थी। जहाँ तक सम्भव हो हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि मौजूदा तीनों आयोग प्रदत्त जिम्मेदारियों को लांघें नहीं। और यह किस प्रकार हो सकता है, इसके लिए कौन-सा तरीका खोजा जाए, यही एक विषय है जिस पर समिति को विचार करना पड़ेगा।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : महोदय मौजूदा स्थिति में आतंकवाद देश के कुछ भागों में विशेषकर जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब मे व्याप्त है। वहां इसे विदेशी उग्रवादियों से मदद मिल रही है। इस समिति ने इन राज्यों से विशेषकर जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब से क्या सूचना एकत्र की है। इस तरह का आयोग स्थापित करने से पहले, हमें उन बलों की जानकारी होना आवश्यक है जो वहां पर इन आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह सच है कि जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के मामले में बहुत ही सक्रिय उग्रवादी उन क्षेत्रों में हर प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाहियों मे लिप्त हैं। सेना और पुलिस के अर्ध-सैनिक बलों को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। लेकिन साथ ही हम उनके द्वारा की गई ज्यादतियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर वे ज्यादतियां कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ही उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन साथ ही सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना होगा, कि उन सैन्य बलों की बदनामी न हो जो वास्तव में इतनी विकट परिस्थितियों मे इन उग्रवादियों से जूझ रहे हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं माननीय मंत्री से इस विषय पर हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन का पूर्व-इतिहास जानना चाहती हूं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना के लिए सरकार पर जनता की भावना का दबाव था। हमने देखा कि सरकार में उसके जवाब में इन आयोगों का गठन किया। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि मुख्य मंत्रियों का वह सम्मेलन देश के किसी भाग से आम जनता के किसी प्रकार का दबाव के परिणामस्वरूप या जनता के किसी वर्ग विशेष के दबाव के कारण बुलाया गया था या फिर यह प्रस्ताव किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण स्वीकार किया गया था।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, यह एक ऐसा विषय है जो लम्बे समय से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। विभिन्न संगठनों द्वारा बाहर से तथा देश के अन्दर भी अलग-अलग विचार

व्यक्त किए गए हैं। इसीलिए सरकार ने यह आवश्यक समझा है कि बजाय इसके कि सभी प्रकार के आरोपों का जो कि पूर्णतः बेबुनियाद है, उत्तर दिया जाए, यही बेहतर होगा कि सरकार स्वयं एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करे, ताकि हमारी छवि जहां तक मानवाधिकारों का सम्बन्ध है, उज्ज्वल हो। इन्हें संविधान में भी शामिल किया गया है। कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करते समय, कुछ बातों का उल्लंघन हो सकता है और यही कारण है कि हम राज्य सरकारों को लिख रहे हैं हम स्वयं भी विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत कदम उठा रहे हैं। हमने यही विचार किया कि सभी पहलुओं को देखते हुए हम स्वयं अपना मानवाधिकार आयोग स्थापित करें और यह देखें कि यह किसी की जवाबदेही करने के लिए नहीं है, अपितु हमारी स्वयं की संतुष्टि के लिए है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मानव अधिकार आयोग की स्थापना का विचार किया गया है।

श्रीमति मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट प्रश्न किया है। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो नहीं।

श्री एस. बी. चह्वाण : इस पर किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : महोदय, हमारे देश में महिलायें बहुत कष्ट उठाती है। उन्हें उनके ऊपर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हू कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या मानव अधिकार समिति मे महिलाओं को भी शामिल किया जायेगा।

श्री एस० बी० चह्वाण : इतनी जल्दी मेरे लिए यह कहना कठिन है कि आयोग का गठन किस प्रकार होगा। लेकिन दोहरेपन से बचने के लिए हमारा विचार इन तीनों आयोगों के अध्यक्ष को मानवाधिकार आयोग के सदस्य नियुक्त करना है। लेकिन यह इसकी आरंभिक अवस्था में ही है, मैं कह नहीं सकता। यह तो मात्र एक विचार है जिसके बारे में अंतिम रूप से विचार किया जाना अभी भी बाकी है।

श्री जगजीत सिंह बरार : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और हैदराबाद में चार सेमिनार हुए थे। मानवाधिकारों का उल्लंघन पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर मे हुआ है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि क्या वे इन राज्यों में एक सेमिनार आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या एमनेस्ट्री इन्टरनेशनल को पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर का दौरा करने की अनुमति दी जाएगी, ताकि आम जनता, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए तकलीफ उठाती है, के साथ विचार-विमर्श किया जा सके। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने मानवाधिकारों का बहुत उल्लंघन किया है और निरीह लोगों की हत्यायें हुई हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि क्या वे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी सेमिनार आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री एस० बी० चह्वाण : महोदय, जहां तक चण्डीगढ़ में सेमिनार आयोजित करने का संबंध है निःसंदेह बहुत से सेमिनार आयोजित किये जा सकते है और वास्तव में हम उसके विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन साथ ही यह कहें कि पंजाब में मानवाधिकारो का उल्लंघन हुआ है तो फिर सरकार इस विचार को निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेगी।

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या एमनेस्टी इन्टरनेशनल को पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर का दौरा करने के लिए इजाजत दी जाएगी। विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रयास जारी हैं और

उसी रूप में वहां पहली बैठक हो चुकी है। उसके बाद दो या तीन और बैठकें हो चुकी हैं। मामले दर मामले के आधार पर हम निर्णय करेंगे कि एमनेस्टी इन्टरनेशनल को किस क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाए।

तराई क्षेत्र के बारे में, वास्तव में मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस क्षेत्र मे मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या एमनेस्टी इन्टरनेशनल तथा कुछ अन्य संगठन जो भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा करने वाले संगठन होने का दावा करते हैं, उग्रवादियों की सुरक्षा करने वाले संगठनों के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे बलों को बदनाम कर रहे हैं। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें अपने बलों को सुरक्षा देनी होगी और उनका हौसला बुलन्द करना पड़ेगा जो जम्मू और कश्मीर घाटी और पंजाब में तथा अन्य अनेक स्थानों पर, जहां उग्रवादियों ने तबाही मचा रखी है, बड़ी ही विकट परिस्थितियों में काम कर रहे हैं।

मैं, यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मानवाधिकार संगठन बनाने का विचार कर रही है और क्या वह इसे स्वीकार करेगी।

श्री एस॰ बी॰ चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग के संबंध में सरकार के लिए यह स्थिति स्वीकार करना मुश्किल होगा जहां मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले, मारने वालों की सुरक्षा करते हैं। सदस्य महोदय को अपने विचार रखने का अधिकार है। लेकिन हम संभवतः इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां कुछ सैन्य बलों द्वारा आवेश के क्षणों में कुछ ज्यादतियां की गई हैं। लेकिन हमें अपने आपको शांत रखना पड़ता है। और इस ढंग से काम करना पड़ता है, जिससे कि सरकार की तथा उस संगठन की भी बदनामी न हो, जिससे वे संबंध रखते हैं। मैं जानता हूं कि ये बल बड़ी विकट परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और इसीलिए उनके हौसले बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अत्याचार न होने पाए। अन्यथा वे स्वयं ही उन बलों की संख्या को उन तत्वों में शामिल करने के लिए जिम्मेदार होंगे जो देश में अशांति फैलाने में रुचि रखते हैं।

बंगला देश के आप्रवासी

*42. **डा॰ सुधीर राय†** :

श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में अवैध रूप से निवास कर रहे बंगलादेशी आप्रवासियों की राज्यवार, अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या बंगला देश सरकार ने इन अवैध आप्रवासियों के प्रथम जत्थे को वापस भेजने का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या चकमा शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजने के लिए बंगलादेश सरकार के साथ परामर्श करके कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार ने आगामी नए वर्ष से चकमा शरणार्थियों को सभी प्रकार की सहायता बंद करने का आदेश जारी किया है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) इन चकमा शरणार्थियों पर अब तक अनुमानतः कितनी धन-राशि खर्च की गई है; और

(झ) भारत में बंगलादेश के लोगों की अवैध घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जेकब) : (क) से (झ) तक एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

देश के विभिन्न भागों में बहुत बड़ी संख्या में बंगला देशी प्रवासी अवैध रूप से रह रहे हैं । उनकी ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वे चोरी छिपे प्रवेश करते हैं और जातीय-भाषायी समानताओं के कारण स्थानीय जनता में आसानी से घुल-मिल जाते हैं ।

राज्य सरकारों तथा संघ शासित राज्य प्रशासनों को, अवैध प्रवासियों का पता लगाने एवं उनके प्रत्यावर्तन के स्थायी निर्देश हैं । समस्या की विशालता एवं इसके सामाजिक-आर्थिक परिणामों की अनुभूति तथा जनता में बढ़ती हुई जागरुकता को देखते हुए घुसपैठ को रोकने, अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के जोरदार प्रयास शुरू किए गए हैं ।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंगला देश सरकार ने इस मामले में विरोध जाहिर किया है । स्थिति की गंभीरता से बंगला देश सरकार को अवगत कराने और इस समस्या के समाधान में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ।

बंगला देश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं । इन उपायों में सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त को और सघन बनाना, इसकी 'वाटर विंग' को मजबूत बनाना, सीमा पर सड़क निर्माण और बाड़ लगाने के कार्यक्रम को गतिशील बनाना, विदेशी नागरिकों की घुसपैठ रोकने (पी०आई०एफ०)/सचल कार्रवाई बल (एम०टी०एफ०) योजनाओं को मजबूत बनाना, सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को परिचय पत्र जारी करना वीसा नियंत्रण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण आदि शामिल हैं । उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल एवं बिहार के मुख्यमंत्रियों के 28 सितम्बर, 1992 को आयोजित सम्मेलन (संघ शासित राज्य दिल्ली का भी प्रतिनिधित्व किया गया था) ने इन उपायों का समर्थन किया था और इस समस्या को हल करने के लिए आगे एकमुश्त कार्रवाई करने पर सहमति जताई थी ।

जहां तक चकमा शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन का प्रश्न है, सरकार उनके तेजी से प्रत्यावर्तन की जरूरत के बारे में बंगलादेश सरकार को समझाती रही है । यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई समयबद्ध समय-सीमा पर सहमति नहीं हो पाई है; तथापि, मई, 1992 में बंगलादेश की प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के समय इस बात पर सहमति हुई थी कि उनकी वापसी के लिए तेजी से कदम उठाए जाएंगे । इस उद्देश्य के लिए, बंगलादेश सरकार ने, चकमा शरणार्थियों की शीघ्र वापसी सहित

चटगांव हिल ट्रेक्ट्स (सी०एच०टी०) की समस्याओं के हल के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों वाली एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

इस समय त्रिपुरा में रह रहे चकमा शरणार्थियों के भरण पोषण के लिए राज्य सरकार को दी जा रही वित्तीय सहायता स्थगित करने के कोई आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। चकमा शरणार्थियों के भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार को अब तक 41.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

डा० सुधीर राय : महोदय, दुर्भाग्यवश सचिवालय द्वारा दो भिन्न प्रश्नों को एक साथ जोड़ दिया गया है।

इस मामले के राजनीतिकरण हो जाने और प्रेस द्वारा अत्याधिक तूल देने तथा आरोपों-प्रत्यारोपों को मद्दे नजर रखते हुए मैं माननीय गृह मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार बंगलादेशी शरणार्थियों में भेद केवल संप्रदाय और धर्म के आधार पर करेगी और क्या सरकार न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए उनका पता लगायेगी और उनको वापिस भेजेगी।

श्री एम०एम० जैकब : महोदय, यह सही नहीं है कि सरकार बंगलादेशी शरणार्थियों में सम्प्रदाय और धर्म के आधार पर भेद करती है। इनको वापिस भेजने के मामले में न्याय प्रक्रिया का पूर्णतया पालन किया जा रहा है।

डा० सुधीर राय : मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह आवास की अवधि पर नागरिकता प्रदान करने हेतु विचार कर रही है।

श्री एम०एम० जैकब : महोदय, जो लोग बंगलादेश से 25 मार्च 1971 से पूर्व आ गए थे उन्हें अलग श्रेणी में रखा गया है और उनके सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है। प्रश्न उन लोगों का उठता है जो 25 मार्च, 1971 के बाद आये हैं। उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपने देश वापिस जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वघेला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने आज तक कितने बंगलादेशी, पश्चिम बंगाल के बार्डर पर और राजस्थान व गुजरात के बार्डर पर पकड़े ? जो आप एक तार की बाड़ बंगलादेश के बार्डर पर बनाने जा रहे थे, उसकी क्या प्रोग्रेस है और माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि 6 पाकिस्तानी कैदी, जो कच्छ की जेल में थे, वे भाग गए और जब उन्हें पुलिस पकड़ने गई, तो 10 बंगलादेशी मिले, यानी कि इतने बंगलादेशी, पाकिस्तान के बार्डर से हमारे देश में आ रहे हैं, तो कितने पकड़े गए, कितने वापस भेजे और तार की बाड़ की क्या प्रोग्रेस है, इन प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री महोदय दें ?

[अनुवाद]

श्री एम०एम० जैकब : महोदय, यह सर्वविदित है कि लोग सीमा पार से भारत में आ रहे हैं। हमने सीमापार से गैरकानूनी प्रवेश/प्रव्रजन को रोकने के हर संभव उपाय किए हैं। सीमा सड़क संगठन, सीमा सुरक्षा बल आदि का कार्य और सीमा पर कंटीले तार लगाने का कार्य प्रगति पर है। विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें सीमा पर कंटीले तार लगाने का कार्य भी शामिल है, में काफी प्रगति हुई है।

श्री राम कापसे : महोदय, जहां तक बंगलादेशी प्रवासियों के सम्बन्ध में बंगलादेश सरकार द्वारा विरोध व्यक्त करने की बात है बंगलादेशी शरणार्थी जिनकी संख्या एक लाख से भी अधिक है···

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, क्या श्री विजय भास्कर रेड्डी जी यहां भी जवाब देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह अभी भी सदस्य है। मैं समझता हूं कि वह आपकी अनुमति लेने आये हैं।

श्री राम कापसे : महोदय, जहां तक बंगलादेशी शरणार्थियों को वापिस भेजने के प्रश्न पर बंगलादेश सरकार ने जो विरोध व्यक्त किया उसका सरकार के पास क्या उत्तर है?

श्री एम० एम० जेकब : प्रेस में इस सम्बन्ध में खबर छपी थी कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों पर बंगलादेश में विरोध व्यक्त किया गया है। लेकिन साथ ही जब बंगलादेश की प्रधानमंत्री ने पिछली मई में भारत की यात्रा की थी, तो उस समय हमने उनके साथ विचार-विमर्श किया था और वह इस मुद्दे पर गौर करने और चकमा शरणार्थियों को वापिस लेने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण तैयार करने पर सहमत हो गई थी और इस दिशा में प्रयास जारी है। जहां तक हमें पता लगा है इसके परिणामस्वरूप उन्होंने बंगलादेश में एक नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसमें सभी प्रमुख राजनैतिक दल शामिल हैं। इससे पूर्व तो बंगलादेश सरकार इस मुद्दे पर बात करने को भी तैयार नहीं थी। हालांकि भारत में बंगलादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को उनके साथ अनेक बार उठाया।

श्री एस०बी० चव्हाण : महोदय, मेरे साथी ने जो कहा है उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। एक प्रश्न उन लोगों के सम्बन्ध में उठाया गया है जो सीमा पार करके भारत में आ गए हैं। दूसरा प्रश्न दिन-प्रतिदिन गैरकानूनी तरीके से भारत में प्रवेश करने वालों से सम्बन्ध में है। यहां सवाल यह था कि बंगलादेश सरकार यह महसूस करती थी कि हमें यह मसला कूटनीतिक स्तर पर उठाना चाहिए। साथ ही इन लोगों को उनके देश को किस प्रकार प्रत्यावर्तित किया जाये इस पर विचारों का आदान-प्रदान करना चाहिए। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि दिन-प्रतिदिन यदि अत्याधिक लोग आ रहे हों तो इसके लिए किसी कूटनीतिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है उन्हें वापिस भेजना ही होगा। बंगलादेश सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल : सरकार ने उत्तर दिया है कि बंगलादेशी लुक-छिपकर हिन्दुस्तान में आते हैं। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो वीसा लेकर पासपोर्ट से हिन्दुस्तान में आते हैं, वे हिन्दुस्तान में रह जाते हैं और बार्डर पर उनकी एंट्री करके दिखला दिया जाता है कि बंगलादेशी चले गए? दूसरी बात यह है कि आपका गृहमंत्रालय पासपोर्ट ईशू करता है। क्या गृहमंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि बार्डर पर लुक-छिपकर दूसरा पासपोर्ट ईशू होता है जिसका नाम गरदनिया पासपोर्ट है? उसके द्वारा बंगलादेश से हिन्दुस्तान भेजते हैं और हिन्दुस्तान से बंगलादेश भेजते हैं?

[अनुवाद]

श्री एम०एम० जैकब : महोदय, हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि नियमित पासपोर्ट के अलावा भी कोई अन्य पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। लेकिन इस बात के उदाहरण मौजूद हैं जब बंगलादेशी शरणार्थी यहां आये हों और इस देश में अधिक समय तक रहे हों और इसके लिए 1972 का एक नियंत्रक कानून है जो बिना पुलिस स्टेशन की सूचना देते हुए सीमित समय तक प्रवास की अनुमति देता है। लेकिन इस बात पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है जिससे समझौते में संशोधन किया जा सके।

तिलहनों का उत्पादन

*.43. **श्री जायनल अबेदिन†** :

श्री सुबास चन्द्र नायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक तिलहन का कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या तिलहनों के उत्पादन में देश आत्म-निर्भर है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई नयी योजनाएं बनाई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार तिलहनों के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(छ) प्रत्येक राज्य में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (छ) तक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में 9 तिलहनों का फसल-वार उत्पादन इस प्रकार था :—

(लाख टन)

तिलहन	1989-90	1990-91	1991-92
1 2	3	4	5
1. मूंगफली	81.00	75.1	70.7
2. अरंडी	5.2	7.2	5.7
3. तिल	7.4	8.4	6.7
4. राम तिल	1.9	1.9	1.6

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ? कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री आयनम अबेविन : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । नो तिलहनों में से केवल रेपसीड, सरसों और सूर्यमुखी का उत्पादन काफी बढ़ा है । जहां तक अन्य किस्मों का सम्बन्ध है या तो उत्पादन में स्थिरता है अथवा कमी की प्रवृत्ति है। मैं जानना चाहूंगा कि तिलहनों की अन्य किस्मों का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन-सी विशिष्ट रणनीति अपनाने का प्रस्ताव किया है।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने उत्तर का अध्ययन नहीं किया है। उन्हें तो किसानों को श्रेय देना चाहिए, जिन्होंने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाया है। 10.8 मिलियन टन से वे इस वर्ष 18.61 मिलियन टन तक पहुंचे हैं और मेरे विचार से यह 10 मिलियन टन से भी अधिक होने जा रहा है। हमारे पास उनके लिए आधार तैयार है। हमारी योजनाएं तैयार हैं और वर्ष 1996-97 तक उत्पादन बढ़कर 23 मिलियन टन तक करने के लिए हमने सभी व्यवस्थायें कर ली हैं। इसमें समय तो लगता ही है। अगर हमने उस लक्ष्य से विकास किया है तो यह बड़ा ही साहसिक कार्य है और मेरे विचार में किसानों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं वे सभी कदम गिना सकता हूं जो हमने उठाए हैं। नई योजनायें इस प्रकार हैं—

एक) बेहतर किस्म के बीज, प्रबन्ध समुचित पौध-सुरक्षा, पाइराइट/जिप्सम के प्रयोग के माध्यम से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि पर बल;

दो) गैर-पारम्परिक क्षेत्रों को शामिल करके, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाकर तथा अंतर तथा बहुद्देश्यीय फसल उगाकर, कृषि क्षेत्र का विस्तार;

तीन) किसानों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए मजबूत विस्तार प्रणाली;

चार) भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किसानों के खेतों पर उनके सामने प्रदर्शनी आयोजित करना;

पांच) ओ. पी. पी. के माध्यम से दी गई सहायता पर बेहतर ढंग से निगरानी रखना;

छह) (क) बीज, (ख) उर्वरकों, (ग) उपकरणों तथा साधनों की सही समय पर पर्याप्त पूर्ति और वितरण, (घ) संस्थाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहकारी और सहकारी केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से पर्याप्त ऋण के वितरण की व्यवस्था, (ङ) ओ. पी. पी. की गतिविधियों का राष्ट्रीय जल विभाजक वि.ास कार्यक्रम के साथ सामंजस्य गतिविधियां।

ये सभी कार्य उद्देश्य प्राप्ति हेतु किए जा रहे हैं। हम उस उद्देश्य की प्राप्ति करने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री आयनम अबेवीन : तिलहन का उत्पादन मुख्यत: उन्हीं क्षेत्रों में होता है, जहां वर्षा अधिक होती है। तिलहन की खेती के अन्तर्गत कुल भूमि का केवल 20 प्रतिशत भाग ही सिंचित है। भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता बहुत कम है। साधारणत: तिलहन की खेती में जरूरत भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता को बढ़ाने की है; ऐसा सिंचाई-सुविधा प्रदान करके किया जा सकता है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार तिलहनों की खेती निश्चित सिंचाई के अन्तर्गत सिंचित भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए भूमि का ग्रहण करने का है। यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है।

श्री बलराम जाखड़ : आपको यह जानकर खुशी होगी कि तिलहनों के उत्पादन में प्रतिशत वार 69 प्रतिशत की उत्पादन में वृद्धि जानकर प्रसन्नता हुई जोकि किसी भी अन्य क्षेत्र से अधिक है। 23 मिलियन टन के उत्पादन तक पहुंचने के लिए केवल 26 प्रतिशत की और आवश्यकता है। हम शुष्क भूमि पर भी फसल उगाने के लिए अपने विस्तृत ज्ञान द्वारा प्रयास कर रहे हैं। हम सिंचित भूमि के अन्तर्गत कुछ और क्षेत्र लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पी० सी० चाक्को : कृषि मन्त्रालय अपने निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि हम लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। लेकिन खाद्य-तेल उत्पादन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, सभा के सामने प्रस्तुत समग्र योजना से हटा दिया गया है। केरल के नारियल उत्पादकों द्वारा लगातार मांग किए जाने के बाद, कृषि मन्त्रालय ने नारियल को तिलहनों के क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय किया है। मंत्रालय द्वारा इस हेतु अधिसूचना जारी की गई थी। आज सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों में नारियल को शामिल नहीं किया गया है। 1996 तक खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए जो कृषि मन्त्रालय का लक्ष्य है, उसमें नारियल और पाम-आयल बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां खाद्य तेल का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सकता है।

मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार नारियल को तिलहनों में शामिल करने के इस निर्णय को लागू करने तथा नारियल और पाम आॅयल की खेती के लिए क्या सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

श्री बलराम जाखड़ : भविष्य में खाद्य तेल के क्षेत्र में तेल उत्पादन के रूप में पाम आयल एक महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। हमारे पास विभिन्न राज्यों में लगभग 7.96 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती है। आगामी कुछेक वर्षों में, कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र तथा केरल में लगभग 80,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर कृषि की जा सकेगी। ऐसा होने जा रहा है। हम गरी तथा नारियल के लिए भी लाभकारी मूल्य देने हेतु कुछ उपाय उठाये जा रहे हैं। उसमें कोई कठिनाई नहीं है। हम उसे भी तिलहन उत्पादन में शामिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कुमारी उमा भारती।

कुमारी उमा भारती : मेरा तो बंगलादेश के शरणार्थियों के बारे में था, उस पर आपने पूछने नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : आपके मन से हाउस नहीं चलता है, रूल से चलता है।

कुमारी उमा भारती : मैं रूल के अन्तर्गत ही बात कर रही थी। पहले मैंने यहां से हाथ उठाया था।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 में आपका जो तिलहनों का उत्पादन था, उसकी अपेक्षा 1991-92 में घट गया है? क्या इसका कारण यह है कि राज्य सरकारों द्वारा जो आवश्यक बीज वांछित था, सोयाबीन तथा ग्राउण्डनट का वह बीज आप सप्लाई नहीं कर सके और समय पर बीज नहीं मिलने से उनके उत्पादन पर असर पड़ा है और आपका उत्पादन तिलहनों का 1991-92 में घटा है? केन्द्र समय पर बीज उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है।

श्री बलराम जाखड़ : आपने देखा होगा कि नाममात्र का है-थोड़ा सा। वह भी कुछ सूखे की वजह से है, आखिर में अगस्त और सितम्बर में जो बरसात नहीं हो पाई, उसके कारण था।

[अनुवाद]

कृषि से आय

*44. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे†** ।

श्री नीतीश कुमार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दशक में कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में तेजी से गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि नियत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, : (क) और (ख) जी, नहीं। फार्म क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय (निवल मूल्य वर्धित) 1980-81 के स्थिर मूल्यों पर 1980-81 के 878 रुपये से बढ़कर 1990-91 में 1075/- रुपये हो गई है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य बातों के साथ साथ कृषि के विविधिकरण, बागवानी, पशुपालन और मात्स्यिकी विकास, कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार, कटाई के बाद की टेकनोलाजी के विकास और कृषि में अधिक मूल्य वाले पदार्थ तैयार करने हेतु कृषि परिसंस्करण के माध्यम से कृषक समुदाय की आय में और अधिक वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रमों पर भी विशेष जोर दिया गया है।

(घ) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 1990-91 के मूल्यों को आधार मानकर 96168 करोड़ रुपए नियत किया गया है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा है कि फार्म क्षेत्र में (निवल मूल्य वर्धित) प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। अगर आप पिछले दशक के दौरान हुई मूल्य वृद्धि को देखते हुए संगणना करें तो माननीय मंत्री का उत्तर शायद सत्य नहीं है। माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा है कि सरकार कृषिगत क्षेत्र के लोगों की आय को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय, अपना रही है। लेकिन पर्याप्त आबंटन के बिना, वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। आठवीं योजना के दौरान मौजूदा आबंटन, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है, बजट की कुल धनराशि से तुलना करें तो यह काफी अधिक है। अगर हम प्रतिशत में गणना करें तो यह लगभग उतना ही है जितना कि सातवीं योजना के दौरान था।

अतः इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार कृषि क्षेत्र को दिए गए इस अंशदान को और अधिक बढ़ाने के लिए कदम उठायेगी ताकि आपने अपने उत्तर के भाग (ग) में जो बताया है उन उद्देश्यों को वास्तव में पूरा किया जा सके ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि उनके सुझाव प्रशंसनीय हैं और उनकी इच्छाओं के अनुसार हमने योजना आयोग से अनुरोध किया था और जो धनराशि पहले दी गई थी, उसको दुगुना करवाया है और अगले वर्ष हम और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करेंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि इस देश के किसानों को सही समय पर पर्याप्त ऋण दिया जाता है और इसी कारण से वे उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि नहीं कर सके हैं। क्या सरकार सहकारी बैंकों और साथ ही साथ वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से धनराशि के आबंटन को बढ़ाकर उस असंगति को दूर करेगी, जिसके अन्तर्गत कुल बैंक ऋण राशि का लगभग 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को जबकि 36 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र को दिया जा रहा है।

क्या सरकार इसे ठीक करने के लिए तथा कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ताकि कृषि अधिक लाभदायक हो सके किसानों और साथ ही कृषि-मजदूर दोनों अपनी रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करने का प्रयास कर सकें।

श्री बलराम जाखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। अच्छे फार्म संचालन के लिए सबसे पहली बात और प्राथमिक आवश्यकता पूंजी निवेश है। आज कृषि भी निवेशोन्मुख है। उसके बिना कृषि नहीं हो सकती। लेकिन कठिनाई यह है कि हमें विरासत में कुछ ऐसा मिला था जिससे सारी व्यवस्था ही बदनाम थी। जीवन-दान देने वाला चैनल पूर्णतः टुकड़ों में विभाजित था। कुछ नहीं बचा था। केवल राजनैतिक कारणों की वजह से ही सारी साख मिट्टी में मिल गई। मुझे इसका पुनरुत्थान करना होगा और उस व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना होगा। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि इस वर्ष कृषि क्षेत्र को 2000 से 13000 करोड़ रुपये की धनराशि में से सहकारी क्षेत्र को देने का हमारा लक्ष्य 6000 करोड़ से भी अधिक हो जायेगा। लेकिन मुझे उससे संतुष्टि नहीं हैं। मैं और अधिक निवेश चाहता हूं और हम वे परिस्थितियां लाने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां गैर-सरकारी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में निवेश हो सके क्योंकि जब कृषि क्षेत्र में निवेश होगा तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। केवल यही एक रास्ता है और हम वही करने जा रहे हैं और इसे मैं कृषि नीति में भी शामिल करूंगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन हम इनसे उम्मीद करते थे कि ये जवाब सोच-समझ कर देंगे और अपने हिसाब से कुछ गणित लगाकर कोई जवाब देंगे, लेकिन बिल्कुल कृषि मंत्रालय द्वारा दिए गए रिकार्ड बजाने की तरह से इन्होंने जवाब दे दिया है। यह पिछले डिकेड का सवाल है, तब आपकी जवाबदेही नहीं थी, आप इस उच्च-आसन पर थे, लेकिन अब आपको सारी चीज देखनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से जो जवाब दिया गया है, उसमें दिए गए आंकड़े बनाए हुए हैं।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एन०डी०आर०आई० के एक साइंटिस्ट डा० आर०के० मेहता ने फार्म इकानमी का माइक्रो एनालिसिस किया तो यह पाया कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है 4.85 परसेंट, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का 6.43 परसेंट, इंप्लायमेंट जनरेशन एक डेढ़ परसेंट ज्यादा बढ़ा है तथा पर फार्म वर्कर इन्क्रीज हुआ है फूड ग्रेन का 3.83 परसेंट, दूध

का 2.08 परसेंट, लेकिन प्रति व्यक्ति आय घट गई 2.93 परसेंट, यह कलेक्ट किया है एक साइंटिस्ट ने, माइक्रो एनालिसिस फार्म इकानमी का, उसके आंकड़े इकनामिक टाइम्स में छपे थे और उन्हीं को देख कर हमने यह सवाल पूछा था और सोचा था कि आप ठीक ढंग से आंकड़े देखेंगे, क्योंकि 4 साल के बाद आंकड़े तैयार होते हैं, इनकी जगह कोई भी होता तो यही जवाब देता, लेकिन इनसे हमको उम्मीद थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पापूलेशन इन्क्रीज को भी ध्यान में रखने के लिए बोल रहे हैं ?

श्री नीतीश कुमार : मैं पापूलेशन की बात नहीं कह रहा हूं, वह तो अभी भी 73 परसेंट ही खेती पर निर्भर हैं, उनकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई है। तो हम उम्मीद करते थे कि मंत्री जी स्वयं एक किसान हैं और इनकी इस संबंध में दिलचस्पी है और वे इस ओर ध्यान देकर कोई आंकड़े निकालेंगे, लेकिन यह बात इनकी तरफ से नहीं हुई, इनकी तरफ से भी वही जवाब दिया गया। दूसरी सप्लीमेंट्री का जवाब देते हुए इन्होंने कह दिया कि जो क्रेडिट सिस्टम था, उसकी क्रेडिबिलिटी को ही खत्म कर दिया गया, यह सवाल इन्होंने जानबूझकर छेड़ा है। हम लोगों ने जो कर्जे की माफी कर दी, उससे इनको ऐतराज है।

अध्यक्ष महोदय, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, यह सब तभी बढ़ेगा जब किसान को उसके उत्पादन की वाजिब कीमत मिलेगी। आप फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, उसके हिसाब से उत्पादन की कीमत में वृद्धि नहीं करते तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, पर केपीटा इनकम नहीं बढ़ेगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या आपकी कोई लांग टर्म स्ट्रेटजी है।

अभी वी० पी० सिंह साहब मोगा गए तो आपने ऐलान कर दिया कि कृषि नीति लाएंगे। पर केपीटा इनकम बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, खेती की स्थिति में सुधार आए, इस संबंध में क्या आप कोई लांग टर्म स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। क्या कोई इस तरह की कृषि नीति लाना चाहते हैं जो रोजगार के अवसर बढ़ाए, आमदनी बढ़ाये, उत्पादन बढ़ाए, निर्यात बढ़ाए, ऐसी कोई कृषि नीति आप इस सत्र में लाने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब तो लंबा-चौड़ा देना पड़ेगा, शायद मेरे ख्याल से आज शाम को 4 बजे के बाद मैं यह जवाब दूंगा।

नीतीश कुमार जी जो कुछ कह रहे हैं उसके बारे में वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने क्या किया और मैं क्या सुधार कर रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि आपने किया, आपके मन में शायद अच्छी बातें रही हों, लेकिन कभी-कभी नादान दोस्त गलती कर जाता है, जिससे नुकसान होता है और दाना दुश्मन बचा जाता है, लेकिन कोई हर्ज नहीं, आपने गलती की तो मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूं, मैं उसको सुधारूंगा। मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, गलती होना कोई बुरी बात नहीं है, गलती इन्सान करता है, कोई चिंता नहीं, गलती मान लेनी चाहिए, मैं तो अपनी गलती मान लेता हूं।

मैं आपको बताना चाहता हूं यह प्रश्न दूसरी दफा मेरे पास आया, कल मेरे पास उत्तर आया था, मैंने देखकर कहा कि मेरी संतुष्टि नहीं है, इसको दोबारा देखो, इसके बाद उत्तर तैयार किया गया। हमने जो कुछ भी किया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने जो बात कही है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सारा कुछ कर रहे हैं, किसान को कहते है कि आपने क्या कर दिया, आत्म-निर्भरता

नहीं रही, प्रोडक्शन में आत्म-निर्भरता नहीं रही, आपने क्या कर दिया, लेकिन क्या कभी सबने मिल कर अपनी तरफ भी देखा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसको बांट रहे हैं। भूमि कितनी है, प्रभु ने बना दी है, दूसरी जगह तो प्रभु बनाएगा नहीं, न आप बना सकते हैं, लेकिन अपने आपको हम कितना बनाते चले जा रहे हैं, इसका क्या इलाज है। कभी देखा है? 34 करोड़ से 87 करोड़ पर पहुंच गया। कहां अन्त करेंगे? कहीं करेंगे? किस प्रकार करेंगे? इस हिसाब से बात है। मैंने सारा देखकर यह दोबारा कहा है, रात को ही बनाया है। मैं इस बारे में देखकर बताऊंगा, यह लम्बी-चौड़ी कहानी है, मैं इसको फिर बताऊंगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, प्रश्नकर्ता ने कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय की तेजी से गिरावट की चर्चा की है और माननीय मंत्री जी ने अपनी सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में गिरावट नहीं आए, इसके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, यह चर्चा की है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किसान के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्यांकन जो होता है वह सही ढंग से नहीं होता है, उपभोक्ता की वस्तुओं का मूल्यांकन, जो कारखाने द्वारा बनायी जाती हैं, कारखानेदार द्वारा होता है। जबकि किसान के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्यांकन आपकी सरकार करती है। दोनों में सामंजस्य नहीं हो पाता है तथा कृषि क्षेत्र में किसानों को महंगाई का सामना करना पड़ता है, आय की कमी करनी पड़ती है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या कुछ आपने योजनाएं बनायी हैं ताकि दोनों में सामंजस्य हो?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत कुछ सोचा है। आपके और हमारे विचार में कोई मतभेद नहीं आएगा और न ही आना चाहिए। किसान के हितों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। क्यों बनता है क्योंकि देश उसी पर आधारित है। आपने जो कहा, आप विचार-विमर्श कर लें, जो फायदेमन्द कीमत होगी वह उसको देंगे। उस बारे में मैं बताऊंगा। पिछली कीमतें आपने देखी होंगी, आज तक नहीं हुआ है, आईन्दा भगवान जाने क्या होगा। लेकिन अब मैं बता रहा हूं। रबी की कीमत मैं बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से होगा। चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक बात से ज्यादा चिन्तित हूं। जिसको मैं मिटाना चाहता हूं। आपने देखा होगा जो हमारी कृषि की पर-कैपीटा इनकम है वह 1075 रुपये हैं, लेकिन दूसरे सैक्शन्स आफ सोसाइटी है उनकी 4378 रुपये है। मैं यह खाई मिटा देना चाहता हूं। यह खाई मुझे खा रही है। मैं इस खाई को नहीं देखना चाहता।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में नई प्रौद्योगिकी के विकास में वृद्धि होने पर भी, खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में उचित रूप से वृद्धि नहीं हुई है। खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 468 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से प्रारम्भ होकर अब 474 ग्राम तक बढ़ गई है। वर्तमान स्थिति यह है कि खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई है। पिछले वर्ष यह 177 मिलियन टन था और अब घटकर 172 मिलियन टन हो गया है। अब यह प्रवृत्ति हो गई है कि खाद्यान्न उत्पादन का स्थान मत्स्यपालन बागवानी फसल और अन्य नकद फसलों ने ले लिया है। देश में खाद्यान्नों की उत्पादिता एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ताकि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। इसी तरह हमने जहां तक देश का प्रश्न है, प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता के मामले में कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विशेषज्ञ हैं और मैं उनकी राय की सदा कद्र करता हूं व उनसे सलाह भी लेता हूं। वह जानते हैं कि अड़चनें क्या हैं ? वह सब कुछ जानते हैं। हमने इस विषय पर बातचीत भी है। प्रश्न साधारण सा है। जनसंख्या में आवश्यकता से अधिक वृद्धि भी एक त्रुटि है।

दूसरी बात यह है कि हमें नई तरीके ढूंढने होंगे। लेकिन अभी भी हम वर्षा पर आधारित कृषि पर 70% निर्भर हैं। हम जल संरक्षण के लिए कुछ करने वाले हैं। हम ऐसा कुछ करने की कोशिश में हैं जिससे कि उतने ही जल संरक्षण की मात्रा से हमें अधिक लाभ मिलेगा साथ ही जल की न्यूनतम मात्रा से अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा, ड्रिप द्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई, पनधारा कार्यक्रम द्वारा सिंचाई, संरक्षण कार्यक्रम तथा सब कुछ होगा।

आप मुझसे खाद्यान्नों की उपलब्धता के बारे में पूछ रहे हैं। हमें उत्पादिता में वृद्धि करनी होगी। देश का केवल एक ही वर्ग अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है, मैं चाहता हूं कि देश के सभी भागों में खाद्यान्न का अधिक उत्पादन हो। इस असमानता को मिटाना होगा और इस असमानता को दूर करना होगा। अन्यथा, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे।

मैंने सभी पूर्वी राज्यों के मंत्रियों को आमंत्रित किया था और 1986 के बाद हमने एक सम्मेलन का आयोजन किया था। मैंने उनसे कहा कि यदि वे समय के साथ-साथ नहीं चल सकेंगे तो मैं समझता हूं कि हमें शासन करने का अधिकार नहीं है, हमें जो कुछ करने की आवश्यकता है, उस काम को करने का कोई अधिकार नहीं है। सच्चाई तो यह है कि नई नीतियां तैयार करनी होंगी और अधिक विस्तार सेवाओं का विकास करना होगा और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करना होगा ताकि हम किसानों को उचित ज्ञान और प्रशिक्षण दे सकें और वे नई तकनीकी और अन्य सब चीजों का उपयोग कर सकें। इसलिए हमें ऐसे क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए जहां उन प्रयासों की आवश्यकता है।

बिहार में सूखा प्रवण क्षेत्र

[हिन्दी]

*45. **श्री राम टहल चौधरी**† :

श्री लाल बाबू राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सूखा प्रवण क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में क्या-क्या राहत कार्य किए गए हैं; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने बिहार को कितनी धनराशि आवंटित की है ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत पलामू (24), मुंगेर (7), रोहतास (7), नवादा (9) तथा संथाल परगना (7) जिलों में चयन ब्लाकों की सूखा प्रवण क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है।

बिहार सरकार ने 1990 तथा 1991 के दौरान राज्य में सूखे की स्थिति की कोई सूचना नहीं दी थी। वर्तमान वर्ष में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान अनियमित तथा अपर्याप्त वर्षा के कारण बिहार के 29 जिलों में सूखे की स्थिति की सूचना दी गई है। इन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए राहत उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) आकस्मिक फसल योजना का कार्यान्वयन।

(2) मिट्टी की खुदाई तथा भराई आदि की योजनाओं के जरिए अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना।

(3) सिंचाई सम्बन्धी कार्यों के लिए पर्याप्त डीजल तथा बिजली की सप्लाई आरक्षित करना।

(4) प्रभावित क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध करना।

(5) निशुल्क सहायता प्रदान करना तथा "सस्ती रोटी की दुकानें" खोलना।

(6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाना।

(7) महामारियों की रोकथाम तथा अनिवार्य दवाओं की सुनिश्चित सप्लाई के लिए उपाय करना।

(8) उपयुक्त पशु-चिकित्सा देख-भाल तथा गोपशुओं के लिए चारे का प्रावधान सुनिश्चित करना।

आपदा राहत कोष के तहत बिहार को 35 करोड़ रुपये का वार्षिक आबंटन किया गया है, जिसकी व्यवस्था केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा 3 : 1 के अनुपात में की जाएगी। 1990-91 तथा 1991-92 के वर्षों के लिए, आपदा राहत कोष की केन्द्रीय हिस्से की पूरी राशि राज्य सरकार को निर्मुक्त कर दी गई थी। वर्ष 1992-93 के दौरान, आपदा राहत कोष की केन्द्रीय हिस्से की 26.25 करोड़ रुपये की वार्षिक राशि के अतिरिक्त, 1993-94 के आपदा राहत कोष में से केन्द्रीय हिस्से की 13.125 करोड़ रुपये की राशि की दो किश्तों की अग्रिम निर्मुक्ति की गई है, ताकि बिहार सरकार, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय शुरू कर सके।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बिहार, भयंकर सूखे की चपेट में है और इस बार 45 लाख टन खरीफ फसल नष्ट हुई है और करीब 220 करोड़ रुपये की क्षति हुई है और अभी मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह आठ प्वाइंट में है, उसमें डीजल, बिजली, पानी वगैरह की व्यवस्था करने की बात है और अभी तक जो बिहार की स्थिति है तो पलामु भयंकर स्थिति से गुजर रहा है और सैकड़ों आदमी भूख से मर चुके हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर जल्दी से आइए ।

श्री राम टहल चौधरी : जल्दी से आ रहा हूं । खरीफ फसल नष्ट हुई है और रबी फसल भी नहीं हो पाई है । इन्होंने व्यवस्था की है कि हर प्रखण्ड में एक लाख रुपया दिया गया है जहां पर डेढ़ सौ-दो सौ गांव हैं तो एक लाख रुपये से क्या हो सकता है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से, जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने आठ प्वाइंट कार्यक्रम चलाने का काम किया है जिसमें डीजल, पानी वगैरह की व्यवस्था करने की बात है और लोगों को रोजगार देने की बात है तो यह काम सरकार कब से शुरू करेगी । हमको जानकारी है कि रांची में और सारे बिहार में आठ-दस घंटे तक बिजली नहीं मिलती है । ऐसी स्थिति हो गई है कि जनवरी से लोगों को पीने का पानी मुश्किल हो जायेगा जिससे लोगों को पानी नहीं मिलेगा । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह राहत कार्य सरकार चलाना चाहती है तो बिहार सरकार को पर्याप्त आवंटन देकर कब से चलाना चाहती है और कब से शुरू करेगी, अभी तक कोई काम नहीं हो पा रहा है ।

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पता है कि इस विषय पर यहां पर कई बार बातचीत हो चुकी है और हम डिसकशन भी कर चुके हैं तथा प्रश्नोत्तर काल में भी जवाब दिया जा चुका है । एक नाईन्थ फाइनेंस कमीशन बना था, उसके कुछ पैरामीटर्स थे तो उसके हिसाब से हर स्टेट को चार किश्तों में कैलामिटिज रिलिफ फंड से पैसा दिया जाता है और चार बराबर किश्तों में दिया जाता है । उसी हिसाब से अब भी कुछ होता है तो स्टेट गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है कि वह सारा काम देखे और लोगों की सहायता करे और उसी हिसाब से खर्च करे । हमने कहा है कि यह राज्य सरकार का काम है उनको देखना चाहिए कि बिजली मिलती है या नहीं और वितरण होता है या नहीं । उसके अलावा जो हमको यहां से करना होता है तो उसमें हमने कोई कसाई नहीं की है । जो मसला हमारे पास आया है तो हमने किया है । मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं और जो कुछ दे सकते थे तो वह भी फौरन फंड से रिलिज करने की बात की है । अब मैं आंकड़े आपको बताता हूं :

[अनुवाद]

	(करोड़ रुपयों में)
आपदा राहत निधि (1.10.92 के अनुसार)	
वार्षिक आवंटन	35.00
31.3.92 के अनुसार खर्च की गई राशि	43.77
1.10.92 के अनुसार उपलब्ध राशि	26.25
1.10.92 के अनुसार केन्द्रीय राहत निधि में उपलब्ध कुल राशि	70.02
केन्द्रीय टीम के दौरे के बाद केन्द्रीय राहत निधि से अग्रिम रूप से जारी की गई राशि	19.68
आपदा राहत निधि कोष में उपलब्ध कुल निधि	89.70

सूखे के प्रबन्ध के लिए चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए बिहार राज्य को उपलब्ध कराई गई निधि :

लघु एस० टी० डब्ल्यू०/टी० डब्ल्यू० डी० योजनाएं	12.00
गेहूं/मक्का कार्यक्रम	15.00

[हिन्दी]

एन० डब्ल्यू० डी० पी० आर० ए० में 10 करोड़, सोयल कजर्वेशन स्कीम में 31 करोड़, जवाहर रोजगार योजना में 90 करोड़ रुपया है। यह सारा उनके पास है इसको ठीक ढंग से करने का काम उनको करना चाहिए। सारे मिलकर काम करें तो बात बन सकती है।

श्री राम टहल चौधरी : अभी सरकार का उत्तर आया कि 26 करोड़ रुपया बिहार सरकार को मिला है और 200 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। बिहार सरकार ने 1200 करोड़ रुपये की मांग की है। आप जो राहत कार्य के लिए पैसा देते हैं वे राहत कार्य ठीक ढंग से चलें उसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कितना रुपया राहत कार्य चलाने के लिए दे रहे हैं साथ ही साथ उस रुपये का दुरुपयोग न हो, ठीक ढंग से काम हो इसके लिए क्या आप जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर कोई निगरानी समिति बनायेंगे ? रांची में किसानों को डीजल नहीं मिल पा रहा है उसकी वजह से भी सिंचाई नहीं हो पा रही है।

श्री बलराम जाखड़ : जो कृषि मन्त्रालय से रिलीफ दिया जा सकता था वह हमने दिया है। हमारी टीम गई उसकी रिपोर्ट हमने ऊपर दे दी। जहां तक डीजल का प्रश्न है, बिजली का प्रश्न है, या अन्य प्रश्न हैं और ठीक ढंग से खर्च करने का प्रश्न है तो हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम निगरानी रख सकें। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनको करना चाहिए।

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं। इन्होंने बिहार के 29 सूखे जिलों की रिपोर्ट दी है। जबकि बिहार में 43 जिलों में भयंकर सुखाड़ है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार के द्वारा जो सूखे से निपटने के लिए धनराशि की मांग की गई है उसको पूरा कब तक दे देंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : मांग तो बहुत सारी करते हैं, जो हमसे होता है हम देते हैं। जो दिया जा सकता था वह दिया है... (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : 49 जिलों का यह सवाल नहीं था, 55 ब्लाक हैं, सभी ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, आज के सूखे का सवाल नहीं है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी श्री नीतीश कुमार कह रहे हैं, वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए मैंने बोल दिया है कि चर्चा लेंगे, उसके बाद आपको बैठ जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि इस समय पूरे बिहार में अकाल है और पलामू जिला से एक लाख लोग पलायन कर चुके हैं और 40 लोगों की मौत भूख से हो चुकी है। ये बातें अखबारों में आयी हैं और तब हमारे कृषि मंत्री बार बार बोल रहे हैं कि जो हमसे बनेगा, वह देंगे। यह कैबिनेट से या केन्द्रीय सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, हम जानना चाहते हैं। जो लोग पलामू में भूख से मरे हैं, और अभी बिहार में कई जिलों में भुखमरी शुरू हो गयी है, लाखों की संख्या में लोग दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं, क्या केन्द्रीय सरकार उनको भुखमरी से बचाने के लिए कोई कार्रवाई करना चाहती है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास होगा, तभी दूंगा। मैं भी मदद करना चाहता हूं। यदि उसमें कोई कमजोरी हो तो कहो। मैंने एडवांस रिलीज भी किया है और जो मेरे पास है, उसमें से एडवांस रिलीज करने को तैयार हूं। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है क्योंकि मैं मदद करना चाहता हूं लेकिन जितना कपड़ा है, उतना ही कोट बनेगा। मेरे पास पैसा होगा तभी दूंगा। अभी तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल और पांडिचेरी एवं उड़ीसा में हुआ है तो हर जगह का पैसा ऊपर से कितना मिल सकता है, वह देने के लिए तैयार रहूंगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : स्पीकर साहब, जब भी बिहार के अन्दर सूखे की बात होती है या सैलाब की बात होती है या देश के किसी कोने मे नेचुरल कलैमटीज की बात होती है तो मेरा कहना यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर और खासकर बिहार के अन्दर वाटर मैनेजमेंट के कारण प्राब्लम है। बिहार को सुखाड़ और बाढ़ से निकालने के लिए अभी जो हिन्दुस्तान और नेपाल की सन्धि हुई है, उसके जरिये सारी नदियों पर डैम और बैराज बनाने का प्रोग्राम है। अगर वे बन जाएं तो बिहार के अन्दर एग्रीकल्चर, ईरिगेशन, बाढ़, ड्राट के सारे मामले हल हो सकते हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो अभी पिछले दिनों यह संधि हुई है, उसके अनुसार बिहार को परमानेंटली ड्राट से निकालने के लिए कुछ एग्रीमेंट पर अमल होगा या नहीं ?

श्री बलराम जाखड़ : सर, यह इरिगेशन डिपार्टमेंट ही दे सकता है। यह सवाल उनसे करें तो दे सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हमारे साथी ने जो सवाल उठाया और सवाल यह है कि ड्राट प्रोन एरिया में बिहार के 29 जिलों का मामला है लेकिन अभी हालत यह है कि पूरा का पूरा बिहार सूखे की चपेट में है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? दूसरी बात जो आपने कही कि जो पैसा आप देते हैं, वह सूखा राहत कोष से देते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो बिहार सरकार को पैसा मिलेगा, उसमें यह कट जायेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि जो पैसा आप दे रहे है, वह प्लान एलोकेशन बजट में से स्टेट का कट जायेगा या उसके अतिरिक्त आप दे रहे हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : नेचुरल कलैमटीज के लिए दो हिस्से केन्द्रीय सरकार का और एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब रोजगार योजना दूसरी है। यह काम करने के लिए है। काम करने का कोई तरीका हो सकता है उसके लिए दिया जाता है जिससे वक्त पर भी काम हो जाए। वही काम बाद में करना है, वही काम पहले भी करना है। उस हिसाब से होता है। आपको पता है पासवान जी कि स्टेट्स ने स्वयं मजबूरी में यह फैसला करवाया था कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है, यह अधिकार हमें दिया जाए। यह पैसा हमारा है, इस पर हमारा हक बनता है, हम जैसा चाहें, वैसे खर्च करेंगे और यह उसके अनुसार हुआ था। आपको पता है कि सन् 1987-88 में जब कहत पड़ा था तो एक स्टेट में सेण्ट्रल ने 600 करोड़ रुपया खर्च किया था। अब मेरे पास गुंजाइश नहीं है। मेरी मजबूरी आप समझिए। यह बात या सारी पॉलिसी चेंज करें, गवर्नमेंट अपनी चेंज करे तभी यह बन सकती है। जो मेरे पास था, वह दिया है उसके लिए मैंने एक मिनट की भी देरी नहीं की है और उसी को दिया है।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार में भयानक सुखाड़ की स्थिति है और वहां 40-50 आदमियों की मृत्यु भूख से हो चुकी है। तो क्या यह भारत सरकार की जवाबदेही नहीं है कि वहां बिहार की जनता को भुखमरी से बचाए और इसके लिए आपने क्या कार्रवाई की है ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं तो बता चुका हूं कि जो करना है वह हमने किया और 30 हजार टन ज्यादा गेहूं इस काम के लिए दिया गया है। बाकी देश में जितने प्रदेश हैं, सबकी समस्याएं हैं, उनके साथ एक ही स्तर का व्यवहार किया जाता है मैं उसके लिए अलहदा कुछ नहीं कर पाऊंगा।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा है कि बिहार में 40-50 आदमियों की भूख से मृत्यु हो चुकी है। वह भारत सरकार की जवाबदेही है या नहीं ?...(व्यवधान)...

श्री बलराम जाखड़ : जो सहायता हम दे सकते हैं वह हमने दी है। हम जितना कर सकते थे हमने किया है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

वृद्ध आश्रम

*46. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**

श्री जीवन शर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक कितने वृद्धाश्रम बनाए गए हैं;

(ख) इन आश्रमों में कितने वृद्ध लोगों को रखा गया है और उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में और वृद्धाश्रम बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक

(ख) फिलहाल इस वृद्धाश्रम में 30 लोग हैं। उन्हें मुफ्त आवास, भोजन, कपड़े इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त परामर्श चिकित्सा, देखरेख और मनोरंजन सम्बन्धी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

(ग) और (घ) वृद्ध लोगों के लिए एक और वृद्धाश्रम नेताजी नगर, नई दिल्ली में निर्माणाधीन है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का उत्पादन

*47. श्री बीर सिंह महतो :

श्री चित्त बसु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य से कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी होने का अनुमान है;

(ग) क्या इस कमी का खाद्यान्न के मूल्यों तथा इसके बफर स्टाक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्यों से मिलने का समय अभी नहीं हुआ है। रबी फसलों की बुवाई भी अभी चल रही है। इस समय यह बताना कठिन है कि खाद्यान्न उत्पादन में वर्तमान वर्ष के लिए लक्षित स्तर से रह गई कमी का सही अनुमान क्या है। लेकिन उपलब्ध मूल्यांकन के अनुसार, 1992-93 के दौरान खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 103.25 मिलियन मीटरी टन के लक्षित स्तर से लगभग 3 मिलियन मीटरी टन कम रहने की संभावना है।

(ग) और (घ) खाद्यान्न उत्पादन का स्तर खाद्यान्न मूल्यों को निश्चित करने के विभिन्न पहलुओं में से एक है। मूल्य स्तर तथा जमा-भण्डार की मात्रा पिछले बकाया भण्डार, आयात, जमा भण्डार तथा वितरण प्रणाली के प्रबन्धन के साथ-साथ आम मूल्य स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जैसे मांग विनिर्धारण सम्बन्धी अन्य कारणों पर निर्भर करती है। सरकार, जमा भण्डार के संचालन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वितरण सहित खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध इस प्रकार चलाएगी कि खाद्यान्नों के मूल्य असामान्य रूप से न बढ़ सकें।

[हिन्दी]

अनधिकृत बस्तियां

*48. श्री जनार्दन मिश्र :

श्री साईमन मराण्डी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने की निरन्तर मांग की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त मांग पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार की कोशिश होगी कि इस मामले में शीघ्र निर्णय ले लिया जाए।

भिक्षावृत्ति

*49. **श्री सत्य देव सिंह** :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भिखारियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भिक्षावृत्ति को संज्ञेय अपराध घोषित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस आशय के विधेयक को कब तक लाने का विचार है; और

(ङ) भिखारियों को जीविकोपार्जन के वैकल्पिक साधन प्रदान करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भिक्षावृत्ति निवारण के लिए 1989 में एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था।

(ङ) सरकार भिखारियों के पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

गन्दे पानी सम्बन्धी बृहद योजना

*50. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से कोई गन्दे पानी सम्बन्धी बृहद् योजना प्राप्त हुई है, जिसका वित्त पोषण आस्ट्रेलिया की सरकार करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) कटक के लिए फालतू जल की मास्टर योजना का साध्यता-पूर्व अध्ययन कराने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था। इस योजना के लिए धन की व्यवस्था आस्ट्रेलिया सरकार की "स्माल एक्टिविटीज स्कीम" के अनुदान से की जाती है।

(ग) प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने अपनी सिफारिशों के साथ आस्ट्रेलिया उच्चायोग को विचारार्थ भेजा था। आस्ट्रेलिया से एक विशेष दल ने अध्ययन के लिए कटक का दौरा किया है।

चौलाई

*51. **डा० रवि मल्लू** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हरी सब्जी के रूप में चौलाई का व्यापक उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और हमारी कृषि अनुसंधान संस्थाओं के पास इसकी कौन-कौन सी किस्में उपलब्ध हैं;

(ग) क्या ये जीन बैंकों में उपलब्ध हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि अनुसंधान संस्थाओं में चौलाई पर किए गए अनुसंधान कार्य का ब्योरा क्या है और इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि के कुछ भाग में हरी सब्जी के रूप में चौलाई का उपयोग किया जाता है। कृषि अनुसंधान एककों के पास उसकी निम्नलिखित किस्में उपलब्ध है :

किस्मों का नाम	अनुसंधान एकक
को—1, को—2, को—3, को—4 किरन और पूसा कीर्ति बड़ी चौलाई, अन्नपूर्णा	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली
अरुण एवं कन्नरा, स्थानीय जी.के.वी.के.—1	केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्ला निक्करा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर

(ग) जी हां।

(घ) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर, केरल कृषि विश्वविद्यालय वेल्लानिक्करा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली तथा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर में इस फसल की किस्मों में सुधार तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिए अनुसंधान किया गया है। चौलाई अनुसंधान पर किए गए खर्च का सही ब्योरा देना संभव नहीं है, क्योंकि सब्जी की फसलों के लिए किया गया वित्तीय आवंटन प्रत्येक फसल के लिए अलग-अलग नहीं किया जाता। पिछले तीन वर्षों के दौरान अकेले केरल कृषि विश्वविद्यालय में चौलाई अनुसंधान पर करीब 30,000/- रु० खर्च किए गए हैं।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदायें

*52. श्री काशी राम राणा :

श्री छीतूभाई गामीत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित की थी;

(ख) क्या इस परिषद ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परिषद की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प (सं० 44/236) द्वारा 1990 के दशक को प्राकृतिक आपदा कम करने का अन्तर्राष्ट्रीय दशक घोषित किए जाने के अनुक्रम में एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित की गई है, जो देश में प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिये आरंभ की जाने वाली कार्यवाही पर विचार करेगा, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की तैयारी की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना, प्राकृतिक आपदा कम करने के लिये कार्यक्रमों का पता लगाना और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना शामिल है।

2. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, जो एक स्थाई समिति है, समय-समय पर बैठक करके आपदाओं से संबंधित तैयारी के मामलों में हुए सुधारों की समीक्षा करेगी और लम्बे समय के लिये कार्य नीतियां तैयार करेगी। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की 9 अक्तूबर, 1991 को हुई बैठक में प्राकृतिक आपदाओं संबंधी विशेष कार्यवाही आरम्भ करके और अधिक सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देकर प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं और उनके प्रभाव को कम करने के लिए प्राकृतिक आपदा कम करने के अन्तर्राष्ट्रीय दशक के उद्देश्यों की जानकारी दी गई।

3. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने अपनी पहली बैठक में, अपने समक्ष प्रस्तुत मसलों पर गौर किया, जो कार्यक्रम को पसन्द करने के लिए मूल प्रतिमानों का चयन करने, कार्यक्रम तैयार करने सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी की कमी का पता लगाने से संबंधित थे। यद्यपि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, तथापि इसके विचार-विमर्श से, राष्ट्रीय आपदा कम करने के अन्तर्राष्ट्रीय दशक के उद्देश्यों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने हेतु राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यक्रमों के निरूपण में मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरे

*53. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष गहरे समुद्र में मछली पकड़ते समय बड़ी संख्या में मछुआरों की मौत हो जाती है;

(ख) क्या ऐसे मछुआरों के लिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा/बीमा की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) गहरे समुद्र में मत्स्यन से संबंधित मामले को देखने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ते हुए मछुआरों के मरने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) कृषि और सहकारिता विभाग ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मछुआरों के लिए एक सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की शुरूआत की थी। इस समय योजना में, मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अक्षम हो जाने की दशा में 21,000 रुपये तथा एक आंख अथवा किसी हाथ-पांव के नुकसान के लिए आंशिक रूप से अक्षम हो जाने पर 10,500 रुपये का बीमा कवरेज दिया जाता है। प्रति व्यक्ति 10.84 रुपये के वार्षिक प्रीमियम को केन्द्र तथा राज्य सरकार समान रूप से वहन करती है और इस प्रकार मछुआरों को मुफ्त बीमा कवरेज मिलता है। 1991-92 के दौरान लगभग 8.5 लाख सक्रिय मछुआरों को योजना के अंतर्गत लाया गया था। योजना का प्रारंभ होने से सितम्बर 1992 तक 2,268 दावों का निपटान किया गया है। 320.18 लाख रुपये की रकम अदा की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि उक्त मंत्रालय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं चलाता है।

कृषि भवन में आग

*54. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्रीमती सरोज दुबे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 अक्टूबर, 1992 को कृषि भवन में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस अग्निकांड के कारण कितने लोगों की जानें गईं और कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) ऐसे अत्यधिक ऊंचे सरकारी भवनों का ब्योरा क्या है जिन्हें दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा असुरक्षित पाया गया है और जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं; और

(च) इन सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। सम्पत्ति को पहुंचे नुकसान का अभी पता लगाया जाना है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस घटना की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की है। आग लगने के कारण का पता नहीं लग सका है।

(ङ) मुख्य अग्नि शमन अधिकारी ने बताया है कि सरकारी विभागों के पास ऐसी 64 गगन-चुम्बी इमारतें हैं, जिनमें से 18 को (संलग्न विवरण के अनुसार) नोटिस भेजे गए हैं।

(च) मुख्य अग्नि शमन अधिकारी ने बताया है कि असुरक्षित गगन-चुम्बी सरकारी इमारतों में, जहां तक सम्भव हो सका है, अग्नि सुरक्षा उपायों में सुधार कर दिए गए हैं। तथापि, कार्य का समापन होने में समय लगता है।

विवरण

1. विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट।
2. सफदरजंग अस्पताल।
3. गफ्फार मार्केट, करोल बाग।
4. मोहन सिंह प्लेस, चाणक्यपुरी।
5. मयूर भवन, कनाट प्लेस।
6. टेलीफोन एक्सचेंज, तीस हजारी।
7. नेशनल प्रोडक्टीविटी काउन्सिल, लोधी रोड।
8. सेना भवन, डप्ले रोड।
9. आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग।
10. वल्लभ चैस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय।
11. बहुमंजिली इमारत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास।
12. प्रशासकीय ब्लाक, हिन्दू राव अस्पताल।
13. चाणक्य भवन, चाणक्यपुरी।
14. गोल्डन जुबिली हाल, पूसा रोड।
15. मैकाल्य भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग।
16. पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग।
17. जीवन विहार, संसद मार्ग।
18. चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ।

दक्षिणी गैस पाइप लाइन

*55. श्री अनन्तराव देशमुख :

श्री वी० धनंजय कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से पश्चिम तट के साथ-साथ एक दक्षिणी गैस पाइप लाइन स्थापित करने के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई संभाव्यता रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अनुमानतः कितने पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी; और

(ङ) सरकार का देश के दक्षिणी क्षेत्र को गैस की कम सप्लाई की समस्या को किस प्रकार हल करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) इस संबंध में समय-समय पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी अपतट से दक्षिणी क्षेत्र तक प्राकृतिक गैस के परिवहन की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीन दल का गठन किया गया था। सरकार ने दल की रिपोर्ट की जांच की है तथा दक्षिणी क्षेत्र में पाइप लाइन बिछवाने के विचार को सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन दे दिया गया है।

1984 के दंगापीड़ितों को पेंशन

*56. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन लोगों को पेंशन स्वीकृत की है जिनके परिवार के सदस्य दिल्ली में 1984 में हुए दंगों में मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों को ऐसी पेंशन स्वीकृत की गई है;

(ग) उन्हें यह पेंशन कब से और किस दर से मिल रही है;

(घ) इस पेंशन को पाने के हकदार होने के लिए क्या मानदण्ड और शर्तें हैं;

(ङ) क्या हाल ही में यह पेंशन रोक दी गई है; और

(च) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. सरकार ने निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को तदर्थ राहत स्वीकृत की है :

I) नवम्बर, 1984 के दंगों से प्रभावित हुए 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, जिनका कमाऊ सदस्य या भावी कमाऊ सदस्य मारा गया हो।

II) वे विधवाएं, जिनको रोजगार नहीं दिया जा सका या जो नौकरी करने के काबिल नहीं है। शुरू में 400/- रु० प्रति माह की दर से राहत दी गई बशर्ते कि उनकी आय का कोई स्त्रोत न हो।

2. 16-3-1990 को भारत सरकार ने आदेश जारी किए कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और विधवाओं को दी जाने वाली तदर्थ राहत की राशि 15-3-1990 से 400/- रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000/- रु० प्रतिमाह कर दी जाएगी।

3. 18-6-1990 को भारत सरकार ने आदेश जारी किया कि 16-6-1990 से विधवाओं को, इसके अतिरिक्त, कब तक 1000/- रु० प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा, जब तक उनका रोजगार प्राप्त करने के योग्य एक लड़का/लड़की कमाऊ सदस्य नहीं बन जाता है।

4.1 1984 के दंगों से प्रभावित हुए 60 वर्ष से अधिक आयु के 109 व्यक्तियों को 1000/- रु० प्रतिमाह की दर से तदर्थ राहत दी गई है।

4.2 दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 1987-88 से 30-9-1992 तक 338 विधवाओं को तदर्थ राहत स्वीकृत की गयी।

4.3 उन विधवाओं की संख्या 88 है, जिन्हें तब तक 1000/- रु० प्रतिमाह की अतिरिक्त राहत उपलब्ध करायी गयी है, जब तक उनका रोजगार प्राप्त करने योग्य एक लड़का/लड़की कमाऊ सदस्य नहीं बन जाता है।

5. वृद्ध व्यक्तियों और विधवाओं को तदर्थ राहत स्वीकृत किए जाने संबंधी योजनाएं, इसके गठन से ही बिना व्यवधान के चल रही है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को तदर्थ राहत बन्द की गई है, जो पात्र नहीं रहे। वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में, वर्ष 1990-91 और 1991-92 में 51 मामलों में इस आधार पर पेंशन बन्द की गयी कि इन व्यक्तियों के परिवार में एक कमाऊ या रोजगार करने योग्य सदस्य हैं। विधवाओं के संबंध में, 1988-89 और 1991-92 के बीच 338 मामलों में से 110 मामलों में राहत बन्द की गयी है क्योंकि या तो उन्हें रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है या वे दिल्ली छोड़ गए हैं या उन्होंने दुबारा शादी कर ली है या उनकी मृत्यु हो गयी है। जिन विधवाओं को अतिरिक्त राहत उपलब्ध करायी गयी है, उनके संबंध में, 51 मामलों में इस प्रकार की राहत बन्द की गयी क्योंकि या तो उन्हें या उनके परिवार के सदस्य को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है, या वे दिल्ली छोड़कर चली गयी हैं या उनका देहान्त हो गया है।

[हिन्दी]

गुजरात को प्राकृतिक गैस का आबंटन

*57. श्री एन० जे० राठवा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से राज्य को प्राकृतिक गैस के आबंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पर कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस संबंध में गुजरात सरकार से समय-समय पर अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) गैस की उपलब्धता में से पहले ही की गई वचनबद्धता को देखते हुए गैस की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

आयल पाम की खेती

*58. श्री राम कापसे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल पाम की खेती के अन्तर्गत कुछ और भू क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस प्रयोजन हेतु चुने गए स्थानों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) आयल पाम की खेती के लिए देश के 11 राज्यों में कुल 7.96 लाख हैक्टेयर क्षेत्र अभिज्ञात किया गया है। आयल पाम की खेती के लिए राज्यों के अभिज्ञात क्षेत्रों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आठवीं योजना के दौरान आयल पाम की खेती के लिए लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र, आंध्र प्रदेश (50,000 हैक्टेयर), कर्नाटक (20,000 हैक्टेयर), अन्य राज्य (10,000 हैक्टेयर), प्रारक्षित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

आयल पाम की खेती के लिए अभिज्ञात राज्यवार सम्भावित क्षेत्र

राज्य	कुल अभिज्ञात क्षेत्र (लाख है०)	जिले/संभावित क्षेत्र
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	4.00	कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, श्रीकाकुलम, विजियानगरम, विशाखापटनम्, खाम्माम, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर।
2. असम	0.10	दारांग, डिबरूगढ़, ग्वालपाड़ा, कामरूप, लखिमपुर, नोगांव और शिवसागर।
3. कर्नाटक	2.50	तुंगभद्रा, सिंचाई परियोजना, भद्रा योजना, बनवासी, ऊपरी कृष्णा, कावेरी बेसिन, मालाप्रभा और घाटप्रभा सिंचाई योजना क्षेत्र।
4. केरल	0.05	दक्षिणी केरल।

1	2	3
5. महाराष्ट्र	0.10	रत्नागिरि, तिल्लेरी जल और बेशसति परियोजना जगबूंदी नदी बेसिन और खेड तालुक में नायनबाडी योजना क्षेत्र, तुलसी तिल्लेरी योजना क्षेत्र और थाणे में सूर्य योजना क्षेत्र ।
6. उड़ीसा	0.10	कोरापुट, अलीवाला, पट्टंकू, रायपोनिय पलईपाल और सिमुलपाल, कालाहांडी जिले में जयपटना में इन्द्रावती परियोजना क्षेत्र और ढेनकनाल जिले में रामियाला सिंचाई परियोजना ।
7. तमिलनाडु	0.25	मयावरम्, सिरकली, कुम्भकोणम्, नन्नीलाम मोलादुथुरई पापनाशम, तरंगमबाडी और तंजाबुर जिले का तिरुवायरु क्षेत्र और कुलीतालई और तिरुचिरापल्ली जिले का तिरुचि तालूक ।
8. त्रिपुरा	0.05	बलोनिया के निकट बसपादुआ ।
9. पश्चिम बंगाल	0.10	जलपाईगुडी, दार्जिलिंग और कूच बिहार जिले, 24 परगना जिले की भी सिफारिश की गई है ।
10. गुजरात	0 61	उकई-ककरापार सिंचाई परियोजना, दमन गंगा कमांड क्षेत्र, सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना और अलियत द्वीप ।
11. गोवा	0.10	पश्चिमी घाट क्षेत्र ।
कुल :	7.96	

खुले मैनहोलों/फ्लाई ओवरों में टूटे-फूटे स्थानों के कारण हुई मौतें

*59. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले 18 माह के दौरान प्रति माह खुले मैन होलों तथा/अथवा फ्लाई ओवरों के सड़क विभाजकों के टूटे-फूटे स्थानों से गिर कर मरने वालों की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों की तुलना में यह संख्या कम है अथवा अधिक;

(ख) ऐसी कितनी घटनाओं के बारे में जांच करके उनके लिए जिम्मेदारी तय की गई है;

(ग) क्या मृतकों के निकट सम्बन्धियों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली नगर निगम के अनुसार, उनके इलाकों में सीवरों में खुले मैनहोलों में गिरने से गत 18 माह के दौरान तीन मौतें हुई हैं जबकि उससे पूर्व, तीन वर्षों के दौरान केवल एक मौत हुई।

उन्होंने यह भी बताया है कि गत 19 महीनों के दौरान दिल्ली नगर निगम नियंत्रित फ्लाई-ओवरों के सेंट्रल मेडियन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कोई मौत नहीं हुई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उनके इलाके में खुले मैनहोल में गिरने से गत 18 माह के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि उसके पूर्व तीन वर्षों में दो लोगों की मौत हुई।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इनमें से प्रत्येक घटना की जांच पड़ताल की गई है और जहां कहीं निगम कर्मचारियों का दोष पाया गया वहां उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि तीनों मामलों में जांच की गई थी और एक मामले में संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी।

(ग) दिल्ली नगर निगम के अनुसार, मैनहोलों में गिरकर हुई मौतों के दो मामलों में मृतक के निकट संबंधी को अनुग्रह-राशि दी जा चुकी है, जबकि एक मामले में बच्चे का पिता मुआवजा लेने में आना-कानी कर रहा है। 3 अक्तूबर, 1992 को एक फ्लाईओवर के सैन्ट्रल मेडियन से गिरने से हुई मौत के मामले में मृतक के निकट संबंधी को मुआवजे के बारे में कोई निर्णय नही लिया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई मुआवजा अदा नहीं किया गया है।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि स्टाफ को दौरों के समय मैनहोल के ढक्कनों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जनता तथा सफाई कर्मचारी मैनहोल के ढक्कन गायब होने की जानकारी नियंत्रण कक्ष में देते हैं और शिकायतें मिलते ही ढक्कन लगा दिए जाते हैं। पैदल यात्रियों द्वारा सेन्ट्रल मेडियन के दुरुपयोग और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा फ्लाई ओवरों के सैन्ट्रल मेडियन में प्री-कास्ट स्लैबों के बदले मौके पर निर्मित आर. सी. सी. स्लैब और रेलिंग लगाकर फ्लाईओवरों के सेन्ट्रल मीडियन बन्द कर दिए गए हैं। दो फ्लाईओवरों में ये काम पूरा हो चुका है और डिफेंस कालोनी फ्लाई-ओवर पर काम चल रहा है।

नई दिल्ली नगर पालिका ने अपने फील्ड स्टाफ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि जैसे ही किसी मैनहोल के खुले होने की सूचना मिले उसे ढक दिया जाए और ढक्कनों की चोरी रोकने के लिए, मैनहोलों पर इस्पाती कंकरीट के ढक्कन लगाए जाएं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी फील्ड स्टाफ को यह सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं कि खुले मैनहोल की रिपोर्ट मिलते ही फौरन ढक दिया जाए और मैनहोलों को ढकने का कार्य दिल्ली प्राधिकरण की निगरानी में मानसून से पूर्व ही शुरू कर दिया जाए।

भारत में मतदाता सूची में दर्ज बंगलादेशवासी

*60. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक करोड़ से अधिक बंगलादेशवासी गैर-कानूनी रूप से रह रहे हैं;

(ख) क्या इन आप्रवासियों में से अधिकांश को राशनकार्ड जारी कर दिए गए हैं तथा उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान हेतु कोई जांच कराई है; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) देश के विभिन्न भागों में, बहुत बड़ी संख्या में बंगलादेशी प्रवासी अवैध रूप से रह रहे हैं। उनकी ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वे चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं और जातीय-भाषायी समानताओं के कारण स्थानीय जनता में आसानी से घुल-मिल जाते हैं।

(ख) से (घ) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों एवं प्रतिक्रियाओं के अनुसार ही मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम शामिल किए जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के, पात्र व्यक्तियों में, वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। अवैध प्रवासियों द्वारा अपने पूर्ववृत्त को छिपाकर राशन कार्ड प्राप्त कर लेने की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। अपनी राष्ट्रीयता के बारे में तथ्यों को छिपाकर कुछ प्रवासियों ने अपने आपको मतदाताओं के रूप में पंजीकृत भी कर लिया हो सकता है। अन्य मुद्दों के साथ-साथ इन मुद्दों पर भी, सितम्बर, 1962 में पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्य मंत्रियों (संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का भी प्रतिनिधित्व किया गया था) के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने के लिए सामान्यतया सहमति प्रकट की गई थी कि अवैध प्रवासियों को राशन कार्ड जारी न किए जाएं और कि उनके नाम, मतदाता सूची में दर्ज न किए जाएं।

[हिन्दी]

महानगरों के लिए मेट्रो रेल सेवा

461. **श्री अरविंद त्रिवेदी :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली तथा अन्य महानगरों में मेट्रो रेल सेवा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन महानगरों के नाम क्या है जिनमें सरकार मेट्रो रेल सेवा प्रारम्भ करना चाहती है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विशेष योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम):(क) से (घ) मैं० रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स) ने अपनी व्यवहार्यता रिपोर्ट में, दिल्ली में विशेष कारिडार्स पर मेट्रो रेल चलाने की अनुसंशा की है, जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। राइटस कलकत्ता में मौजूदा मेट्रो को टालीगंज से गारिया तक बढ़ाने के लिए भी एक अध्ययन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार इस रिपोर्ट की जांच कर रही है इस समय, किसी अन्य महानगर में मेट्रो रेल के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है और इसके लिए कोई विशेष स्कीम तैयार नहीं की गई है।

[अनुवाद]

रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता

462. **श्री बी० वेंकटरामन** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में वार्षिक प्रत्येक फसल के मौसम में कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है;

(ख) चालू खरीफ तथा रबी के मौसम के लिए तमिलनाडु को केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित उर्वरक क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस राज्य को उर्वरकों की सप्लाई बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में उर्वरक पोषकतत्वों की मौसम-वार खपत को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) खरीफ, 92 तथा रबी, 92-93 मौसमों के दौरान तमिलनाडु को आबंटित उर्वरक पोषक तत्व निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :

("000 टन में)

पोषक तत्व	खरीफ, 92	रबी, 92-93
एन	174.02	248.79
पी	86.04	—
के	126.16	—
कुल	386.22	248.79

25.8.1992 से फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों का आबंटन बंद कर दिया गया है क्योंकि इन उर्वरकों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु में नाइट्रोजनी उर्वरकों की सम्पूर्ण आवश्यकता को आबंटनों द्वारा पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा, चाहे वे आबंटन पहले किए गए निर्धारण से अधिक हों।

विवरण

तमिलनाडु में उर्वरकों की खपत

("000 टन में)

	1989-90			1990-91			1991-02		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
एम	148.91	251.18	400.09	155.29	262.39	417.68	158.52	263.74	422.26
पी	71.64	86.99	158.63	78.19	90.23	168.42	77.25	87.33	164.58
के	98.88	126.53	223.41	107.12	137.73	241.85	111.50	140.86	252.36
योग	317.43	464.70	782.13	340.60	490.35	830.95	347.27	491.93	839.20

"कोई त्रुटि नहीं" के आधार पर रसोई गैस का प्रयोग

463. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "कोई त्रुटि नहीं" के आधार पर रसोई गैस का प्रयोग करने वाले परिवारों के लिए बीमा योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब तक शुरू की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती

464. श्री विजय कुमार यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों (जवानों) की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या इस बल की तैनाती विभिन्न राज्यों में समानुपात में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो संबंधित बल को एक अनुपात में तैनाती के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सदन में इस सूचना का बताना जनहित में नहीं होगा ।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों को समय-समय की आवश्यकता के आधार पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया जाता है । चूंकि इसे आवश्यकतानुसार तैनात किया जाता है, अत: इसे अनुपातिक नहीं बताया जा सकता ।

[अनुवाद]

उपपट्टा/अभिहस्तांतरण पत्र के प्रपत्र की उपलब्धता

465. श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री सहकारी सामूहिक आवास समितियों को स्थायी पट्टे के बारे में 30 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3367 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सहकारी सामूहिक आवास समितियों उपपट्टा/अभिहस्तांतरण को पत्र के प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) और ये प्रपत्र समितियों को कब तक उपलब्ध करवाए जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उपपट्टा विलेख और अभिहस्तांतरण विलेख के प्रपत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण में तैयार हैं और ये प्रपत्र उन सहकारी सामूहिक आवास समितियों को यथाशीघ्र उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया है जिनको दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित की गई है।

करनाल तेल शोधक कारखाना

466. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा टाटा के साथ पूर्ववर्ती संयुक्त उद्यम प्रबन्ध के असफल हो जाने के कारण पर्याप्त विलम्ब के पश्चात् करनाल तेल शोधन कारखाना स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 507 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सहित 3868 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर करनाल में (बहोली गांव जो अब पानीपत जिले में है) 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता की एक रिफाइनरी स्थापित करने के लिए सरकार ने 7.10..992 को अनुमोदन दिया है। परियोजना के निर्धारित समय के भीतर पूरा होने का कार्यक्रम है।

महाराष्ट्र के बी० पी० सी० एल०, आई० पी० सी० एल०, एम० जी० सी० सी० और एच० पी० सी० एल०, में अग्निकांड

468 **श्री मोहन रावले :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के बी० पी० सी० एल०, आई० पी० सी० एल०, एम० जी० सी० सी० और एच० पी० सी० एल० में 1985 के बाद हुए अग्निकांडों में हताहत हुए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) शोक-संतप्त परिवारों को दिए गए मुआवजे की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अग्नि दुर्घटनाओं के कारणों की जांच के लिए गठित विभिन्न समितियों के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए और इन समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी अग्नि-दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बी० पी० सी० एल० और एच० पी० सी० एल० में आग लगने सम्बन्धी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। बहरहाल, 5 नवम्बर, 1990 का महाराष्ट्र में आई० पी० सी० एल० के नागोठाणे परिसर में गैस क्रैकर संयंत्र की बैटरी लिमिट यूनिट के बाहर बड़े पैमाने पर आग लगने की एक घटना हुई थी। इस आग लगने की दुर्घटना में 32 लोगों की जानें गयीं जिसमें से 13 कार्पोरेशन के कर्मचारी थे।

(ख) आई० पी० सी० एल० के कथनानुसार प्रत्येक मृतक के निकट संबंधियों को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपए दिए गए।

(ग) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा एन० सी० एल० पुणे के निदेशक की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन उस घटना की जांच करने और कारणों का पता लगाने के लिए किया गया था। समिति की रिपोर्ट मिल गई है और उस विभाग के विचाराधीन है।

(घ) आई० पी० सी० एल० के कथनानुसार भविष्य में आग लगने की दुर्घटना को रोकने के लिए किए गए उपायों में (I) मशीनी तौर पर पूरा किए गए संयंत्रों को सुरक्षा आडिट तथा सुरक्षा उपायों को लागू करना (II) सभी सहयोगियों से कहा गया है कि वे एक बार फिर तकनीकी आडिट कर लें (III) अग्नि सुरक्षा, प्रथम उपचार आदि जैसे क्षेत्रों में प्रचालनात्मक कर्मचारियों को तैनात रखना और (IV) 1991 में बनी स्थलीय दुर्घटना प्रबन्धन की कम्पनी द्वारा समीक्षा की जानी शामिल है।

फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल का दौरा

469. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला तथा आतंकवाद से लड़ने के भारत सरकार के प्रयत्नों के प्रति रुचि दिखाई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

470. **श्री भगवान शंकर रावत** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ख) विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पर इस मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की

कीमतों में हाल में की गई वृद्धि से वर्ष 1992-93 में 1850 करोड़ रुपये की प्रत्याशित कमी के पूरी होने की आशा है ।

(ख) दिनांक 16.9.1992 से कीमतों में वृद्धि की गई थी और वृद्धि के प्रभाव का अभी मूल्यांकन करना बहुत जल्दी होगा ।

[अनुवाद]

दुग्ध पाउडर तथा बटर-आयल का आयात

471. श्री कालका दास :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित दुग्ध पाउडर एवं बटर-ऑयल का बाजार मूल्य क्या है; और

(ख) आयातित दुग्ध पाउडर एवं बटर-आयल विभिन्न एजेंसियों में किस प्रकार बांटा गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल की बिक्री के माध्यम से कुल 100.27 करोड़ रुपये वसूल किए गए हैं । जिसमें से 59.66 करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है जो डेरी संयंत्रों को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त उपहार जिंसों की बिक्री के माध्यम से जुटाई गई है ।

(ख) दुग्ध-चूर्ण तथा बटर आयल का वितरण विभिन्न एजेंसियों को नहीं किया जाता । इन जिंसों को, सहकारी डेरी संयंत्रों तथा नगर डेरियों को, उनकी तरल दुग्ध के विपणन की आवश्यकता का अनुमान लगाकर तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पास इनकी उपलब्धता के आधार पर जारी किया जाता है ।

[हिन्दी]

बिहार में फल प्रसंस्करण उद्योग

472. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मधुबनी जिले में मधुबनी, दरभंगा और ओइनी में सहकारिता क्षेत्र के फल प्रसंस्करण उद्योगों की क्या स्थिति है;

(ख) क्या सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सहकारिता सेक्टर में केवल तीन फल प्रसंस्करण यूनिट हैं जो बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों तथा मधुबनी के बेनी में स्थित हैं । 1966-67 के दौरान स्थापित इन यूनिटों में, मशीनरी की आपूर्ति के बारे में ठेकेदार तथा सम्बन्धित सोसाइटियों के बीच झगड़े के कारण कभी उत्पादन नहीं किया गया ।

यह मामला माध्यस्थ को भेजा गया था और यह माध्यस्थता का मामला 1975 तक चलता रहा जिस कारण सोसायटियां वाणिज्यिक उत्पादन नहीं कर पायीं। जब तक मामलों को निपटाया गया तब तक समितियों की इसमें कोई रुचि नहीं रही और राज्य सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने दरभंगा यूनिट को पुनर्जीवित करने के लिए 1976 में 4.80 लाख रुपये की पुनर्थापन सहायता मंजूर की। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1982 में वैनी यूनिट को 4.20 लाख रुपये और मधुबनी यूनिट को 4.12 लाख रुपये की पुनर्स्थापन सहायता भी मंजूर की। इन तीनों मामलों में राज्य सरकार ने इन यूनिटों के पुनर्स्थापन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जिसके फलस्वरूप मंजूरी रद्द कर दी गई। यह यूनिट अभी भी बन्द पड़े हैं और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को इन तीन यूनिटों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार से कोई नए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश को जल आपूर्ति तथा सफाई हेतु विश्व बैंक सहायता

473. **श्री खेलन राम जांगडे :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को जल आपूर्ति तथा सफाई सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्य में किए गए कार्य का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना

474. **श्री श्रीकान्त जेना :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा उड़ीसा सरकार को क्या सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) उड़ीसा में पिछले दो वर्षों के दौरान इस परियोजना के तहत क्या प्रगति हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक सहायता राज्यों को प्रतिपूर्ति आधार पर सीधे प्रदान नहीं की जाती है। राज्य सरकार की परियोजना को पूर्ण बजटीय सहायता की सुविधा देने के लिए आर्थिक कार्य विभाग ने 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान 150 लाख रुपये की पेशगी केन्द्रीय सहायता प्रदान की है।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत की गई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) वित्तीय

(लाख रुपयों में)

परियोजना	कुल लागत	व्यय 90-91	व्यय 91-92	मार्च, 92 को समाप्त अवधि का संचयी व्यय
एन० ए० ई० पी०-I	198.60	47.53	71.24	176.41

(ख) वास्तविक

घटक	लक्ष्य	उपलब्धि
सिविल संकर्म	728	436
वाहन	91	91
कर्मचारी	7749	7209
प्रशिक्षण	15863	9781

[अनुवाद]

अशान्त क्षेत्र

457. डा० कृपासिंधु भोई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक किन-किन क्षेत्रों को अशान्त क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर के कुछ और जिलों को अशान्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जम्मू और कश्मीर राज्य में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० सं० एस० डब्ल्यू० 4, दिनांक 6.7.1990 के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों को अशान्त क्षेत्र घोषित किया गया है;

(1) राजोरी और पूंछ जिलों में नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर के भीतर पड़ने वाले क्षेत्रों को अशान्त क्षेत्र घोषित किया गया है;

(2) अनन्तनाग, बारामूला, बदगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा और श्रीनगर जिले ।

(ख) से (घ) जम्मू क्षेत्र के कुछ भागों को विशेष रूप से डोडा जिले को, अशान्त क्षेत्र घोषित करने की कुछ मांगे हैं । तथापि इस समय ऐसा करना उचित नहीं पाया गया ।

दिल्ली में दूषित जल आपूर्ति

476. श्री मदनलाल खुराना :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 सितम्बर, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में मयूर विहार कन्टमिनेटिड वाटर सप्लाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत बारह महीनों में प्रत्येक माह दिल्ली में दूषित जल आपूर्ति के संबंध में सरकार के पास कितनी शिकायतें आई हैं और इसकी पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान की स्थिति से किस प्रकार से तुलना की जाएगी; और

(घ) दूषित जल की आपूर्ति के क्या कारण हैं तथा दिल्ली में सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। रिकार्ड के अनुसार दिसम्बर, 1991 से 24.9.92 तक 1312 शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं :

जनवरी, 89 से दिसम्बर, 89 तक : 640
जनवरी, 90 से दिसम्बर, 90 तक : 675
जनवरी, 91 से दिसम्बर, 91 तक : 936

विवरण

(ख) और (घ) हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार ने जल आपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित प्रसंगों पर प्रकाश डाला :

1. नोएडा रोड से सटे हुए पॉकेट की जल आपूर्ति लाइन निकट के बड़े आक्सीकरण तालाब के कारण संदूषित होने की सूचना दी गई है तथा इसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
2. ऊपरी तलों पर पानी की कमी।
3. यद्यपि, इलाके के अन्य पॉकेटों में गंगा नहर का पानी सप्लाई किया जा रहा है परन्तु पॉकेट-IV में अवमृदा पानी सप्लाई किया जा रहा था।

दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपर्युक्त का उत्तर निम्नानुसार है :—

ऊपरी तलों पर पानी की पहले कमी थी परन्तु, "ऑन लाइन बूस्टर" के उपयुक्त नियंत्रण के पश्चात् आपूर्ति घंटे बढ़ गए हैं तथा अब सभी तलों पर अपराह्न में एक घण्टे के अलावा प्रातः और सायंकाल प्रत्येक में 5 घण्टे के लिए पानी उपलब्ध है। नलकूपों के निर्माण के लिए दो और परीक्षण बोरों का काम चल रहा है और यदि, पानी की गुणवत्ता ठीक पाई जाती है तो मौजूदा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए दो और नलकूप लगाए जाएंगे।

यह सही नहीं है कि पाकेट-IV में अवमृदा जल सप्लाई किया जा रहा था। नलकूपों और भगीरथी शोधन संयंत्र से फिल्टर किया गया पानी सप्लाई किया जा रहा है।

आक्सीकरण तालाब भूमिगत जल आपूर्ति को किसी भी रूप में दूषित नहीं कर रहा है क्योंकि ये नलकूप दूरी पर हैं तथा पानी की गुणवता पीने-योग्य है।

जहां तक, आक्सीकरण तालाबों को स्थानांतरित करने का संबंध है, इनका निर्माण अस्थायी उपाय के रूप में किया गया था तथा दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा निर्माणाधीन कल्याणपुरी पम्पिंग स्टेशन के चालू होने पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संस्थान के सिविल और विद्युतीय तथा यांत्रिक कार्य अप्रैल, 1993 तक तैयार हो जाने की आशा है। इसका चालू होना दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की सप्लाई पर निर्भर करेगा जिसके लिए मामले में कार्रवाई की जा रही है।

एल० पी० जी० सिलेंडरों की मांग और सप्लाई

477. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल० पी० जी० सिलेंडरों की मांग और सप्लाई की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) देश के एल० पी० जी० के वर्तमान घरेलू उपभोक्ताओं की मांग समग्रतः पूर्णरूपेण पूरी की जा रही है। यदि कभी कमी होती है तो तत्काल कार्रवाई की जाती है। वर्ष 1991-92 के दौरान एल० पी० जी० की बिक्री का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	वर्ष 1991-92 में एल० पी० जी० की बिक्री (मि० टन) (अनन्तिम)
1	2
आंध्र प्रदेश	180733
अरुणाचल प्रदेश	1766
असम	40505
बिहार	68519
गोआ	13569
गुजरात	205517
हरियाणा	72849
हिमाचल प्रदेश	12136
जम्मू और कश्मीर	20331

1	2
कर्नाटक	118677
केरल	65106
मध्य प्रदेश	124310
महाराष्ट्र	448525
मणिपुर	4737
मेघालय	3375
मिजोरम	2198
नागालैंड	2589
उड़ीसा	22194
पंजाब	102684
राजस्थान	87284
सिक्किम	837
तमिलनाडु	214613
त्रिपुरा	2897
उत्तर प्रदेश	276895
पश्चिमी बंगाल	131288
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार	457
चंडीगढ़	14664
दादरा और नगर हवेली	363
दिल्ली	218608
दमन	501
लक्षद्वीप	—
पांडिचेरी	4153

विद्युत उत्पादन के लिए गैस का आबंटन

478. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोई भी गैस अनुबंधन या विद्युत परियोजना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में प्रस्तावित विद्युत परियोजना को गैस के आबंटन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) एच.बी.जे. पाइप-लाइन से गैस की उपलब्धता में से पहले ही की गई वचनबद्धता को देखते हुए मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित किसी भी विद्युत परियोजना के लिए गैस का आबंटन नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पटसन की फसल

479. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पटसन की फसल उगाने के लिए आधारभूत सुविधाएं तथा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में पटसन उगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वे कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) भारत सरकार पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित पटसन उगाने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में विशेष पटसन विकास कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार अपेक्षित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए उत्पादन तथा उच्च पैदावार किस्मों के गुणवत्ता बीजों के वितरण, पौध संरक्षण तथा रसायनों और उपकरणों की आपूर्ति, उन्नत प्रौद्योगिकी का निदर्शन, कृषि उपकरणों की आपूर्ति, रेटिंग टैंकों की खुदाई, फंगल कल्चर की आपूर्ति आदि के द्वारा किसानों को प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार को शतप्रतिशत सहायता देती है।

(ख) और (ग) यह योजना राज्यों के पटसन उगाने के संभाव्य क्षेत्रों में पहले ही क्रियान्वित की जा रही है।

फलों के वृक्ष लगाना

480 **डा० लाल बहादुर रावल** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में फलों के कितने वृक्ष लगाए गए;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और वास्तव में कितनी धनराशि इस पर व्यय की गई; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान निर्धारित लक्ष्य कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) उत्तर प्रदेश में लगाये गये फलदार पेड़ों की संख्या वर्षवार इस प्रकार है :

(संख्या लाखों में)

1989-90	1990-91	1991-92
93.499	77.699	69.29

(ख) इस प्रयोजन के लिए आवंटित धन तथा खर्च किया गया धन इस प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

	परिव्यय	खर्च की गई रकम
1989-90	303.747	306.604
1990-91	354.47	349.27
1991-92	406.27	208.968

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए 531.13 लाख रुपये के आवंटन से 100.5 लाख पौध लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

टेट्रा पैक/टेट्रा-ब्रिक मशीनें

481. श्री राम सागर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान स्वीडन से खरीदी गई टेट्रा पैक/टेट्रा ब्रिक मशीनों की क्षमता उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मशीनों की खरीद में बरती गई अनियमितताओं की जांच पूरी हो गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰सी॰ लेंका) : (क) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान टेट्रा पैक/टेट्रा-ब्रिक मशीनों की बेची गई पैकिंग सामग्री के आधार पर क्षमता का इस्तेमाल क्रमश: 43 प्रतिशत और 54 प्रतिशत है।

(ख) इन मशीनों की खरीद में कोई अनियमितता नहीं थी।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी

482. श्री राम विलास पासवान :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० अम्बेडकर फाउण्डेशन ने डा० बी० आर० अम्बेडकर के नाम पर दिल्ली में एक नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई भू-खण्ड उपलब्ध कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो कहां पर; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्होंने डा० अम्बेडकर राष्ट्रीय पब्लिक पुस्तकालय के निर्माण के लिए आबंटन हेतु डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड तथा रायसीना रोड के बीच इंस्टिट्यूशनल कॉम्पलेक्स में 20,160 वर्ग फुट क्षेत्र वाले घेरा संख्या 5 की पहचान की है।

तथापि, दिनांक 8-9-92 को सम्पन्न डा० बी. आर. अम्बेडकर शताब्दी समारोह संबंधी स्थायी समिति की पांचवी बैठक में चर्चा के दौरान सदस्यों ने जनपथ पर राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने खाली पड़े भूखण्ड के आबंटन की मांग की जो राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करने के लिए है। शहरी विकास मंत्री ने इसकी जांच कर शीघ्र आबंटित करने के लिए सहमति व्यक्त की।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चावल मिलें

483. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में चावल मिलों की स्थापना करने का विचार; और

(ख) यदि हां, तो वे किस-किस स्थान पर लगायी जायेंगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऑयल पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट

484. श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में, मोहितनगर में, ऑयल पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरे से अवगत कराएं ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नार्थ बंगाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, जलपाईगुड़ी के मोहितनगर नामक स्थान में तेल ताड़ (ऑयल पाम) के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का एक

प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अपेक्षित उपयुक्त भूमि तथा अन्य न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के लिए डी. डी. ए. फ्लैटों का कोटा

485. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या शहरी विकास मंत्री 11 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 25/9 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के लिए निर्धारित डी.डी.ए. फ्लैटों के कोटे तथा पिछले दस वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आबंटित फ्लैटों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार स्व-वित्त पोषित योजना फ्लैटों के नियतन में 3 प्रतिशत आरक्षित कोटे का प्रावधान केवल चौथी और पांचवीं स्व-वित्त पोषित योजनाओं में किया गया था जो क्रमशः 1981 और 1982 में प्रारम्भ की गई थी रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान सांसदों के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत कोई आबंटन/नियतन नहीं किया गया है। तथापि, पिछले 10 वर्षों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

अन्य योजनाओं अर्थात सेवा निवृत्त कर्मचारी योजना-82 सेवा निवृत्त कर्मचारी योजना-85 तथा मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता श्रेणियों के लिए अम्बेडकर आवास योजना 1989 एवं स्व-वित्त पोषित योजना-VI में सांसदों के लिए कोई आरक्षित कोटे का प्रावधान नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

पालिका बाजार व्यापारी संघ कार्यालय

486. श्री गुरुदास कामत :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने पालिका बाजार व्यापारी संघ के कार्यालय को सील कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल पूल खाते में घाटा

*487. श्री विजय नवल पाटील :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल पूल खाते में घाटा काफी बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय तेल उत्पादक तथा शोधक कम्पनियों को कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है;

(ग) तेल पूल खाते में इस भारी घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) तेल पूल खाते में बढ़ते घाटे को नियंत्रित करने के लिए क्या तरीका अपनाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के जरिए उत्पादन, शोधन, विपणन आदि की पूरी लागत की वसूली न होने के कारण तेल पूल खाते के घाटे में वृद्धि हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए 16-9-1992 से कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की गई है।

सीमा सुरक्षा बल में महिलाओं की भर्ती

488. **डा. राजा गोपालन श्रीधरन** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल में महिलाओं की भर्ती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस काडर में भर्ती किया जाता है तथा उन्हें किस प्रकार का कार्य दिया जाता है; और

(ग) क्या उन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) सीमा सुरक्षा बल नियम 7 के अनुसार, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा कोम्बटाइज्ड पदों पर नियुक्ति के लिए महिलाएं पात्र नहीं होती है। तथापि, महिलाओं को सीमा सुरक्षा बल में कुछ अन्य पदों पर नियुक्त किया जाता है।

(ख) सीमा सुरक्षा बल में महिलाओं के चिकित्सा संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी तथा ग्रुप "ग" और "घ" के पदों पर परिचारिका और अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ के रूप में भर्ती किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना उनका कार्य है। भूतपूर्व सशस्त्र बटालियनों की कुछ महिला कर्मचारियों को नियुक्ति उनकी बटालियनों के सीमा सुरक्षा बल में विलय हो जाने पर की गई है। सीमा सुरक्षा बल के कार्यालयों में सचिवालयीय कार्य के लिए कुछ एक महिलाओं को मंत्रालयी संवर्ग में भर्ती किया गया है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल में भर्ती की गई महिलाओं को कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है तथापि, सीमा सुरक्षा बल में महिला चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्त हो जाने के तुरन्त बाद उन्हें 6 सप्ताह का चिकित्सा अधिकारियों का प्राथमिक प्रशिक्षण/पुनः अभिमुखीकरण तथा अंतरंगी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। ग्रुप "ग" में भर्ती की गई परिचारिकाओं और अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ को भी सीमित 6 सप्ताह की निर्धारित अवधि वाला प्राथमिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होता है।

मिट्टी के तेल का उत्पादन और आयात

[अनुवाद]

489. श्री संदीपन भगवान थोरात :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मिट्टी के तेल का कितना उत्पादन और आयात किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान उसका उत्पादन और आयात कितनी-कितनी मात्रा में किया जायेगा;

(ख) देश में मिट्टी के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार मिट्टी के तेल का कितना-कितना आबंटन किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केरोसीन तेल की उत्पादित तथा आयातित मात्रा वर्ष 1989-90 से 1992-93 तक निम्न प्रकार है :

(आंकड़े "000" टनों में)

वर्ष	उत्पादन	आयात
1989-90	5700	2864
1990-91	5471	3367
1991-92	5339	3391
1992-93 (अप्रैल-सितम्बर)	2591	1473

(ख) अतिरिक्त रिफाइनिंग सुविधाएं देकर तथा मौजूदा रिफाइनरियों की क्षमता को बढ़ाकर।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(मीट्रिक टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	561138	586215	563921
अरूणाचल प्रदेश	10122	10876	8790
असम	241861	247987	237339
मणिपुर	20795	20760	19442

1	2	3	4
मिजोरम	6642	7198	5452
बिहार	463463	468753	468617
दिल्ली	228641	248106	238171
गोवा	26013	27209	26494
गुजरात	747788	781245	780927
दादर/दमन/द्विव	5891†	6057*	5946**
हरियाणा	144670	152631	150777
पंजाब	305791	324769	318794
हिमाचल प्रदेश	36888	36654	35095
चण्डीगढ़	20053	20920	20113
जम्मू और कश्मीर	66317	67611	65021
कर्नाटक	438684	444582	430195
केरल	255639	265075	257223
मध्य प्रदेश	367818	382609	380502
मेघालय	15817	15391	15172
महाराष्ट्र	1450910	1485776	1480045
नागालैंड	9967	10205	9624
उड़ीसा	152355	155951	151344
राजस्थान	255184	268636	264758
सिक्किम	7310	10120	5938
तमिलनाडु	634901	656305	640000
पांडिचेरी	13339	14581	13638
उत्तर प्रदेश	893957	912026	905891
त्रिपुरा	21483	20793	18764
पश्चिम बंगाल	710848	740675	716611
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4063	2539	3568
लक्षद्वीप	837	875	873
कुल	8110185	8386130	8239045

* दादर और नगर हवेली - 3113 मी. ट.　　† दादर और नगर हवेली = 3033 मी. ट.
दादर और द्विव —2944 मी. ट,　　दमन और द्विव = 2858 मी. ट.

** दादर और नगर हवेली—3008 मी. ट.
दमन और द्विव —2938 मी. ट.

खुदरा पेट्रोल पम्प का आबंटन

490. श्री मानवेन्द्र शाह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 तथा आज तक की स्थिति के अनुसार आबंटित किए गए खुदरा डीजल/पेट्रोल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियों की संख्या अलग-अलग क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : विवरण निम्नलिखित है :—

	खुदरा बिक्री केन्द्र की डिलरशिपें	एल० पी० जी० की एजेंसियां
1991-92	60	82
1992-93	11	60

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बाहरी दिल्ली के विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि

491. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बाहरी दिल्ली के विकास कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बाहरी दिल्ली में उद्यानों के रखरखाव पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रेणीवार निर्मित/आवंटित डी० डी० ए० फ्लैट

492. श्री ललित उरांव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में निर्मित जनता, एल० आई० जी०, एम० आई० जी०, एस० एफ० एस० (श्रेणी दो और श्रेणी तीन) फ्लैटों सहित कुल फ्लैटों का कालोनी वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कालोनीवार आवंटित फ्लैटों की संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित फ्लैटों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) आरक्षित फ्लैटों में से आवंटित फ्लैटों की संख्या कितनी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली मे विभिन्न कालोनियों में बनाए गए जनता, एल. आई. जी., एम. आई. जी., एस. एफ. एस. फ्लैटों के कालोनी और श्रेणीवार ब्योरे क्रमश: विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3 में दिए गए अनुसार है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत किए गए आवंटनों की संख्या निम्नानुसार है :—

श्रेणी	89-90	90 91	91-92
जनता	9677	8290	2981
एल. आई. जी.	9361	4447	1553
एम. आई. जी.	2796	776	332
	25407	14962	5996

कुल योग : 46365

उपर्युक्त आवंटनों के कालोनी-वार ब्योरे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संकलित नहीं किए गए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पंजीकृतों के लिए 25% तक फ्लैट आरक्षित हैं। तथापि यदि इस श्रेणी में अपेक्षित संख्या में आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो न्यू पैटर्न पंजीकरण स्कीम 1979 और स्ववित्त पोषित स्कीम-V (1982) तथा स्ववित्त पोषित-VI (1985) को शर्तों और निबन्धनों के अनुसार अनारक्षित व्यक्तियों को फ्लैटों की पेशकश की जाती है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 5287 फ्लैट आवंटित किए गए थे। शेष फ्लैट अनारक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को आवंटित किए गए थे।

विवरण 1

1989-90 के दौरान पूरे किए गए मकानों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	स्कीम का नाम	एस. एफ. एम.	एम. आई. जी.	एल. आई. जी.	जनता/ इडब्लूएस	योग
1	2	3	4	5	6	7
	पूर्वी जोन					
1.	निम्न एम. आई. जी. (एल. आई. जी.) कोन्डली क्षेत्र के मकान	—	—	3376	—	3376

1	2	3	4	5	6	7
2.	कोन्डली क्षेत्र में इ. डब्लू. एस. मकान	—	—	—	2040	2040
3	झील के दक्षिण में पाकिट V त्रिलोकपुरी के एम. आई. जी./ एल. आई. जी मकान	—	12	48	—	60
	पश्चिम जोन					
4.	रोहतक रोड पर मादीपुर में 208 एस. एफ. एस. मकानों का निर्माण					
	उपशीर्ष : 120 रिहायशी एकक ग्रेड-III	120	—	—	—	120
5.	मादीपुर III पाकिट 3 में 468 एल. आई. जी. मकानों का निर्माण					
	उपशीर्ष : 156 एल. आई. जी. रिहायशी एकक ग्रेड-II	—	—	156	—	156
	उपशीर्ष : 156 एल. आई. जी. रिहायशी एकक ग्रेड-III	—	—	156	—	156
6.	पश्चिम बिहार क्षेत्र जोन जी-17 पाकिट जी. एच. 5 और 7 में 1312 एल. आई. जी. मकानों का निर्माण					
	उपशीर्ष : 256 रिहायशी एकक ग्रेड-III	—	—	256	—	256
	उपशीर्ष : 224 रिहायशी एकक ग्रेड-IV	—	—	224	—	224
	उपशीर्ष : 272 रिहायशी एकक ग्रेड-V	—	—	272	—	272
7.	हस्तसाल में 996/864 एल. आई. जी. मकानों का निर्माण					
	उपशीर्ष : 252 रिहायशी एकक ग्रेड-IV का निर्माण	—	—	252	—	252
	उपशीर्ष : 180 ग्रेड-II रिहायशी एककों का निर्माण	—	—	180	—	180

1	2	3	4	5	6	7
8.	पश्चिम बिहार में 1200 एम. आई. जी. मकानों का निर्माण					
	उपशीर्ष : 144 एम. आई. जी. ग्रेड-III रिहायशी एकक	—	144	—	—	144
	दक्षिण पूर्वी जोन					
9.	बी. बी. एल. गुरुद्वारा के पीछे कालका जी में एस. एफ. एस. मकान	144	—	—	—	144
10.	सरिता विहार पाकिट एच. और जे. में ग्रेड-IV एस. एफ. एस. मकान	120	—	—	—	120
11.	सरिता विहार पाकिट एच और जे में ग्रेड-V के एस. एफ. एस. मकान	120	—	—	—	120
12.	सरिता विहार पाकिट एच. और जे. में ग्रेड-III के एस. एफ. एस. मकान	100	—	—	—	100
13.	सरिता बिहार पाकिट बी में ग्रेड-II के एस. एफ. एस. मकान (शेष कार्य)	14	—	—	—	14
14.	सरिता बिहार पाकिट बी में ग्रेड-I के एस. एफ. एस. मकान (शेष कार्य)	42	—	—	—	42
15.	सरिता विहार पाकिट के. और एल. में ग्रेड-I, II और III के एस. एफ. एस. मकान	424	—	—	—	424
16.	शाहपुर जट्ट में ई. डब्लू. एस. मकान	—	—	—	96	96
17.	लोडोसराय में ई. डब्ल्यू. एस. मकान	—	—	—	160	160
18.	दक्षिण पुरी में ई. डब्ल्यू. एस. मकान	—	—	—	188	188
19.	बदरपुर में ई. डब्ल्यू. एस. मकान	—	—	56	—	56

1	2	3	4	5	6	7
	दक्षिण पश्चिम जोन					
20.	बसंत कुंज में 558 एस. एफ. एस. मकान	558	—	—	—	558
	उत्तरी जोन					
21.	रोहिणी सेक्टर VII पाकिट 4 ब्लाक बी में 512/504 ई. डब्ल्यू. एस. का निर्माण	—	—	—	504	504
22.	रोहिणी सेक्टर 17 पाकिट 1 ब्लाक डी में 512/520 ई. डब्ल्यू. एस. का निर्माण	—	—	—	520	520
23.	रोहिणी सेक्टर 17 पाकिट 5 और 6 ब्लाक डी में 288/256 का निर्माण	—	—	130	—	130
24.	पितमपुरा पाकिट 5 (पी) में 936/988 जनता मकानों का निर्माण	—	—	—	131	131
25.	पितमपुरा पाकिट आई. पी. में 192 जनता मकानों का निर्माण	—	—	—	192	192
26.	सराय खलील में 120 एम. आई. जी.					
	उपशीर्ष : सराय खलील में 60 एम. आई. जी.	—	60	—	—	60
27.	रोहिणी सेक्टर 16 में 1664 ई. डब्ल्यू. एस.					
	उपशीर्ष : रोहिणी सेक्टर 16 में 832 ई. डब्ल्यू. एस.	—	—	—	832	832
28.	रोहिणी सेक्टर 16 ब्लाक एच. पाकिट 4 में 120 एल. आई. जी.	—	—	120	—	120
29.	रोहिणी सेक्टर 16 में 1664 ई. डब्ल्यू एस.					
	उपशीर्ष : रोहिणी सेक्टर 16 में 832 ई. डब्ल्यू. एस.	—	—	—	832	832

1	2	3	4	5	6	7
30.	रोहिणी सेक्टर II में ग्रेड-VI 256 एल. आई. जी.	—	—	256	—	256
31.	रोहिणी सेक्टर II में ग्रेड-VI 256 एल. आई. जी.	—	—	256	—	256
32.	लारेंस रोड में 96 एम. आई. जी.	—	96	—	—	96
	रोहिणी जोन					
33.	रोहिणी सेक्टर 15	—	1120	1320	2656	5096
34.	रोहिणी सेक्टर 18	—	880	1080	—	1960
	कुल योग :	1642	2312	8264	8794	21,012

विवरण-2

1990-91 के दौरान पूर्ण हुए मकान

क्र. सं.	योजना का नाम	एस. एफ. एस.	एम. आई. जी.	एल. आई. जी	जनता ई. डब्ल्यू. एस.	योग
1	2	3	4	5	6	7
	पश्चिम जोन					
1.	मादीपुर में पाकेट II में श्रेणी II के एस. एफ. एस. के 356 मकानों का निर्माण					
	(1) उप-कार्य : एस. एफ. एस., ग्रेड-I के 132 रिहायशी एकक	132	—	—	—	132
	(2) एस. एफ. एस. ग्रेड II के 92 रिहायशी एकक	92	—	—	—	92
	(3) एस. एफ. एस. ग्रेड III के 132 रिहायशी एकक	132	—	—	—	132
2.	जी. एच. 12 पाकेट पश्चिमपुरी क्षेत्र में एस. एफ. एस. के 232 मकानों का निर्माण	240	—	—	—	240

1	2	3	4	5	6	7
3.	हस्तसाल में निम्न आय वर्ग के 854/996 मकानों का निर्माण उपकार्य : ग्रेड I के 180 रिहायशी एकक	—	—	1 0	—	180
	उपकार्य : ग्रेड-II के 252 रिहायशी एकक	—	—	252	—	252
4.	पश्चिम विहार में निम्न आय वर्ग के 126 रिहायशी एककों का निर्माण	—	—	126	—	126
5.	नागलोई सैयद के निकट पश्चिम पुरी में 188/136 जनता मकानों का निर्माण	—	—	—	136	136
6	पश्चिमपुरी के पाकेट ए-4 में 336 सी. ए. पी. मकानों का निर्माण	—	—	—	336	336
7.	मादीपुर में निम्न आय वर्ग के :60 रिहायशी एककों का निर्माण उपकार्य : 108/84 एल. आई. जी. रिहायशी एककों का निर्माण	—	—	84	—	84
8.	जी. एच.-4, पश्चिमपुरी में ग्रेड-III के एस. एफ. एस. के 356 मकानों का निर्माण	348	—	—	—	348
	योग :	944	—	642	472	2058
	रोहिणी					
1.	पाकेट 7, सैक्टर 16 में 448 जनता मकान	—	—	—	448	448
2.	पाकेट 8, ब्लाक जी, सैक्टर 16 में 512 जनता मकान	—	—	—	512	512
3.	पाकेट 5 तथा 6, ब्लाक एफ., सेक्टर 16 में 592 जनता मकान	—	—	—	592	592
4.	सेक्टर 16 में 440 एल. आई. जी. मकान	—	—	440	—	440
	योग :	—	—	440	1552	1992

1	2	3	4	5	6	7
	दक्षिण पश्चिम जोन					
1.	पाकिट 7 और 8 सेक्टर डी वसंत कूंज में 80 एस. एफ. एस. मकान उपशीर्ष : 40 ग्रुप II एवम् 40 ग्रुप III	80	—	—	—	80
2	सै. सी पाकिट 2 वसंत कूंज में ग्रुप III के 28 एस. एफ. एस. मकान	28	—	—	—	28
3.	पाकिट 5 और 6 सै. बी. वसंत कुंज में 285 एस. एफ. एस. मकान	285	—	—		285
4.	ग्रुप III पाकिट 4 सै. सी. वसंत कुंज में 124 एस. एफ. एस. मकान	124	—	—	—	124
5	सैक. सी. पाकिट 4 वसंत गांव में 288 जनता मकान	—	—	—	288	288
	योग :	517	—	—	288	805
	पूर्वी जोन					
1.	पहलादपुर में 632 डब्ल्यू. एस मकान	—	—	—	632	632
2.	दक्षिणपुरी में 96 ई डब्ल्यू. एस. मकान	—	—	—	96	96
3.	सर्वप्रिय विहार में 27 सी. एस. टी.	—	—	—	27	27
4.	पुलपहलादपुर में 128 एम. आई. जी. मकान	—	—	128	—	128
5.	ग्रुप I पाकिट एफ. व जी. सरिता विहार में 140 एस एफ. एस. मकान	140	—	—	—	140
6.	मंदाकिनी एनक्लेव में 12 एम. एफ. एस. मकान	12	—	—	—	12
6	कालका जी ब्लाक बी में 12 एस. एफ. एस. मकान	12	—	—		12
	योग :	164	—	128	755	104

1 2	3	4	5	6	7
उत्तरी जोन					
1. जहांगीरपुर ग्रुप-II में 336/228 एम. आई. जी. मकान	—	224	—	—	224
2. ग्रुप II व III मोतिया खान में 468/414 एल. आई. जी. मकान	—	—	234	—	234
3. पाकिट सी व डी (V) पितम पुरा में 396 एल. आई. जी. मकान	—	—	180	—	180
4. पितमपुरा में 246 जनता मकान	—	—	—	246	246
योग :	—	224	414	246	884
पूर्वी जोन					
1. मयूर विहार पाकेट-IV में 88 एम. आई. जी./88 एल. आई. जी.	—	36	36	—	72
2. दिलशाद गार्डन में 960/860 एल. आई. जी.	—	—	864	—	864
3. पाकेट "क्यू." दिलशाद गार्डन में 613 जनता मकान	—	—	—	603	603
4. त्रिलोकपुरी पाकेट-V में 265 मकान	—	13	52	—	65
5. त्रिलोकपुरी पाकेट-V में 128 एल. आई. जी.	—	—	128	—	128
6. कोंडली सेक्टर "ए" ग्रेड IV, V और IX में 128 एल. आई. जी.	—	—	128	...	128
7. कोंडली सेक्टर "बी" में 200 ई. डब्लू. एस. मकान	—	—	—	200	200
योग :	—	49	1208	803	2060
सकल योग :	1625	273	2832	4116	8846

विवरण-3

1991-92 के दौरान पूर्ण किए गए मकान संबंधी विवरण

जोन	एस. एफ. एस.	एल. आई. जी.	एम. आई. जी.	जनता/ डब्लू. एस.	योग
पूर्वी जोन	...	180	100	1656	1936
दक्षिण-पश्चिमी जोन	1109	...	-	...	1109
दक्षिण-पूर्वी जोन	697	260	96	41	1094
रोहिणी	...	...	...	832	832
उत्तरी जोन	12	1068	876	74	2130
पश्चिमी जोन	164	...	543	3107	3814
योग :	1982	1508	1615	5810	10915

1991-92 के दौरान पूर्ण किए गए मकान

क. सं०	योजना का नाम	एस. एफ. एस.	एम. आई. जी.	एल. आई. जी.	जनता	योग
1.	लोनी रोड पाकेट "बी" में एम. आई. जी. मकान	...	16	...	...	16
2.	दिलशाद गार्डन में 962 एम. आई. जी./ 96 एल. आई. जी. मकान	...	100	100	...	200
3.	झिलमिल में 144/66 एम. आई. जी. मकान	...	64	...	...	64
4.	कोंडली सेक्टर "डी" में 520-520 ई. डब्ल्यू. एस.	...	...	...	712	712
5.	कोंडली सेक्टर "सी" में 1024 ई. डब्ल्यू. एस.	...	...	...	944	944
	योग :	...	180	100	1656	1936

1991-92 के दौरान पूर्ण किए गए मकान

					एस. एफ. एस.			
क्षेत्र	सर्कल	डिविजन	श्रेणी-III	श्रेणी-II	एम. आई. जी.	एल. आई. जी.	जनता ई. डब्लू. एस.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पाकेट ए बसंत कुंज	2	6	30	20	...	...	...	50
पाकेट 4 बसंत कुंज ग्रेड I और II	2	9	60	96	...	...	...	156
पाकेट 4 वसंत कुंज ग्रेड III और IV	2	8	50	80	...	...	...	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पाकेट 2 बसंत कुंज	2	8	32	16	...	...	...	48
पाकेट 5 और 6, वसंत कुंज	1	2	66	44	...	...	...	110
पाकेट 5 और 6, वसंत कुंज	1	3	108	72	...	...	...	180
पाकेट 5 और 6, बसंत कुंज	1	5	27	18	...	...	...	45
पाकेट 2 और 3, वसंत कुंज	1	3	120	192	...	...	...	312
पाकेट 2 और 3, वसंत कुंज	1	5	30	48	...	...	...	78
			523	586	...	...	...	1109

क सं.	योजना/अवस्थिति	निर्मित फ्लैटों की संख्या				
		ई. डब्ल्यू. एस.	एल. आई. जी.	एम. आई. जी.	एस. एफ. एस.	योग
1	2	3	4	5	6	7
	1991-92					
1.	ग्रुप-II पाकेट में एस एफ. एस. मकान	...	...	...	140	140
2.	पाकेट एफ. जी., सरिता विहार में एस. एफ. एस. मकान	...	...	...	60	60
3.	पाकेट डी. ई., सरिता विहार में एस. एफ. एस. मकान	...	...	...	497	497

1	2	3	4	5	6	7
4.	पुलपहलादपुर ग्रुप I एवं II में एम. आई. जी. मकान	...	...	260	...	260
5.	मदनपुर खादर में एल. आई. जी. मकान	...	96	...	...	96
6.	पंचशील एनक्लेव में ई. डब्ल्यू. एस. मकान	41	...	...	...	41
		41	96	260	697	1094

गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित मकानों के ब्योरे

		फ्लैटों की संख्या				
वर्ष	अवस्थिति	एस. एफ. एस.	एम. आई. जी.	एल. आई. जी.	ई. डब्ल्यू. एस.	योग
1989-90	(1) सेक्टर-15, रोहिणी फेज-II	...	1120	1320	2656	5095
	(2) सेक्टर-18, रोहिणी फेज-II	...	880	1880	...	1969
		योग :	2,000	2400	2656	7056
1990-91	सेक्टर-16, रोहिणी फेस-II	...	...	440	1552	1992
1991-92	सेक्टर-II रोहिणी फेस-II	...	...	...	832	832

1991-92 के दौरान पूर्ण किए गए मकान

उत्तरी जोन : दिल्ली विकास प्राधिकरण

क्र.	योजना का नाम	सर्किल/डिविजन	मकानों की श्रेणी			
			एस. एफ. एस.	एम. आई. जी	एल. आई. जी.	जनता/ई. डब्लू. एस.
1.	सराय खलील में 60 एम. आई. मकान	सी. सी. 7/एन. डी. 1	...	60	...	...
2.	पाकेट जी. तथा जे. पीतमपुरा में 396 एल. आई. जी.	सी. सी. 11/एन. डी. 1	...	216	...	...
3.	मोतिया खान में एस. एफ. श्रेणी-II	सी. सी. 7/एन. डी. 2	12	...	...	...
4.	पाकेट ए (यू.) पीतमपुरा में 204/74 जनता मकान	सी. सी. 11/एन. डी. 6	...	...	...	174
5.	सेक्टर 5 ग्रुप 1 नरेला में 336 एम. आई. जी. मकान	सी. सी. 12/एन. डी. 19	...	336	...	...
6.	सेक्टर ए-5 ग्रुप II नरेला में 336 एम. आई. मकान	सी. सी. 12/एन.10	...	336	...	.
7.	सेक्टर 5 ग्रुप 3 नरेला में 336 एम. आई. जी. मकान	सी. सी. 7/एन. डी. 2	...	336	...	...
8.	सेक्टर ए-6 ग्रुप ए नरेला में 330 एल. आई. जी. मकान	सी. सी. 11/एन. डी. 7	...	...	330	...
9.	सेक्टर-बी 4, नरेला में 330 एल. आई. जी. मकान	सी. सी. 7/डी. एन. 1	...	...	330	...
			12	1068	876	174

1991-92 के दौरान पूर्ण किए गए मकान

योजना का नाम	सर्किल/डिवीजन	एस. एफ. एस.	एम. आई. जी.	एल. आई. जी.	जनता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल	टिप्पणी
1	3	4	5	6	7	8	9
1. 36 एल. आई. जी. मकान मादीपुर	सी-6/ डब्ल्यू. डी. 1	...	...	36	...	36	...
2. 208 स्वयंवित्त पोषित मकान मुख्य रोहतक रोड पर मादीपुर एस. एच. 88/52 (वास्तविक)	सी-5/डब्ल्यू. डी. 1	52	...	...	...	52	88 की जगह 52 का कार्य शुरू और पूर्ण किया
3. 112 एस. एफ. एस. सी. एच. 5 फेस 1 बोडेला	सी-5/डब्ल्यू. डी. 2	112	...	...	...	112	...
4. 74/75 (वास्तविक) इंक्रीमेंटल मकान नवाला हेडी में	सी-17/डब्ल्यू डी. 3	...	...	...	75	75	...
5. 132 एल. आई. जी. मकान पाकेट सी हस्तसाल ग्रेड 5	सी. 5/डब्ल्यू. डी. 5	...	...	132	...	132	
6. 504/572 (वास्तविक) जनता मकान ग्रेड 3	सी. 5/डब्ल्यू. डी 6	...	...	...	512	512	
7. 48 एल. सी. एच. रघुवीर नगर	सी. 17/डब्ल्यू. डी 12	...	...	...	48	48	

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 2693/2714 इ. डब्ल्यू. एस. और 358/376 एल. आई. जी. मकान विंदापुर पाकेट 2 द्वारका फेस-1							
(1) 113 ई. डब्ल्यू. एस./72 एल. आई. जी. ब्लाक एफ. में	सी. 5/डब्ल्यू. डी. 1	...	12	96	10		
(2) 255 ई. डब्ल्यू. एस/45 एल. आई. जी. मकान ब्लाक ई पाकेट-1	सी.-5/डब्ल्यू. डी. 11	...	48	210	...		
(3) 260 ई डब्ल्यू. एस. 38 एल. आई. जी. ब्लाक ई पाकेट 2	सी-5/डब्ल्यू. डी 2	...	38	222	260		
(4) ब्लाक डी पाकेट 2 में 285 ई. डब्ल्यू. एस. तथा 53 एल. आई. जी. मकान	सी. 5/डब्ल्यू. डी. 6	...	...	53	228		281
(5) 240 ई. डब्ल्यू. एस. तथा 280 एल. आई. जी.	सी-:/डब्ल्यू. डी. 7	...	...	40	236		276
(6) 278 ई. डब्ल्यू. एस. तथा 40 एल. आई. जी.	सी. 7/डब्ल्यू. डी 12	...	...	40	250		290
(7) विन्दापुर पाकेट 3 ब्लाक सी में 220 ई. डब्ल्यू. एस./20 एल. आई. जी. मकान	सी. 5/डब्ल्यू. डी. 7	...	...	20	213		233
(8) विन्दापुर पाकेट 3 ब्लाक बी. 2							

1	2	3	4	5	6	7	8
में 268 ई. डब्ल्यू. एस./36 एल. आई. जी. मकान	सी. 17/डब्ल्यू. डी. 12	...	...	24	190	214	
(9) बिन्दापुर पाकेट 3 ब्लाक बी 2 में 268 ई. डब्ल्यू. एस./36 एल. आई. जी. मकान	सी. 17/डब्ल्यू. डी. 12	...	...	36	257	293	
(10) बिन्दापुर पाकेट 3 ब्लाक ए में 309 ई. डब्ल्यू. एस./32 एल. आई. जी. मकान	सी. 17/डब्ल्यू. डी. 13	...	...	32	302	334	
(11) बिन्दापुर पाकेट 3 ई, ब्लाक बी. 1 में 284 ई. डब्ल्यू. एस./36 एल. आई. जी.	सी. 17/डब्ल्यू. डी. 13	...	...	32	268	300	
नांगलोइ सयंद पश्चिमपुरी की समीप 188 जनता मकान उपशीर्ष : 52 जनता मकान (सी. एस. सी.)	सी. एस./डब्ल्यू. डी. 6	...	...	...	...	...	संशोधित विन्यास नक्शे और संख्या में परिवर्तन के कारण 56 मकानों का निर्माण आरम्भ
योग :	164	...	...	543	3107	3814	

[अनुवाद]

भारतीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले विदेशी पोत

492. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कम्पनियों द्वारा अधिकार-पत्र (चार्टर) लेकर भारतीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले पोतों के संचालन से संबंधित नीति की पुनरीक्षा करने और उसमें संशोधन करने का विचार है;

(ख) वर्ष 1991-92 और अप्रैल-सितम्बर, 1992 के दौरान अलग-अलग ऐसे अधिकार-पत्र के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ग) ऐसे आवेदकों के नाम और संख्या क्या है जिन्हें लाइसेंस दिये गये हैं;

(घ) क्या भारतीय जल क्षेत्र में समुद्र के सजीव संसाधनों के दोहन के लिये भारतीय और विदेशी कम्पनियों के बीच सहयोग शुरू करने का विचार है; और

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान बिना लाइसेंस के भारतीय जल-क्षेत्र में मछली पकड़ते हुए कितने विदेशी पोतों को पकड़ा गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) 1989 में घोषित चार्टर नीति के अनुसार भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में विदेशी मात्स्यिकी जलयानों के परिचालन से संबंधित संपूर्ण नीति की पुनरीक्षा की जा रही है। तथापि वर्ष 1991-92 और अप्रैल से सितम्बर, 1992 के दौरान चार्टर नीति के अन्तर्गत आशय-पत्रों की मंजूरी के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

(घ) सरकार ने गहन समुद्री मात्स्यिकी पर 1991 में एक नई नीति की घोषणा की है जिसमें (1) पट्टेदारी (2) परीक्षण मात्स्यिकी और (3) मछली पकड़ने, उनके प्रसंस्करण और विपणन के लिए भारतीय और विदेशी कम्पनियों के बीच संयुक्त उद्यम शामिल हैं। इस नीति के अंतर्गत किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप सरकार ने पहले ही परीक्षण मात्स्यिकी/पट्टेदारी/संयुक्त उद्यमों के उन 24 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है जिनका पूंजी निवेश 1200 करोड़ रुपये से अधिक होने की आशा है।

(ङ) 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 के बीच तट-रक्षकों द्वारा 36 विदेशी मात्स्यिकी जलयान पकड़े गये और उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले किया गया।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के पेंशन भोगी

494. श्री वी० ओ० थामस :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से कोई प्रस्ताव मिले हैं जिनमें भारत पेट्रोलियम के उन पेंशनभोगियों जो मूलतः बर्मा-शैल की सेवा में थे तथा राष्ट्रीयकरण के समय जिन्हें भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० ने ले लिया था कि पेंशनों में सुधार/वृद्धि की सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : जी हां।

(ख) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विधवाओं को फ्लैटों का आवंटन

495. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधवाओं के लिए ढाई प्रतिशत आरक्षण के अन्तर्गत उन्हें फ्लैटों का आवंटन करने संबंधी कितने मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण में लंबित हैं; और

(ख) लंबित मामलों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि डी.डी.ए. फ्लैटों के बिना-बारी आवंटन के लिए $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत का कोटा है, जिसमें हाल ही में हुई जवान विधवाएं शामिल हैं। 20-11-92 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास विधवाओं से प्राप्त हुए 579 आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं।

(ख) बिना-बारी आबंटनों के लिए $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कुल सीमा के अध्यधीन, आवेदन की वरीयता और आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करते हुए विधवाओं को फ्लैट आबंटित किए जा सकते हैं।

केरल में बागवानी का विकास

496. **श्री थाइल जॉन अंजलोस :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में बागवानी का विकास करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को राज्य में कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से केरल में बागवानी के विकास के लिए एक एकीकृत परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। यह परियोजना 35.727 मिलियन ई.सी.यू. की (विनिमय की वर्तमान दर पर लगभग 139 करोड़ रुपये) लागत पर क्रियान्वित की जाएगी। इसमें से 76.7% यूरोपीय आर्थिक समुदाय 21.9% केरल सरकार तथा 1.4% निजी निधि पोषकों द्वारा वहन किया जाएगा। परियोजना, जिसे वर्ष 1992 मे शुरू किया गया है, छह वर्ष की अवधि में पूरी कर ली जाएगी। जहां व्यवहार्य है बाजार केन्द्रों को उत्पादन क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। यह मुख्यतया सब्जियों, आम, अनन्नास तथा केला जैसे बागबानी उत्पादों को कवर करेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आश्रम स्कूल

497. कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उड़ीसा के अनुसूचित जिलों में स्थापित किए गए कन्याश्रम, सेवाश्रम तथा आश्रम स्कूलों की संख्या का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इनमें से कुछ स्कूलों का दर्जा भी बढ़ाया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में और विशेषरूप से सुन्दरगढ़ जिले में अधिकांश स्कूल भवन जर्जर स्थिति में है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त भवनों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल तट में तेल का अन्वेषण

498. श्री ए० चार्ल्स :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान केरल तट में तेल की जांच करने हेतु कोई अन्वेषण कार्य कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ब्योरा दें तथा ऐसे अन्वेषण के क्या परिणाम रहे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी हां। पिछले पांच वर्षों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 9744 एल.के. एम. के संबंध में भूकम्पीय आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इस बेसिन में 6 अन्वेषण कूप भी खोदे हैं जिनमें से 3 केरल के अपतटीय क्षेत्र में हैं और उनमें कोई सफलता नहीं मिली है। बोली के तीसरे दौरा की संविदा के अधीन विदेशी कंपनियों ने 12257 एल.के.एम. के संबंध में इन बेसिनों में तीन अपतटीय खण्डों से संबंधित भूकम्पीय आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं और 3 कूप खोदे हैं जो सूखे साबित हुए।

मध्य प्रदेश में भिंडर स्थित गैस आधारित संयंत्र को गैस सप्लाई

499. श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में भिंडर स्थित गैस आधारित विद्युत संयंत्र हेतु हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से गैस उपलब्ध करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी नहीं। एच. बी. जे. पाइपलाइन से गैस की उपलब्धता में से किए गए आबंटनों को देखते हुए गैस की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को गैस के भंडारों का ठेका

500. **श्री मृत्युञ्जय नायक** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को गैस भंडारों का ठेका देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन विदेशी कम्पनियों का ब्योरा क्या है; जिन्हें गैस भंडारों का ठेका दिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड के तेल एवं गैस उत्पादन कार्यों को पूरा करने की दृष्टि से भारत सरकार ने भारतीय और विदेशी कम्पनियों से मध्यम आकार के और छोटे आकार के तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। बोलियों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 31-3-1993 है।

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यीय बस अड्डा क्षेत्र में अपराध

501. **श्री चन्द्रेश पटेल** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डा क्षेत्र में डकैती, चोरी और यात्रियों को लूटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है :

(ख) अन्तर्राज्यीय बस अड्डा में 1992 के दौरान अब तक इस प्रकार के कितने अपराध प्रकाश में आये और उनका ब्योरा क्या है;

(ग) कितने मामलों में जांच की गई है और इन जांचों के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इन अपराधों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी, हां, श्रीमान्। 1-1-1992 से 13-11-1992 तक की अवधि के दौरान अन्तर्राज्यीय बस अड्डा क्षेत्र में चोरी के 86 मामले और लूटपाट का एक मामला हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान चोरी के 61 मामले और लूटपाट का कोई मामला नहीं हुआ था।

(ख) और (ग) 1-1-1992 से 13-11-1992 तक सूचित किए गए मामलों के नतीजे निम्न प्रकार से हैं :

अपराध शीर्ष	सूचित किए गए मामलों की संख्या	पता न चले कि रूप में फाइल किए गए संख्या	जांच-पड़ताल के लिए लम्बित पड़े मामलों की संख्या	विचारण के लिए लम्बित पड़े मामलों की संख्या
लूटपाट	1	—	—	1
लूटमार/डकैती	—	—	—	—
चोरी	86	48	26	12

(घ) अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के भीतर गश्त गहन कर दी गई है। जन-सम्पर्क माध्यमों के द्वारा नियमित रूप से सभी यात्रियों को अधिक सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। अपराधियों का पता लगाने के लिए अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के भीतर निगरानी कर्मी तैनात किए गए हैं।

इण्डिया गेट पर प्रस्तावित परिवर्तन

502. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या शहरी विकास यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डिया गेट, नई दिल्ली पर प्रस्तावित परिवर्तन के सम्बन्ध में विभिन्न पर्यावरण संगठनों से कतिपय आपत्तियां विचार एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने इण्डिया गेट के आस-पास के क्षेत्र को अगस्त क्रान्ति उद्यान के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। हालांकि इस क्षेत्र, जिसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा भी शामिल होगी, के विकास के लिए किसी निश्चित प्रस्ताव को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इस क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए कुछ संगठनों से सुझाव और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में एक संकल्पना समिति, महात्मा गांधी की प्रतिमा की अवस्थिति के साथ-साथ उद्यान के विकास के लिए कल्पना तैयार करने के लिए गठित की गई है। सम्बन्धित मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों के अलावा, प्रतिष्ठित वास्तुकारों को भी इस समिति में सहयोजित किया गया है। संकल्पना समिति द्वारा, विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों और अभ्यावेदनों का ध्यान रखा गया है।

[हिन्दी]

नकली एल पी जी. गैस सिलिण्डर रेगुलेटर

503. श्री बृज भूषण शरण सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में नकली गैस सिलेन्डरों के रेगुलेटरों का विनिर्माण करने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) उनसे कितने नकली रेगुलेटर प्राप्त हुए; और

(घ) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कारंवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) 3,835 तैयार और बिना तैयार जाली रेगुलेटर बरामद किए गए हैं।

(घ) ऐसे मामलों का पता करने के लिए तेल उद्योग और पुलिस द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

नई पेट्रो रसायन परियोजनाओं की स्थापना

504. **श्री हरि सिंह चावड़ा :**

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने आगामी पांच वर्षों में कनाडा और ओ. एन. जी. सी. के संयुक्त उद्यम से नई पेट्रो रसायन परियोजनाएं स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की लागत क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य संसाधन

505. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों की अनुमानित क्षमता क्या है;

(ख) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र से हमें प्राप्त संसाधन का कितना उपयोग किया गया है;

(ग) विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न देशों को निर्यात किये गये समुद्री उत्पादों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 1991 में सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों के कार्यकारी दल द्वारा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों की क्षमता 3.9 मिलियन मीटरी टन आंकी गई है।

(ख) 1991-92 के दौरान भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र से उतारी गई अनुमानित मछलियां 2.4 मिलियन मीटरी टन थी।

(ग) और (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

(ग) उपयोग में लाई गई समुद्री मछलियों की प्रजातियों की सूची।

1. इलासमोब्रांच
2. क्लूपियोड्स
   क) ऑयल सारडाइन्स
   ख) इन्ग्रोलिडेई (अंकोविड्स)
3. थिरोसेंटर्स
4. हारपोडोन नेहरिउस
5. कैट फिशेस
6. सोरिदा एम. पी. पी. (लिजर्ड फिशेस)
7. ईल्स
8. हैमिरहैम्फस
9. एक्सोसेट्स एस. पी. पी. (फ्लाइंग फिश)
10. स्फीराइना एस. पी पी.
11. मुगिलीडाई (मुलेट्स)
12. पोलीनिमिडाई (इंडियन सैलमन)
13. परचेस
14. लिडओग्नाथस एस पी. पी.
15. करंगिड्स
   क) करैक्स एस. पी. पी.
   ख) करैंगिडाई
16. लैक्टारिएस
17. साईएनडाई (क्रॉकर्स)
18. रिबन फिशेस
19. स्काम ब्रिडाई
   क) मैकरेल्स
   ख) सीर फिश
   ग) थुन्नुस
20. क्रस्टैसिएन्स
   (क) पेनेइड प्रान्स
   (ख) नान-पेनेइड प्रान्स
   (ग) डीप सी. लाब्सटर्स
21. माल्लुस्कस एंड सिफलापोड्स

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की मात्रा का विवरण।

(मात्रा मीट्रिक टनों में)

	1989-90	1990-91	1991-92
	1	2	3
1. फ्रोजेन श्रिम्प	57819	62395	76150
2. फ्रैश/फ्रोजेन फिश	21227	42340	49119

	1	2	3
3. फ्रोजेन स्क्विड	11944	16667	25528
4. फ्रोजेन कट्लफिश	14158	11596	12437
5. फ्रोजेन लोबस्टर	2068	1600	1629
6. अन्य मदें	3627	4821	6957
कुल :	110843	139419	171820

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम

506. कुमारी विमला वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए सरकार द्वारा इस पर पृथक-पृथक रूप से कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या इस क्षेत्र के आदिवासियों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष योजना अथवा कार्यक्रम बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान वर्ष से देश के आदिवासी क्षेत्रों में निम्नलिखित तीन नई योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है :

(1) आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

(2) कम साक्षरता वाले पाकेटों में आदिवासी लड़कियों के लिए शिक्षा परिसर

(3) राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान,

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रासायनिक उर्वरक/कीटनाशकों का प्रयोग

507. श्री नवल किशोर राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों/कीटनाशकों का उपयोग करने वाले किसानों की संख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का गैर-रासायनिक उर्वरकों/कीटनाशकों का विकास करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कीटनाशी एककों का नीम-आधारित उत्पादों का उत्पादन करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : जी नहीं। तथापि, गैर-रासायनिक कीटनाशियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक उत्पादन हेतु बहुत-सी जैवनाशी और नीम पर आधारित कीटनाशियां रजिस्टर की गई हैं। सरकार भी जैव-उर्वरकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रही है।

(घ) जी हां।

[हिन्दी]

दक्षिण बिहार से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का स्थानांतरण

508. **श्री शिबू सोरेन :**

श्री साईमन मराण्डी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार से संघ सरकार के कई कार्यालय और सरकारी उपक्रमों के क्षेत्रीय कार्यालयों को बड़े पैमाने पर अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है जिनके कारण इस क्षेत्र के लोगों में भारी असंतोष है और वे इसका विरोध कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों के उन कार्यालयों के नाम क्या है जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) चूंकि ऐसी कोई सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है, अत: इसे एकत्रित करके सभापटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

तेल का संकट

509. **श्री तारिक अनवर ओवेदार :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश तेल संकट की ओर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों

के लिए लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए क्रूड और उत्पादों के अन्वेषण, विकास और उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 8वीं योजना के लिए तेल क्षेत्र में 24,000 करोड़ रुपए के स्तर तक के निवेश की मंजूरी दी गई है।

प्राकृतिक गैस

510. श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्रीमती बसवा राजेश्वरी :

श्री बी० कृष्णा राव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई, कावेरी बेसिन तथा गोदावरी बेसिन में पर्याप्त प्राकृतिक गैस हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका दोहन करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 1.1.92 को स्थिति के अनुसार इन बेसिनों में स्थापित प्राकृतिक गैस का वसूली योग्य भण्डार 595.34 बिलियन घन मीटर का है।

(ग) इन बेसिनों में प्राकृतिक गैस के भण्डार से निकासी कार्य चल रहा है। इन बेसिनों में तेल और गैस की अनेक परियोजनाएं क्रियान्वयनधीन हैं। प्राइवेट कंपनियों को कुछ ब्लाक अन्वेषण और विकास के लिए दिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में रसोई गैस एजेंसियां

511. डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में कितनी रसोई गैस एजेंसियां आबंटित की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र को कुछ और अधिक एजेंसियां आबंटित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क)	1990-91	11
	1991-92	7
	1992-93 (अक्तूबर, 1992 तक)	9

(ख) और (ग) विभिन्न विपणन योजनाओं के अधीन बाजार सर्वेक्षण, आर्थिक व्यवहार्यता

उत्पाद उपलब्धता आदि के आधार पर देश के विभिन्न स्थानों पर एल. पी. जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती हैं जिसमें महाराष्ट्र शामिल है।

[अनुवाद]

रसोई गैस कनेक्शन

512. श्री रमेश चेन्नितला :

श्री पाला के० एम० मैथ्यू :

श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री हाराधन राय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान, राज्य-वार, कितने रसोई गैस कनेक्शन दिए गए;

(ख) नए रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 31 अक्तूबर, 1992 तक की स्थिति के अनुसार राज्य-वार, कितने व्यक्ति थे, और

(ग) प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को कनेक्शन कब तक दिए जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर यथासंभव प्रति वर्ष अधिकतम संख्या में एल. पी. जी. कनेक्शन देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

एल. पी. जी. कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य	कुल (लाखों में)	अप्रैल-सितम्बर 92 के दौरान जारी किए गए नए गैस कनेक्शन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.46	26447
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.13	395
3.	असम	1.37	2844
4.	बिहार	2.30	10274
5.	गोवा	0.57	1366
6.	गुजरात	0.16	24619
7.	हरियाणा	3.29	12248
8.	हिमाचल प्रदेश	0.67	9478

1	2	3	4
9.	जम्मू और काश्मीर	0.66	11345
10.	कर्नाटक	4.21	23964
11.	केरल	3.45	13163
12.	मध्य प्रदेश	4.11	18369
13.	महाराष्ट्र	14.67	48135
14.	मणिपुर	0.20	188
15.	मेघालय	0.08	900
16.	मिजोरम	0.06	233
17.	नागालैण्ड	0.13	51
18.	उड़ीसा	0.91	5315
19.	पंजाब	4.51	24085
20.	राजस्थान	6.62	23330
21.	सिक्किम	0.05	654
22.	तमिलनाडु	9.11	24466
23.	त्रिपुरा	0.25	245
24.	उत्तर प्रदेश	12.49	37724
25.	पश्चिमी बंगाल	7.34	17707
		संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान एवं निकोबार	0.06	408
2.	चण्डीगढ़	0.69	1569
3.	दादर एवं नगर हवेली	0.01	120
4.	दिल्ली	6.17	26850
5.	दमन	0.02	250
6.	लक्षद्वीप	0.00	54
7.	पांडिचेरी	0.23	171

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

513. श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापक फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस प्रकार की कृषि भूमि तथा फसलों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषि भूमि को इस योजना में शामिल किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह योजना उन लाखों किसानों पर भी लागू होगी जिनकी भूमि की सिंचाई बांध के पानी से होती है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या यह योजना उन पर भी लागू की जाएगी;

(च) यदि हां, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) से (घ) बृहत फसल बीमा योजना एक क्षेत्र पर आधारित तथा ऋण से जुड़ी योजना है जो गेहूं, धान, कदन्न, तिलहन तथा दालों की फसलें उगाने के लिए संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने वाले सभी किसानों पर लागू होती है। यह योजना सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए बीमा लाभ प्रदान करती है। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कार्यान्वयन करने वाली राज्य सरकारें/संघशासित प्रदेशों के पास पैदावार के अपेक्षित आंकड़े हों तथा बीमाकृत फसलों के लिए प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र में फसल काटने के 16 प्रयोग करने की क्षमता हो। अधिसूचित क्षेत्र में सिंचित और असिंचित दोनों तरह की भूमि शामिल है।

(ङ) से (छ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

झारखंड मुद्दा

214. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**

डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री के० वी० तंगकाबालू :

श्री साईमन मरांडी :

श्री शिबू सोरेन :

श्री के० प्रधानी :

श्रीमती केशरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या झारखण्ड मुद्दे से संबंधित सभी पक्षों से बातचीत का दौर पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सभी ने क्या मंतव्य प्रकट किया;

(ग) अंतिम निर्णय क्या था; और

(घ) इसे कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) विभिन्न राजनैतिक दलों, ग्रुपों और संगठनों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया ताकि झारखंड मुद्दे पर उनके विचार जाने जा सके। इन विचार-विमर्शों से कोई एकमत निर्णय नहीं निकला। मामला अभी विचाराधीन है। संबंधित दलों और संगठनों के साथ इस विषय पर आने वाले दिनों में आगे और विचार-विमर्श करना आवश्यक हो सकता है। अतः अंतिम निर्णय लेने के लिए इस समय कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[हिन्दी]

सूखे से फसलों को नुकसान

515. **श्री राम लखन सिंह यादव :**

श्री महेश कनोडिया :

श्री ललित उरांव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में सूखे के कारण देश में फसलों को हुए नुकसान के मूल्य का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(ग) गत वर्ष के दौरान सूखे से प्रभावित किसानों को प्रदान की गई सुविधाओं का राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

बिहार में तेल की खोज

517. **श्री मंजय लाल :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बिहार में कुछ ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जहां पेट्रोलियम उत्पादों का प्रचुर भंडार विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में तेल की खोज कार्यक्रम में इन क्षेत्रों को शामिल करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में दूध के मूल्य में वृद्धि

518. **श्री राम सिंह काष्वां :**

श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

श्री बलराज पासी :

श्री मुमताज अंसारी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में मदर डेरी और दिल्ली दूध योजना के दूध के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा औचित्य क्या है;

(ग) क्या दूध के मूल्यों में वृद्धि का जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दूध का मूल्य कम करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के विक्रय मूल्यों में 1.9.1992 से टोण्ड तथा डबल टोण्ड दूध में क्रमशः 5/- रुपए से 7/- रुपए प्रति लीटर तथा 4.40 रुपए से 6/- रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करते हुए संशोधन किया है। मदर डेरी ने 1.10.1992 से डबल टोन्ड दूध के स्थान पर टोन्ड दूध को थोक विक्रय प्रणाली के माध्यम से बेचना आरम्भ कर दिया है और उसका मूल्य 8/- रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया है। मदर डेरी ने पूर्ण क्रीम युक्त दूध का मूल्य 11/- रुपए प्रति लीटर से घटाकर 10/- प्रति लीटर कर दिया है।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप परिवहन लागत सहित ऊपरी खर्चों में वृद्धि तथा मूल्य सूचकांक में आम वृद्धि होने के कारण मूल्यों में संशोधन करना आवश्यक हो गया था।

(ग) से (घ) जबकि मदर डेरी एक वाणिज्यिक इकाई के तौर पर अपने दूध का विक्रय मूल्य उसकी व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर निर्धारित किए है; दिल्ली दुग्ध योजना के दूध को उत्पादन लागत के अन्तर की सीमा तक, जो कि विक्रय मूल्य से अधिक है, सहायता दी जाती है। अतः दूध के विक्रय मूल्यों को कम करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तरांचल राज्य की स्थापना

519. **मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूरी :**

श्री जीवन शर्मा :

क्या गृह मंत्री 9 जुलाई, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 28 के संदर्भ में दिए गए उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तरांचल राज्य की स्थापना के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों तथा उस संबंध में विस्तार से दिए गए तर्कों की जांच का काम पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस भंडार

520. **डा० खुशीराम डुंगरीमल जेस्वाणी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गैस तथा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज तथा उपयोग में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) गुजरात में संसाधनों की अनुमानित मात्रा कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 1-1-92 की स्थिति के अनुसार गुजरात में तेल (केन्डेन्सेट सहित) और गैस के क्रमश: 265.02 मिलियन टन और 117.53 बिलियन घन मीटर वसूली योग्य भंडार स्थापित हुए थे। गुजरात के कैम्बे, कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों में अन्वेषण जारी हैं तथा वर्ष 1992-93 और 1993-94 में इन क्षेत्रों में 110 कूपों के वेधन की आशा है।

दिल्ली में रसोई गैस की पाइप लाइन बिछाना

521. **श्रीमती बसवप्रभा असं :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण ने दिल्ली में उपभोक्ताओं को सप्लाई करने हेतु मकानों तक रसोई गैस की पाइप लाइन बिछाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने मकानों को सम्मिलित किया जाएगा;

(ग) गैस पाइप लाइन से किन-किन स्थानों को जोड़ा जाएगा; और

(घ) उपर्युक्त परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राम जन्म भूमि—बाबरी मस्जिद विवाद

522. श्री राजेश कुमार :

प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :

श्री साईमन मराण्डी :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री पी०एम० सईद :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

श्री चित्त बसु :

श्री बीर सिंह महतो :

डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को हल करने की दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस विवाद का हल निकालने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रधान मंत्री द्वारा 27 जुलाई, 1992 को संसद में दिए गए वक्तव्य के बाद विभिन्न दलों के साथ अनेक बार बातचीत की गई । जनता से भी सुझाव मांगे गए । प्रधान मंत्री ने राजनैतिक दलों को भी लिखा, जिसमें उन्होंने राजनैतिक दलों से बातचीत की प्रक्रिया में सहयोग करने का अनुरोध किया था । विश्व हिन्दू परिषद और आल इण्डिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच पहली बैठक 3 अक्तूबर, 1992 को, दूसरी बैठक 16 अक्तूबर, 1992 को और तीसरी बैठक 8 नवम्बर, 1992 को हुई । तथापि, इसी बीच 6 दिसम्बर, 1992 से कार सेवा पुनः शुरू करने की एक पक्षीय घोषणा की गई । इस घोषणा के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के मध्य हुई सीधी बातचीत टूट गई और तीसरी बैठक के बाद, सीधी बातचीत पुनः शुरू करना संभव नहीं था ।

2. 23 नवम्बर, 1992 को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक आयोजित की गई जिसमें परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताव पारित किया कि "राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के सभी

पहलुओं तथा सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद परिषद प्रधान मंत्री को संविधान और कानून की परिपुष्टि में तथा न्यायलय के आदेश को कार्यान्वित करने मे वे जो भी कारंवाई आवश्यक समझते हैं, उसके लिए अपना हार्दिक समर्थन तथा सहयोग प्रदान करती है।"

3. उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़ी अवमानना याचिका में माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए कि केन्द्रीय सरकार को इस मामले में अपने रुख का उल्लेख करना चाहिए ताकि माननीय न्यायालय को ऐसे आदेश तैयार करने में मदद मिल सके, जिससे माननीय न्यायालय के पहले के आदेशों का प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके। तदनुसार 23 नवम्बर, 1992 को सालोसिटर जनरल ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निवेदन किया :

(क) राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार माननीय न्यायालय के निर्देशों के पालन करने में जो भी सहायता जरूरी हो वह सभी सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को देने के लिए तैयार है; और

(ख) भारत सरकार माननीय न्यायालय को यह आश्वासन भी देती है कि माननीय न्यायालय अपने आदेशों का प्रवर्तन करने के लिए जो भी निर्देश देगी भारत सरकार वैसी ही कार्यवाही करेगी।

4. मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और अतः निर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

सीवर का चालू होना

523. **श्री बी०एल० शर्मा "प्रेम" :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री 6 अगस्त 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4551 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदर्शन पार्क, मोती नगर में सीवर लाइन चालू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सुदर्शन पार्क में नवम्बर माह में सीवर चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि मल निर्यास प्रणाली की स्थापना में निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं।

(I) सीवन लाइन बिछाना।

(II) पम्पिग स्टेशन के सिविल, विद्युत एवं यांत्रिकीय कार्यों को पूरा करना; और

(III) सीवर के मुहाने तक मुख्य पम्पिग लाइन को पूरा करना।

सभी सिविल और विद्युत एवं यांत्रिकीय कार्य पूर्ण हो गए हैं और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कनैक्शन की नवम्बर तक आशा है। प्रणाली के शीघ्र स्थापित होने की आशा है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

524. **श्री अण्णा जोशी :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के बारे में हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिला था, और इस पर विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का विचार इस विवाद का किस प्रकार शीघ्र समाधान करने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) प्रधानमन्त्री ने महाराष्ट्र और सीमावर्ती क्षेत्रों के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बताई गई शिकायतों को सुना। प्रतिनिधि-मंडल को कोई विशेष आश्वासन नहीं दिया गया था। केन्द्र सरकार का विचार है कि विवाद को दोनों राज्य सरकारों द्वारा आपसी बातचीत द्वारा ही सुलझाना होगा। इसके लिए केन्द्र सरकार सभी संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

525. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय से पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों के लिए आबंटन का अधिकार लेने पर विचार कर रही है और अब यह आबंटन सार्वजनिक तेल कम्पनियों द्वारा किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही का औचित्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित कार्यवाही के फलस्वरूप होने वाले कदाचारों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि उत्पादों पर नियंत्रण

526. **श्री वी०एस० विजयराघवन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने कृषि उत्पादों पर लगे नियंत्रण को हटाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि उत्पादों पर लगे नियंत्रण को जारी रखने के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) व्यापार और उद्योग के बारे में बृहत आर्थिक नीति माहौल में आए परिवर्तनों और कृषि क्षेत्र पर पड़े इसके परिणामों को देखते हुए कृषि लागत और मूल्य आयोग ने चरणवार तरीके से कुछ प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की है। सरकार इस संबंध में समुचित कार्यवाही कर रही है।

एल०पी०जी० के बाटलिंग वितरण क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश

527. **श्री पाला के०एम० मैथ्यु** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू रसोई गैस की सप्लाई में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या एल०पी०जी० सिलेंडर भरने और उनके वितरण के कार्यक्षेत्र में निजी पूंजी निवेश पर विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नए स्रोतों को शुरू करके और आयात द्वारा देश में एल०पी०जी० की उपलब्धता में वृद्धि करने की योजनाएं बनाई गई हैं।

(ख) और (ग) सरकार से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के समीप प्रदर्शन

528. **श्री के०बी० तंग्काबालू** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान के कथित हस्तक्षेप के विरुद्ध दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के समक्ष हाल ही में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था जिसमें पुलिस द्वारा प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों पर लाठी चार्ज किया गया था और आंसू गैस छोड़ी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) पाकिस्तानी उच्चायोग कार्यालय के सामने दिनांक 2-9-92 एवं 28-10-92, को दो प्रदर्शन किए गए थे। प्रशासन द्वारा आयोजनों को प्रदर्शनों के लिए कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं थे। कुछ प्रर्शदनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, डी०टी०सी० बसों को नुकसान पहुंचाया और पुलिस की घेरा-बन्दी को तोड़ा तथा वे

बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद तीसरे अवरोधक तक पहुंचे । प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा उस समय रोका गया जब वे तीसरे अवरोधक को तोड़कर, पाकिस्तानी उच्चायोग की ओर दौड़ने लगे । भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की गई लेकिन जब यह प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई तो उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के 19 गोले छोड़े । इन घटनाओं के दौरान 11 पुलिस कर्मी घायल हो गए । भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/186/323/332/353/427 तथा भा०दं०सं० 147/148/188/323/186/332/353/427 के अन्तर्गत दो आपराधिक मामले चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में दर्ज किए गए ।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण

529. **श्री वृशिण पटेल :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें इस समय देश में कानूनों का उल्लंघन करके आदिवासी क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार आदिवासी क्षेत्रों की भूमि के अधिग्रहण को रोकने और उनका उचित विकास सुनिश्चत करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

भारत में पाक द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना

530. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

प्रो० प्रेम कुमार धूमल :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री गुरुदास कामत :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्री रूपचन्द मुरमु :

डा० कृपासिंधु भोई :

कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान द्वारा पंजाब और कश्मीर घाटी में अधिक संख्या में प्रशिक्षित आतंकवादी और हथियार भेजने संबंधी प्रेस रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सुरक्षा बेल्ट के प्रावधान के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा के प्रबन्ध हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब और कश्मीर में अधिक प्रशिक्षित उग्रवादी तथा शस्त्र और गोला बारूद भेजने का पाकिस्तान प्रयास कर रहा है ।

(ग) भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए उचित उपाय विधिवत् रूप से आरम्भ कर दिए गए हैं ।

भानु प्रताप सिंह समिति

531. **प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में भानु प्रताप सिंह समिति किस तारीख को गठित की गई थी;

(ख) क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) कृषि को उद्योग के रूप में घोषित करने संबंधी मामले पर विचार करने के लिए श्री भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 6 फरवरी, 1990 को एक परामर्शदायी समिति का गठन किया गया था । समिति ने 30 जुलाई, 1990 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

(ग) सरकार कृषि क्षेत्र की अज्ञात क्षमता का पता लगाने, कृषि को उद्योग की भांति सुविधाएं और दूसरे प्रोत्साहन देने, नई कृषि नीति तैयार करने आदि को उच्च प्राथमिकता देने संबंधी समिति के दृष्टिकोण से सहमत है ।

दिल्ली में हथियारों के लाइसेंस जारी करना

532. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** :

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लोगों की सुरक्षा हेतु हथियारों के लाइसेंस देने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) चालू वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान दिल्ली में हथियारों के लाइसेंस हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ग) कितने लोगों के आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं; और

(घ कितने लोगों के आवेदन पत्र रद्द कर दिए गए हैं तथा किन-किन कारणों से ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जेकब) : (क) आवेदक, संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली का निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं

होनी चाहिए, उसका चरित्र अच्छा हो तथा शारीरिक रूप से अग्नेयास्त्र प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए। अग्नेयास्त्र प्राप्त करने की उसकी आवश्यकता वास्तविक होनी चाहिए।

(ख) 4417

(ग) 2210

(घ) 2207 व्यक्तियों के आवेदन इसलिए रद्द कर दिए गए क्योंकि स्थानीय पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता लगा कि या तो उनकी आवश्यकता वास्तविक नहीं थी अथवा आवेदक आपराधिक मामलों में ग्रस्त था।

[हिन्दी]

सफाई सुविधाओं हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान

533. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों में सफाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को कोई सहायता अनुदान दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) निम्नलिखित योजनाओं के अधीन संघ सरकार द्वारा अनुदान सहायता दी जा रही है :—

(I) मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत की स्वच्छता/निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकतम सम्भव सीमा तक मनुष्य द्वारा मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में शुष्क शौचालयों के परिवर्तन और कम लागत के जलवाही शौचालयों के निर्माणार्थ शहरी स्थानीय निकायों को केन्द्रीय आर्थिक सहायता और हुडको से ऋण दिया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत योजना के संबंध में हुडको द्वारा कुल 123.97 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

(II) गंगा कार्य योजना—उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में प्रायः सभी कार्यान्वयनाधीन योजनाएं गंगा की सफाई पर बल देते हुए सफाई सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित है। इन राज्यों में गंगा परियोजना निदेशालय ने कार्यान्वयन अभिकरणों को कुल 300 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं।

दूध की मांग

534. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना राज्यों को परिचालित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि दूध का उत्पादन, खरीद, परिसंस्करण तथा विपणन बढ़ाने के लिए आपरेशन फ्लड से बाहर वाले, पर्वतीय तथा पिछड़े इलाकों में समेकित डेयरी विकास पर एक योजना तैयार करें।

(घ) मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, उड़ीसा, केरल और सिक्किम की राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने का निर्णय

535. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री बापू हरि चौरे :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री बी० धर्म भिक्षम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक अंतर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने अब भारत में अपना कारोबार आरम्भ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को किस सीमा तक रोका जा सकेगा;

(ङ) इस संबंध में स्वदेशी तेल कम्पनियों का दर्जा क्या होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र में उदारनीतियों को आरम्भ किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में अनाज भंडार

536. **श्री के० प्रधानी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के सूखाग्रस्त जिलों में अनाज भंडार खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के कोरापुट, नबरंगपुर, मलकानगिरी तथा रायगढ़ा जिलों में कितने अनाज भंडारों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) क्या "यूनीसेफ" अनाज भंडार को सहायता दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

मंत्री का ब्रिटेन दौरा

537. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके हाल की ब्रिटेन यात्रा के दौरान कश्मीर और पंजाब के आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ और ब्रिटेन स्थित आतंकवादियों द्वारा भारत में आतंकवाद को आर्थिक सहायता प्रदान करना और आतंकवाद का जाल तैयार करने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के निवारक और निरोधक उपायों के बारे में वार्ताएं हुई थी;

(ख) यदि हां, तो वार्ताओं का संक्षिप्त ब्योरा क्या है तथा वे किस प्रकार के थे और उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) बातचीत की गई थी और ब्रिटिश सरकार के साथ एक प्रत्यावर्तन संधि एवं अधिहरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रत्यावर्तन संधि में कुछ निश्चित श्रेणियों के अपराधियों को, जो ऐसे अपराध करते हैं जिनमें कम से कम एक वर्ष की कैद की सजा दी जा सकती हो, प्रत्यावर्तित करने का प्रावधान है। अधिहरण समझौते का संबंध अपराध की जांच करने एवं उससे हुई प्राप्तियों तथा आतंकवादी निधि का पता लगाने, उसे रोकने तथा उसकी जब्ती से है।

(ग) इस संबंध में उचित कानून लाने के लिए कारवाई की जा रही है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रसोई गैस उत्पादन में निवेश

538. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**

श्री बलराज पासी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रसोई गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुल कितना निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) इसमे निजी निवेश कितने प्रतिशत होगा; और

(ग) स्वदेशी उत्पादन से देश में रसोई गैस की कितनी मांग पूरी हो रही है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) आठवीं योजना के दौरान लगभग 205.06 करोड़ रुपए का प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र की सभी फ्रैक्शनेशन यूनिटों से एल. पी. जी. के उत्पादन के लिए किया गया है, जो विस्तार की जाने वाली रिफाइनरियों से होने

वाले उत्पादन के अलावा है । पंचवर्षीय योजना के अन्त तक एल. पी. जी. की 4397 टी. एम. टी. की अनुमानित कुल मांग के प्रति देशीय तौर पर लगभग 3818 टी. एम. टी. गैस उपलब्ध होने की संभावना है ।

[हिन्दी]

दिल्ली में फ्लैटों के निर्माण का कार्य निजी क्षेत्र को देना

539. **श्री मुमताज अंसारी :**

श्री गुरुदास कामत :

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

श्री गया प्रसाद कोरी :

श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया :

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

श्री जीवन शर्मा :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री यशवन्तराव पाटील :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का निर्माण कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) निर्माण की गुणवत्ता और फ्लैटों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली में आवास क्रियाकलापों में निजी-भवन निर्माताओं की साझेदारी के संबंध में कोई विशिष्ट योजना अब तक सरकार ने अनुमोदित नहीं की है ।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में वाहन चोर

540. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री बृज भूषण शरण सिंह :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में वाहन चोरों के एक गिरोह का पता लगाया गया है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) अपराधियों द्वारा दिए गए सुराग पर कितने वाहन खोज निकाले गए हैं; और

(घ) वाहनों की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्। दिनांक 1-1-92 से 19-11-92 के बीच की अवधि में, दिल्ली पुलिस द्वारा वाहन चोरों के 18 गिरोह को पकड़ा गया है।

(ख) 54

(ग) 103

(घ) वाहनों की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) पैदल/सचल गश्त को सघन बनाया गया है।

(ii) वाहन चोरी निरोधक दस्ते तथा स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में "जाल" बिछाए जा रहे हैं।

(iii) दिल्ली पुलिस अधिनियम धारा 66 के अधीन कार्यवाई तेज कर दी गई है।

(iv) मोटर-वाहन चोरों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

(v) इन चोरियों को रोकने के लिए समाचार माध्यमों पर चलाए जा रहे अभियानों के द्वारा जनता को वाहनों पर नम्बर खुदवाने, सुरक्षात्मक उपकरण लगवाने के लिए शिक्षित किया जा रहा है।

(v) सभी पुलिस पिकेटों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी वाहनों की सावधानी से जांच की जाए।

कृषि विकास दर

341\. श्री सुखदेव पासवान :

श्री नीतीश कुमार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों की कृषि विकास दर में व्यापक अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा की वार्षिक कृषि विकास दर कितनी है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गेहूं सुधार परियोजना के अंतर्गत कार्यरत कृषि वैज्ञानिकों ने यह मत व्यक्त किया है कि देश की वर्तमान कृषि विकास दर में तेजी से वृद्धि की जा सकती है; और

(घ) कृषि विकास दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) देश के विभिन्न राज्यों में कृषि की वृद्धि दर कृषि-जलवायु स्थितियों, मृदा उर्वरता, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक आर्थिक स्थितियों में अन्तर होने के कारण सदैव भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) विभिन्न राज्यों में वृद्धि दरों के अन्तर बताने के लिए तीन वर्षों की अवधि बहुत छोटी है क्योंकि विभिन्न राज्यों में वर्षा और मौसम की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1989-90 से 1991-92 तक, 1988-89 को आधार मान-

कर, मुख्य फसलों के उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दरें, ही इन राज्यों के लिए आंकलित की गई हैं संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कृषि वैज्ञानिकों में यह आम धारणा है कि मौजूदा उन्नत प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शित क्षमता तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में खेती से मिलने वाली पैदावार में अभी भी अन्तर है, विशेषकर कम उत्पादकता वाले राज्यों में, और यदि इस अंतर को समाप्त कर दिया जाता है तो इन क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन की वृद्धि दर को आगे और बढ़ाया जा सकता है।

(घ) कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों, ऋण, बिजली आदि सहित आदान सुलभ कराने की कुशल प्रणालियों, उपलब्ध टेक्नोलाजी किसानों तक पहुंचाने के लिए कुशल विस्तार सहायता के साथ-साथ एक अच्छी मूल्य और विपणन सहायता शामिल है।

विवरण

(प्रतिशत)

राज्य	खाद्यान्न	तिलहन	कपास	पटसन व मेस्ता	गन्ना
पंजाब	+ 4.9	+36.2	+ 5.7	—	+ 5.3
हरियाणा	— 1.1	+ 22.0	+18.2	—	+11.2
उत्तर प्रदेश	+ 0.0	+ 6.4	—	—	+ 7.0
बिहार	— 4.6	+11.5	—	+ 2.8	+ 9.8
पश्चिम बंगाल	+ 3.5	+ 4.0	—	+12.2	— 9.3
आन्ध्र प्रदेश	+ 2.5	+ 3.9	+34.1	+10.5	+11.4
गुजरात	—12.9	—22.7	— 5.3	—	+ 9.4
कर्नाटक	+ 5.9	+ 9.7	+ 2.1	—	+ 6.3
उड़ीसा	+ 7.4	+ 3.5	—	+ 6 4	+ 5.3
समस्त भारत	— 0.5	+ 0.7	+ 5.6	+ 9.0	+ 7.1

[अनुवाद]

लक्षद्वीप में तेल की खोज

542. **श्री पी० एम० सईद :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज के लिए कोई भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या लक्षद्वीप में तेल की खोज के लिए कोई सर्वे कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (घ) जी हां। विवरण निम्नानुसार है :

(i) भूकम्पीय "रेफ्ररेक्शन" माप (1960)

(ii) लक्ष्यद्वीप समूह का आरंभिक भूगर्भीय सर्वेक्षण करने के लिए एक भूगर्भीय अभियान (1978)

(iii) "रेक्नीटरी" भूकम्पीय सर्वेक्षण (1978) से (1981)

(iv) केरल लक्ष्यद्वीप बेसिन के हाइड्रोकार्बन प्रास्पेक्टों को पुनर्मूल्यांकन (1983) और

(v) क्षेत्रीय भूकम्पीय आंकड़ों का पुन: अधिग्रहण (1987-88)

जम्मू और कश्मीर में माइक्रोवेव स्टेशन पर हमला

543. **श्री बापू हरि चौरे** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी उग्रवादियों ने 10 अक्तूबर, 1992 की रात को कश्मीर और शेष विश्व के बीच में संचार सम्पर्क को तोड़कर बनिहाल में माइक्रोवेव स्टेशन पर कब्जा करके उसे क्षति पहुंचाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) 10 अक्तूबर, 1992 की रात को आतंकवादियों ने बनिहाल में माइक्रोवेव स्टेशन को आग लगाकर संचार सम्पर्क को बाधित कर दिया। ड्यूटी पर तैनात गार्डों का भी अपहरण कर लिया गया था लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था।

वैकल्पिक माइक्रोवेव एवं उपग्रह सम्पर्क का प्रयोग करके अब दूरसंचार सम्पर्क बहाल कर कर दिया गया है। बनिहाल के माइक्रोवेव स्टेशन की मरम्मत का काम जारी है।

सुरक्षा संबंधी स्थिति की समीक्षा की गई हैं तथा राज्य में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के प्रबन्ध कड़े कर दिए गए हैं।

हाई-ओकटेन पेट्रोल उठाने हेतु लाइसेंस

544. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों/फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान कार रैलियों आदि में उपयोग करने हेतु हाई-ओकटेन पैट्रोल उठाने हेतु लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को ईंधन की कितनी मात्रा दी गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ख) कारों में हाई आक्टेन पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए कोई लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

पेय पदार्थों की बोटलिंग और वितरण

545. डा० परशुराम गंगवार :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत में पेय पदार्थों की बोटलिंग और वितरण के लिए सरकार से अनुमति माँगी है;

(ख) अनुमति प्रदान की गई कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इसके लिए क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) भारत में मृदु पेयों की बॉटलिंग और वितरण के लिए किसी विदेशी कंपनी ने अनुमति नहीं मांगी है।

[अनुवाद]

पेप्सी फूड प्राइवेट लिमिटेड

546. श्री रूपचन्द पाल :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पैप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने उत्पादों के संबंध में निर्यात मानदण्डों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) विदेशी सहयोग अनुमोदन/आशयपत्र के संदर्भ में मै० पेप्सी फूड्स लिमिटेड द्वारा निर्यात दायित्वों से संबंधित निर्यात मानदण्डों के उल्लंघन के मामले की मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात, वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय में सक्षम प्रधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। उनकी सलाह प्राप्त होने पर तदनुसार सुधारात्मक उपाय किए जायेंगे।

[हिन्दी]

राजीव गांधी स्मारकों हेतु भूमि अधिग्रहण

547. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट स्थित महात्मा गांधी समाधि क्षेत्र में से 10 एकड़ भूमि राजीव गांधी स्मारक बनाने हेतु प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति ले ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

548. **श्री प्यारेलाल जाटव** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल नीति की समीक्षा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन हेतु गठित की गई समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की वर्तमान संगठनात्मक संरचना संबंधी सभी पहलुओं और इसके पुनर्गठन की आवश्यकता की जांच करने के लिए श्री पी० के० कौल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और सरकार के विचाराधीन है।

जासूसी की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी

549. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान जासूसी की गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोपों के कारण कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) उन लोगों के जासूसी की गतिविधियों में लिप्त रहने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) ब्योरों को सदन में उजागर करना जनहित में नही होगा।

[अनुवाद]

रसोई गैस संबंधी शिकायतों को दूर करने हेतु आपातकाल प्रकोष्ठ

550. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों का ब्यौरा क्या है जहां पर रसोई गैस (एल० पी० जी०) संबंधी शिकायतों को दूर करने हेतु आपातकाल प्रकोष्ठ स्थापित किए गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के और प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने का है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्थान

वर्तमान		प्रस्तावित	
सं०	स्थान	सं०	स्थान
1.	आगरा	1.	अकोला
2.	अहमदाबाद	2.	आनन्द
3.	अहमदनगर	3.	बहादुरगढ़
4.	अजमेर	4.	भारुच
5.	अलीगढ़	5.	भटिंडा
6.	इलाहाबाद	6.	बीकोलीम
7.	अम्बाला	7.	बम्बई
8	अमरावती	8.	चण्डीगढ़
9.	औरंगाबाद	9.	चूपलून
10.	बल्लभगढ़	10.	कुरकोरम
11.	बलेरी	11.	दुगंरपुर
12.	बंगलौर	12.	ईरोड
13.	बरेली	13.	एटा
14.	बड़ोदा	14.	फरीदाबाद
15.	बेलगांव	15.	फारुखाबाद
16.	भवनगर	16.	गोवा
17.	भिलाई	17.	हरिद्वार
18.	भोपाल	18.	हिम्मतनगर
19.	भुवनेश्वर	19.	होशियारपुर
20.	बीकानेर	20.	जंगरांव
21.	बोकारो	21.	जामनगर
22.	बम्बई	22.	काम्पटी
23.	कलकत्ता	23.	काशीपुर

वर्तमान		प्रस्तावित	
सं०	स्थान	सं०	स्थान
24.	कालीकट	24.	कासरगोड
25.	चंडीगढ़	25.	कावली
26.	कोयम्बटूर	26.	खण्डवा
27.	कटक	27.	खड़गपुर
28.	देहरादून	28.	कोठागुदेम
29.	दिल्ली	29.	मालेगांव
30.	धारवाड़	30.	मंगल गिरी
31.	दुर्गापुर	31.	मनीपाल
32.	इरनाकुलम	32.	मथुरा
33.	फैजाबाद	33.	मोहाली
34.	फिरोजाबाद	34.	नर्दद
35.	गया	35.	नासिक
36.	गाजियाबाद	36.	पानीपत
37.	गोरखपुर	37.	रायबरेली
38.	गुलबारगा	38.	रायपुर
39.	गुन्तुर	39.	रत्नागिरी
40.	गुडगांव	40.	रिशीकेश
41.	गुवाहटी	41.	रुड़की
42.	ग्वालियर	42.	साम्बलपुर
43.	हिसार	43.	शिमला
44.	हावड़ा	44.	श्यामबाजार
45.	हुबली	45.	सिल्लीगुड़ी
46.	हैदराबाद	46.	श्रीकाकुलम
47.	इन्दौर	47.	श्रीनगर
48.	जबलपुर	48.	श्रीरामपुर
49.	जयपुर	49.	सुलतानपुर
50.	जालंधर	50.	तिरुपति
51.	जम्मू	51.	तूतीकोरीन
52.	जमशेदपुर	52.	वाशी
53.	झांसी	53.	वेलौर

वर्तमान		प्रस्तावित	
सं०	स्थान	सं०	स्थान
54.	जोधपुर	54.	विदिशा
55.	काकीनदा	55.	यमुना नगर
56.	कानपुर		
57.	करनाल		
58.	खारदा		
59.	कोल्हापुर		
60.	कोटा		
61.	कुरनूल		
62.	लखनऊ		
63.	लुधियाना		
64.	मद्रास		
65.	मदुराय		
66.	मंगलोर		
67.	मेरठ		
68.	मुरादाबाद		
69.	मुजफ्फरनगर		
70.	मैसूर		
71.	नागपुर		
72.	नेलोर		
73.	पंचकुला		
74.	पंजीम		
75.	पटियाला		
76.	पटना		
77.	पांडिचेरी		
78.	पुणे		
79.	राजकोट		
80.	राजमुन्दरी		
81.	रांची		
82.	रतलाम		
83.	रोहतक		

सं०	वर्तमान स्थान
84.	रौड़केला
85.	सेलम
86.	शाहजहांपुर
87.	सहारनपुर
88.	शिमोगा
89.	शोलापुर
90.	सोनीपत
91.	सूरत
92.	तिरेची
93.	त्रिवेन्द्रम
94.	उदयपुर
95.	उज्जैन
96.	वाराणसी
97.	विजयवाड़ा
98.	विशाखापटनम
99.	वारंगल

फसल बीमा योजना

551. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री शिबू सोरेन :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या कृषि मंत्री 16 जुलाई, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई फसल बीमा योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) यह फैसला किया गया है कि यद्यपि वर्तमान वृहत फसल बीमा योजना को जारी रखा जा सकता है, परन्तु प्रीमियम की बीमांकित दरों पर एक मार्गदर्शी योजना सभी जोखिमों के लिए सभी किसानों और सभी फसलों को शामिल करते हुए प्रत्येक राज्य के एक जिले में कार्यान्वित की जायेगी, जिसमें कम

इकाई वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। सरकार इस नयी मार्गदर्शी योजना को अन्तिम रूप देने की तैयारी कर रही है।

अभियुक्तों की न्यायालय में उपस्थिति

552. श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री गुरुदास कामत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि अपीलीय मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा बड़ी सजा प्राप्त अनेक अपराधी जेल में न रखे जाने के कारण सजा से बचे रहते हैं चूंकि जब निर्णय सुनाया जाता है तब उनका न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार न्यायालय में निर्णय सुनाते समय अपराधी के वहां उपस्थित होने को अनिवार्य बनाने और यदि उसे सजा होती है तो न्यायालय से सीधे जेल ले जाने के लिए कानून में संशोधन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान किसी विशेष घटना की ओर नहीं दिलाया गया है। तथापि फैसला सुनाते समय और सजा को कार्यान्वित करते समय अभियुक्त की उपस्थिति का प्रश्न दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 353, 418 और अन्य संबंधित उपबंधों द्वारा शासित किया जाता है। इस संबंध में कानून को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तेल क्षेत्रों के विकास हेतु संयुक्त उद्यम

553. श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल क्षेत्रों के विकास हेतु संयुक्त उद्यम आमंत्रित करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त दल ने अमरीका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) संयुक्त उद्यम के आधार पर विकास हेतु चुने गए तेल क्षेत्रों के नाम क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अगस्त, 1992 में एक उच्च स्तरीय दल ने अमरीका का दौरा किया था और भारत में तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास के लिए संयुक्त उद्यमों में भागीदारी के संबंध में अमरीका की कम्पनियों के साथ बातचीत की थी।

(ग) संयुक्त उद्यम आधार पर विकास के लिए प्रस्तावित तेल/गैस क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

1. मुक्ता	4. आर-सीरीज
2. राव्वा	5. डी-1
3. पन्ना	6. मध्य और दक्षिण ताप्ती

7. खरसांग　　　　10. बरबिल-दिरोई
8. दिग्बोई　　　　11. डिपलिंग
9. बोगापानी-समडांग　　　　12. बाघेवाला

बोडो समस्या

554. **श्री शरद दिघे :**

श्री सुबास चन्द्र नायक :

श्री बारेलाल जाटव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बोडो समस्या से संबंधित विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए संबंधित पार्टियों के साथ मिलकर क्या प्रयास किए हैं अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : संबंधित दलों के साथ बातचीत के द्वारा असम में बोडो समस्याओं का सौहार्दपूर्ण तथा स्वीकार्य हल खोजने का प्रयास जारी है। इस संबंध मे राज्य तथा केन्द्र सरकार के स्तरों पर चर्चा की गयी है।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के मामले

555. **श्री हरि किशोर सिंह :**

कुमारी विमला वर्मा :

श्री राम नाईक :

श्री वी० धर्मभिक्षम :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए इस समय राज्यवार कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन आवेदन पत्रों को कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार को स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन प्राप्त करने वाले फर्जी व्यक्तियों के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) निर्धारित तिथि, अर्थात 3 -3-1982 तक प्राप्त हुआ कोई आवेदन लंबित नहीं पड़ा है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को विलम्ब से आए आवेदन माना जाता है, जिसके लिए अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते है। तथापि, निर्धारित तिथि के बाद मिले आवेदन पत्रों तथा समय-समय पर मिली पुनरीक्षा याचिकाओं पर विचार किया जाता है, बशर्ते कि वे कुछ निर्धारित मानदण्ड पूरे करते हों। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) समय-समय पर ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं तथा उनकी जांच करायी जाती है और यदि शिकायत सही पायी जाती है तो, पेंशन प्राप्तकर्ता की पेंशन स्थगित/रद्द कर दी जाती है।

भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी

556. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री एन० जे० राठवा :

श्री जी० एल० कनोजिया :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संबद्ध राज्य सरकारों को आतंकवादियों के भारत-नेपाल सीमा पर चोरी छुपे भागने तथा घुसपैठ रोकने हेतु प्रदान की गयी सहायता सहित उठाये गये अन्य कदमों का ब्योरा क्या है; और

(ख) इसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा है। सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि के कारण भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सोनौली नामक स्थान के निकट एक आतंकवादी विरोधी चैकपोस्ट स्थापित की है। भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस थानों, चौकियों और आप्रवासी जांच-चौकियों को कड़ी निगरानी रखने के लिए सतर्क कर दिया गया है। सम्पूर्ण सीमा पर पुलिस तथा सुरक्षा प्रबन्ध को भी कड़ा बना दिया गया है।

(ख) 1-9-91 को सोनौली में खालिस्तान राष्ट्रीय सेना का एक कार्यकर्त्ता जिस समय नेपाल से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहा था, पकड़ा गया। 5-5-92 को एक अन्य घटना में खालिस्तान कमांडो फोर्स का एक कार्यकर्त्ता उस समय पुलिस द्वारा मारा गया, जब वह नेपाल में भाग जाने का प्रयास कर रहा था।

त्वरित कार्य बल

557. **श्री सुदर्शनराय चौधरी :**

श्री हन्नानमोल्लाह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित कार्य बल के गठन के पश्चात् इसे किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र को भेजा गया है; और

(ख) इसका ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) त्वरित कार्रवाई बल को, इसके गठन के पश्चात् से बिहार तथा दिल्ली में, कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

558. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री अनिल बसु :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल तथा हाई स्पीड डीजल का कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या उपर्युक्त मदों की सप्लाई में कोई कमी होने का अनुमान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) वर्ष 1991-92 के दौरान केरोसीन, पेट्रोल तथा एच० एस० डी० की खपत तथा उत्पादन निम्नलिखित है :

(हजार मी० टन)

	खपत	उत्पादन
केरोसीन	8350	5339
पेट्रोल (मोगाज)	3573	3420
एच० एस० डी०	22679	17404

कमी को आयात के द्वारा पूरा किया गया है।

पट्टली मक्कल काची पर प्रतिबन्ध

559. श्री आर० जीवरत्नम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पट्टली मक्कल काची संगठन की अलगाववादी गतिविधियों के कारण उस पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारत सरकार इसकी जांच कर रही है।

कश्मीरी विस्थापितों की समस्याओं की जांच हेतु सेल

560. श्री बलराज पासी :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री राम नगीना मिश्र :

श्री ललित उरांव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जारी आतंकवादी गतिविधियों के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को उनकी समस्याओं के समाधान करने हेतु सेल की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) इन विस्थापितों को दी जा रही/दिए जाने वाली सुविधाएं क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू में 33817 प्रवासी परिवार (1.6 लाख व्यक्ति), दिल्ली में 18769 (75030 व्यक्ति, अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जैसे महाराष्ट्र (बम्बई और नागपुर) हरियाणा, गोवा, केरल और चण्डीगढ़ में 954 परिवार (1662 व्यक्ति) पंजीकृत हैं ।

(ख) गृह मन्त्रालय में कश्मीर प्रभाग, कश्मीरी प्रवासियों के कार्य का समन्वय कर रहा है ।

(ग) प्रवासियों को स्थायी रूप से घाटी से बाहर बसाने का कोई विचार नहीं है और यह उम्मीद है कि घाटी में स्थिति में सुधार होने पर वे वहां वापस जा सकेंगे । इस बीच, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राहत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं ।

इन प्रवासी परिवारों को राशन/नगद राहत की व्यवस्था करने के अलावा जरूरतमंद परिवारों को सफाई और चिकित्सा सुविधाओं, बिजली और पानी इत्यादि की आपूर्ति सहित आवास की व्यवस्था भी की गयी है । अन्य सामानों जैसे कम्बल, पंखे, ऊनी कपड़ों इत्यादि की आपूर्ति सरकार/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा की गयी है । इसके अतिरिक्त शिविर स्कूलों और कालेजों में उनके बच्चों को, शिक्षा देने के लिये और व्यवसायिक संस्थानों में दाखिले के लिये विशेष प्रयास किये गये हैं । प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को अवकाश वेतन/पेंशन की अदायगी, बैंक खातों और लाकरों को स्थानांतरित करने, जीवन बीमा दावों के निपटान इत्यादि के लिये सुविधाएं भी उपलब्ध करायी गयी हैं । स्वीकृत किये गये कुल 2250 यूनिटों में से जम्मू में प्रवासियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए एक कमरे वाले 1391 टेनामेंटों का निर्माण पूरा कर लिया गया है ।

प्रवासियों का निम्नलिखित दरों से राहत दी जा रही है :

जम्मू

(1) नगद राहत	चार या चार से अधिक सदस्यों वाले परिवार को 1000/- रुपये प्रतिमाह की दर से ।
(2) मुफ्त राशन	प्रत्येक व्यक्ति को 9 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम आटा । प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 1 किलो चीनी ।

दिल्ली

(1) राशन	शिविरों में रह रहे व्यक्तियों को एक समय खाना पकाने के काम में आने वाले बर्तन/बिस्तर और मासिक राशन दिया जा रहा है ।

(2) नगद राहत　　　　दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थापित शिविरों में रह रहे परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 125/रुपये दिये जाते हैं बशर्ते कि चार या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को मिलने वाली यह राशि 500/- रुपये से अधिक न हो, इसके अतिरिक्त 500/- रुपये मूल्य का मुफ्त राशन दिया जाता है। शिविरों से बाहर रह रहे प्रति परिवार को 250/- रुपये प्रतिमाह दिया जाता है बशर्ते कि चार या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को मिलने वाली राशि 1000 रुपये से अधिक न हो।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

561. **श्री राम बदन :**
श्री शिवाजी पटनायक :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्ष 1992 में राज्यवार कितने व्यक्ति मारे गए अथवा घायल हुए और कितने मकान क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुए;

(ग) ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए और कितने व्यक्तियों को उक्त अवधि में दंडित किया गया; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) 1989, 1990, 199 , 1992 के दौरान मारे गये, घायल हुए व्यक्तियों की संख्या तथा क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या दर्शाने वाले संलग्न विवरण-1 तथा विवरण-2 से यह संकेत मिलता है कि इस अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामले में वृद्धि हुई है; जबकि 1990 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामले में थोड़ी सी गिरावट आई थी।

उक्त अवधि के दौरान दंडित किए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में ब्यौरे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र किए जा रहे हैं।

(घ) अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए विभिन्न ऐहतियाती निवारक, दंडात्मक, पुनर्वासात्मक उपायों का सुझाव देते हुए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 नामक एक विधान पारित किया गया तथा 30 जनवरी, 1990 से लागू किया गया था जिसमें अत्याचार करने वालों को कठोर दंड का प्रावधान है।

इस संबंध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों की रोकथाम करने के लिए दिनांक 4-5 अक्तूबर, 1991 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में अनेक निर्णय लिए गए थे जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया था।

विवरण—I

दिनांक 26-11-92 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 561 के भाग (क), (ख) किए गए अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचारों की घटनाओं की संख्या तथा 1989, 1990,

क्रम सं०	राज्य/सं० रा० क्षेत्र	पंजीकृत मामलों की संख्या				हत्या		
		1989	1990	1991	1992	1989	1990	1991
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	511	602	477	192	41	56	33
2.	असम	17	27	14	शून्य	02	01	01
3.	बिहार	997	507	568	399	56	27	31
4.	गोवा	02	शून्य	205	01	शून्य	शून्य	01
5.	गुजरात	593	788	1355	1069	14	18	20
6.	हरियाणा	77	81	65	56	01	04	05
7.	हिमाचल प्रदेश	79	63	39	30	01	02	शून्य
8.	जम्मू और कश्मीर	155	38	42	42	02	शून्य	शून्य
9.	कर्नाटक	490	690	732	288	08	15	28
10.	केरल	616	648	660	381	08	12	10
11.	मध्य प्रदेश	4226	5210	5382	3205	74	81	92
12.	महाराष्ट्र	363	499	574	515	19	18	29
13.	उड़ीसा	365	304	372	242	04	06	07
14.	पंजाब	21	22	37	08	05	07	21
15.	राजस्थान	1588	1591	2098	1402	34	30	39
16.	सिक्किम	03	15	27	17	शून्य	शून्य	शून्य
17.	तमिलनाडु	482	544	551	426	15	25	11
18.	उत्तर प्रदेश	5195	6096	4804	2541	270	265	284
19.	पश्चिम बंगाल	13	05	10	09	01	02	शून्य
20.	दादर और नगर हवेली	शून्य	01	—	—	—	—	—
21.	दिल्ली	05	05	04	02	—	—	—
22.	पांडिचेरी	01	01	05	01	01	शून्य	01
	कुल :	15799	17737	17820	10805	556	569	613

टिप्पणी : अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सूचना शून्य है :

तथा (ग) में संदर्भित विवरण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा सूचित पंजीकृत 1991 और 1992 के दौरान क्षति पहुंचायी गई मकानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

	गंभीर चोटें				आगजनी				अभियुक्ति
1992	1989	1990	1991	1992	1989	1990	1991	1992	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	162	157	147	62	10	16	07	04	अप्रैल
शून्य	शून्य	03	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	जून
13	83	29	27	21	88	83	39	26	मई
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर
20	64	71	94	58	12	16	22	12	अगस्त
04	01	शून्य	शून्य	शून्य	03	01	02	शून्य	अगस्त
01	09	04	02	03	03	शून्य	शून्य	शून्य	जुलाई
शून्य	33	शून्य	01	01	07	03	02	02	अगस्त
13	16	30	33	11	23	18	23	22	जून
05	18	13	18	13	15	12	05	06	जून
92	171	295	329	329	65	82	63	63	अगस्त
10	31	60	38	18	10	04	12	15	अगस्त
07	05	09	16	09	17	10	23	16	अगस्त
04	शून्य	01	06	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	जून
48	136	167	159	95	57	62	94	46	अगस्त
शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	अगस्त
09	12	05	04	05	32	27	12	07	जुलाई
156	886	812	734	375	362	297	284	162	जून
01	03	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	जून
शून्य	—	—	—	—	—	—	—	—	अगस्त
		शून्य	—	—	—	—	—	—	सितम्बर
शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	अगस्त
380	1629	1658	1609	823	703	589	587	364	

विवरण—2

दिनांक 26-11-92 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 561 के भाग (क), पंजीकृत किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों की घटनाओं की संख्या वाला

क्र० सं०	राज्य/सं० रा० क्षेत्र	पंजीकृत मामले				हत्या		
		1989	1990	1991	1992	1989	1990	1991
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	79	100	74	15	07	13	09
2.	असम	18	33	03	प्र. ना.	04	04	शून्य
3.	बिहार	100	98	13	प्र. ना.	07	03	01
4.	गुजरात	129	123	206	100	08	08	19
5.	गोवा	01	शून्य	शून्य	शून्य	01	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	01	—	—	—	—
7.	कर्नाटक	87	42	15	02	03	01	शून्य
8.	केरल	155	160	49	57	02	02	शून्य
9.	मध्य प्रदेश	2163	2366	2145	491	38	62	12
10.	महाराष्ट्र	214	177	235	200	09	10	11
11.	मणिपुर	शून्य	06	07	03	शून्य	01	04
12.	नागालैंड	05	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	217	104	134	87	04	02	02
14.	राजस्थान	420	415	547	386	11	14	12
15.	सिक्किम	07	11	29	15	01	शून्य	01
16.	तमिलनाडु	01	03	214	प्र. ना.	शून्य	शून्य	03
17.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	प्र. ना.	शून्य	शून्य	शून्य
18.	पश्चिमी बंगाल	09	10	08	11	शून्य	01	03
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	01	—	—	—	—
20.	अरूणाचल प्रदेश	09	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
21.	दादर और नगर हवेली	07	11	04	05	—	—	—
22.	दमन और द्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	01	—
23.	लक्षदीप	शून्य	शून्य	शून्य	प्र. ना.	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल :	2623	3575	3685	1381	96	122	127

टिप्पणी :—1. अनुसूचित जाति के स्थान पर अनुसूचित जनजाति टाइप करें शेष

(ख) तथा (ग) में संबंधित विवरण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथासूचित तथा 1989, 1990, 1991 और 1992 के दौरान क्षति पहुंचायी गई मकानों की संख्या दर्शाने विवरण

		गंभीर चोटें				आगजनी			अभियुक्ति
1992	1989	1990	1991	1992	1989	1990	1991	1992	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
05	19	25	17	04	05	09	शून्य	01	अप्रैल
प्र. ना.	शून्य	01	01	प्र. ना.	01	01	शून्य	प्र. ना.	सितम्बर
प्र. ना.	02	शून्य	शून्य	प्र. ना.	01	01	01	प्र. ना.	सितम्बर
13	21	17	34	31	04	07	03	05	अगस्त
———		——	शून्य	———			——————		सितम्बर
———		———		शून्य		———		———	अगस्त
शून्य	शून्य	02	शून्य	शून्य	शून्य	01	01	शून्य	मार्च
शून्य	शून्य	02	01	01	01	शून्य	01	शून्य	मई
12	70	151	152	19	19	31	20	02	अप्रैल
08	19	03	17	22	08	07	07	02	अगस्त
01	शून्य	शून्य	03	———		शून्य	———		सितम्बर
	01	शून्य		01	शून्य	शून्य			
02	01	03	07	02	04	शून्य	05	04	अगस्त
08	41	49	46	25	07	08	13	11	जुलाई
शून्य	04	02	03	शून्य	01	04	शून्य	शून्य	अगस्त
प्र. ना.	शून्य	शून्य	शून्य	प्र. ना.	शून्य	01	18	प्र. ना.	
प्र. ना.	शून्य	शून्य	शून्य	प्र. ना.	शून्य	शून्य	शून्य	प्र. ना.	
01	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	07	
	शून्य	———		———			——————		सितम्बर
	01	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य		
———	———	——शून्य	———		———			———	सितम्बर
———	———	———	——शून्य	———			———	——	जून
प्र. ना.	शून्य	शून्य	शून्य	प्र. ना.	शून्य	शून्य	शून्य	प्र. ना.	
51	190	255	282	104	51	71	69	32	

यथावत ।

दिल्ली में नियुक्त पी. ए. सी. कम्पनियां

562. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई पी.ए.सी. कम्पनियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें वापिस भेजने हेतु सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों को कब तक वापिस भेजने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जेकब) : (क) उत्तर प्रदेश पी.ए.सी. की 20 कम्पनियां इस समय दिल्ली में तैनात हैं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

[अनुवाद]

मिट्टी के तेल तथा डीजल में कमी

563. **श्री प्रवीन डेका :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई भागों में मिट्टी के तेल तथा डीजल की कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गेहूं का उत्पादन

564. **डा० असीम बाला :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में राज्य-वार, गेहूं का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में गेहूं की वार्षिक घरेलू मांग कितनी है; और

(ग) इस समय गेहूं के उत्पादन में वस्तुतः कितनी कमी हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 1991-92 के दौरान देश में गेहूं का राज्यवार उत्पादन निम्नवत् है :

	(लाख मीटरी टन में)
बिहार	35.66
गुजरात	9.06
हरियाणा	65.02
हिमाचल प्रदेश	5.96
मध्य प्रदेश	46.73
महाराष्ट्र	6.26
पंजाब	122.95
राजस्थान	44.78
उत्तर प्रदेश	201.56
पश्चिम बंगाल	5.30
अन्य	7.59
योग (सम्पूर्ण भारत)	550.87

(ख) गेहूं जैसे किसी विशेष खाद्यान्न की मांग किसी निश्चित समय पर कई तथ्यों, जैसे— जनसंख्या उत्पादन, निवल आयात समय उपलब्धता आय का संवितरण, मूल्यों का स्तर वैकल्पिक वस्तुओं की उपलब्धता और अन्य संबंधित आर्थिक परिवर्तनीय कारकों पर निर्भर करती है। अतः गेहूं की वास्तविक मांग का आकलन करना कठिन है। हालांकि, 1991 को समाप्त हुए अंतिम तीन वर्षों के दौरान मानव की गेहूं की खपत (बीज, आहार और अवशिष्टों को छोड़कर) संबंधी उपलब्धता द्वारा दर्शायी गई औसत निवल मांग 45.8 मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ग) गेहूं के उत्पादन में कोई कमी नहीं आयी है, लेकिन अन्य खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी के कारण इसकी मांग बढ़ सकती है।

[हिन्दी]

उत्तरप्रदेश में समाज कल्याण संगठन

565. श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी सहायता प्राप्त समाज कल्याण संगठनों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ख) इस संगठन के लिए केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण संगठन

क्र० सं०	संगठन का नाम और पता	प्रदान की गई सहायता (रु० में)		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	ईश्वर सरण आश्रम, ईश्वर नगर, इलाहाबाद	3,40,918	1,64,944	2,45,950
2.	हिन्द स्वीपर सेवक समाज, लखनऊ	3,55,215	5,58,787	3,25,268
3.	जन जागरण परिषद, सैदाबाद, इलाहाबाद	79,470	—	—
4.	ह्यूमन सर्विसेज चैरिटेबल ट्रस्ट, लखनऊ	—	2,99,885	6,49,530
5.	बोधिसत्व बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर स्मारक समिति लखनऊ	—	—	2,73,279
6.	सोशल एण्ड इकानामिक डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूशन, लखनऊ	—	—	1,08,990
7.	यू. पी. हरिजन एवं समाज सेवा संस्थान, लखनऊ	—	—	1,27,282
8.	सार्वजनिक शिक्षा समिति, लखनऊ	—	—	91,080
9.	सार्वजनिक शिक्षणायण संस्थान, हरदोई	—	—	2,59,560
10.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली	2,82,245	2,93,273	3,00,680
11.	सर्वेंट आफ इण्डिया सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र	9,69,435	20,28,394	14,28,935
12.	दीनदयाल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली	—	1,88,145	1,60,070
13.	अशोक आश्रम, देहरादून	—	1,54,368	3,16,278
14.	मंगलम्, मंगलम् सदन लखनऊ	16,52,560	17,00,000	26,56,416

1	2	3	4	5
15.	रोटरी स्पान्सर्ड क्रिपल्ड एण्ड यूथ वेलफेयर सोसाइटी, इलाहाबाद	17,75,000	14,84,881	12,89,000
16.	अभिनय रिपर्टोरी थियेटर एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ	6,300	5,33,158	89,527
17.	आलोक चैरिटेबल सोसाइटी, वसन्त बिहार, नई दिल्ली	—	—	48,600
18.	आल इण्डिया वीमन्स कान्फ्रेंस, नई दिल्ली	—	—	67,191
19.	रामशरण सेवा संस्थान, बदायूं	—	—	59,220
20.	धर्मार्थ सेवा प्रबंध एवं समाज कल्याण समिति, हरदोई	—	—	50,175
21.	समाज सेवा संघ, ब्रह्मपुरी, दिल्ली	—	—	54,540
22.	हजरत मोहानी चैरिटेबल सोसाइटी, कानपुर	—	2,99,650	—
23.	मुस्लिम सोशल अपलिफ्ट सोसाइटी, अलीगढ़	—	2,99,650	—
24.	सर सैयद सोसायटी, वाराणसी	—	2,49,400	—
25.	ड्यूटी सोसाइटी, ए. एम. यू., अलीगढ़	—	2,49,400	—
26.	नूरुल इस्लाम एजूकेशन सोसाइटी, लखनऊ	—	2,34,900	—
27.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, लखनऊ	—	—	43,290
23.	ग्राम्य विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद	—	2,24,100	2,86,560
29.	इंडिया रेडक्रास सोसायटी, इलाहाबाद	—	—	48,150
30.	काशी क्लब, वाराणसी	—	10,25,460	10,25,460
31.	श्री कांची लाल शास्त्री स्मारक संस्थान, कानपुर	—	94,500	70,890

1	2	3	4	5
32.	मेडिकल ऐडवाइजर्स एसोसिएशन, कानपुर	—	—	1,51,560
33.	नेताजी सुभाष विद्या मन्दिर, रामपुर	2,90,000	10,000	9,25,413
34.	निर्बल समाज कल्याण संस्थान, लखनऊ	—	—	48,150
35.	श्री राम बाबू वर्मा सोसायटी, आगरा	—	7,04,887	6,15,922
36.	मुरादाबाद शहीद मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ	1,37,945	1,23,006	5,22,788
37.	सराय नाहर उद्योग समिति, बदायूं	—	...	14,400
38.	सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान, लखनऊ	...	...	1,51,560
39.	सर्वोदय ग्राम एवं महिला विकास संस्थान, मिषक	...	...	45,090
40.	तिलक शैक्षिक समिति, इलाहाबाद	...	...	1,51,560
41.	ऐसोसियेशन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया	...	1,46,881	...
42.	मानव संस्थान, सहारनपुर	49,500	...	...
43.	स्व० रामदेव सिंह स्वतंत्र संग्राम सेवा निराश्रित दलित एवं पिछड़ा वर्ग	50,400	...	...
44.	अखिल भारतीय विकास परिषद्, लखनऊ	47,700	...	...
45.	श्री बृन्दावन अन्ध महाविद्यालय, मथुरा	2,34,686	2,48,481	2,58,120
46.	प्रागनारायण मूक बधिर विद्यालय समिति, अलीगढ़	1,34,978	1,54,980	3,15,515
47.	डेफ एण्ड डम्ब स्कूल, मेरठ	1,34,715	1,57,036	3,07,841
48.	अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति मंडल, अयोध्या	1,48,000	...	6,56,957

1	2	3	4	5
49.	एन. सी. चतुर्वेदी डेफ एण्ड डम्ब स्कूल, लखनऊ	3,20,892	6,19,922	...
50.	एन. सी. चतुर्वेदी ट्रेनिंग कालेज फार टीचर्स आफ द डेफ, लखनऊ	67,200	1,43,040	...
51.	एन. सी. चतुर्वेदी स्कूल फार द डेफ लखनऊ	3,00,000	1,50,000	5,31,230
52.	राफेल राइडर चेशायर इन्टरनेशनल सेंटर फार द रिलीफ आफ सफरिंग, देहरादून	1,63,317	1,81,000	2,45,891
53.	सुर स्मारक मण्डल, आगरा	2,44,699	2,18,333	3,28,207
54.	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अन्ध विद्यालय, वाराणसी	4,77,944	6,75,984	6,98,017
55.	गूंगे बहरों का विद्यालय कानपुर	92,115	95,383	7,41,697
56.	नेशनल फैलोशिप्स एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर फार द ब्लाइण्ड, इलाहाबाद	30,000	...	...
57.	डेफ एण्ड डम्ब स्कूल, वाराणसी	1,05,177	2,02,643	3,12,132
58.	नेशनल ऐसोसियेशन फार द ब्लाइण्ड, अलीगढ़	3,38,730	2,30,386	2,10,519
59.	श्री अजर धाम महिला आश्रम ट्रस्ट, हरिद्वार	2,17,746	3,90,501	...
60.	यू० पी० डेफ एण्ड डम्ब इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद	43,60,658	48,340	1,91,338
61.	सरस्वती बधिर सेवा समिति, लखनऊ	...	1,23,006	2,01,480
62.	पर्यावरण जन जागरण समिति, अल्मोड़ा	...	63,180	1,27,480
63.	स्वामी अखंडानन्द अन्ध विद्यालय, हरिद्वार	...	...	5,00,922
64.	विकलांग केन्द्र, भारद्वाज आश्रम, इलाहाबाद	...	...	3,27,942
65.	डेफ एण्ड डम्ब स्कूल अम्बारी, आजमगढ़	...	...	1,34,544
66.	नन्ही दुनिया बधिर विद्यालय सोसायटी, देहरादून	...	...	10,71,912

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश के जिलों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति

566. **श्री असलम शेर खां :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बेतूल और होशंगाबाद जिलों में पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में पेट्रोल/डीजल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र कार्यरत हैं और 1992-93 के दौरान इन वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग क्लास

567. **श्री सुरेशानन्द स्वामी :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क शिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 में राज्यवार कितने विद्यार्थियों को इस योजना से लाभ पहुंचा;

(ग) 1992-93 में ऐसे लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) 1992-93 में इस योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रीय प्रायोजित कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत 1.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सम्पत्ति का कर योग्य मूल्य

568 **श्री रोशन लाल :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली नगर निगम का मूल्यांकन और वसूली विभाग सम्पत्तियों का कर योग्य मूल्य लगाते समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भूमि आबंटन प्रसार अथवा अधिसूचित भूमि दर को स्वीकार्य नहीं मानता; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के लिए गैस वितरण प्रणाली

569. **श्री राजवीर सिंह :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कानपुर, फिरोजाबाद, आगरा, खुर्जा, गाजियाबाद और नोएडा क्षेत्रों में सैकड़ों लघु उद्योगों को गैस की आपूर्ति करने के लिए कोई गैस प्रणाली बनाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह गैस वितरण प्रणाली कब तक चालू हो जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि गाजियाबाद में कुछ उद्योगों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है।

उर्वरकों की खपत

570. **श्री ओस्कार फर्नान्डीज :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस खरीफ के मौसम में नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाशियम उर्वरकों की कितनी खपत हुई;

(ख) गत दो मौसमों की तुलना में इस मौसम में खरीद कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में कितनी कमी आयी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खरीफ, 92 के मौसम के दौरान, देश में उर्वरकों की अनुमानित खपत निम्नलिखित है :—

पोषक तत्व	(लाख मीटरी टन में)
एन०	40.93
पी०	16.68
के०	7.24
कुल	64.85

(ख) पिछले दो खरीफ मौसमों के मुकाबले, खरीफ, 92 में उर्वरकों की अनुमानित खरीद में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वयोवेदन समिति की रिपोर्ट

571. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं को गैस सिलेन्डरों को अपने साथ ले जाने देती हैं;

(ख) क्या अपनी साइकिलों/स्कूटरों/कारों में गैस सिलेन्डरों के ले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने हेतु विभाग ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या वयोवेदन समिति ने उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेन्डर ले जाने की अनुमति देने के विरुद्ध सिफारिश की है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रथा को समाप्त करने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा प्राधिकृत किए जाने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों को यह अनुमति नहीं है कि वे उपभोक्ताओं को एल०पी०जी० के सिलेन्डर ले जाने की अनुमति दें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध "विपणन-अनुशासन दिशानिर्देशों" के अनुसार तेल कम्पनियों द्वारा कारवाई की जाती है।

[अनुवाद]

मुम्बई हाई से आन्ध्र प्रदेश तक गैस पाइप लाइनें बिछाना

572. **श्री धर्मभिक्षम :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बम्बई हाई से आन्ध्र प्रदेश तक गैस की पाइप लाइन बिछाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरे से अवगत कराएं तथा इस पर क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अन्य राज्य सरकारों से भी ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) पश्चिमी अपतट से दक्षिणी राज्यों तक एक पाइप लाइन बिछाने के लिए कई राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

पश्चिमी अपतट से दक्षिणी क्षेत्र तक प्राकृतिक गैस के परिवहन की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीन दल का गठन किया गया था। सरकार द्वारा दल की रिपोर्ट की जांच की गई है तथा दक्षिणी क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने के विचार को सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन दे दिया गया।

उड़ीसा को उर्वरक का कोटा

573. श्री के० पी० सिंह देव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय पूल से उड़ीसा को प्रतिवर्ष आबंटित विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की मात्रा क्या है;

(ख) क्या सरकार का 1992-93 के दौरान उड़ीसा को किये जाने वाले उर्वरक आबंटन में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के दौरान आबंटित और खपत किये गये रासायनिक उर्वरकों का पोषक तत्ववार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) उड़ीसा को वर्ष 1992-93 के लिए निम्नलिखित उर्वरक पोषक तत्व आबंटित किये गये हैं।

(हजार मीटरी टन)

	खरीफ 1992	रबी 92-93	कुल
एन०	95.57	48.93	144.50
पी०	27.78	—	27.78
के०	14.59	—	14.59
योग	137.94	48.9[illegible]	146.67

दिनांक [illegible]5-8-1992 से फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों का आबंटन बंद कर दिया गया है क्योंकि इन उर्वरकों से नियंत्रण हटा लिया गया है।

उड़ीसा की नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की सम्पूर्ण आवश्यकता को आबंटन द्वारा पूरी तरह से पूरा किया जायेगा।

विवरण

उड़ीसा को उर्वरकों का आबंटन और उड़ीसा में उर्वरकों की खपत

उर्वरक पोषक तत्व	1989-90 आबंटन	1989-90 खपत	1990-91 आबंटन	1990-91 खपत	1991-92 आबंटन	1991-92 खपत
एन०	153.70	132 87	148.09	126.66	1[illegible]9.38	126.21
पी०	57.63	43.89	42.35	41.05	50 52	41.50
के०	41.70	27.97	25.55	24.96	32.21	28.30
कुल :	253.03	204.73	215.99	192.67	232 01	196.01

[हिन्दी]

संतरा प्रसंस्करण उद्योग

574. श्री तेजसिंह राव भोंसले :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को नागपुर और अमरावती में संतरा प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किये जाने हेतु महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बिहार में मत्स्य संसाधन

575. श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व बैंक ने बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में पाती झील तथा मोतीहारी की करियामन झील को मत्स्य उत्पादन के लिए चुना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के पूरा करने हेतु रखा गया लक्ष्य क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु शुरू किए गए कार्यों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक की परियोजना में झीलों को मत्स्य उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाने हेतु विकासात्मक कार्यों का प्रावधान है और इसमें अन्त: और बाह्य नहरों को गहरा बनाना, रक्षा बांधों और जलद्वार का निर्माण और खरपतवार की सफाई शामिल है।

(ग) बिहार सरकार ने पूर्वी चम्पारण के जिलाधीश से इन कार्यों की शुरूआत के लिए विस्तृत सर्वेक्षण शुरू करने और योजनाएं और प्राक्कलन का विवरण तैयार करने का अनुरोध किया है। विकासात्मक कार्य संभवत: अप्रैल, 1993 से शुरू कर दिये जायेंगे और दो वर्षों में इसे पूरा कर लिए जाने की आशा है।

कोचीन विश्वविद्यालय द्वारा पी०एच०डी० के छात्रों का पंजीकरण

576. प्रो० के०वी० थामस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन विश्वविद्यालय ने "मैरी कल्चर" आफ सेन्ट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कोचीन के पी०एच०डी० कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले 11वें बैच के छात्रों के नामों का पंजीकरण करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या परिषद का सेन्ट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कोचीन के "मैरी कल्चर" के पी०एच०डी० कार्यक्रम को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीवर कलेक्शन

577. **श्री अमर राय प्रधान** :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिलोक पुरी, दिल्ली में सीवर लाइन डालने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा किए जाने और वहां के निवासियों को सीवर लाइन कलेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने निम्नलिखित जानकारी दी है : त्रिलोकपुरी, पुनर्वास कालोनी दो चरणों, अर्थात् त्रिलोकपुरी चरण-I और त्रिलोकपुरी चरण-II, में विकसित की गई थी। इन दोनों चरणों में परिधि सीवरों सहित भीतरी सीवरों के डालने का कार्य सौंपा जा चुका है और निष्पादनाधीन है। चरण-I का कार्य अप्रैल, 1991 में आरम्भ हो गया था जो 24 माह की अवधि में पूरा होना है तथा चरण-II का कार्य नवम्बर, 1992 में आरम्भ हुआ जो 18 माह की अवधि में पूरा होना है। उपर्युक्त कार्य के पूरा होने के पश्चात् ही निवासियों को कनेक्शन्स दिए जा सकेंगे।

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम

578. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल संबंधी विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम को किन-किन राज्यों में आरम्भ किया गया है;

(ख) इन राज्यों में इस कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने कार्यक्रम की कोई पुनरीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए सरकार किन प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 13 प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में 1988-89 में शुरू किए गए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम तथा पूर्वी राज्यों में 1985-86 में शुरू किए गए विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम को हाल ही में एक कर दिया गया है तथा उसका नाम एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम रखा गया है। एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पाण्डिचेरी में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) इन राज्यों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति कमोवेश संतोषप्रद है। इन सभी राज्यों में चावल का उत्पादन 1984-85 के 58.0 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 1991-92 में 73.4 मिलियन मीटरी टन हो गया है इसी अवधि के दौरान औसत उत्पादकता स्तर 1418 किलोग्राम/हैक्टेयर से बढ़कर 1744 किलोग्राम/हैक्टेयर हो गया है।

(ग) और (घ) राज्यों के साथ कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा हर मौसम में आयोजित खरीफ और रबी के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की जाती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए राज्यों को आदानों की उपलब्धता/आपूर्ति के आधार पर वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नम्यता प्रदान की गई है।

शहरी जल आपूर्ति

579. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20,000 से कम जनसंख्या वाले कस्बों में जल आपूर्ति के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय जल आपूर्ति योजना शुरू करने का केन्द्र सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

(ग) आन्ध्र प्रदेश के उन कस्बों के नाम क्या हैं जिन्हें नई योजना के अन्तर्गत चुना गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) 20 हजार से कम आबादी वाले कस्बों में पानी की आपूर्ति के लिए एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की जा रही है जिसका निधिकरण केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50-50 के अनुपात में होगा। योजना को 1993-94 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

कस्बों के चयन एवं ऐसे कस्बों के लिए स्कीम तैयार करने हेतु विभिन्न मानदण्डों को शामिल करते हुए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों को राज्य सरकारों को पहले ही परिचालित कर दिया

गया है और उनसे इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में 20 हजार से कम आबादी वाले कस्बों के नाम कृपया संलग्न विवरण में देखें। हालांकि आन्ध्र प्रदेश सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

इस योजना के अन्तर्गत चुने गए आंध्र प्रदेश के कस्बों के नाम

1. वेमूलावदा
2. वान्सवाड़ा
3. चिपुरापल्ले
4. रानीगुंटा
5. नगरकुरनूल
6. कोंडापालेम उर्फ श्री रामनगर
7. नेल्लीमाला
8. कैकालूर
9. परासम्बा उर्फ कासीबग्गा
10. रेनुकोंडा
11. तिरुमलाई
12. गणवरम
13. मच्छावरम
14. दोरनाकल
15. कोलापुर
16. कुप्पम
17. सोमपेटटा
18. पलोसा
19. मधीरा
20. भाटटीप्रोलू
21. आसिफाबाद
22. फिरंगीपुरम
23. मण्यानी
24. राजम
25. चेल्लापल्ले
26. सिंगारीकोंडा
27. वुद्वेल
28. कोशिगी
29. कुम्बम
30. बुशानिपल्ले
31. घाटकेसर
32. कमलापुरम
33. कन्हीपाडू
34. माडगुला
35. राजोल
36. आलमपुर
37. वंदरूलंका
38. यदगिरीलंका
39. बापुलापाडू
40. कोवूरापल्ले
41. नगंगिरेदोपल्ले
42. पेनडूरथी
43. कोठापल्ले हवेली
44. लक्षितिपेंठ
45. शारपरियोजना नगरी
46. सिरपुर
47. मन्वासा
48. विजयपुरी दक्षिण
49. रामपचोदऊरम
50. विपराला
51. शंकरमपेट
52. श्री रामसागर प्रोजेक्ट राईट फलैंक कालोनी
53. अपर सिलेरू परियोजना स्थल कैम्प
54. मोथुगुडम
55. सरिसेला परियोजना नगरी (एल एफ सी)
56. प्रसन्थी निलीयम नगरी

[हिन्दी]

खाली हो चुके तेल के कुएं

580. श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई और अन्य तटवर्ती क्षेत्रों में तेल निकाले जाने के बाद कितने तेल के कुएं खाली हो चुके हैं; और

(ख) गत वर्ष उनमें से कितनी मात्रा में तेल निकाला गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बम्बई हाई और अन्य समुद्र तटीय क्षेत्रों मे कोई तेल कूप खाली नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

दिल्ली में चेन छीनने की घटनाएं

582. श्री जीवन शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में चेन छीनने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1992 के दौरान चेन छीनने की कितनी घटनाएं हुई हैं और गत तीन वर्षों की तुलना में इनकी स्थिति क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् । राजधानी में चेन छीनने के मामलों में वृद्धि हुई है ।

(ख) कारणों में, शहरीकरण का तेजी से होना, जनसंख्या, परिवहन यातायात में वृद्धि होना तथा प्रवासियों का बड़ी मात्रा में आना शामिल है ।

(ग) 1.1.92 से 15.11.92 तक की अवधि के दौरान तथा पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि के दौरान सूचित हुए चेन छीनने के मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मामलों की संख्या
1989	139
1990	114
1991	188
1992	228

(घ) किए गए उपायों में गश्त गहन करना; सामरिक स्थानों पर पिकेट तैनात करना; आसूचना को मजबूत करना; वाहनों की अचानक चैकिंग करना तथा चौकसी बढ़ाना इत्यादि शामिल है।

ओ० एन० जी० सी० द्वारा विदेशी बैंकों में अतिरिक्त धन का निवेश

583. **श्री मोहन रावले :**

श्री नितीश कुमार :

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जुलाई, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार ओ० एन० जी० सी० ने विदेशी बैंकों में अपने अतिरिक्त धन का निवेश करके ओ० एन० जी० सी० एक्ट का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या सुधारक कदम उठाना चाहती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कथनानुसार उसने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए अपनी अधिशेष निधि का कोई निवेश नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रूस से कच्चे तेल का आयात

584. **श्री समत कुमार मण्डल :**

डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

डा० जी० एल० कनौजिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में भारत को रूस द्वारा वचनबद्ध कच्चे तेल की मात्रा की आपूर्ति करने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए एक पांच सदस्यीय सरकारी शिष्ट मण्डल सितम्बर में मास्को गया था;

(ख) यदि हां, तो वहां हुई चर्चा का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) वर्तमान में रूस से कितना तेल आने की सम्भावना है तथा इसका भुगतान विशेष रूप में चालू वर्ष की आपूर्ति हेतु रूस सरकार की पूर्ववर्ती वचनबद्धता के अनुरूप रुपये में किस प्रकार किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां। चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सितम्बर, 1992 में मास्को का दौरा किया था।

(ख) और (ग) इस दौरे के बाद, वर्तमान व्यापार योजना प्रावधानों के अधीन भारत को 400,000-500,000 मीट्रिक टन (प्रत्येक) कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में तेल शोधक कारखाना स्थापित करना

585. **श्री नारायण भाई जमलाभाई राठवा :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्विटजरलैंड की किसी तेलशोधक कम्पनी को गुजरात में एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात में तेलशोधक कारखाना कब तक स्थापित कर दिया जायेगा और इस एकक की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(घ) गुजरात में इस तेलशोधक कारखाने को कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) भारत सरकार ने पश्चिमी समुद्र तट पर गुजरात में एक उपयुक्त स्थान पर 5 एम० एम० टी० पी० ए० वाली आरंभिक क्षमता सहित 100% निर्यातोन्मुख कच्चे तेल की रिफाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्स इंटरनेशनल पेट्रोलियम एस. ए. (बी० वी० 1) स्वीटजरलैंड को आशय पत्र जारी किया है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में मध्यम दर्जे के शहरों का विकास

586. **डा० वेंकटेश्वर राव :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्थित बहुत से छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों में बहतर नागरिक तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने की योजना का केन्द्र सरकार एवं आवास तथा शहरी विकास निगम ने अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में मध्यम दर्जे के शहरों के विकास के लिये केन्द्र सरकार एवं आवास तथा शहरी विकास निगम ने कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की हैं;

(ग) इस उद्देश्य के लिये कुल कितनी धनराशि रखी गयी है;

(घ) इनके कब तक पूरे होने की सम्भावना है; और

(ङ) 1992-93 में आन्ध्र प्रदेश में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का एकीकृत विकास (आई० डी० एस० एम० टी०) की चालू योजना स्कीम वर्ष 1979-80 में आरम्भ की गई थी। 1979-80 से 31.3.92 तक विभिन्न राज्यों और संघ शासित राज्यों के 517 शहरों को आई० डी० एस० एम० टी० स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया गया है और 176.17 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता के रूप में रिलीज किये गये हैं। इसमें आंध्र

प्रदेश के 36 शहर शामिल हैं जिनके लिए 10.64 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी। आई. डी. एस. एम. टी. स्कीम की संशोधित प्रणाली में, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान आई. डी. एस एम. टी. स्कीम के अन्तर्गत लाए जाने वाले शहरों के लिए लागू है, बजटीय सहायता के अतिरिक्त हुडको/अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण सहायता के लिए भी विचार किया गया है। इस समय आई. डी. एस. एम. टी. स्कीम की संशोधित प्रणाली के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये किसी राज्य सरकार/संघ शासित राज्य का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिविल अधिकार अधिनियम का उल्लंघन

587. श्री राम सागर :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों से 1991 और 1992 के दौरान नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 के उल्लंघन की सूचना मिली है;

(ख) इस अवधि में इस संबंध में दर्ज किए गए मामलों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का अस्पृश्यता निवारण के लिए प्रावधानों में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता समाप्त की जा चुकी है, हालांकि देश के अनेक भागों मे यह अभी भी विद्यमान है। अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए इन वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

31 दिसम्बर, 1991 को समाप्त वर्ष के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए (राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा सूचित) मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991 के दौरान पंजीकृत किये गये मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	(प्राप्त नहीं)
2.	असम	शून्य

1	2	3
3.	बिहार	(प्राप्त नहीं)
4.	गोवा	8
5.	गुजरात	209
6.	हरियाणा	2
7.	हिमाचल प्रदेश	18
8.	जम्मू और कश्मीर	3
9.	कर्नाटक	722
10.	केरल	21
11.	मध्य प्रदेश	249
12.	महाराष्ट्र	340
13.	उड़ीसा	42
14.	पंजाब	शून्य
15.	राजस्थान	107
16.	तमिलनाडु	861
17.	त्रिपुरा	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	296
19.	पश्चिम बंगाल	1
20.	चंडीगढ़	शून्य
21.	दिल्ली	3
22.	पांडिचेरी	21

वर्ष 1992 के दौरान पंजीकृत किये गये मामलों से संबंधित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिला कांस्टेबलों की भरती

558. डा० आर० श्रीधरन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जून, 1992 में महिलाओं को कांस्टेबलों के रूप में भरती करने का अभियान शुरू किया था;

(ख) यह अभियान किन-किन स्थानों पर शुरू किया गया था;

(ग) भरती के लिए कितने उम्मीदवार आए; और

(घ) उनमें से कितने उम्मीदवारों का चयन और भरती की गयी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तालेगांव, पुणे (महाराष्ट्र) और नई दिल्ली ।

(ग) 104

(घ) 16

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और उड़ीसा में परिष्करण शालाएं

589. **श्री खेलन राम जांगड़े :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और उड़ीसा स्थित तेलशोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये तेलशोधक कारखाने अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता के अनुरूप कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) फिलहाल मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कोई रिफाइनरी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन

590. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक कृषि उत्पादन का अनुमानित वर्तमान मूल्य कितना रहा है;

(ख) कृषि उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों का वर्तमान मूल्यों पर वर्षवार अनुमानित वार्षिक मूल्य कितना है;

(ग) सरकार ने कृषि उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों पर कितनी सहायता दी है; और

(घ) कृषि उत्पादन के लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दी गयी सहायता का अनुमानित मूल्य कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क)

वर्ष	वर्तमान मूल्यों पर कृषि उत्पादन की कीमत (करोड़ रुपये)
1988-89	100774
1989-90*	108566
1990-91**	129723

(ख)	वर्ष	वर्तमान मूल्यों पर अकार्बनिक उर्वरकों की कीमत (करोड़ रुपये)
	1988-89	5752
	1989-90*	6062
	1990-91**	6398

(ग)	वर्ष	वर्तमान मूल्यों पर उर्वरक उत्पादन से संबंधित राजसहायता की कीमत (करोड़ रुपये)
	1988-89	3214
	1989-90*	4555
	1990-91**	4418

(घ)	वर्ष	वर्तमान मूल्यों पर सिंचाई से संबंधित अप्रत्यक्ष राजसहायता (करोड़ रुपये)
	1988-89	3275
	1989-90*	3509
	1990-91**	4221

*=अनन्तिम

**=तीव्र अनुमान

पशु-पालन

591. **श्री टी० जे० अंजलोज :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को उस राज्य में पशु-पालन के विकास हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केरल में पशु-पालन के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) राज्य में पशुपालन के विकास के लिए केरल सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) ऊपर (क) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) संघ सरकार केरल में पशुपालन के विकास को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित विभिन्न स्कीमों के माध्यम से सहयोग देती है। ये स्कीमें इस प्रकार हैं :

(1) हिमित वीर्य तकनोलोजी तथा नस्ल परीक्षण कार्यक्रमों का विस्तार;

(2) आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता;

(3) रेन्डरपेस्ट उन्मूलन पर राष्ट्रीय परियोजना;

(4) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता;

(5) व्यावसायिक दक्षता का विकास;

(6) बधशालाओं का आधुनिकीकरण/सुधार के लिए राज्यों को सहायता;

(7) सांड तैयार करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम;

(8) स्विस सहायता प्राप्त डेरी विकास परियोजनाएं;

(9) सहकारी संस्थाओं की सहायता;

(10) प्रमुख पशुधन उत्पादों का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण;

(11) राष्ट्रीय रैम/बक उत्पादन कार्यक्रम; तथा

(12) एकीकृत सुअर विकास के लिए राज्यों को सहायता

उड़ीसा में सूखे की स्थिति

592. **कुमारी फ्रीडा तोपनो :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के सुन्दरगढ़, क्योंझर, कालाहांडी और कोरापुट जिलों में व्याप्त भयंकर सूखे की स्थिति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत और अन्य सहायता दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

दिल्ली में शराब से होने वाली मौतें

593. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

डा० ए० के० पटेल :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष दिल्ली में हुए मुराकांड जिसमें 200 व्यक्ति मारे गए थे, संबंधी जांच रिपोर्ट में न्यायाधीश जगदीशचन्द्र द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कारंवाई की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) न्यायमूर्ति जगदीश चन्द्र आयोग की मुख्य सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ, ऐलकोहल वाली सभी आयुर्वेदिक सम्पाकों दवाइयों का भारत के औषध नियंत्रक द्वारा मानकीकरण किए जाने, संबंधित राज्यों के औषध नियंत्रकों द्वारा उचित गुणवत्ता नियंत्रण रखने, नियमित केमिस्ट की दुकान से आयुर्वेदिक दवाइयों की बिक्री करने, मिथाइल ऐलकोहल की लाइसेंसिंग और इस पर नियंत्रण रखने संबंधी वित्त अधिनियम के अधीन उपबंध का तत्काल कार्यान्वयन, आयुर्वेदिक और अन्य प्रकार की दवाइयों की नियमित रूप से जांच करने के लिए औषध नियंत्रकों को अलग-अलग प्रयोगशालाएं दिए जाने, दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में देशी शराब की और अधिक दुकानें खोलने इत्यादि से संबंधित हैं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया है कि आयोग ने जिन विभागों पर अभियोग लगाया है, उनसे इसके लिए जिम्मेवार कर्मचारियों की शिनाख्त करने के लिए कहा गया है ताकि विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित रिपोर्ट के भागों की ओर उनका विशेष ध्यान दिलाते हुए पूरी रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को भेजी गई है।

सीमा चौकियों और अधिकृत वितरण केन्द्रों पर सख्त निगरानी रखने के लिए पुलिस, आबकारी और औषध नियंत्रक को निर्देश जारी किए गए हैं।

भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रभावकारी नीति बनाने का कार्य भी किया जा रहा है।

बंगलादेश से प्राकृतिक गैस की खरीद

594. **श्री चित्त बसु :**

श्री बीर सिंह महतो :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में वाणिज्यिक उपयोग हेतु विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल के लिए प्राकृतिक गैस खरीदने हेतु बंगलादेश सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनका उत्तर क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) उनका उत्तर उत्साहवर्धक नहीं है।

[हिन्दी]

रसोई गैस सिलैंडरों की सप्लाई में विलम्ब और उनके कम वजन होने संबंधी शिकायतें

595. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री मदन लाल खुराना :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से जुलाई और अगस्त से नवम्बर, 1992 के दौरान रसोई गैस सिलेंडरों की सप्लाई में विलम्ब और उनके कम वजन होने संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जांच करने पर कितनी शिकायतें सही पाई गयीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रस्तावित उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 3230 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 610 साबित हो चुकी हैं और दोषी वितरकों के विरुद्ध आवश्यक कारंवाई की गई थी।

(ग) तेल उद्योग और राज्य सरकारों के साथ और तेल विभाग द्वारा भी सही कारंवाई की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जाली पासपोर्ट घोटाला

596. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :**

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जाली पासपोर्ट जारी करने का गिरोह फूलता-फलता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन महीनों के दौरान जाली पासपोर्ट जारी करने वाले घोटाले का भंडाफोड़ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त घोटाले में कितने व्यक्ति शामिल पाए गए हैं; और

(घ) सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) जाली पारपत्रों के मामलों सहित अपराधों को दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने, पता लगाने और मुकदमा चलाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। जाली पारपात्र गिरोह में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या के बारे में केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा सूचना एकत्र नहीं की जाती हैं और उसका प्रबोधन नहीं किया जाता है।

सफाई कर्मचारियों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

597. **श्री शिबु सोरेन :**

श्री सुबास चन्द्र नायक :

प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री पवन कुमार बंसल :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के विश्लेषण हेतु एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक की जाएगी;

(ग) क्या सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों पर भी सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) अति शीघ्र।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना में 464 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय योजना चलाई गई है ताकि हाथ से मैला उठाने की अमानवीय और घृणित प्रथा को समाप्त किया जा सके और मुक्त किए गये सफाई कर्मियों का लाभप्रद रोजगार में पुनर्वास किया जा सके। पांच वर्षों की अवधि के भीतर लगभग 4 लाख सफाई कर्मचारियों को मुक्ति दिलाना और उन्हें पुनर्वासित करना है। इस योजना में निम्नलिखित पद्धति के अनुसार 50 000/- रुपए तक के स्वरोजगार की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया किया गया है :

सीमान्त धनराशि	7,500 रुपए
आर्थिक सहायता	10,000 रुपए
बैंक ऋण	32,000 रुपए

राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण के रूप में 280 करोड़ रुपए की राशि सरणीबद्ध की जानी है। 105 करोड़ रुपए पहचान किए गए सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण के वास्ते है जिसमें प्रतिमाह 150/- रुपए की वृत्तिका शामिल है।

इसके अलावा, अस्वच्छ व्यवसायों जैसे मैला उठाने, चमड़ा उतारने तथा चर्मशोधक इत्यादि में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की दरें निम्न प्रकार है :

दिवा छात्र	कक्षा 1 से 5 तक—वर्ष में 10 महीने के लिए 25/- रुपए प्रतिमास।
	कक्षा 6 से 7 तक—वर्ष में 10 महीने के लिए 40/- रुपए प्रतिमास।
	कक्षा 9 से 10 तक—वर्ष में 10 महीनों के लिए 50/- रुपए प्रतिमास।
होस्टल	कक्षा 3 से 8 तक—वर्ष में 10 मास के लिए 200/- रुपए प्रतिमास।
संवासी	कक्षा 9 से 10 तक—वर्ष में 10 मास के लिए 250/- रुपए प्रतिमास।
	सभी छात्रों को 500/- रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष का तदर्थ अनुदान दिया जाता है।

[अनुवाद]

राजनीतिक नेताओं के स्मारक तथा उनकी समाधियां

598. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :**

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राजनीतिक नेताओं के नाम क्या है जिनके स्मारक और समाधियाँ बनाने का विचार है; और

(ख) इस कार्य पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) सरकार ने नई दिल्ली में निम्नलिखित नेताओं की समाधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया है :

1. महात्मा गांधी
2. पं० जवाहर लाल नेहरू
3. श्रीमती इंदिरा गांधी
4. श्री लाल बहादुर शास्त्री
5. श्री राजीव गांधी

स्व० राजीव गांधी की समाधि "वीर भूमि" और स्व० श्री जगजीवन राम के स्मारक के रूप में अर्थात "समता स्थल" के लिए दिल्ली गेट के पास के क्षेत्र को विकसित करना भी प्रस्तावित है ।

(ख) चूंकि निश्चित अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और अनुमोदित नहीं किया गया है अत: व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि अभी निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना की तैनाती

599. **डा० सुधीर राय :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 और 1992 के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार देश के विभिन्न भागों में कितनी बार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना को तैनात किया गया;

(ख) इस तैनाती के क्या कारण हैं; और

(ग) कितनी बार बलों को राज्य सरकारों के बिना किसी निवेदन के तैनात किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) सूचना को सदन मे उजागर करना जनहित में नहीं होगा ।

कृषि पैदावार

600. **श्री जायनल अबेदिन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के क्षेत्र में विश्व के अन्य उन्नत देशों की तुलना में भारत में प्रायोगिक भू-

खंडों तथा किसानों के खेत में होने वाली कृषि पैदावार के बीच अत्यधिक अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अन्तर को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। उपज के स्तरों में अन्तर होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(1) देश में आश्वासित सिंचाई सुविधाओं की कमी और वर्षा सिंचित कृषि पर अधिक निर्भरता।

(2) अधिकतर किसानों के पास छोटी जोत होने के कारण कृषि आदानों का अपेक्षाकृत कम उपयोग और कम संसाधन क्षमता।

(3) देश के, संसाधनों से गरीब किसानों द्वारा उन्नत फसल उत्पादन तकनालोजी को कम स्तर पर अपनाया जाना।

(ग) और (घ) जी, हां।

(1) सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के जरिए देश की सिंचाई संभावनाओं में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(2) सिंचाई जल को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने के लिए चुनिंदा राज्यों के किसानों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि वे सघन कपास विकास कार्यक्रम के तहत छिड़काव यंत्रों (स्प्रिंकलर्स सैट्स) की खरीद कर सकें।

(3) विभिन्न फसल उत्पादन उन्मुखी कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक पैदावार देने वाले किस्मों के बीजों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, खरपतवारनाशियों, कीटनाशियों, पौध संरक्षण उपकरणों और उन्नत फार्म उपस्करों आदि का प्रयोग करने के लिए उन गरीब किसानों को प्रोत्साहन दिए जा रहे है जिनके पास संसाधनों की कमी है।

(4) फसल उत्पादन की नवीनतम तकनालोजी का शीघ्रता से अंतरण करने के लिए भी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि क्षेत्र निदर्शन और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जा सकें।

कम लागत की पम्प सैट

601. **श्री वी शोभनाद्री गीश्वर राव वाड्डे :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग परीक्षण और अनुसंधान केन्द्र ने कम लागत के ऐसे पम्पसैट विकसित किए हैं जिनमें कम बिजली खर्च होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पम्पसैटों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) पम्पसैट का डिजाईन तैयार किया जा रहा है। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए उपाय करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल पर कमीशन

602. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल के वितरकों की कमीशन की दरों में वृद्धि करने के लिए बिहार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी हां। यह सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

राज्य पुनर्गठन आयोग

603. **श्री बीर सिंह महतो :**

श्री पंकज चौधरी :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री वी. धनंजय कुमार :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे-छोटे राज्य बनाने के लिए हाल ही में की गई मांगों को ध्यान में रखते हुए दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) :
(क) केन्द्र सरकार दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ताम्बूल-पत्र

604. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ताम्बूल-पात्र अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने की कोई मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के तहत पहले ही उड़ीसा में 1981 में तथा पश्चिम बंगाल में 1983 में पान के पत्ते पर अनुसंधान के लिए अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की है।

बिहार में सूखा

605. **डा० रवि मल्लू :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री मनोरंजन सुर :
श्री तेजनारायण सिंह :
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री विजय कुमार यादव :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री ललित उरांव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान बिहार के कौन-कौन से जिले सूखे से प्रभावित हुए;

(ख) इससे हुई क्षति का ब्योरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई तथा वास्तव में कितनी धन-राशि दी गई;

(घ) क्या सूखे की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा राहत उपायों की सिफारिश करने हेतु किसी केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ङ) बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार चालू वर्ष के दौरान पटना, नालन्दा, बक्सर, रोहतास, भभुआ, गया, नवादा, जहानाबाद; औरंगाबाद, सारन, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, साहबगंज, मुंगेर, जमुई, कटिहार, अहरिया, पूर्णिया, किशनगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय, पलामू, दरभंगा, मधुबनी, धनबाद, हजारीबाग, गढ़वा और सुपौल 29 जिले सूखे की स्थिति से प्रभावित हुए हैं।

2. राज्य सरकारों ने सूखे की स्थिति से निम्नलिखित क्षति की रिपोर्ट दी है :

(1) प्रभावित आबादी	—	53.8 लाख
(2) प्रभावित फसल क्षेत्र	—	37 32 लाख हैक्टेयर

3. बिहार सरकार ने सूखे की स्थिति में राहत उपाय करने के लिए अपने ज्ञापन में

1200.12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की मांग की है। स्थिति का आंकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1992-93 के लिए 6.5625 करोड़ रुपए की राशि के समतुल्य आपदा राहत कोष के केन्द्रीय शेयर की अन्तिम किश्त और वर्ष 1993-94 के लिए 13.1250 करोड़ रुपए की राशि के समतुल्य आपदा राहत कोष के केन्द्रीय शेयर की दो किश्तों की बिहार सरकार को अग्रिम तौर पर विमुक्त कर दिया गया है ताकि राहत उपायों के लिए इसकी संसाधनों में वृद्धि करने में सहायता मिल सके।

सौराष्ट्र में पीपावव में विद्युत संयंत्र

606. **श्री काशीराम राणा :**

श्री ए० के० पटेल :

डा० के० डी० जेस्वाणी :

श्री दिलीप भाई संघानी :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री हरिन पाठक :

श्री हरि सिंह चावड़ा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सौराष्ट्र स्थित पीपावव विद्युत संयंत्र को गैस आवंटित करने का कोई वायदा किया है;

(ख) क्या हजारा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन की सप्लाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ताप्ती गैस को हाजीरा ले जाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो विद्युत संयंत्र को गैस सप्लाई करने का वायदा कब तक और कैसे पूरा किया जाएगा;

(घ) क्या हाजीरा-विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाईन में सप्लाई की आवश्यकता संबंधी वरीयता पीपावव स्थित संयंत्र को ताप्ती गैस की सप्लाई करने से कहीं अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) ताप्ती गैस क्षेत्रों से गैस का उत्पादन करने के लिए विकास योजनाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

कृषि नीतियां

607. **श्री नवलकिशोर राय :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अक्तूबर, 1992 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में

"मिसगाइडेड फार्म पालिसिज प्लेड" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में बेहतर कृषि विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार भारतीय कृषि की समस्याओं के प्रति जागरूक है। कृषि फसलों के समर्थन मूल्यों के मेकेनिज्म के जरिए किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य देने हेतु प्रयास किया गया है। विभिन्न खाद्यान्न फसलों, बागवानी उत्पाद, भूमि विकास, वर्षा पोषित खेती, मात्स्यिकी और पशु पालन क्षेत्रों को शामिल करते हुए कृषि के बेहतर विकास हेतु कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

नई कृषि नीति

608. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू :

श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई कृषि नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार ने राज्यों से विचार विमर्श करने के लिए एक कृषि नीति संकल्प के प्रारूप को अंतिम रूप दिया है। नीति के प्रारूप का लक्ष्य भारतीय कृषि की मुख्य चुनौतियों का समाधान करना है तथा यह कृषि के विविधिकरण तथा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर क्रियाकलाप सृचित करते हुए अपूर्ण रोजगारी, बेरोजगारी और कुपोषण की समस्या की ओर लक्षित है। इसका लक्ष्य संसाधन, विपणन और भण्डारण सुविधाओं में वृद्धि करना, वर्षासिंचित और सिंचित बागवानी का विकास करना, बायोकास उत्पादन में वृद्धि करना तथा सिंचाई विभव का उपयोग बढ़ाना तथा जल संरक्षण का प्रवर्धन करना भी है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय को सक्रिय बनाना तथा उसे मजबूत बनाना तथा कृषि विकास में गैरसरकारी संगठनों को शामिल करने को बढ़ावा देना भी है।

(ग) नई नीति राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद लागू की जाएगी।

रसोई गैस का आयात

609. **श्री अनन्तराव देशमुख :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान रसोई गैस की कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान इसका कितना आयात किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी शंकरानन्द) :

(क)	वर्ष	मात्राएं
	1990-91	329 टी. एम. टी.
	1991-92	215 टी. एम. टी.

(ख) सरकार ने 1992-93 के लिए 0.450 एम. एम. टी. एल. पी. जी. आयात करने का अनुमोदन दे दिया है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

610. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

प्रो० सुधीर गिरि :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री राजगोपाल मिश्र :

श्री अमल दत्त :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के गिरते मूल्यों में कमी को देखते हुए इनके मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मूल्य वृद्धि का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) लागतों को ध्यान में रखते हुए तेल उद्योग की वर्द्धमान कमी में आंशिक रूप से कमी लाने के लिए एस. के. ओ को छोड़कर घरेलू प्रयोग में आने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में 16.9.1992 से वृद्धि की गई थी। अर्थ-व्यवस्था पर इसके दबाव का मूल्यांकन करना अभी बहुत जल्दी होगा।

दिल्ली में अपराध

611. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अगस्त, 1992 के दैनिक समाचार पत्र "इंडियन एक्सप्रेस" में "एवी सिक्सथ किलिंग रिलेटेड ए न्यू हाई इन मरडर केसेज इन केपिटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1992 (अक्तूबर तक) माह-वार हत्या के कितने मामले प्रकाश में आए और उनमें से कितने मामले योनि से सम्बन्धित थे;

(ग) कितने मामलों को हल किया गया और कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(घ) दिल्ली में अपराधों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 1-1-92 से 31-10-92 तक के दौरान सूचित हुए हत्या के मामलों के महीनेवार ब्यौरे तथा उनमें से वे मामले जो सेक्स के कारण हुए, निम्न प्रकार हैं :—

माह	सूचित हुए मामले	सेक्स संबंधी मामलों की सं०
जनवरी	40	7
फरवरी	39	6
मार्च	55	10
अप्रैल	39	4
मई	53	7
जून	52	9
जुलाई	45	8
अगस्त	49	7
सितम्बर	45	6
अक्तूबर	42	8
	459	72

(ग) 459 मामलों का निपटारण निम्न प्रकार है :—

मामलों की संख्या

सूचित हुए	रद्द हुए	स्वीकार किए	विचारण के लिए लम्बित	जांच पड़ताल के लिए लम्बित	लापता
459	2	457	232	220	5

(घ) अपराध की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में गश्त को गहन

करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर पिकेट तैनात करना, आसूचना को मजबूत बनाना, अपराधियों के छिपने के स्थानों पर बार-बार छापे मारना, चौकसी बढ़ाना, सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, पुलिस अधिकारियों को आधुनिक हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षण देना तथा संचार तंत्र प्रणाली का आधुनिकीकरण करना शामिल है।

बाढ़-प्रभावित क्षेत्र

612. **श्री रमेश चेन्नीथाला :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री एन० जे० राठवा :

श्री सुखेन्द्र खां :

श्री वसुदेव आचार्य :

श्री सुधीर गिरी :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री गया प्रसाद कोरी :

श्री मृत्युन्जय नायक :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री के० प्रधानी :

कु० पुष्पा देवी सिंह :

श्री पी० एम० सईद :

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

प्रो० के० वी० थामस :

श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित स्थानों के नाम क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बाढ़ के कारण हुआ अनुमानित नुकसान कितना है;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई और वास्तव में कितनी राशि दी गई;

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय दल/दलों द्वारा किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया गया; और

(ङ) केन्द्रीय दल/दलों रिपोर्टों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान बाढ़ से प्रभावित स्थानों तथा अनुमानित हानि की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष में बाढ़ के कारण उठाए गए राहत कार्यों के लिए जम्मू और कश्मीर, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने क्रमश: 215.28 करोड़ रुपये, 534.00 करोड़ रुपये, 125.46 करोड़ रुपये, 9.00 करोड़ रुपये, 318.74 करोड़ रुपये और 530 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है। जम्मू और कश्मीर में बाढ़ स्थिति का जायजा उठाने के लिए एक केन्द्रीय दल ने वहां की यात्रा की। आपदा राहत कोष में से राज्य सरकारों को राहत उपायों के लिए निम्नत: अग्रिम सहायता दी गई :

राज्य का नाम	रुपये (करोड़ों)
1. जम्मू और काश्मीर	6.75
2. केरल	17.4375
3. मध्य प्रदेश	6.9375
4. उत्तर प्रदेश	26.64
5. तमिलनाडु	21.9375

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

613. श्री श्रीकान्त जेना :

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

श्री वी० धनंजय कुमार :

श्री परसराम गंगवार :

श्री सी० के० कुप्पु स्वामी :

श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री चित्त बसु :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री बापु हरि चौरे :

श्री जनार्दन मिश्र :

श्री के० वी० तंग्काबालु :

श्री बलराज पासी :

श्री नीतीश कुमार :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री माणिकराव होडल्या गावित :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

प्रो० रीता वर्मा :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री अन्ना जोशी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री मनोरंजन सुर :

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

डा० कृपासिंधु भोई :

श्री सत्य गोपाल मिश्र :

श्री पी० सी० थामस :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के मूल्य विनियंत्रण के परिणामस्वरूप कुछ उर्वरक मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विनियंत्रण से पूर्व तथा पश्चात विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के मूल्य क्या हैं;

(ग) उर्वरकों की खपत और खाद्यान्नों के उत्पादन पर इस वृद्धि का संभावित प्रभाव क्या है;

(घ) क्या उर्वरकों के मूल्यों में इस अकस्मात वृद्धि से देश में छोटे तथा सीमांत किसानों पर भी बहुत अधिक बोझ पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो जल्दी से जल्दी इन किसानों को उचित सहायता उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रस्तावित उपाय हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के मूल्य 25 अगस्त, 1992 से उन पर से नियंत्रण हटा लेने के पश्चात बढ़ गए हैं।

(ख) इसका विवरण नीचे दिया गया है :—

(रुपये प्रति मीटरी टन)

उत्पाद	नियंत्रण हटाने के पहले	नियंत्रण हटाने के पश्चात्
1	2	3
डाई-अमोनियम फास्फट (डी०ए०पी०)	4680	7800-8110
म्यूरियेट आव् पोटाश (एम०ओ०पी०)	1700	5476-6490

1	2	3
मिश्रण		
12 : 32 : 16	2750	6732
10 : 26 : 26	2500	6800-6903
20 : 20 : 0	2050-2200	6446
15 : 15 : 15	1800	6080
23 : 23 : 0	3800	6483
17 : 17 : 17	2200	6570

जैसा कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट दी गई है।

(ग) से (ङ) नियंत्रण हटाने के पश्चात उर्वरकों के मूल्य में हुई वृद्धि को कम करने के लिए सरकार ने 1000 रुपये की रियायत, जो प्रत्यक्ष रूप से किसानों को दी जानी थी, की घोषणा की, जिसके फलत: इन उर्वरकों को राज्य सरकारों द्वारा कम मूल्यों पर उपलब्ध कराया गया है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 340 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। राज्य सरकारों को भी कुल 500 करोड़ रुपये की राशि छोटे व सीमांत कृषकों के लिए विशेष योजनाएं जो आधारभूत सुविधाओं और निवेश से संबंधित हैं, शुरू करने के लिए अतिरिक्त रूप से मंजूर की गई है। राज्य सरकारों को पर्याप्त सुविधा दी गई है जिसमें नियंत्रण युक्त उर्वरकों को उपलब्ध कराने में छोटे और सीमांत कृषकों को दी जाने वाली सहायता में राज्यों द्वारा वृद्धि करने का प्रावधान भी शामिल है।

विदेशी दौरों पर खर्च हुई धनराशि

614. **श्री रामसिंह काछ्वा :**

श्री नरेश कुमार बलियान :

श्री ओस्कार फर्नान्डीज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधिकारियों के विदेशी दौरों पर 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) 1989-90 और 1990-91 के दौरान ऐसे विदेशी दौरों पर हुए खर्च का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 6,30,734/- रुपये

(ख) क्रमश: 4,86 440/- रुपये और 34,122/- रुपये

(ग) सिवाय ऐसे विदेशी दौरों के जिसका संबंध वाणिज्यिक अथवा वार्ता-सहायता से है इस पर प्रतिबंध अभी भी जारी है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में पानी

615. श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री देवीबक्स सिंह :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1985 से विकसित विभिन्न कालोनियों में अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों का ब्योरा क्या हैं; और

(ग) इन कालोनियों में पानी की व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 2 आवास पाकेटों के सिवाय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षेत्रों में पानी मुहैया कर दिया है :—

I) सहकारी सामूहिक आवास समिति क्षेत्र बिल्ला दल्लूपुरा

II) सहकारी सामूहिक आवास समिति क्षेत्र, विकास पुरी

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जहां तक सहकारी सामूहिक आवास समिति क्षेत्र बिल्ला दल्लूपुरा का संबंध है, जैसे ही दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के कनैक्शन दिए जाएंगे, ट्यूबवैल द्वारा पानी पहुंचा दिया जायेगा। सहकारी सामूहिक आवास समिति क्षेत्र, विकास पुरी के लिए पानी की आपूर्ति तभी की जाएगी जब दिल्ली नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों के लिए पानी दिया जाएगा।

सीमान्त किसान

616. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमान्त किसानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सीमान्त किसानों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) अद्यतन कृषि संगणना के अनुसार सीमान्त किसानों की संख्या 1980-81 के दौरान 50 12 मिलियन थी जो 1985-86 के दौरान बढ़कर 56.15 मिलियन हो गई है।

(ख) सीमान्त किसानों में वृद्धि का मुख्य कारण पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा है।

(ग) परिवार के आकार को सीमित करने के लिए भारत सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न उपाय कर रही है।

रोहिणी आवासीय योजना में प्लाटों का आबंटन

617. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :**

श्री फूल चन्द वर्मा

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्य आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिए आवेदन किया था तथा कितने आवेदकों को प्लाट आबंटित किए जा चुके हैं;

(ख) शेष आवेदकों को कब तक प्लाट आबंटित किए जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) आवेदकों को शीघ्रातिशीघ्र प्लाटों का आबंटन करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रोहिणी-रिहायशी योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग प्लाटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों और वे पंजीकृत व्यक्ति जिन्हें प्लाट आबंटित हो गए है, की संख्या इस प्रकार है :

श्रेणी	आवेदित/पंजीकृत व्यक्ति	किए गए आबंटन
निम्न आय वर्ग	38105	17109
मध्यम आय वर्ग	25889	10394

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्लाटों की उपलब्धता की शर्त पर शेष पंजीकृत व्यक्तियों को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्लाट आबंटित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस समय प्लाटों की अनुपलब्धता के कारण शेष पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटन नहीं किया जा रहा है। यह बताया गया है कि और अधिक भूमि अर्जित करने के लिए कारंवाई आरम्भ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि शेष भूमि को प्राथमिकता आधार पर यथा सम्भव शीघ्रता से अर्जित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भुखमरी से मौतें

618. **श्री सुबास चन्द्र नायक :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री के० प्रधानी :

श्री चित्त बसु :

श्री शरत् चन्द्र पटनायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में अनुसूचित जनजातियों के कई व्यक्ति भूख से मर गए, जैसा कि 16 सितम्बर, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूख से हुई मौतों के कारणों की कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ङ) ऐसी मौतें न होने देने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

फ्रांस की यात्रा

619. **श्री अन्ना जोशी** :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अक्टूबर, 1992 के तीसरे सप्ताह में फ्रांस की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान कौन से महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की गई तथा कौन से समझौते किए गए थे;

(ग) क्या फ्रांस सरकार ने भारत की आवासीय परियोजनाओं में पूंजी निवेश करने में कोई रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) शहरी विकास मंत्री ने फ्रेंच आवास तथा उपकरण (इक्विपमेंट) मंत्री के साथ आवास, शहरी अवसंरचना और शहरी परिवहन में सहयोग और फ्रेंच सहायता के लिए सम्भावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया था। तथापि किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

फ्रेंच आवास मंत्री, सामाजिक आवास, आवास वित्त-पोषण, भवन-निर्माण सामग्रियों, जल आपूर्ति और शहरी अवसंरचना तथा शहरी परिवहन से सम्बन्धित परियोजनाओं की जांच करने के लिए एक मिशन भेजने के लिए सहमत हुए थे।

इन विचार-विमर्शों के क्रमानुसार, फ्रेंच सरकार ने इन क्षेत्रों में सहायता के लिए परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नवम्बर, 1992 में एक मिशन भेजा।

सांसदों के फ्लैटों के आसपास से झुग्गियों को हटाना

620. **श्री लोकनाथ चौधरी** :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों को सांसदों के बंगलों और फ्लैटों के आसपास बनी झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाने का निदेश मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों ने क्या कारवाई की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि वी. आई. पी. क्षेत्र में विद्यमान विशेषकर जो झुग्गियां सांसदों के बंगलों के आस-पास है हटाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने अब तक 21 वाणिज्यिक व अन्य झुग्गियों को हटा दिया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा केरल को मंजूर की गई परियोजनाएं

621. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने केरल में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान निगम की स्वीकृति के लिए केरल के विचाराधीन परियोजना प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान केरल में रा० अ० जा० तथा अ० ज० जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या
1990-91	शून्य
1991-92	2

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार 6 परियोजना प्रस्तावों की छानबीन की जा रही है।

विवरण

केरल के लिए लम्बित परियोजनाओं की संख्या तथा लम्बन के कारण

(रु० लाख में)

क्र० सं०	प्राप्ति की तिथि	योजना/क्रियाकलाप के स्वरूप	योजना की अनुमानित लागत	रा०अ०जा० तथा अ०ज० जा० वित्त एवं विकास निगम का हिस्सा	स्तर
1.	27-1-90	आफसेट प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए	9.00	7.00	के०एफ०सी० के साथ 50-50 के आधार पर ऋण की हिस्सेदारी का प्रस्ताव है। के० एफ० सी० की संस्वीकृति की प्रतीक्षा है।
2.	14-5-92	जिला सहकारी से परिवहन योजना	14.00	7.00	विगत में निधियों के उपयोग पर स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
3.	3-5-92	एम.आई.एन.एल.ए. परियोजना	154.00	46.00	प्रक्रियाधीन
4.	8-9-92	शापिंग के लिए कमरा का आबंटन	विनिर्दिष्ट नहीं किया गया।	विनिर्दिष्ट नहीं किया गया।	स्पष्टीकरण मांगा गया है।
5.	13-10-92	प्रवण संस्कृति	271.00	200.00 (एन.सी.डी.सी. के साथ संयुक्त रूप से)	एन. सी. डी. सी. की संस्वीकृति की प्रतीक्षा है।
6.	17-11-92	व्यापार सुविधा केन्द्रों की स्थापना	317.00	200.00	प्रक्रियाधीन है।

[हिन्दी]

गुजरात में रसोई गैस एजेंसियां

622. श्री छीतूभाई गामित :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों में कदाचार के कारण बंद की गई रसोई गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से कितनी गैस एजेंसियों को दोबारा काम शुरू करने की अनुमति दी गई हैं; और

(घ) उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध जांच कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 (अक्तूबर, 1992 तक) के दौरान राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंसों के निरस्तीकरण/निलंबित करने, अप्राधिकृत कनेक्शन देने, पार्टनरों के बीच विवाद आदि जैसे विभिन्न कारणों से गुजरात में 6 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को बंद किया गया था।

(ग) शून्य।

(घ) 1. दिलीप गैस एजेंसी, वांकानेर।

2. वामोर एजेंसीज, मदास्सा।

3. मयूर एजेंसीज, मोरबी।

[अनुवाद]

फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण

623. **श्री कालका दास** :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फलों और सब्जियों के नाम क्या हैं जिनका देश में इस समय प्रसंस्करण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों मे इनकी मांग का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) देश में स्थापित फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट सभी प्रकार के फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण कर सकते हैं परन्तु जिन प्रमुख फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण किया जाता है वे आम, अनन्नास, अमरूद, केला, पपीता, सेब, संतरा, आड़ू, फलियां, आलू, टमाटर, मटर और प्याज है। विदेशों में प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों की मांग का पता लगाने के लिए कोई बाजार सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परन्तु कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों की निर्यात क्षमता का एक सामान्य आकलन किया है। अपेडा का अनुमान है कि 1996-97 तक भारत 1,30,000 टन प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों का निर्यात कर सकता है। अपेडा ने प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेकस्कीमें तैयार की हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

624. श्री मदन लाल खुराना :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 दिसम्बर, 1991 को प्रधान मंत्री ने कई मुख्य मंत्रियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सन्तुलित विकास हेतु एक माह के भीतर योजनाएं बनाने का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम बताएं जिन्होंने प्रधान मंत्री के पास योजनाएं भेज दी हैं तथा इन योजनाओं पर अनुमानतः कितना धन खर्च किए जाने की सम्भावना है;

(ग) केन्द्र तथा राज्य सरकारें किस प्रकार यह धन राशि जुटाएंगी; और

(घ) क्या इन योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। तथापि, 14 सितम्बर को सम्पन्न हुई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की पन्द्रहवीं बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रधान मन्त्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि क्षेत्रीय योजना 2001 के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों, रेल-सेवाओं, पावर और संचार सुविधाओं से सम्बन्धित बुनियादी विकास के लिए सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालय तत्काल समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा आठवीं योजनावधि में शुरू की जाने के लिए प्रयाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमुख बुनियादी योजनाओं के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का विचार राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों/दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र शासन से समानुपातिक अंशदान, राष्ट्रीय आवास क्षेत्र की प्रमुख संस्थाओं से वित्तीय सहायता और पूंजी बाजार में जुटाई गई निधियों के साथ-साथ आठवीं योजना में बोर्ड को आबंटित 200 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का उपयोग करके अपेक्षित निधियां जुटाने का है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर गैर-सरकारी क्षेत्र से साम्य निधियां जुटाने के लिए स्थानीय स्तर पर संयुक्त स्टाक कम्पनियां प्रारम्भ करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

(घ) जी, हां।

[अनुवाद]

तेल की खोज के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कम्पनियां

625. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान तेल की खोज के लिए निजी क्षेत्र की किन-किन कम्पनियों को तेल क्षेत्र दिए गए;

(ख) क्या अधिकांश निश्चित तेल क्षेत्र निजी कम्पनियों को दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तेल की खोज के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनियों को तेल क्षेत्र सौंपने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार ने चौथे दौर की बोली के अधीन निजी क्षेत्र की कम्पनियों को चार ब्लाकों के लिए संविदा देने की स्वीकृति दे दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल गवेषण के क्षेत्र में विदेशी एवं गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा पूंजीनिवेश

626. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का तेल गवेषण के क्षेत्र में विदेशी तथा गैर सरकार कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से तेल क्षेत्रों के समूह का एक नया प्रस्ताव करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में तलछटी थालों में तेल की सघन खोज सुनिश्चित करना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) देश की तलछटी की बेसिनों के अन्वेषण में तेजी लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पूरे वर्ष नियमित तौर पर प्राइवेट भारतीय एवं विदेशी कंपनियों को तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए ब्लाक प्रस्तावित किए जाएं। इससे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लि० के प्रयासों को पूरा किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल/डीजल खुदरा दुकानों के आबंटन हेतु मानदण्ड

627. **कुमारी विमला वर्मा :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में पेट्रोल और डीजल पम्प खोलने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ख) देश में वर्तमान में कार्यरत राज्यवार डीजल/पेट्रोल पम्पों की संख्या क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष में खोले गए डीजल/पेट्रोल पम्पों की संख्या क्या है;

(घ) क्या वर्तमान में और अधिक डीजल/पेट्रोल पम्पस खोलने की मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां निकट भविष्य में डीजल/पेट्रोल पम्प खोले जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) खुदरा बिक्री केन्द्र देश के विभिन्न भागों में जिसमें ग्रामीण / शहरी क्षेत्र शामिल हैं संयुक्त एम. एस./एच. एस. डी. और केवल एच. एस. डी. खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए निर्धारित मात्रा-दूरी मानदण्डों के आधार पर खोले जाते हैं।

(ख) दिनांक 1-10-1992 की स्थिति के अनुसार देश में 15,153 खुदरा बिक्री केन्द्र थे।

(ग) अप्रैल, 1991 से मार्च, 1992 की अवधि के दौरान 95 खुदरा बिक्री केन्द्र शुरू किए गए।

(घ) और (ङ) वर्ष 1988-93 की अवधि के लिए बनी खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में मध्य प्रदेश राज्य के लिए 100 स्थानों का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

बूचड़खाने

628. **श्री प्रभूदयाल कठेरिया** :

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध बूचड़खाने हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में इन बूचड़खानों को बन्द करने तथा इनकी बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) दिल्ली में कोई अवैध बूचड़खाना नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बंगलों के नवीकरण पर खर्च

629. **श्री साईमन मराण्डी** :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान मन्त्रियों के बंगलों की साज-सज्जा, मरम्मत और नवीकरण तथा इनके फर्नीचर पर जून, 1991 से आज तक किये गये खर्च का मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न मन्त्रियों के लिए भवन, फर्नीचर, साज-सज्जा तथा बिजली आदि पर खर्च की कोई सीमा निर्धारित की है:

(ग) यदि हां, तो उन मन्त्रियों का ब्यौरा है क्या जिन्होंने उक्त सीमा का पालन किया है और उन मंत्रियों का ब्यौरा क्या है जिन पर एक लाख रुपये से अधिक खर्च किये गये हैं और उनकी अदायगी आदि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे संसद सदस्यों की संख्या कितनी है जिन पर आवास के किराये, बिजली, पानी आदि के मद में पचास हजार रुपए से अधिक धनराशि बकाया है और उसकी वसूली के लिए अब तक की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उत्पादन

630. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1991-92 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितनी कमी आई है और इसके क्या कारण है; और

(ग) 1992-93 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में संवृद्धि हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) 1991-92 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 167.06 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है, जोकि 1990-91 के दौरान हुए 176.39 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन की तुलना में 9.33 मिलियन मीटरी टन तक कम है। उत्पादन मे कमी मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियो, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में विशेषकर दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून से सितम्बर, 1991) के दौरान रहीं, के कारण आई है।

(ग) उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के अतिरिक्त 1992-93 के दौरान खाद्यान्नों में वृद्धि करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में मिनिकिट कार्यक्रम सहित चालू विशेष अभिवृद्धि कार्यक्रम जैसे विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-गेहूं और मक्का एवं कदन्न, समन्वित चावल विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

जेलों के लिए वित्तीय सहायता

631. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा है जिसमें जेलों की संख्या में वृद्धि करने तथा वर्तमान जेलों की स्थिति में सुधार लाने हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस हेतु कितनी धनराशि की सहायता दिये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात् 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र सरकार से जेलों की संख्या बढ़ाने और विद्यमान जेलों की दशा में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ♦ नहीं उठता ।

[अनुवाद]

एल. पी. जी. बाटलिंग प्लांट की स्थापना

632. **श्री के० प्रधानी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के जनजातीय क्षेत्रों में कुछ नए एल. पी. जी. बाटलिंग प्लांट स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में कितने एल. पी. जी. बाटलिंग प्लांट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा वे कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) यद्यपि एल. पी. जी. के बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना तकनीकी-आर्थिक तथ्यों के आधार पर की जाती है, फिर भी आठवीं योजना अवधि के दौरान मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र में एक-एक बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

पटसन का समर्थन मूल्य

633. **प्रो० जितेन्द्र नाथ दास :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पटसन का समर्थन मूल्य क्या था;

(ख) इस मूल्य को किस आधार पर निर्धारित किया गया है; और

(ग) प्रतिवर्ष यह मूल्य कब घोषित किया जाता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार हैं :

1999-91	320 रुपए प्रति क्विंटल
1991-92	375 रुपए प्रति क्विंटल
1992-93	400 रुपए प्रति क्विंटल

(ख) कच्चे पटसन सहित विभिन्न कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, सम्बद्ध राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, आदि के विचारों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग अपनी सिफारिशें करते समय कई महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखता है जैसे कि उत्पादन की लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान-उत्पादन मूल्य में समानता, बाजार में मूल्यों का रुख, मांग-पूर्ति की स्थिति, अंतर-फसल मूल्य समानता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर और जीवन यापन लागत, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति और कृषि क्षेत्र द्वारा अदा किये गये और प्राप्त किए गए मूल्यों के बीच समानता।

(ग) एक नीति के रूप में, पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में घोषित किए जाने होते हैं।

[हिन्दी]

भारत में विदेशी नागरिक

634. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री हरिकिशोर सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की संख्या का उनकी नागरिकतावार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने तथा उनके प्रत्यावर्तन हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) चूंकि ऐसे अवैध प्रवासी भारत में चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं, स्थानीय जनता के साथ घुल-मिल जाते हैं; और इस प्रकार समय से अधिक ठहरने वाले व्यक्ति भूमिगत हो जाते है; अतः ऐसे व्यक्तियों की संख्या का ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है जो कि देश में अवैध रूप से रह रहे हैं।

(ख) सीमा सुरक्षा बल की गश्त गहन करना; इसकी वाटर विंग को सशक्त बनाना, सीमा सड़कों के बनाने और बाड़ लगाने के कार्यक्रमों के लिए तेज कार्यक्रम चलाना, राज्य सरकारों के लिए पी.आई.एफ मोबाईल टास्क फोर्स योजनाएं मजबूत बनाना, पहचान पत्र जारी करना, वीजा नियंत्रण प्रणाली, इत्यादि का संगणकीकरण करने सहित, कई उपाय किए गए हैं।

"स्लम हाऊसिंग" पंजीकरण योजना, 1985 के अन्तर्गत प्लॉटों का आवंटन

635. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "स्लम हाऊसिंग" पंजीकरण योजना-1985 के अन्तर्गत कितने "स्लम" निवासियों को पंजीकृत किया गया;

(ख) उनमें से कितने लोगों को अक्तूबर, 1992 तक भूखंड/प्लॅट आवंटित किए जा चुके हैं;

(ग) क्या इसके लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पंजीकृत व्यक्तियों की कोई अलग सूची है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को प्लॅट/भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं तथा कितने आवेदकों के नाम प्रतीक्षा-सूची में दर्ज है;

(च) प्रतीक्षा सूची में दर्ज अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को कब तक प्लॅट/भूखंड आबंटित कर दिए जाएगे; और

(छ) उपयुक्त योजना के अन्तर्गत सभी आवेदकों को प्लॅट/भूखंड आबंटित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 27693।

(ख) 1374, इसके अतिरिक्त, पंजीकृत विधवाओं द्वारा गठित की गई दो सहकारी समूह आवास समितियों को 604 प्लॅटों के निर्माणार्थ भूमि आवंटित की गई है।

(ग) से (ङ) जी, हां। अनुसूचित जाति के पंजीकृतों के लिए एक पृथक प्राथमिकता सूची है। स्कीम के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति के पंजीकृतों को 339 प्लॅट आबंटित किए गए हैं और 5423 अनुसूचित जाति के पंजीकृत व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं।

(च) और (छ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार, प्लॅट उपलब्ध होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को प्लॅट आवंटित किए जाते हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध

636. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
डा० असीम बाला :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री अमर राय प्रधान :
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :
श्री राम नाईक :
श्री शिवाजी पटनायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली में पिछले छः महीनों के दौरान बच्चों और अवयस्क लड़कियों के अपहरण और उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति पकड़े गये और न्यायालय ने इनमें से कितने व्यक्तियों को सजा दी है; और

(घ) सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जेकब) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के राज्य/संघ शासित राज्य वार उपलब्ध आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस द्वारा, बच्चों, अवयस्क बालिकाओं के अपहरण एवं व्यपहरण के सूचित मामलों तथा पकड़े गए तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या विवरण-2 में दी गई है।

(घ) महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों सहित अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच करने, पता लगाने तथा अपराधों को घटित होने से रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों की है। राज्य सरकारों को मामले दर्ज करने, जांच कार्य शुरू करने और न्यायालय में मामले दाखिल करने के लिए कार्रवाई करनी होती है। इस श्रेणी के अपराधों की रोकथाम भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आती है। फिर भी, भारत सरकार ने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 को और कड़ा बनाने के लिए इसे 1984 तथा 1986 में संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन किए गए, जिससे कि न केवल दहेज संबंधी मौतों के मामलों बल्कि विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों से भी प्रभावशाली ढंग से निपटा सके।

सरकार द्वारा महिलाओं स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं अपने अधिकारों के प्रति सचेत बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। दहेज की सामाजिक बुराई के खिलाफ जनसंचार अभियान, इलेक्ट्रानिक माध्यमों के कार्यक्रमों के द्वारा बनाए जा रहे हैं।

महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों से संबंधित कानूनों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के निर्देश राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों को जारी किए गए हैं।

विवरण-1

जून, 1992 तक महिलाओं के प्रति हुए अपराधों के राज्य तथा संघ शासित राज्य वार आंकड़े

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जोड़	टिप्पणी
1	2	3	4
राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	3153	
2.	अरुणाचल प्रदेश	29	मार्च तक

1	2	3	4
3.	असम	738	
4.	बिहार	773	
5.	गोवा	40	
6.	गुजरात	एन.ए.	
7.	हरियाणा	761	
8.	हिमाचल प्रदेश	270	
9.	जम्मू और कश्मीर	382	मई के अतिरिक्त
10.	कर्नाटक	1216	
11.	केरल	579	
12.	मध्य प्रदेश	6842	
13.	महाराष्ट्र	6088	
14.	मणिपुर	79	
15.	मेघालय	28	
16.	मिजोरम	45	
17.	नागालैंड	0	
18.	उड़ीसा	808	
19.	पंजाब	150	
20.	राजस्थान	2288	मई तक
21.	सिक्किम	10	अप्रैल तक
22.	तमिलनाडु	1209	
23.	त्रिपुरा	159	
24.	उत्तर प्रदेश	6458	
25.	पश्चिम बंगाल	एन.ए.	
संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	
27.	चण्डीगढ़	40	
28.	दादरा और नगर हवेली	6	
29.	दमन और द्वीव	एन.ए.	
30.	दिल्ली	1809	
31.	लक्षद्वीप	30	
32.	पांडिचेरी	396	

टिप्पणी

1. ये आंकड़े मासिक आपराधिक सांख्यिकी पर आधारित हैं और इन्हें अनन्तिम समझा जाए।

2. "एन.ए." का तात्पर्य "उपलब्ध नहीं" से है।

विवरण-2

पिछले छः महीनों (मई से अक्तूबर, 1992) के दौरान बच्चों तथा अवयस्क बालिकाओं के अपहरण एवं व्यपहरण के सूचित हुए मामलों, गिरफ्तार और दोषसिद्ध हुए व्यक्तियों की संख्या का विवरण

सूचित किए गए मामले		गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दोषसिद्ध हुए व्यक्ति
287	अवयस्क बालिकाओं का अपहरण	96	—
11	अवयस्क बालिकाओं का व्यपहरण	4	—
87	अवयस्क बालकों का अपहरण	53	—
21	अवयस्क बालकों का व्यपहरण	22	—

पटना और रांची में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान

637. श्री ललित उरांव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना और रांची में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध मकानों की श्रेणीवार संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां हैं;

(ख) क्या सरकार का उक्त दोनों स्थानों पर और अधिक मकानों के निर्माण का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) पटना और रांची में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवंटन के लिए कोई साधारण पूल रिहायशी वास नहीं है।

(ख) से (घ) पटना और रांची में साधारण पूल वास के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पात्र सरकारी कर्मचारियों की कुल मांग और बजटीय नियंत्रणों पर विचार करने के पश्चात निर्माण कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

लक्षद्वीप में पेट्रोल तथा डीजल की सप्लाई में वृद्धि

638. श्री पी०एम० सईद :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई के कोटे में वृद्धि करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल की मांग पूरी की जा रही है।

हरियाणा को शीरे का आबंटन

639. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा को वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान पशु चारे के अंश के रूप में उपयोग के लिए कितनी मात्रा में शीरा आबंटित किया गया है;

(ख) क्या आबंटित की गई मात्रा राज्य की मांग के अनुरूप है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 1991-92 के दौरान, हरियाणा को 4920 मी. टन की मांग की तुलना में 11625 मी. टन शीरा का आबंटन किया गया है ताकि इसे पशु चारे में अवयवों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। 1992-93 के लिए अभी आबंटन नहीं किया गया है, जबकि इसके लिए 8570 मी. टन की मांग की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं

640. श्री वी० धनंजय कुमार :

श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी जल पूर्ति योजनाओं के लिए धन आबंटित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक के मंगलौर और गुलबर्गा शहरों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए कोई विशेष अनुदान किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) शहरी जल आपूर्ति राज्य का विषय है। जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियों का नियतन राज्य प्लान के अन्तर्गत किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सुरक्षा बल के विमान की दुर्घटना

641. **श्री राम विलास पासवान :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा सुरक्षा बल का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें सीमा सुरक्षा बल के महा निरीक्षक की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरे से अवगत कराएं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ख) 27 अगस्त, 1992 को लगभग 12.00 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीमा सुरक्षा बल का एक "सुपरकिंग एयर बी. 200" वायुयान, बी. टी. —ई. ओ. ए., जिसे श्री टी. एस. धालीवाल, निदेशक, एयरविंग, सीमा सुरक्षा बल, चला रहे थे, ने उड़ान भरी। ऊपर उड़ने के थोड़ी देर बाद ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके परिणाम स्वरूप श्री टी. एस. धालीवाल की मृत्यु हो गई।

(ग) केन्द्र सरकार ने वायुयान नियम, 1937 के अधीन एक जांच समिति नियुक्त की है।

(घ) जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर की सीमा पर कंटीले तार लगाना

642. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर कंटीले तार लगाने की कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और ये कंटीले तार कब तक बिछा दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) जम्मू तथा कश्मीर के जम्मू भाग में भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने की साध्यता सरकार के विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में खिरकिया में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

643. श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के खिरकिया नगर में एक तेल शोधक कारखाना लगाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारत सरकार ने मध्य भारत में एक 6 एम. एम. टी. पी. ए. की क्षमता वाली तेल रिफाइनरी स्थापित करने के बारे में सैद्धान्तिक रूप से अपना अनुमोदन दे दिया है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

644. श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री अनिल बसु :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 15 सितम्बर, 1992 को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में की गई वृद्धि को कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार किए गए आतंकवादी

645. श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी :

श्री बृजेश पटेल :

श्री राम बदन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर में कितने आतंकवादी पकड़े गए और मारे गए;

(ख) उन्होंने कितने नागरिकों और सुरक्षा बल के कर्मियों की हत्याएं की;

(ग) इन मारे गए परिवारों को दी गई वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) मारे गए और पकड़े गए आतंकवादियों से जब्त किए गए हथियार और गोला-बारूद और अन्य सामग्री का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब): (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले छः महीनों के दौरान, (अर्थात अक्तूबर, 1992 तक) जम्मू और कश्मीर में मारे गए और गिरफ्तार हुए आतंकवादियों की संख्या निम्न प्रकार है :

(क)	(I) पकड़े गए आतंकवादी	2122	
	(II) मारे गए आतंकवादी	320	
(ख)	(I) मारे गए सिविलियन	292	
	(II) मारे गए सुरक्षाकर्मी	99	
(ग)	मारे गए व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय तथा अन्य सहायता	मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को 4 करोड़ 15 लाख 75 हजार रुपए की राशि दी गई है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने 1990 के आदेश संख्या 723-जी. आर. (जी. ए. डी.) दिनांक 10-7-90 के द्वारा आतंकवादी हिंसा में मारे गए अथवा स्थाई रूप से/आंशिक रूप से अपंग हुए व्यक्तियों को राहत स्वरूप भुगतान की जाने वाली राशि के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।	
(घ)	मारे गए और गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों से बरामद किए गए शस्त्र, गोला बारूद का ब्यौरा	ए. के. 47/56	1385
		रिवाल्वर/पिस्तौल	309
		यूनिवर्सल एम. गन	74
		राकेट	108
		राकेट बूस्टर	55
		हथगोले/हथगोले की छड़ें	1233
		डिटोनेटर्स	2502
		आर. टी. जी.	46
		बेतार के यंत्र	12
		बारूदी सुरंगे	121
		क्लेमोर बारूदी सुरंगें	24
		गोला बारूद	(1.46 लाख राउण्ड)

(ङ)	सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए किए गए उपाय	सरकार ने आतंकवादियों पर दबाव बढ़ा दिया है तथा सीमा-वर्ती आसूचना अभियानों को और तेज कर दिया है।

[अनुवाद]

केरल में मछली की प्रजातियों में वायरल संक्रमण

646. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अल्लेपी जिले में वेम्बानाड लेक में मछली की प्रजातियों में फिर से वायरल संक्रमण फैलने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष नियमित रूप से फैलने वाले वायरल संक्रमण के मूल कारणों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) मछलियों में फैले इस वायरल संक्रमण के कारण हुए बेरोजगार मछुआरों की सहायता हेतु उठाए गए राहत उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और केरल सरकार से ऐसी कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन केन्द्रीय अंतर्देशीय ग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर ने 1991 में केरल के वम्बानन्द झील में मत्स्य रोगों पर अध्ययन के बाद पुष्टि की है कि यह रोग एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्राम है। इसके वाइरल इंफेक्शन के कारण का अभी पता लगाया जाना है।

(ग) सरकार ने रोगों को रोकने के लिए विभिन्न उपाय करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं :

(1) प्रबंध योग्य प्रभावित जल क्षेत्रों का चूना तथा नमक से उपचार

(2) प्रभावित मछलियों का पोटेसियम परमैंगनेट से उपचार, और

(3) अनावृत्त जल में स्वच्छ स्थिति बनाए रखना।

शीतागार

647. श्री शरत चन्द्र पट्टनायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उड़ीसा में शीतगारों की स्थापना संबंधी संदर्शी योजना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

साम्प्रदायिक संगठन और साम्प्रदायिक दंगे

648. श्री शरद दिघे :

श्री पी० एम० सईद :

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

डा० असीम बाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अनेक साम्प्रदायिक संगठन विदेशों से धनराशि और सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या इस धनराशि का उपयोग देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए किया जाता है;

(ग) गत छः महीनों के दौरान देश में राज्य-वार कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए;

(घ) इसके फलस्वरूप जन-धन की कितनी हानि हुई; और

(ङ) सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों को रोकने और साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मानसून पर निर्भरता

649. श्री नीतीश कुमार :

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 में खरीफ की फसल के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न कर पाने का प्रमुख कारण मानसून है;

(घ) अपर्याप्त वर्षा के कारण देश के कौन-कौन से भाग प्रभावित हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) 1992-93 के लिए खाद्यान्नों तथा पटसन जैसी कुछ खरीफ फसलों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न किए जा सके जबकि खरीफ तिलहनों के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) 1992-93 के खरीफ फसल उत्पादन के अंतिम प्राक्कलन राज्यों से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, खरीफ फसलों को संभावित आकार के मौजूदा मूल्यांकन तथा निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

(मिलियन टन में)

फसल	लक्ष्य	संभावित उपलब्धि
खरीफ खाद्यान्न	103.25	100.0
खरीफ तिलहन	10.00	10.5
जूट/पेस्ता (प्रत्येक 180 किलोग्राम की मिलियन गांठ)	9. 2	7.5 से 8.0
कपास (प्रत्येक 170 किलोग्राम की मिलियन गांठे)	12.0	11.5 से 12.0

(ग) जी, हां।

(ग) पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में मानसून से पूर्व (मार्च से मई) 1992 में बहुत कम वर्षा होने के कारण पटसन फसल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र खासकर प्रमुख उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों, आंध्र प्रदेश के भागों तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितम्बर) 1992 के दौरान काफी कम वर्षा हुई।

(ङ) तथा (च) देश में कृषि के लिए मानसून पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करके तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में शुष्क तकनोलॉजी विकसित करके, एक दीर्घावधि नीति तैयार की है। सरकार, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के पुनर्गठन के माध्यम से तिलहनों तथा दलहनों जैसी शुष्क फसलों के उत्पादन को स्थिर करने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए गहन वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समग्र विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती रही है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाना

650. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने साहूकारों के चंगुल से आदिवासियों को छुड़ाने के लिए

कोई नया तरीका निकाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार समूचे देश में आदिवासियों के कल्याण के लिए इस तरीके को अपनाने हेतु विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत

652. **श्री भगवान शंकर रावत** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल और उर्वरक के दामों में वृद्धि होने से कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी;

(ख) यदि हां, तो डीजल और उर्वरकों के दामों में वृद्धि होने से पहले और उसके बाद मुख्य कृषि उत्पादों की क्या लागत थी;

(ग) क्या सरकार का विचार रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करके खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या योजनाएं बनाई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हाँ।

(ख) डीजल और उर्वरकों के दामों में वृद्धि के फलस्वरूप, विभिन्न कृषि जिंसों की उत्पादन लागत में वृद्धि में राज्य-दर-राज्य अन्तर होगा, जो वहां के उर्वरकों के प्रयोग के स्तर/पौधे के पोषक तत्वों जैसे एन०पी०के०, सिंचाई के स्रोत तथा मेकेनाइजेशन के स्तर पर निर्भर करेगा। अत: लागत में सुनिश्चित वृद्धि नए निवेशों के मूल्य द्रव्य विधान में किसानों द्वारा प्रभावित उपर्युक्त निवेशों के मिश्रण में परिवर्तन पर निर्भर करेगी। तथापि, प्रारम्भिक आकलन के अनुसार गेहूं के उत्पादन की लागत में प्रमुख उत्पादन राज्यों में 8 से 10 रुपए प्रति क्विटल तक बढ़ जाने की संभावना है। धान की उत्पादन लागत में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) और (घ) "उर्वरकों का सन्तुलित और समग्र प्रयोग" संबंधी योजना के तहत खाद के इस्तेमाल, आधुनिक तकनीकों के साथ समृद्ध खाद तैयार करना तथा हरी खाद का प्रवर्धन करने के संबंध में प्रदर्शन का आयोजन करके उर्वरकों के स्रोत के रूप में खाद के संवर्धन हेतु केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

दालों का उत्पादन

652. **श्री विजय नवल पाटिल** :

श्री कमल चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में दालों का कितना उत्पादन हुआ और इनकी मांग कितनी थी;

(ख) क्या दालों का उत्पादन इनकी मांग के अनुरूप नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इनका कितनी मात्रा में आयात किया गया है; और

(घ) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दलहन के उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है—

वर्ष	उत्पादन मिलियन मीटरी टन में
1989-90	12.86
1990-91	14.27
1991-92	12.05

देश में दलहनों की आवश्यकता लगभग 16 मिलियन मीटरी टन है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दलहनों के आयात का विवरण नीचे दिया गया है—

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	उत्पादन
1989-90 (अनन्तिम)	4.29
1990-91 (अनन्तिम)	12.73
1991-92 (अनन्तिम)	3.11
1992-93	2.20 सितम्बर, 1992 तक आयात के लिए नेफेड के साथ करार किया गया था।

(घ) दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और दूसरी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात् विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दलहन) चलाई जा रही हैं। पहली योजना सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बीजों के उत्पादन और वितरण प्रखण्ड स्तर पर प्रदर्शन आयोजित करने, पौधे रक्षण क्रियाकलापों, परिमार्जित फार्म उपकरणों, स्प्रिंकलर सेटों, राइजोबियम कल्चर आदि के लिए सहायता दी जाती है। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दलहनों) के तहत दाल उत्पादक बहुत से महत्वपूर्ण राज्यों में अरहर और चेन को पाड बोरर, कट वॉर्म, और दीमक से बचाने के लिए पौध रक्षण उपाय किए जाते हैं। इस योजना में ग्रीष्मकालीन दाल उगाने वाले राज्यों में बीज के मिनीकिटों के लिए भी सहायता का प्रावधान है।

[हिन्दी]

अफगानिस्तान से पलायन

653. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान में सरकार बदलने के बाद से वहां से कितने परिवार भारत में आए हैं;

(ख) इन परिवारों को भारत में किस जगह रखा गया है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे परिवारों की समस्याओं के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जून और अक्तूबर, 1992 के दौरान 15,568 अफगान राष्ट्रिकों ने भारत में प्रवेश किया।

(ख) भारत सरकार द्वारा अफगान राष्ट्रिकों के लिए भारत में कोई शिविर स्थापित नहीं किए गए हैं। बताया गया है कि वे गुरुद्वारों, सरायों, धर्मशालाओं इत्यादि के निकट प्राइवेट तौर पर गाड़े गए तम्बूओं में रह रहे हैं। उनमें से बहुत से अपने संबंधियों अथवा मित्रों के साथ भी ठहरे हुए हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) उनकी समस्याओं की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली में विचाराधीन कैदी

654. **श्री अवध कुमार पटेल :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर, 1992 तक की स्थिति के अनुसार विचाराधीन कैदियों की संख्या कितनी है जिन्हें पांच वर्ष तक हिरासत में अथवा जेलों में रखा गया है;

(ख) उन पर किस प्रकार के अपराध करने के आरोप हैं; और

(ग) उन्हें लम्बे समय तक हिरासत में रखने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, पांच वर्ष से अधिक समय से कैद विचाराधीन कैदियों की संख्या इस प्रकार है :—

को	दिल्ली की जेलों में	पुलिस हिरासत में
1 जनवरी, 1992	28	—
1 अप्रैल, 1992	36	—
1 जुलाई, 1992	43	—
1 अक्टूबर, 1992	54	—

(ख) विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत, उनके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध इस प्रकार हैं :—

	1 जनवरी	1 अप्रैल	1 जुलाई	1 अक्टूबर
भारतीय दंड संहिता	20	27	32	36
मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम	4	4	6	10
आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां अधिनियम	4	5	5	5
सरकारी गुप्त बात अधिनियम	—	—	—	1
सीमा शुल्क अधिनियम	—	—	—	2

(ग) उनके द्वारा विभिन्न कानूनों के अधीन किए गए अपराधों के संबंध में उन्हें न्यायिक हिरासत में रिमांड पर रखा गया है। कुछ तो इसलिए हिरासत में हैं क्योंकि जमानत का प्रबन्ध नहीं कर पाए हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कार्यक्रम

655. **श्री राम बदन** :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष रूप से आजमगढ़ और मऊ जिलों में निष्पादित कल्याण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपयोग के कार्यों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) संविधान के संशोधित अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के यथा निर्धारित कार्यों में कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल नहीं है।

(ख) से (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य की आमतौर पर सरकार द्वारा समीक्षा नहीं की जाती है। तथापि, आयोग राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसे सभा पटल पर रखा जाता है और जिस पर सदन में चर्चा की जाती है।

[अनुवाद]

तेल अन्वेषण का कार्यक्रम

656. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी व्यक्तियों को शामिल करके उनकी सहायता से तेल की खोज के कार्यक्रम में सुधार करने संबंधी कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित योजना क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अन्वेषण के क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उपायों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अनुरूप हों। चौथे दौर की बोली के अधीन सरकार ने 4 ब्लाकों के संबंध में संविदा देने की मंजूरी दे दी है। तेल एवं गैस की अन्वेषण के लिए निजी कम्पनियों की नियमित अन्तरालों में ब्लाक देने का भी प्रस्ताव किया जाता है ताकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इण्डिया लि० के अन्वेषण प्रयासों को बल दिया जा सके।

एच०बी०जे० पाइप लाइन का विस्तार

657. श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री राजवीर सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूलपुर (जिला इलाहाबाद) तथा गोरखपुर स्थित उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति हेतु एच०बी०जे० पाइप लाइन के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु इस पाइप लाइन के विस्तार की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गैस का संयंत्र उपलब्ध नहीं होना।

असम में "निर्धन हेतु शहरी मूलभूत सेवाओं" के अन्तर्गत विकसित किए गए शहर

658. श्री प्रबीन डेका :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष "निर्धन हेतु शहरी मूलभूत सेवाओं" के अन्तर्गत विकसित किए गए नगरों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन नगरों में किए गए विकास कार्यों और इस प्रयोजनार्थ आबंटित किए गए धन का नगर-वार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) निर्धनों के लिए शहरी मूल सेवाओं की योजनाओं का उद्देश्य निम्न आय परिवेशों में रह रहे शहरी निर्धनों को अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, पौषणिक अनुपूरण जैसी मूल सामाजिक सेवाओं को सुलभ कराना है। इनमें स्थित, शहरों और स्लमपाकिटों को राज्य सरकार द्वारा चुना जाता है। वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान आसाम की राज्य सरकार ने सिलचर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट शहरों को चुना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने 1990-91 और i991-92 के दौरान क्रमश: 21.60 लाख रुपये और 19.00 लाख रुपये मुहैया कराये हैं। किए जाने वाले क्रिया-कलापों का निर्धारण राज्य सरकारों और सम्बन्धित म्यूनिसिपल निकायों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

सरकारी कार्यालयों में अग्नि दुर्घटनाएं

659. **डा० असीम बाला** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में दिल्ली के विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या क्या है;

(ख) इनमें जान और माल की कितनी हानि हुई; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने बताया है कि जनवरी, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान उनको दिल्ली में 65 आग बुझाने की सूचनाएं प्राप्त हुई। जान की कोई हानि नहीं हुई। 12,35,550/- रु० मूल्य की अनुमानित सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(ग) एकीकृत भवन उप-नियम, 1983 तथा दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों तथा गगनचुम्बी इमारतों, इत्यादि सहित विभिन्न श्रेणी की इमारतों में विस्तृत अग्नि सुरक्षा उपाय तथा बच कर निकलने के रास्तों के होने का प्रयोजन है।

दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र बनाना

660. **श्री गुरुदास कामत** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने जिले बनाए जायेंगे; और

(ग) इन जिलों के गठन के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) संविधान (उन्नहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा पुनर्स्थापित संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए में यह प्रावधान है कि संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली को "राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली" कहा जाएगा।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

कृषि विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता

661. **श्री गया प्रसाद कोरी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यापक विकास हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि की सहायता दी है; और

(ख) इससे उत्तर प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों को लाभ मिला है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यापक विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता से कोई परियोजना नहीं है। तथापि, राज्य में विश्व बैंक की सहायता से निम्नलिखित परियोजनाएं चल रही हैं :—

परियोजना का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता की राशि	लाभान्वित क्षेत्र
1	2	3
1. राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-1	2.00 करोड़ रुपये	30 पश्चिमी जिले
2. राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-3	2.50 करोड़ रुपये	25 पूर्वी जिले
3. हिमालयी पनधारा प्रबंध परियोजना (30-9-92 को समाप्त)	33.67 करोड़ रुपये	टेहरी, गढ़वाल, पौढ़ी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा
4. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान	3.38 करोड़ रुपये	कृषि जलवायु वाले 10 आंचलिक अनुसंधान केन्द्रों

1	2	3
		को सुदृढ़ करने के लिए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के तहत कवर किया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात में तेल शोधक कारखानों की स्थापना

662. श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में सिक्का नगर तथा जाम नगर में स्थापित किए जाने वाले दो तेल शोधक कारखानों हेतु दस हजार करोड़ रुपए की परियोजना भेजी है;

(ख) क्या इन दोनों तेल शोधक कारखानों पर निजी क्षेत्र के दो उपक्रमों, इसार तथा रिलायन्स समूह द्वारा कार्य शुरू किया जाना है;

(ग) इससे प्रतिवर्ष रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे तथा अनुमानतः कितने तेल का उत्पादन होगा; और

(घ) ये तेल शोधक कारखाने कब तक स्थापित किए जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मैसर्स रिलाएंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स इंटरनेशनल पेट्रोलियम एस०ए० (बी०वी०आई०), स्वीटजरलैंड और मैसर्स एस्सार ने गुजरात राज्य में रिफाइनरियां स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी करने के बाद विवरण की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

दिल्ली में वर्ष 1979 के दौरान निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों का पंजीकरण

663. श्री संजय लाल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग फ्लैटों के लिए पंजीकरण आवेदकों की संख्या कितनी है तथा अब तक कितने आवेदकों को फ्लैट आबंटित किए गए हैं;

(ख) पूरे कागज जमा न करने के कारण रद्द किए गए फ्लैटों की संख्या क्या है तथा बाद में एक छोटे ड्रा द्वारा कितने फ्लैट आबंटित किए गए;

(ग) यदि हां, तो जिनके फ्लैटों का आबंटन रद्द किया गया ऐसे सभी आवेदकों के फ्लैट आबंटित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सभी आवेदकों को फ्लैट आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस प्रकार बताया है :—

श्रेणी	आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृतों की संख्या	उन पंजीकृतों की संख्या जिन्हें फ्लैटों का आबंटन किया गया है।
मध्यम आय वर्ग	47,521	20,620
निम्न आय वर्ग	67,502	39,763

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भूमि और मूल सेवाओं की उपलब्धता की शर्त पर 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी पंजीकृतों को फ्लैट आबंटित किए जाएंगे।

काजू उद्योग

664. **श्री के० पी० सिंह देव** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू उद्योग के विकास हेतु कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) काजू के विकास हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना कृषि मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 30 करोड़ रुपए की धनराशि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आबंटित की गई है। योजना के तहत कवर किए गए मुख्य राज्य आन्ध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि हैं।

योजना के मुख्य घटक निर्यात क्वालिटी की किस्मों के क्लोन सहित काजू पौधरोपण का विकास, पुराने तथा गैर-किफायती पौधरोपण का पुन: पौधरोपण, कृषि नियंत्रण उपाय प्रौद्योगिक अंतरण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभानुभोगियों के लिए विशेष कार्यक्रम आदि हैं।

बेंजीन के दामों में कमी

665. **श्री पी० सी० थामस** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोचीन तेल शोधक कारखाने में एक नया बेंजीन संयंत्र प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने में ऐसे संयंत्र हेतु ढांचागत एवं अन्य सुविधाएं मौजूद हैं; और

(ग) इस संयंत्र को चालू करने में कुल कितनी धनराशि व्यय होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ आधारभूत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) प्रस्तावित संयंत्र में लगभग 328 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों की मांग

666. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मौसमों के फलों और सब्जियों के उत्पादन और मांग के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बे मौसम में फलों और सब्जियों को उपलब्ध कराने हेतु इनके संभरण से मूल्यों में वृद्धि होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण नीति पर पुनः विचार करेगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) फलों और सब्जियों की बहुतायत के दौरान उनका भण्डारण करने और बेमौसम में उन्हें बाजार में उपलब्ध कराने से किसानों को ठीक कीमत मिल जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फसलोत्तर प्रसंस्करण के लिए भण्डारण सुविधाओं सहित बुनियादी सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दे रहा है।

[अनुवाद]

झींगा मछली पालन

667. **श्री गोपी नाथ गजपति** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में झींगा मछली के वर्तमान फार्मों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में झींगा मछली के व्यापार में गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) उड़ीसा में चार खाराजल मत्स्य पालक विकास अभिकरणों द्वारा झींगा मछली पालन के तहत अब तक 8472.24 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र लाया गया है।

(ख) जी, नहीं। उड़ीसा में झींगा उत्पादन 1988-89 में 6284 मीटरी टन था, जो बढ़कर 1990-91 में 7713 मीटरी टन हो गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसा प्रस्ताव है कि उड़ीसा में झींगा उत्पादन करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से "झिम्प और मत्स्य पालन परियोजना" के तहत और 1340 हैक्टेयर खाराजल क्षेत्र का विकास किया जाए।

सहकारिता अधिनियम की समीक्षा

688. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति** :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी समूह आवास निर्माण समितियों हेतु सहकारिता अधिनियम की समीक्षा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई गैस पाइप लाइन बिछाना

669. **श्रीमती केशरबाई सोनाजी क्षीरसागर** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में नई गैस पाइप लाइन बिछाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में वचनबद्धता की गई उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइनों को बिछाया जा रहा है। पुनश्च, पश्चिमी अपतट से दक्षिणी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए तकनीकि आर्थिक साध्यता की जांच के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीन दल का गठन किया गया था। सरकार ने दल की रिपोर्ट की जांच की तथा दक्षिणी क्षेत्र तक पाइप लाइन की अवधारणा को सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदित कर दिया गया है।

बिक्री कर में वृद्धि

670. श्री जीवन शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने बिक्री कर में प्रस्तावित वृद्धि को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिक्री कर में वृद्धि को लागू न करने के कारण कितनी हानि हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) हानि का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

671. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों को आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की प्रस्तावित अतिरिक्त आयात की अलग-अलग मात्रा क्या है; और

(ग) आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हानिकारक खेसारी दाल पर प्रतिबंध

672. श्री मोहन रावले :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत हानिकारक खेसारी दाल की खेती और उपभोग पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने खेसारी दाल पर से प्रतिबंध हटाने की अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें प्रतिबन्ध हटाने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : क और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंध खाद्य वस्तुओं की बिक्री के लिए विनिर्माण, भंडारण तथा वितरण पर लागू होते हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली 1955 के नियम 44 क के अनुसार खेसारी दाल की बिक्री, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना की तारीख से प्रतिबंधित है। बिहार, मध्य प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस उपबंध के अन्तर्गत खेसारी दाल की बिक्री पर रोक लगा दी है।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

तेल शोधक कारखानों में कच्चे तेल की कमी

673. श्री एन. जे. राठवा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन तेल शोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है, जो पिछले तीन वर्षों से कच्चे तेल की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या गुजरात में भी कुछ तेल-शोधक कारखाने कमी का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) पिछले तीन वर्षों में बिहार की बरौनी और असम की बोंगाईगांव रिफाइनरियों ने कच्चे तेल की कमी का सामना किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हल्दिया से बरौनी तक कच्चे तेल की पाइप लाइन बिछाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके बाद बोंगाईगांव रिफाइनरी को असम तेल क्षेत्रों से प्राप्त होने वाला क्रूड प्राप्त होगा।

[अनुवाद]

भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा अर्जित लाभ

674. डा० राजागोपालन श्रीधरन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को और अधिक सुविधाएं देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त लाभ निम्नानुसार है :

वर्ष	रुपए (करोड़ में)
1989-90	24.94
1990-91	22.72
1991-92	93.55

(ग) गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि० अपनी परिवहन और वितरण नेटवर्क का रख-रखाव कर रही है और उपभोक्ताओं को गैस की नियमित तथा विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

एम. सी. डी./एन. डी. एम. सी. में पदों की संख्या

675. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका में 1 अप्रैल 1992 को स्थायी और अस्थायी श्रेणी "क" "ख" "ग" और "घ" के पदों की कुछ संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक वर्ग में इस तारीख को कितने पद रिक्त थे;

(ग) 1991-92 के दौरान प्रत्येक वर्ग में रिक्त पदों पर कितने व्यक्ति भर्ती किये गये; और

(घ) भर्ती की प्रक्रिया अथवा भर्ती एजेंसी का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारिता प्रोत्साहन परियोजना

676. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सामाख्या द्वारा सहकारिता आन्दोलन को स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने तथा इसका विस्तार करने हेतु सहकारिता प्रोत्साहन परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी, हां। समूचे देश में सक्रिय और वचनबद्ध सहकारी नेताओं और प्रैक्टिसनर्स का एक क्षेत्र विकसित करने के लिए

सहकारिता/प्रोत्साहन परियोजना शुरू की गई है जो सहकारी पर्यावरण का सुधार करने में प्रमुख भूमिका अदा कर सकती है और करेगी। इस तीन वर्षीय कार्यक्रम का नेतृत्व एक तीन सदस्यीय सहकारी पहल सलाहकार पैनल द्वारा किया जाता है। यह पैनल देश के विभिन्न भागों में श्रेणीबद्ध कार्यशालायें आयोजित करेगा, जिनमें सहकारी सिद्धांत, सहकारी कानून, नीतियों और प्रणालियों पर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार की पहली कार्यशाला 10 और 11 अक्तूबर, 1992 को बड़ौदा में आयोजित की गई। तीन वर्षों के समाप्त होने तक इस प्रकार की 50 कार्यशालाओं को आयोजित कर लिए जाने की आशा है।

ऊसर में गैस टर्मिनल

677. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :**

श्री अनन्तराव देशमुख :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ऊसर में दूसरा गैस टर्मिनल स्थापित करने तथा बाम्बे हाई से अधिक गैस आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस आशय का एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से जून, 1992 में प्राप्त हुआ था।

(ग) गैस की उपलब्धता के भीतर पहले ही की गई वचनबद्धता को देखते हुए गैस का अतिरिक्त आबंटन नहीं किया जा सका।

काजू की खेती

678. **डा० सुधीर राय :**

श्री के० तुलसिऐया वान्डायार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान काजू की घरेलू खपत और निर्यात का ब्योरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान काजू का उत्पादन, राज्य-वार, कितना हुआ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में इस वर्ष के दौरान कितने अतिरिक्त क्षेत्र में काजू की खेती की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) भारत में काजू की घरेलू खपत लगभग 1,98,000 मी० टन है। 1991-92 के दौरान, काजू की गिरी का निर्यात 64,692 मीटरी टन था।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान काजू का राज्यवार उत्पादन नीचे दिया गया है :

राज्य	उत्पादन (मी० टन)
केरल	143200
कर्नाटक	26750
आन्ध्र प्रदेश	40360
तमिलनाडु	12710
गोआ	14490
महाराष्ट्र	31960
उड़ीसा	31840
पश्चिम बंगाल	3660
पांडिचेरी	290
त्रिपुरा	50
कुल :	305310

(ख) 1992-93 के दौरान, ऐसा प्रस्ताव है कि केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में 150 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को काजू की खेती के तहत लाया जाए।

मछुआरा समुदाय

679. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरा समुदाय से संबंधित विभिन्न संगठन केन्द्र सरकार से उनके समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का अनुरोध कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समुदाय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों में व्यापक संशोधन के संदर्भ में इस प्रस्ताव पर इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जा रहा है। वर्तमान सूचियों मे कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार केवल संसद के एक अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

बंगलादेश से अवैध आप्रवासन

680. श्री बीर सिंह महतो :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री शरद दिघे :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश से गैर-कानूनी आप्रवासन के मुद्दे पर हाल ही में विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । उक्त सम्मेलन के निर्णयों/सुझावों वाले संकल्प की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त को सघन बनाना, इसके "वाटर विंग" को मजबूत बनाना, सीमावर्ती सड़कों के निर्माण तथा सीमा पर बाड़ लगाने के कार्यक्रम को गतिशील बनाना राज्य सरकारों के लिए पी. आई. एफ./सबल कारंवाई बल योजनाओं को मजबूत बनाना, पहचान पत्र जारी करना, बीजा नियंत्रण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण, आदि सहित अनेकों उपाय, सम्मेलन के निर्णयों/सुझावों को लागू करने के लिए, किए गए हैं ।

विवरण

1. बंगलादेश से अवैध प्रवास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सम्मेलन में विस्तार से विचार किया गया और इसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जाने वाली एक प्रभावी रणनीति तथा एक अच्छी तरह समन्वित कारंवाई योजना तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।

2. सम्मेलन ने नोट किया कि बंगलादेश से विशाल स्तर पर हुए लोगों के प्रवास से कई गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिनमें देश के विभिन्न भागों में हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तन भी शामिल हैं । सम्मेलन ने इस बात पर चिन्ता जाहिर की कि उल्फा के बातचीत विरोधी धड़े सहित कुछ संगठन अवैध प्रवास को या तो प्रोत्साहित करते रहे हैं या उससे मूक सहमति रखते रहे हैं । ऐसी कारंवाइयों से राजनैतिक तथा प्रशासनिक, दोनों स्तरों पर सख्ती से निपटा जाना चाहिए ।

3. सम्मेलन ने प्रभावित क्षेत्रों में सामान्यत: रह रहे सभी लोगों का रिकार्ड रखने के लिए पहचान-पत्र योजना शुरू किए जाने के संबंध में केन्द्रीय कानून बनाए जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया क्योंकि इससे विदेशियों की पहचान में सहायता मिलेगी । सम्मेलन ने इच्छा प्रकट की कि कानून को अधिनियमित करने के लिए राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, अतिशीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए ।

4. सम्मेलन ने, भारत सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को इसके "वाटर विंग" सहित मजबूत बनाने सीमा पर सड़कों के निर्माण तथा बाड़ लगाने, बीजा संबंधी नियमों को कड़ा करने तथा बीजा नियंत्रण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए उठाए गए कदमों का समर्थन किया । सम्मेलन ने कुछ क्षेत्रों मे सीमा सुरक्षा बल तथा सबल कारंवाई बल को और मजबूत बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया ।

5. भारत में किसी भी ओर से विदेशियों के अवैध प्रवास के गंभीर सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी प्रभावों के बारे में जनता में जागरूकता

उत्पन्न करने की तात्कालिक जरूरत को सम्मेलन ने स्वीकार किया। इस उद्देश्य के लिए समाचार माध्यमों के इस्तेमाल के महत्व को सम्मेलन ने रेखांकित किया। इस प्रकार के अभियान का उद्देश्य, स्थानीय लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना होना चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की उपस्थिति के बारे में प्राधिकारियों को सूचित करने के लिए आगे आएं।

6. सम्मेलन ने, बंगलादेश के साथ हमारे निकट एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्वीकार किया और जोर दिया कि भारत में बंगलादेशियों के अवैध प्रवास को रोकने के लिए बंगलादेश की सरकार का सहयोग प्राप्त करने के लिए राजनयिक स्तर पर सभी जरूरी कदम उठाए जाना जारी रखना चाहिए।

7. सम्मेलन ने निश्चय किया कि समस्या उसे सख्ती से निपटने तथा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमन्त्रियों के स्तर पर इस प्रकार की बैठकें साल में कम से कम दो बार आयोजित की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

कृषकों के लिए विशेष योजनायें

681. श्री जनार्दन मिश्र :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटे और सीमांत कृषकों की सहायता करने के लिए विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यह योजना कब तक शुरू किए जाने का विचार है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) भारत सरकार ने छोटे/सीमांत किसानों के लाभ के लिए विशेष सहायता की घोषणा की है।

(ख) तैयार किए गए तथा योजना क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त की प्रति विवरण—1 के रूप में संलग्न है।

(ग) राज्यों को सहायता की प्रथम किस्त की निर्मुक्ति के साथ ही योजना का क्रियान्वयन औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया गया है।

(घ) योजना के तहत निधियों का राज्य-वार आवंटन दर्शाने वाला विवरण—2 संलग्न है।

विवरण—1

सरकार द्वारा घोषित विशेष सहायता योजना के तहत छोटे/सीमांत किसानों की सहायता के लिए राज्यों को सुझाई गई योजनाओं का मार्गदर्शी सिद्धांत

भारत सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों, जिनके पास वर्धित समर्थन मूल्य से लाभ लेने के लिए पर्याप्त विपणीय अधिशेष नहीं हैं, के विशेष हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। 470 करोड़ रुपए का राज्यवार आबंटन प्रत्येक राज्य में छोटे सीमांत किसानों द्वारा धारित क्षेत्र, फास्फेटयुक्त तथा पोटाश युक्त उर्वरक की कुल खपत तथा छोटे किसानों द्वारा इसकी प्रतिशत खपत पर आधारित है। 30 करोड़ रुपए की रकम पहाड़ी तथा सुदूर क्षेत्रों में किसानों को परिवहन के लिए राजसहायता देने के लिए अलग से रखी गई है।

छोटे/सीमांत किसानों के लाभ के लिए उपयुक्त योजनाओं को शुरू करने के लिए राज्यों को पर्याप्त नम्यता प्रदान करने का भारत सरकार का प्रस्ताव है। बहरहाल, भारत सरकार राज्य सरकारों के विचारार्थ निम्नलिखित निवेश/अवसंरचना निर्माण योजना प्रस्तावित करती है :

(1) उत्तर पूर्व में बीज की क्वालिटी/बीज उत्पादन का बफर स्टॉक तैयार करना।

(2) बंध/उथले नलकूप की व्यवस्था के लिए योजना;

(3) कपास के छोटे/सीमांत कृषकों के बीच छिड़काव सिंचाई प्रणाली;

(4) मृदा सुधार सहित भूमि विकास;

(5) कुक्कुट पालन, मात्स्यिकी, फल/सब्जियां आदि के लिए छोटे सीमांत कृषकों की सहकारी समितियों हेतु अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण;

(6) भण्डारण/खुदरा केन्द्रों में सुधार, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था, निम्न खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना;

(7) छोटे ट्रैक्टरों के उपयोग को बढ़ावा देना;

(8) उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण अवसंरचना का गठन; और

(9) जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना।

जहां अपेक्षित हो, राज्य सरकार उर्वरकों के वर्धित मूल्य को कम करने के लिए छोटे/सीमांत किसानों हेतु वर्धित सहायता पर भी विचार कर सकती है। राज्य सरकार, जो उपर्युक्त सुझाए गए उपायों से आगे योजना को बढ़ाना चाहते हैं, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श के बाद ऐसा कर सकते हैं।

मंजूर की गई उपर्युक्त योजना के लिए 1992-93 के वास्ते आपके राज्य का आबंटन··· करोड़ रुपए है। निधि की प्रथम किश्त शीघ्र ही निर्मुक्त की जा रही है। विभिन्न योजनाओं पर खर्च या घटकवार खर्च की प्रगति और सेवित लाभानुभोगियों की संख्या के आधार पर अगली किस्त की निर्मुक्ति की जाएगी।

मुख्य सचिवों को सलाह दी जाती है कि वे छोटे/सीमांत किसानों के लिए तैयार की गई योजनाओं तथा साथ ही नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए 1000 रुपए प्रति टन की दर से वितरण की

पहले की योजना का प्रबोधन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा घोषित लाभ किसानों को अविलम्ब उपलब्ध कराए जाते हैं । पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन इस मंत्रालय को भेजा जाए ।

विवरण—2

छोटे और सीमान्त किसानों के लिए केन्द्रीय सहायता से संबद्ध योजना के तहत निधियों का आबंटन 1992-93

राज्य	राज्यवार आबंटन (करोड़ रुपए में)
1	2
आंध्र प्रदेश	53.80
कर्नाटक	36.90
केरल	21.68
तमिल नाडु	53.82
गुजरात	20.66
मध्य प्रदेश	26.22
महाराष्ट्र	35.83
राजस्थान	16.52
गोवा	0.75
हरियाणा	13.95
पंजाब	25.33
उत्तर प्रदेश	70.88
हिमाचल प्रदेश	1.25
जम्मू और कश्मीर	2.26
बिहार	24.66
उड़ीसा	9.82
पश्चिम बंगाल	51.09
असम	1.95
त्रिपुरा	0.65
मणिपुर	0.50
मेघालय	0.18
नागालैण्ड	0.03
सिक्किम	0.05
अरुणाचल प्रदेश	0.04

1	2
मिजोरम	0.08
दिल्ली	0.19
चण्डीगढ़	0.03
दमन और दियू	0.04
पाण्डिचेरी	0.07
दादर और नगर हवेली	0.11
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.02
कुल	470.00

[अनुवाद]

हाजीरा में अपतटीय गैस

682. श्री काशीराम राणा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजीरा-बीजापुर-जगदीश पुर पाइपलाइन के संबंध में हाजीरा के सभी आश्वासनों को पूरा करने के लिए कुल कितनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता है;

(ख) जब ये आश्वासन किए गए थे तब हाजीरा में अनुमानित कितनी अपतटीय गैस उपलब्ध थी; और

(ग) क्या इस अनुमानित गैस में ताप्ती उच्च क्षेत्रों की गैस भी सम्मिलित है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1990 में जब अंतिम वचनबद्धताएं की गई थीं। उस समय अनुमानित उपलब्धता वर्ष 1994-95 तक 40 एम. एम. एस. सी. एम. डी. "फर्म" और "माल बैंक" उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक विविध घटकों का प्रयोग कर वचनबद्धताएं की गई थी।

(ग) अनुमानित उपलब्धता हजीरा गैस टर्मिनल और पाइपलाइनों की क्षमता में प्रस्तावित विस्तार के आधार पर थी न कि गैस की आपूर्ति के श्रोत पर।

उर्वरक राजसहायता

683. श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और सीमान्त किसानों को उर्वरक सहायता योजना के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार को कितनी धनराशि दी;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस धनराशि का पूरा उपयोग किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) छोटे और सीमान्त किसानों को उर्वरक राजसहायता देने की योजना केवल 1991-92 के दौरान कार्यान्वित की गई थी और गुजरात की राज्य सरकार को 11.525 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने 1991-92 के दौरान 2.846 करोड़ रुपए खर्च होने की सूचना दी है।

(घ) वित्तीय वर्ष के अंत में पहली किश्त खर्च होने की सूचना मिलने पर दूसरी और तीसरी किश्तें दे दी गई थीं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि इन के उपयोग के बारे में यदि कोई और ब्यौरा हो तो भेजा जाए।

[हिन्दी]

जम्मू तथा कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करना

684. श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री जगतवीर सिंह द्रोण :
श्रीमती केशर बाई सोनाजी क्षीरसागर :
प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर में समान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार ने कौन से आर्थिक, राजनीतिक और अन्य उपाय किए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. भारत सरकार राज्य में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए अपने संकल्प को निरन्तर दोहरा रही है। इस दिशा में कई पहल की गई हैं। राज्यपाल के सहायतार्थ और मदद पहुंचाने के लिए एक बहुदलीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। जिला स्तर की समितियों को सक्रिय बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। अभी हाल ही के महीनों में गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री सहित कई नेताओं ने घाटी का दौरा किया है। देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई है जिसमें राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। 27-10-92 से 29-10-92 तक के दौरान एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भी राज्य का दौरा किया। राज्य के भूतपूर्व विधायकों और सांसदों की एक बहु-पार्टी बैठक का आयोजन 7-11-1992 को स्थिति पर विचार करने और सामान्य स्थिति की बहाली तथा चुनावी प्रक्रिया की बहाली के लिए आगे बढ़ने में उनको शामिल करने के लिए किया गया था। चूंकि एक ही सत्र में सभी भूतपूर्व विधायकों/

सांसदों के साथ चर्चा करना व्यवहारिक नहीं था, इसलिए इस प्रकार की बैठकों को निकट भविष्य में करने का प्रस्ताव किया जाता है।

2. जम्मू व कश्मीर सरकार वित्तीय कठिनाई का सामना, विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों से राज्य में चल रहे उग्रवाद के कारण कर रही है।

3. वित्त मंत्रालय में एक अन्तर मंत्रालय दल का गठन तथा योजना आयोग में रंगराजन समिति का गठन, जम्मू व कश्मीर राज्य तथा अन्य राज्यों की वित्तीय कठिनाईयों को हल करने के तरीके सुझाने के लिए किया गया है। इस बीच, राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता और करों के हिस्से की मासिक किश्तें अग्रिम रूप में जारी कर रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण और ब्याज के भुगतान के रूप में उत्पन्न हुए खर्चे 165 करोड़ रुपए के हैं तथा पिछले वर्ष 144 करोड़ के बकाया खर्चों को स्थगित करके रखा गया है।

राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजना का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है। राज्य सरकार को स्थानीय प्रशासन को सक्रिय बनाने को सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई है ताकि विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

इसके साथ-साथ उग्रवादियों पर दबाव बनाए रखा जा रहा है ताकि बन्दूक का भय कम किया जा सके तथा जनता विश्वासपूर्ण होकर बाहर आए और सामान्य राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सके।

अभी तक उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप तथा सुरक्षा बलों द्वारा हाल ही में उग्रवादियों के खिलाफ प्राप्त सफलताओं के कारण जनता के सभी वर्गों में राज्य में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए आगे बढ़ने की गतिविधि और रुचि लेने के संकेत नजर आने लगे हैं।

फ्रांस की सहायता से आवास परियोजना

685. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आवासीय परियोजनाओं को सहायता देने के लिए फ्रांसीसी विशेषज्ञों के एक दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन आवासीय परियोजनाओं पर विचार किया गया;

(ग) क्या फ्रांसीसी सरकार आवासीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) शहरी विकास मंत्री के फ्रांस दौरे के परिणामस्वरूप फ्रांस सरकार ने 15 से 18 नवम्बर के दौरान एक 6 सदस्यीय मिशन भारत भेजा और फ्रांस सरकार से सहायता के लिए आवास, शहरी विकास और भवन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परियोजनाओं की पहचान हेतु मिशन ने शहरी विकास मंत्रालय के

अधिकारियों और विभिन्न एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श किया। मिशन जल आपूर्ति व सीवरेज, लाइट रेल परिवहन, भवन सामग्री और निर्माण के क्षेत्र में सहायता देने तथा इन क्षेत्रों में तकनीकी सहायता हेतु विचार करने के लिए सहमत हुआ। फ्रांस सरकार को प्रस्तुत करने के लिए चुने गए क्षेत्रों की परियोजनाओं के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

सरकारी कालोनियों में वर्षा के पानी की निकासी हेतु नालियां

687. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए बनी आवासीय कालोनियों में वर्ष 1992 के मानसून की शुरुआत से पूर्व वर्षा के पानी की निकासी हेतु नालियों की गाद/गन्दगी नहीं हटाई गई जिसके कारण पानी जमा हुआ और मच्छर पैदा हुए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सारी नालियों की गन्दगी/गाद हटाने के लिए अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाना

687. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर सड़क निर्माण तथा बाड़ लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो बाड़ लगाने तथा सड़क निर्माण की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) 1992-93 में इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) 1992-93 तथा आठवीं योजना की बाकी सालों में भारत-बांगलादेश सीमा पर सड़क निर्माण तथा बाड़ लगाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, महोदया।

(ख) 831.17 करोड़ रु०।

(ग) 91.27 करोड़ रुपये।

(घ)		1992-93	आठवीं योजना की शेष अवधि म
	सड़कें	350.67 कि० मी०	21.7.66 कि०मी०
	बाड़ लगाना	121.69 कि० मी०	713.94 कि०मी०
(ङ)	सड़कें	364.40 कि० मी०	
	बाड़ लगाना	86.10 कि० मी०	

केरल में हॉस्टल

688. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने हॉस्टल चल रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य में अधिक हॉस्टल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केरल में कोई साधारण पूल होस्टल वास नहीं है ।

(ख) से (घ) केरल राज्य में ऐसे होस्टल वास के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पात्र सरकारी कर्मचारियों से समग्र मांग और बजट नियंत्रणों पर विचार करने के पश्चात् निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किया जाता है ।

विघटनकारी गतिविधियों को रोकने हेतु तमिलनाडु को केन्द्रीय सहायता

689. श्री आर० जीवरत्नम् :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार का तमिलनाडु सरकार को राज्य में विघटनकारी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक सहायता देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : गृह मन्त्रालय ने, तमिलनाडु सरकार को उसके पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए निम्नलिखित राशि जारी की है :

वर्ष	जारी की गई राशि
	(लाख रुपए में)
1990-91	72.97
1991-92	131.17
1992-93	98.37

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए अनुग्रह-सहायता के रूप में वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की गई है।

पंजाब तथा कश्मीरी आतंकवादियों के बीच सांठगांठ

690. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू तथा कश्मीर के आतंकवादी

पंजाब के आतंकवादियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं और बदले में पाकिस्तान में इंटर सर्विसिज इंटेलीजेंस डाइरेक्टरेट से हथियार प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा बलों को पंजाब और कश्मीर के बीच सांठगांठ की जानकारी प्राप्त करने में सफलता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस प्रकार के दृष्टान्त ध्यान में आए हैं।

(ख) और (ग) सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों की गिरफ्तारी और पूछताछ से पता चला है कि पंजाब और कश्मीरी उग्रवादियों के बीच संबंध बढ़ रहे हैं।

———

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

(व्यवधान)

*श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पांजा साहब यहां बैठे हैं। आपके दूरदर्शन ने पार्शियलटी का व्यवहार किया है। कलकत्ता से ममता बनर्जी जी का न्यूज दिखा दिया और यहां 10 लाख लोग बोट क्लब पर पहुंचे हुए थे उनके बारे में नहीं दिखाया।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी आप बैठ जाइए। मेरी इजाजत के बिना जो बोलेगा वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं आपकी बात भी सुनूंगा। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। आप बहुत ही अच्छे ढंग से यहां चर्चा करने में प्रिजाइडिंग आफिसर की ओर स्वयं की भी मदद करते हैं मगर प्रश्नकाल होने के बाद जो एक घंटा होता है उसमें शायद एक दूसरे के साथ स्पर्धा होती है चर्चा करने की ओर उसका परिणाम यह होता है कि आप जो बोलते है वह रिकार्ड पर नहीं जाता है। इसका परिणाम यह भी हो जाता है कि आप गवर्नमेंट से जो रिस्पांस चाहते हैं वह आपको नहीं मिलता है। इसका परिणाम यह भी होता है कि जो सदस्य चुपचाप पीछे बैठे रहते हैं वह मुझे चैम्बर में आकर कहते हैं कि हमारा सदन में कोई दखल नहीं है। आप सुनिए, मैं आपकी मदद के लिए ही बोल रहा हूं। मेरी आपसे विनती है और आप देखिए आज मेरे सामने 41 आइटम्स हैं और किसी किसी आइटम पर तो बोलने वालों की संख्या करीब-करीब 8-9 हैं। आप 21 दिन के नोटिस से यहां सवाल देते हैं और गवर्नमेंट के पास से उनका लिखकर जवाब आता है। यहां प्रिंट होता है और आपके हाथ में आता है। उसमें से भी आप आज एक घंटे मे पांच सवाल ही कर सके हैं और अब जबकि सब सदस्य उठकर बोल रहे है तो 41 आइटम्स लेने की हमारी कोशिश कैसे पूरी होगी। मेरी आपसे विनती है कि आप हाउस में ऐसी स्थिति का निर्माण करें कि जो अहम प्रश्न हैं उसे आप एक के बाद एक रेज कर सकें। अगर आप ऐसा कर पाएगे तो आपकी बात भी

*कार्यवाहि-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रिकार्ड पर आ जाएगी। उत्तर भी चाहें तो आ सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बात हवा में रह जाएगी और रिकार्ड पर नहीं आएगी, उसका कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आज, कल या परसों इस अवर में किस प्रकार की चर्चा होनी है। इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए और जो भी आप तय करेंगे, वह आपके ऊपर भी बंधन रहेगा और मेरे ऊपर भी बंधन रहेगा। नहीं तो, ऐसा होता है कि जो अहम मसले होते हैं, वे पीछे रह जाते हैं और जो कम अहम मसले होते हैं वे आगे आ जाते हैं। वैसे तो सभी अहम मसले हैं, लेकिन कम आगे आते हैं।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर ऐसे चाहें तो ऐसा कर लेते हैं, नहीं तो मैं कहूंगा कि आप जैसे हाउस को चलाना चाहें, इस घण्टे में, वैसा चलाइये, हम चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप कालिंग अटेंशन ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठिए, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूं। जहां तक कालिंग अटेंशन और एडजर्नमेंट मोशन का सवाल है, आप तो स्वयं एक बहुत सीनियर मेम्बर है और जानते हैं कि उसके कुछ रूल्स होते हैं। कालिंग अटेंशन अर्जेन्ट पब्लिक परपजेज के लिए होता है और एडजर्नमेंट मोशन भी अर्जेंट पब्लिक परपजेज के लिए लाया जाता है। अब सवाल है कि उसके अन्दर अरजेंसी होनी चाहिए। ड्राउट का सवाल अर्जेन्ट है, और इसे मैं कालिंग अटेंशन में ले रहा हूं। मैंने मिनिस्टर साहब को भी बता दिया है, मगर ये सारी बातें आपको मालूम होना मुश्किल है क्योंकि उसके सारे नोटिसेज हमारे आफिस में आते हैं। इसलिए जो मैं यहां पर कह रहा हूं, उसे आप कृपा करके सुनिए। आप खुद की भी मदद कीजिए, हाउस की भी मदद कीजिए, हमको भी मदद कीजिए और ऐसा कीजिए ताकि आपकी बातें रिकार्ड पर आ जाएं, सरकार उस पर ध्यान दे सके। ये बातें बार-बार मैं नहीं कह सकता हूं। आज मैंने कह दिया है, एक-आध दफा और कह दूंगा, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दूंगा।

आज मैं एक एक माननीय सदस्य को बुला रहा हूं, जिनको बुलाऊं, वे उठकर खड़े हो जायें और मैं यह देखूंगा कि अगर कोई अहम मसला है और उसके ऊपर एक से ज्यादा मेम्बर्स के बोलने की जरूरत है तो उसको मैं थोड़ा पीछे रखूंगा ताकि जो दूसरे मसले हैं, उन पर एक-एक माननीय सदस्य बोलकर बैठ जाएं, मैं उनको पहले ले लूं और जिनको लेने में किसी तरह की मुश्किल न हो।

श्री अनन्तराव देशमुख (वाशिम) : अध्यक्ष जी, मैं इंडियन एयरलाइन्स के चालकों या पायलटस के विषय को यहां उठाना चाहता हूं, जो आई० पी० सी० ए० से ताल्लुक रखते है और जो अक्तूबर, 1992 से स्ट्राइक पर चले गए हैं तथा उनके बारे में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जितने पायलटस स्ट्राइक पर गए हैं, उनकी वजह से यात्रियों को बहुत नुकसान हो रहा है। हर फ्लाइट को रीशेड्यूल करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स को कैंसिल करना तो नित्य की बात हो गयी है। इन पायलट्स की मांग है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। वैसे तो हमारे यहां हर पायलट को लगभग 25 से 30 हजार रुपए प्रति माह मिलते हैं परन्तु इसमें भी वे और बढ़ोत्तरी किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जो प्राइवेट एयरलाइन्स के पायलट हैं, उनके बराबर उन्हें पैसा मिलना चाहिए जबकि हमारे पायलटस एक महीने में मात्र 40 से 50 घंटे की सिर्फ ड्यूटी करते हैं और प्राइवेट एयरलाइन्स के पायलटों से 80 घण्टे तक ड्यूटी कराई जाती है। इस विषय

की ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करना चाहता हूं कि आप इस मामले में सख्त कार्यवाही कीजिए ताकि इस तरह की बातों को दोबारा न दोहराया जा सके क्योंकि उनकी स्ट्राइक के कारण हमारे टूरिस्टस को और खासकर फोरेन टूरिस्ट्स को आज भारी तकलीफ हो रही है। उनकी तकलीफ शीघ्र दूर की जा सके, इसलिए मैं मन्त्री जी से मांग करता हूं कि वे इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करें।...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है, यह सरकार के ध्यान में ला दिया गया है।

...(व्यवधान)...

श्री पी० ओ० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र ने 31.10.1992 से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को हटाने के लिए कहा है। डा० पुरुचि थलायवी ने जून, 1991 में जिस दिन से मुख्य मन्त्री का कार्यभार संभाला है, उसी दिन से केन्द्र राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को हटाने के लिए निरन्तर दबाव डाल रहा है चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अन्यत्र आवश्यकता है। तमिलनाडु की मुख्य मन्त्री के जीवन को एल० टी० टी० ई० से खतरा कभी भी कम नहीं होगा। वास्तव में आज उनके जीवन को पहले से ज्यादा खतरा है। केन्द्र ने पंजाब के मुख्य मन्त्री श्री बेअंत सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करवा रखी है। तमिलनाडु की मुख्य मन्त्री का जीवन पंजाब के मुख्य मंत्री के जीवन से कम कीमती नहीं है और उनके जीवन को पंजाब के मुख्य मन्त्री के जीवन से अधिक खतरा है। पुलिस के उच्च अधिकारियों को यह बोध होना चाहिए कि आज देश में तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री वह वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं जिनके जीवन को सबसे अधिक खतरा है। मई, 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद मुख्य मन्त्री डा० पुरुची थालाइवी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की सेवा उपलब्ध कराई गई थी। तमिलनाडु की सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की सुरक्षा तब तक बढ़ा दी जाए जब तक कि राज्य सरकार अपना विशेष सुरक्षा ग्रुप तैयार नहीं कर लेती है, क्योंकि अभी तक पुलिस कर्मियों को बम निष्क्रिय करने जैसे कार्य और कमांडो का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। तथापि राज्य सरकार ने अपना विशेष सुरक्षा समूह तैयार करना आरम्भ कर दिया है।

इसके बावजूद भी आवधिक रूप से हरेक तीन महीने या इतने ही समय के अन्तराल पर केन्द्रीय गृह मन्त्रालय से बार-बार यह सन्देश आ रहे थे कि राष्ट्रीय गार्ड सुरक्षा हटानी होगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कार्मिकों की अन्यत्र जरूरत है। अन्त में केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा डाले जा रहे दबाव का सामना करने में असमर्थ रहने के कारण तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव अन्ततः राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की सेवा वापस करने पर सहमत हो गए यद्यपि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री को यह बात मालूम नहीं थी या उनसे इस बात की सहमति नहीं ली गई थी। भारत सरकार का दृष्टिकोण बहुत ही खेदजनक है। तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री मात्र अपने निजी कारणों से ही एल. टी. टी. ई. का विरोध नहीं कर रही है। वह राष्ट्रीय हित में एल. टी. टी. ई. से लड़ रही हैं। नए रूप से प्रशिक्षित विशेष सुरक्षा ग्रुप से इतने अल्प समय में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्तर तक पहुंच पाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तमिलनाडु की मुख्य मन्त्री को आवश्यक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है।

अतः मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बहाली करके तमिलनाडु की मुख्य मन्त्री को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की गई है।

एक माननीय सदस्य : गृह मन्त्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : यह बात माननीय सदस्य ने यहां पर उठाई है, वास्तव में मुझे इस बारे में पता करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि यह एक रूटीन पत्र है। ऐसा लगता है कि किसी अधिकारी ने यह पत्र लिखा है। मुझे इस बात की पक्की जानकारी नहीं है वह अधिकारी कौन है जिसने यह पत्र लिखा है। परन्तु इस पत्र की परवाह किए बगैर ही मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि तमिलनाडु की मुख्य मन्त्री को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की सुरक्षा तब तक जारी रहेगी जब तक कि वह चाहेंगी।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र को नागपुर स्थानांतरित करने का निश्चय किया गया है जो कि केन्द्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, राज्य सरकार ने इस संस्थान को राज्य में अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए दो एकड़ भूमि देने की पेशकश की है जो कि पंजाब राव कृषि विद्यापीठ की भूमि है। तथापि, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से आवर्ती खर्च का 50 प्रतिशत खर्च वहन करने का अनुरोध किया है। चूंकि अनुसंधान संस्थान का लाभ देश में सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराया जाएगा तो ऐसे में यह क्यों किया गया है कि जिस राज्य ने संस्थान के लिए भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई है, उसी को यह भार भी सहना चाहिए ? अतः राज्य सरकार 1989 से केन्द्र सरकार से इस मांग पर अधिक जोर न देने का अनुरोध कर रही है। चूंकि यह बातचीत, चर्चाएं आदि चल रही हैं अतः हम केन्द्र सरकार से उदार दृष्टिकोण अपनाने का विनम्र निवेदन करते हैं और साथ ही यह भी अनुरोध करते है कि वह राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि पर अपनी लागत पर उक्त संस्थान चलाए, क्योंकि इससे पूरे देश के लोगों को लाभ पहुंचेगा।

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान असम में चल रही गम्भीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, असम में अस्थिरता की बहुत गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। गुवाहाटी में भीड़भाड़ वाले पलन बाजार तथा दिसपुर, एम. एल. ए. होस्टल में हाल ही में हुए दो बम विस्फोटों में कई लोगों की जानें गई हैं तथा सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। गुवाहाटी के विस्फोट के बाद 22 तारीख की सुबह के बम विस्फोट से गौरंग नदी के हाई-वे पुल को क्षति पहुंची है तथा परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। इससे पहले अरुणाचल एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट में बहुत से लोग मारे गए हैं। बम विस्फोटों के अतिरिक्त अपहरण व धन की लूटपाट आदि की घटनाएं भी हो रही हैं।

इन बम विस्फोटों की तथा बिना वजह निर्दोष लोगों के मारे जाने की सभी शान्ति प्रिय लोगों द्वारा भर्त्सना की गई है।

इन सब घटनाओं से पता लगता है कि असम सरकार के इस दावे के बावजूद कि राज्य में शांति बहाल हो गई है, आतंकवादी गतिविधियां रुकी नहीं हैं।

आतंकवादी गतिविधियां लगातार हो रही हैं। इसके लिए राज्य तथा केन्द्र सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने समूची स्थिति को अव्यवस्थित कर दिया है सरकार 'अल्फा' समस्या का समाधान करने के अवसर का पूरी तरह से इस्तेमाल करने में असफल रही है जबकि उनमें से काफी लोगों

ने आत्मसमर्पण किया तथा आपस में मिल बैठकर बातचीत करने के लिए सहमत हो गए थे। सरकार इसमें पृथकतावादियों को अलग-थलग करने में भी असफल रही है।

बोडो और कारबी समस्याएं धीरे-धीरे बढ़ती जा रही हैं। बोडो मामले के प्रति सरकार की कुछ हद तक अप्रभाविकता तथा गम्भीरता की कमी के कारण बी. एस. एफ. को बढ़ावा मिल रहा है जो आतंकवादी गतिविधियों में लगी हुई है। इनको अलग थलग किया जाना चाहिए। कारबी मामले पर प्रस्तावित वार्ता नहीं हुई है और इसके विपरीत राज्य सरकार ने कारबी अंगलोंग जिला परिषद को भंग कर दिया है। सरकार की इस कार्यवाही से कारबी लोग और भी विमुख हो जाएंगे सरकार की इस ढुलमुल नीति और अधिकारिक कार्यवाही से उग्रवादी तत्वों को और बढ़ावा मिल रहा है।

लोकतांत्रिक तथा शान्ति प्रिय ताकतों की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सामान्य राजनीतिक गतिविधियों का दमन हुआ है। इससे उग्रवादी ताकतों को सहायता मिल रही है इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें असम तथा उस मामले में समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र विनाश के कगार पर खड़ा है।

मैं सरकार से स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं संयुक्त राष्ट्रों द्वारा क्यूबा के विरुद्ध लगाए आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र प्रशासन की यह नवीनतम कार्यवाही क्यूबा के विरुद्ध पिछले 30 वर्षों से लागू यू. एस. आर्थिक प्रतिबंधों के अतिरिक्त है जो क्यूबा डेमोक्रेटिक एक्ट के नाम से जाना जाता है यह अधिनियम प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। इसकी सर्वत्र भर्त्सना की गई है। यूरोपियन देशों ने भी अपने संकल्प में कहा है कि वे अमरीका के राष्ट्रपति के इस अधिनियम से द्विपक्षीय सबंधों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह यूरोपीय समुदाय के देशों अमरीका के बीच सहमत संबंधों के विरुद्ध है और यह अस्वीकार्य है। यह कार्य उनके क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्र को भी प्रभावित करता है इससे अमरीका की अपनी या नियंत्रित सहयोगी कम्पनियों, जो यूरोपियन देशों में स्थित है और क्यूबा से व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लग जाएगा। अभी दो दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके अमरीका के इस अधिनियम की भर्त्सना की गई है।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इस अधिनियम को सभी यूरोप देशों लैटिन अमेरिकी देशों ने और कई अन्य स्थानों पर इसकी भर्त्सना की गई है। लेकिन यह बहुत दुःख की बात है कि हमारी सरकार, जिसके क्यूबा से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। क्यूबा एक देश है। पिछले 30 वर्षों से हमारे उनके साथ बहुत अच्छे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हमने विश्वशांति और 'नान अलाइनमेन्ट मूवमेंट' में सभी विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन यह दुःख की बात है कि हमारी सरकार चुप्पी साधे हुए है।

इसलिए इस संसद के तथा इस सदन के माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर जितनी जल्दी हो सके निर्णय ले और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इस अधिनियम की भर्त्सना की जाए, जिससे न केवल आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं बल्कि सभी बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन और अन्य अन्तर्राष्टीय कम्पनियों से कहा गया है कि वे क्यूबा के साथ न तो कोई आर्थिक संबंध ही रखे और न ही किसी प्रकार का व्यापार करें।

[अनुवाद]

मुझे उम्मीद है कि सभा मुझसे सहमत है और सरकार तुरन्त कार्यवाही भी करेगी तथा हमारे मित्र देश का समर्थन करेगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमने निर्णय किया है कि केवल एक सदस्य इसे सभा के नोटिस में लाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मामला एक मित्र देश से संबंधित है जिसे और कुछ नहीं बल्कि विश्व के एक सबसे बड़े साम्राज्यवादी देश के राजनीतिक धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा है। भारत को आवाज उठानी चाहिये; भारत को अपने विचार स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने चाहिए। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में क्यूबा ने जो भूमिका अदा की, उससे सभी परिचित हैं। यह एक छोटा-सा देश है जिसके विरुद्ध यह साम्राज्यवादी शक्ति सभी प्रकार की गैर-कानूनी कार्यवाही कर रही है। हम इसे और कुछ नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी कहेंगे। इसीलिए भारत को अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। मैं श्री चन्द्रजीत यादव का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि सभा की इसमें दो राय नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : बिल्कुल नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभा के सभी पक्षों को इस कार्यवाही का समर्थन करना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : माननीय अध्यक्ष महोदय को सभी नेताओं को बुलाना चाहिए और संसद में एक संकल्प पारित करना चाहिए। इसे इसी तरीके से किया जाना चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं कहते ?

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस देश में 27 विश्वविद्यालय जाली तौर पर चल रहे हैं। मामला पहले भी सदन में उठाया गया था। इनमें से चार यूनिवर्सिटीज तो दिल्ली में ही चल रही हैं और वे हैं—तक्षशिला केन्द्रीय विद्यालय, उत्तम नगर, नई दिल्ली, कमर्शियल यूनिवर्सिटी, दरियागंज, नई दिल्ली, यूनाइटिड नेशन यूनिवर्सिटी, दिल्ली, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली। इस तरह की 27 यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की इजाजत के बगैर चल रही हैं। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ऐक्ट के सैक्शन 27 के तहत उनकी इजाजत लेनी चाहिए थी, लेकिन वह इजाजत नहीं ली गई। आपने भी सरकार को यह आदेश दिया था कि यह बहुत गम्भीर मामला है और हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एक यूनिवर्सिटी चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने कहा है कि इसके लिए कम से कम 6 महीने की कैद और एक लाख रुपये से दस लाख रुपये तक का जुर्माना निश्चित किया जाना चाहिए। मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इसी सैशन में यह बिल लाए, कानून बनाए और संशोधन करे ताकि ऐसी जाली यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके जो देश के नौजवान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गंभीर मामला है। कृपया इस ओर ध्यान दीजिए। हम चाहते हैं कि इस पर वक्तव्य दिया जाए। अगर 27 विश्वविद्यालय बिना अनुमति के चल रही है, तो यह एक गंभीर मामला है। इसमें तथ्य क्या है, सभी यह जानना चाहेंगी ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय पिछले कुछ महीनों से दूरदर्शन निर्माण कर्मचारी एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चला रहे हैं। अक्टूबर माह के शुरू में या सितम्बर के अन्त में मंत्री महोदय की आन्दोलनकारी कर्मचारियों के साथ एक बैठक हुई थी तथा उन्होंने एक पत्र भी उनको लिखा "जिसमें उन्होंने कहा है कि मामले बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं तथा एक समय सीमा का संकेत भी दिया जिसमें अधिकतर मामले सुलझाए जा सकें। लेकिन उसके पश्चात् कुछ भी नहीं हुआ और मनमाने तबादले करने के बहुत से मामले सामने आए। ऐसा मन्त्री महोदय द्वारा आश्वासन देने के बावजूद हुआ। अब दो कर्मचारियों के निलंबन करने के आदेश को लेकर स्थिति ने नया मोड़ ले लिया है। दूरदर्शन कर्मचारियों की अखिल भारतीय संयुक्त कार्यवाही समिति ने कहा है कि यदि आन्दोलनकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापिस नहीं लिया जाता तो वे दूरदर्शन प्रसारण को पूर्ण रूप से ठप्प कर देंगे।

मंत्री महोदय के पत्र को ध्यान में रखकर कोई भी यह सोच सकता है कि दूरदर्शन कर्मचारियों की कुछेक मांगें निश्चित रूप से विचार करने योग्य थीं। मंत्री महोदय ने उन्हें विचार के योग्य और बातचीत के जरिए सुलझाना उपयुक्त समझा। लेकिन उसके बाद भी मामले को इस प्रकार लटका रहा है। उदाहरण के लिए प्रसार भारती के मामले को ही लीजिए। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम सभी की एक राय है। उनकी मांगों में यह भी एक है।

अत: मैं, मंत्री महोदय से, जबकि वे यहां मौजूद हैं, यह जानना चाहता हूं। हम उनसे स्पष्टीकरण की मांग करते हैं कि जबकि मंत्री महोदय की उनके साथ बातचीत हुई थी उसके बाद भी यह मामला इस सीमा तक किस प्रकार पहुंचा। हम उनसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही न करने तथा कर्मचारियों के साथ मिल-बैठकर बातचीत के जरिए मामले सुलझाने का अनुरोध करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह आज 1 म०प० से प्रारम्भ होता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : मुझे माननीय सदस्यों से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में सूचना मिली है। इसी विषय पर एक सवाल सोमवार को उठाया जा रहा है। मैंने समूचे तथ्य मांगे हैं। आज सुबह मेरे पास एक प्रारूप आया था जिसे मैंने कुछ संशोधित करके वापस कर दिया है। इसे अन्तिम रूप देते ही, मैं, सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।

मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं कि जहां तक इस आन्दोलन का संबंध है। अब कर्मचारियों और स्टाफ से बातचीत चल रही है। उनमें से कुछ ने सार्वजनिक बैठक में खुलेआम यह धमकी दी थी कि वे प्रसारण बन्द कर देंगे। सरकार को प्रशासन चलाना होता है। वास्तव में कल दूरदर्शन पर ट्रेड्यूनियन और अन्य संबंधित मामलों का प्रसारण नहीं किया गया। सामान्य कार्य में बाधा पड़ रही है। हम संघर्ष का रास्ता अख्तियार नहीं कर रहे। लेकिन यह मांग आकाशवाणी

एवं दूरदर्शन के 35.000 कर्मचारियों में से 2500 कर्मचारियों ने उठाई है। अधिकांश कर्मचारी विभाजन और कुछ अन्य मांगों का विरोध कर रहे हैं।

इसलिए मैंने श्री कराधन अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। कर्मचारी समिति के समक्ष उपस्थित हुए। बातचीत चल रही है। अन्तिम निर्धारित तिथि 30 दिसम्बर है। इस तारीख तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। उनका कहना है कि कुछ मामले पिछले 1? वर्ष से लम्बित पड़े हैं। अब इन सब बातों की छानबीन की जा रही है। लेकिन ठीक उसी समय उन्होंने 'नियमानुसार कार्य' शुरू कर दिया और खुलेआम धमकी दी कि वे प्रसारण बन्द कर देंगे।

कार्यक्रमों का तत्काल सम्पादन नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों के एक छोटे से वर्ग की यह गैर पंजीकृत यूनियन है। लेकिन मैं जहां भी कोई न्यायोचित कदम उठाने की आवश्यकता है। वहां न्याय करना चाहता हूं। इसलिए मैंने एक समिति का गठन किया है। और जैसे ही समिति की रिपोर्ट मेरे पास आएगी मैं उसे सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा (**व्यवधान**)। जैसा कि मैंने बताया, इस बारे में बातचीत चल रही है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : आपने कहा है कि 15 दिन के अन्दर सभी मुद्दे निपटा लिए जाएंगे।

श्री अजित पांजा : नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा।

[**हिन्दी**]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, एक गम्भीर संकट बिहार मे पैदा हो गया है। 1962 ईस्वी में बरौनी में तेल शोधक कारखाने की शुरूआत हुई, बाद में उर्वरक और थर्मल की हुई। अभी तीनों बन्द होने के कगार पर हैं और जो अभी हालत है, उसमें कर्मचारियों के अलावा बिहार उर्वरक, तेल केरोसीन और संकट से तो गुजर ही रहा है, बिजली के उत्पादन में हम देश में शायद नीचे से प्रथम द्वितीय में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में कच्चा तेल आने में दिक्कत हो रही है। असम से कच्चा तेल आता था, उसमें कमी आ गई। हल्दिया से आने की बात हुई, पाइपलाइन भी पड़ी लेकिन उसमें भी अब खतरा मालूम पड़ रहा है। उसके विस्तार की सबसे अधिक गुंजाइश सबसे कम खर्चे पर रही है, मगर उसमें भी भारत सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

नये-नये उद्योग खोले गये हैं, तेल शोधन के, हमें उससे एतराज नहीं है। उर्वरक के भी खोले गये हैं, हमें उमसे भी एतराज नहीं है लेकिन कम खर्चे से विस्तार भी आप कर सकते हैं, उत्पादन को चालू भी रख सकते हैं, खर्चा कम पड़ सकता है, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, इसकी उपेक्षा की जा रही है। वहां के कर्मचारी, मजदूर लोग भी चल आये थे लेकिन यह उन्हीं का मामला नहीं है, देश का मामला है, सिर्फ बिहार का मामला नहीं है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा खासकर भारत सरकार से आग्रह करता हूं, अभी सम्बद्ध मंत्री इस पर अगर वक्तव्य दें, सदन के सामने आयें, आप दें या नहीं हो तो एकाध दिन के अन्दर, कल दे दें ताकि लोग जान सकें कि क्या भारत सरकार जानबूझकर इनको धीरे-धीरे बन्द कराना चाह रही है या इनको कायम रखना, इनका विस्तार करना देश के हित में, बिहार के हित मे, मजदूरों के हित में और जन गण के हित में इसको चाह रही है। चूंकि मामला गम्भीर है, मैं हल्ला करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर इस पर सरकार रुख नहीं लेगी कोई निश्चित नीति का निर्वाह नहीं करेगी, कम से कम संसदीय कार्य मंत्री हैं, मैं चाहूंगा, इस पर वह सदन को आश्वस्त करें कि ऐसे

विशाल तीनों कारखानों के ऊपर जो खतरा बना हुआ है, जो हमारे पुराने कारखाने बन्द हैं, उसकी ओर मैं नहीं कह रहा हूं। मैं चाहूंगा, वह कहें कि क्या वक्तव्य दिलाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, इसके ऊपर क्वश्चन भी था, मैं आपको बोलने का मौका भी दे रहा हूं। हमने अभी ऐसा तय किया है कि एक विषय पर एक ही बोले, दूसरे अगर इसके ऊपर बोलना चाहें तो उसके ऊपर डिस्कशन रखेंगे इसलिए आप ही सिर्फ इसके ऊपर बोलेंगे।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार अकाल की स्थिति मे पहुंच चुका है। बिहार सरकार ने सूखे की स्थिति को देखते हुए पूरे बिहार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है और 50 जिलों में से 43 जिलों के 300 प्रखण्ड वहां पूरी तरह प्रभावित हैं।...

12-30 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

• [हिन्दी]

वहां की राज्य सरकार ने जो आंकड़े अपनी मशीनरी के माध्यम से इकट्ठे किए हैं उसके मुताबिक इन तीन सौ जिलों में 60 फीसदी से भी अधिक का नुकसान हुआ लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकारी मशीनरी भी हर स्थिति में कम करके किसी चीज को दर्शाती है तो सरकार का जो अपना आंकड़ा है उसके हिसाब से जो फीगर है वह 60 फीसदी तक नुकसान का है लेकिन एक-एक आदमी वहां का जानता है कि तीन सौ इलाकों में 90 फीसदी से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें से 178 ब्लाक ऐसे हैं जहां पूर्ण रूप से नुकसान हो चुका है। अब ऐसी स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई है यहां पर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, खास करके पलामू जिले में सोमालिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसके बारे में वहां के समाचार-पत्रों में लगातार यह खबरें आती रही है लेकिन केन्द्र की सरकार सोई रही। वहां की सरकार के आग्रह करने पर यहां से एक टीम गई थी लेकिन जो टीम गई उस समय हथिया की वर्षा की उम्मीद थी उसी समय चली गई इसलिए उसका आंकलन सही नहीं हो पाया और जिस समय टीम गई थी तो बिहार की सरकार ने 11 सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग की थी और आज हथिया के फेल कर जाने के बाद वहां पर मांग की गई है साढ़े 12 सौ करोड़ रुपये की। यह मांग भी बिहार के लिए नाकाफी है वहां कम से कम दो हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की जरूरत है। अब भी हम लोग इस सवाल को उठाते हैं, अभी ड्राउट प्रोन ऐरिया से संबंधित एक सवाल था वह सवाल था 49 प्रखंडों के लिए, उसके जवाब में जब भी कोई सवाल उठता है तो एक केलामिटी रिलीफ फंड की बात करते है कि केलामिटी रिलीफ फंड बना दिया गया है, नौवे वित्त आयोग की अनुशंसा के मुताबिक और उसके मुताबिक इस साल की पूरी राशि जो केन्द्र को देनी थी उसको बिहार सरकार को दे दिया है यह जवाब हमेशा मिलता है। लेकिन इस 32 करोड़ से केन्द्र का हिस्सा 26 करोड़ पड़ता है इस 26 करोड़ से बिहार के अभूतपूर्व सूखे का सामना नहीं किया जा सकता है। जिस पलामू जिले की हमने चर्चा की, पलामू जिले में, नालंदा जिले में; नवादा, पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद इन तमाम जिलों में और दूसरे सभी 43 जिलों की जो स्थिति है वहां जो अब तक का सबसे बड़ा सूखा पड़ा 1966-67 में जो सूखा पड़ा था उससे भी भयानक सूखा था।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब 1966-67 में सूखा पड़ा था उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जीवित थे और उनकी अध्यक्षता में बिहार रिलीफ कमेटी बनी थी

और दुनिया भर से करोड़ों रुपये की सहायता मिली थी और बड़े पैमाने पर राहत का काम हुआ था लेकिन उससे भी भयानक सूखा पड़ा है। इस समय केन्द्र सरकार उसकी अनदेखी कर रही है और जब भी हम लोग सवाल उठाते है तो यह जवाब मिलता है, केलामिटी रिलीफ फंड का, कि इससे सामना नहीं किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर पशु मरेंगे, बड़े पैमाने पर लोग मरेंगे। पीने के पानी का संकट उत्पन्न होगा, संक्रामक बीमारियां फैलेंगी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि सरकार उस पूरे बिहार की स्थिति को देखते हुए पूरे बिहार को अकालग्रस्त घोषित करे और साथ ही साथ उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। जब तक राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाएगा, नेशनल केलामिटी घोषित नहीं किया जाएगा तब तक बड़े पैमाने पर सहायता नहीं की जा सकती है और बड़े पैमाने पर सहायता देश और विदेश की जब तक मुहैया नहीं की जाएगी तो आज हम हिन्दुस्तानी दूरदर्शन पर रोज सोमालिया का चित्र देख रहे हैं कल बिहार के लोगों का भी चित्र, कुछ हिस्सा उड़ीसा का, कुछ आन्ध्र प्रदेश का चित्र आपके सामने आएगा और देश की तस्वीर दुनिया में खराब होगी।

आज सवाल इसका नही है कि कौन पार्टी वहां शासन में है सवाल है कि वहां की मानवता कराह रही है उस मानवता की रक्षा करने का प्रश्न है। वहां की सरकार से शिकायत हो सकती है (व्यवधान) वहां की सरकार को डिसलाज करना आपकी नीयत हो सकती है लेकिन वहां के लोगों को मार करके ऐसा काम नहीं होना चाहिए। वह सरकारों का सवाल नहीं है यह पूरे देश का सवाल है। हम आपके माध्यम से सरकार से अपील करेंगे कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और आपसे आग्रह करेंगे कि हमने इस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव भी दिया है इसको मंजूर किया जाए। हालांकि आपके सेक्रेटेरियेट के माध्यम से हमको सूचना दी गई है कि आपका कार्य-स्थगन नामंजूर कर दिया गया है।

आपने बोलने का मौका दिया हम आपसे आग्रह करेंगे कि या तो आप कार्य-स्थगन मंजूर करके इस पर चर्चा कराइए या इस पर अलग से वाद-विवाद कराइए ताकि वहां की पूरी स्थिति की चर्चा हो सके और केन्द्र की सरकार जो कोताही बरत रही है, वहां जो टीम गई उसने जो तत्काल 43 करोड़ रुपए की राहत की सिफारिश की वह भी नहीं दी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां के वित्त मन्त्री श्री मनमोहन सिंह अभी पटना गए थे। वहां पर इन्होंने बयान दिया, पब्लिकली बयान दिया कि एक पैसा मदद भी बिहार को नहीं देंगे, यह कैसी राजनीति हो रही है। वहां पर करोड़ों लोग अकाल की चपेट में हैं, लाखों लोग मरने वाले हैं, लाखों जानवर मरने वाले हैं, पीने का पानी नहीं है, ऐसी स्थिति वहां पर है और वित्त मंत्री जी वहां पर जाकर कहते हैं कि एक पैसा भी मदद नहीं देंगे और जो पैसा दिया है केलेमिटी रिलीफ फण्ड का पुराना पैसा काटा जा रहा है, वहां बिजली की घनघोर स्थिति है, आज बिजली देनी पड़ेगी लेकिन यहां पर एन टी पी सी के बकाया पैसे के नाम पर दूसरी जगहों से बिजली बिहार जा रही थी, उसको काटने का काम हुआ। बिहार में सुखाड़ हो रहा है, उसका सामना कैसे होगा, रबी के लिए माइश्चर नहीं बचा है, आपको आश्चर्य होगा वहां ओस नहीं गिर रही है। जाड़े के दिनों में जो फूल खिलते थे, वे नहीं खिल रहे हैं, इतनी भयानक स्थिति वहां पर हो गई है। ऐसी स्थिति में वित्त मन्त्री जी वहां पर इस तरह का गैर-जिम्मेदारी पूर्ण बयान दे रहे हैं। कृषि मंत्री और राहत मंत्री ने कह दिया कि हमने जो वहां करना था वह हम कर चुके हैं, यह स्थिति बहुत खतरनाक है और इस तरह की राजनीति यहां पर हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि तत्काल इस पर चर्चा कराई जाए और पूरी इस पर चर्चा हो और केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि इसको

तुरन्त राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा से अनुरोध किया है कि यदि वक्ता अपने भाषणों को छोटा कर दें तो कई अन्य सदस्य भी वाद-विवाद में भाग ले सकेंगे। होता यह है कि यदि किसी को बोलने का अवसर मिल जाता है तो वह अपना भाषण लम्बा करता चला जाता है जिससे अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता है। यदि आप लोग अपने भाषण छोटे कर दें तो कई अधिकाधिक सदस्यों को वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना भाषण छोटा कर दें।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : हम तीन दिन से नोटिस देते आ रहे हैं लेकिन हमें इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सूखे पर चर्चा के बारे में तो बोल दीजिए (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, जहां तक सूखे के मामले का संबंध है, इस विषय पर एक सदस्य बोल सकता है। यह निश्चित है। शून्य काल का प्रयोजन यह है इस दौरान सरकार की जानकारी में अमुक मामले को लाया जाए ताकि सरकार सदस्यों द्वारा उठाए गए मामले से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित कारंवाई कर सके। शून्य काल का यही प्रयोजन है। लेकिन यदि आप 377 के अन्तर्गत दिए गए विवरण को पढ़ना जारी कर दें तो इसका तो कोई अन्त ही नहीं होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। इस प्रक्रिया से हमारा अमूल्य समय बरबाद होता है। जब तक आप अपना भाषण समाप्त कर पाएंगें तब तक कई सदस्य बोलने के अवसर से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया अपना भाषण संक्षिप्त करें। आप अपनी शिकायतें उठा सकते हैं और सरकार आपकी बात सुनेगी उस पर कार्यवाही करेगी। माननीय सदस्य ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है। इस प्रयोजनार्थ दोनों पक्षों को अपनी बोलने की शक्ति नहीं गंवानी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सूखे पर, बिहार में जो सूखा पड़ रहा है, उस पर डिस्कशन के बारे में तो बोल दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार जी बिहार में सूखे की स्थिति वास्तव में गम्भीर है।

आपने यह स्थिति स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी है और यह स्थिति सरकार की जानकारी में भी आ गई है।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 'बिहार में सूखे की स्थिति' पर चर्चा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अगर आप एडजार्नमेंट मोशन नहीं लेना चाहते तो इसके 193 में से लीजिए या स्पेशल डिसकशन करवा दीजिए।··· (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : हम अनुशासन से बात करना चाहते हैं तो हमे बात करने के लिए समय नहीं मिलता, जो बार-बार बोलते हैं उन्हें अपनी बात कहने का समय मिलता है।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सरकार की बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय हम देश मे बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने के लिए पहले ही सहमत है और बाढ़ के साथ सूखे की स्थिति पर भी चर्चा करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा कि हम देश मे बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अब इस मामले पर चर्चा करना चाहेंगे ?

श्री गुलाम नबी आजाद : हम उर्वरकों के मूल्य, गेहूं आयात के मुद्दे पर पहले ही चर्चा कर रहे है। हो सकता है हम इस मुद्दे पर आज चर्चा न करके अगले सप्ताह चर्चा करें।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में 7 व्यक्तियों को गोली से मार दिया गया इस ओर मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा मुद्दा व्यवस्था के प्रश्न से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल में व्यवस्था का कोई मुद्दा नहीं होता।

श्री राम नाईक : वहां व्यवस्था का मुद्दा कैसे हो सकता है ?

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : सात लोगों को गोली से उड़ा दिया गया। एक पैसा भी उनको कम्पनसेशन का नहीं दिया गया··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : महोदय, आप केवल विपक्ष के सदस्यों को ही बोलने का अवसर दे रहे हैं। हमने दो दिन पहले सूचना दे रखी है।···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से तो समय बर्बाद हो जाता है।

श्री जगमीत सिंह बरार : केवल विपक्ष के सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दी गई है। परन्तु हमें बोलने की अनुमति नहीं दी गई।···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(**व्यवधान**)

श्री जगमीत सिंह बरार : यह तो घोर अन्याय की बात है। हमने भी तो सूचना दे रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि सूखा और बाढ़ काफी महत्वपूर्ण विषय हैं और नेताओं से परामर्श करने के बाद इन पर व्यापक चर्चा किए जाने के लिए समय आबंटित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि नेतागण भी इससे सहमत होंगे। इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा है कि एक मुद्दे पर केवल एक ही सदस्य को बोलना चाहिए। यह आपसी समझ की बात है। यहां पर क्या हो रहा है?

श्री जगमीत सिंह बरार : तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि देश के बाजार में कपास के मूल्यों में कमी आई है और किसान को गतवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 500 रुपए कम मिल रहे हैं। यह भारी चिन्ता की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : बेहतर यह होगा कि उन्हें अच्छा अवसर मिलना चाहिए।

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अयोध्या के बारे में क्या हो रहा है। वहां पर स्थिति विस्फोटक होती जा रही है ··(**व्यवधान**)··· मैंने एक सूचना दे रखी है। कृपया पहले मुझे यह मामला उठाने दें···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में सात व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया गया···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यहां पर असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा। कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए···

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। इस समय हमारे सामने कोई विशिष्ट विषय नहीं है। यह शून्यकाल है और शून्यकाल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। हमें अपने सामान्य कामकाज पर ही ध्यान देना होगा ।

···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप महसूस करते हैं कि यहां पर असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उन असंसदीय शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाला जा रहा है। मैंने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। इसलिए आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्रक्रिया से तो केवल समय व्यर्थ होता है और जिन लोगों की ऊंची आवाज नहीं है, वे अपनी बात नहीं कह सकते।···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, यदि किसी सदस्य ने असंसदीय शब्द कहे हैं, तो मैंने उन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल देने का आदेश दे दिया है ·

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, क्या आप सोचते हैं कि अयोध्या और मुर्शिदाबाद में एक जैसी बात है ? ··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई असंसदीय शब्द कहे गये है तो मैंने उन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकालने का आदेश दे दिया है···।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : पश्चिम बंगाल में जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यदि सभा में अयोध्या पर चर्चा हो सकती है तो सभा में किसी बात पर भी चर्चा हो सकती है। ये लोग इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ··(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : वहां की सी० पी० एम० की पार्टी ने उसके लोगों ने वह काम किया ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह श्रमिकों के अधिकार का हनन है। माननीय मंत्री श्री अजीत पांजा जी यहां पर विद्यमान हैं। उन्हें इस पर अपना उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, हमें इनकी बात को सुनना चाहिए। कृपया इनको अपनी पूरी बात कहने की अनुमति दी जाए।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सज्जनों, एक बजने में थोड़ा समय ही बाकी है। एक बजते ही शून्यकाल समाप्त हो जाएगा। बहुत से माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की परेशानियां सभा में रखना चाहते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से हमें क्या मिला है? हमें कुछ नहीं मिला है।···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्य महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कल लाखों श्रमिक बोट क्लब पर एकत्रित हुए थे। इसे दूरदर्शन पर नहीं दिखाया गया। श्री अजीत पांजा यहां पर विद्यमान हैं। इन्हें इस बात को सुनकर इस पर अपना उत्तर रखना चाहिए। यह एक गंभीर मामला है··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, श्रमिकों की समस्या पर सभा में कल ही चर्चा हुई है। आप इसी मामले को दोबारा उठा रहे हैं। कृपया दूसरों को भी बोलने दीजिये।

(**व्यवधान**)

श्री जगमीत सिंह बरार : केवल ये लोग ही श्रमिकों के हितों के रक्षक नहीं है। हमारी तो उपेक्षा की जा रही है।···(**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, हमें बोलने का अवसर मिला ही नहीं है। मैं एक आत्रामक लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्सें आंदोलन कर रही हैं। उन्हें काफी समय से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। इस संस्थान में हजारों नर्सें काम करती हैं परन्तु उनमें से केवल 150 नर्सों को ही सरकारी मकान उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकतर नर्सें इस सुविधा का अभाव झेल रही हैं। इनकी समस्याओं की सुनवाई की जानी चाहिए।···(**व्यवधान**)

श्री गुमान मल लोढ़ा : मुर्शिदाबाद में इन्होंने मुसीबत पैदा कर रखी है। ऐसे कई मामले हुए हैं। पुलिस कार्रवाई करने में असफल रही है।···(**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस : महोदय, हमें बोलने का अवसर नहीं दिया गया है। कृपया हमें भी बोलने दीजिए।···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोर्चा है। हमें अपने आपको अनुशासन में रखना चाहिए। दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, हमें सूची का ही पालन करना चाहिए।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं निवेदन कर रहा था कि एक वह युग था जब मुर्शिदाबाद अपनी मलमल के लिए प्रसिद्ध था, वहां के पान प्रसिद्ध थे नजाकत के लिए। आज पान की पीक की जगह इनसानों के खून की पिचकारियां निकल रही हैं। 2 नवम्बर को वहां गोलीकांड हुआ उसके बारे में···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की भारी मांग है।··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बरार जी, आपको बाद में बोलने का अवसर मिलेगा। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार : यह जोरदार तरीके से आपके माध्यम से मैं देश की हुकूमत को कहना चाहूंगा। यह अभी नहीं हुआ। 500 रु० प्रति क्विंटल कपास का भाव देश की मण्डियों में गिर चुका है। एक तरफ नीतियों की बात है और दूसरी तरफ सबसीडी पर विदड्राल की बात हो रही है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, इन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बरार की बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जा रही।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हम चाहते है कि शून्यकाल को बिना किसी विशिष्ट कार्य के समाप्त कर दिया जाये। तब इसके लिए हम जो प्रक्रिया अपना रहे है, वह बिल्कुल सही, उत्तम और उत्कृष्ट है। पर क्या सभा के सभी माननीय सदस्य इस बात को पसंद करेंगे। यदि हम अपने आपको अनुशासन में नहीं रखते, तब और कोई हमें कैसे अनुशासित कर सकता है? इस तरह से शोर मचाने से हमने कौन सी सफलता प्राप्त कर ली है? हमने अपनी शक्ति केवल व्यर्थ में ही गंवाई। जब श्री नीतीश कुमार बोल रहे थे, तो सभा बहुत ही शान्त थी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आप सभी से अपील की है कि सभा में अनुशासन बनाये रखें, ताकि महत्वपूर्ण मामले सरकार के ध्यान में लाए जा सकें। सरकार भी यह सुनने के लिए उत्सुक है कि देश में क्या-क्या घटनायें घटित हो रही हैं। पीठासीन अधिकारियों से यह उम्मीद की जाती है कि उन्हें कम बोलना चाहिए और इसलिये मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि सभा में अनुशासन कायम करना चाहिए, ताकि हर किसी को बोलने का अवसर मिल सके। हमें एक-बजे प्रश्न-काल समाप्त कर मध्यान्ह-भोजन के लिए सभा स्थगित करनी होगी। अब, श्री गुमान मल लोढ़ा अपनी बात रखेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि किसी युग में मुर्शिदाबाद की अपनी सुन्दर मलमल बहुत प्रसिद्ध थी लेकिन अब पान की पीक की जगह इनसान के खून की पिचकारी यहां देखने को मिली है। मुझे, इस बात का दुख और वेदना हुई। वहां पर 2 नवम्बर को हरिहरपुरा में कुछ ग्रामीण लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे जिसमें ग्रामीणों में आर० एस० पी० का

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष था। यह पार्टी सी. पी. एम. राज का एक भाग है। उसी आर. एस. पी. के अध्यक्ष की सदारत में 5 हजार लोगों का जुलूस निकाला जा रहा था कि पिछले छः महीनों में यहां पर 100 से अधिक हत्यायें हुई, रेप हुए, डकैती की गयीं और उन लोगों ने कहा कि भगवान के लिए हमें बचाइए···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यदि आप हमें किसी बात का खंडन करने की अनुमति नहीं देंगे, तो यह अच्छी बात नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जुलूस निकलकर वहां गया। ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर हरिहरपुरा के सामने (व्यवधान)···मैं स्वयं वहां देखकर आया हूं और मेरे साथ 5 एम. पीज होकर आए हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाइए।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं तर्कसंगत बात कर रहा हूं लेकिन आप तर्कों से परे जा रहे है चूंकि वहां पर आप की ही सरकार है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योतिबसु से बात की है। यह स बने स्वीकार किया कि निरपराध 7 व्यक्ति इस गोली कांड मे मरे··(व्यवधान)

1.00 म० प०

श्री गुमान मल लोढ़ा : यहां एक भी पुलिस का आफिसर या सरकार की तरफ से आफिसर नहीं आया।···(व्यवधान)···गंभीर संगीन चोट लगी थी।

श्री बसुदेव आचार्य : शंकर नियोगी की जहां हत्या हुई, वहां आपकी सरकार ने क्या किया, उसका यहां हाऊस में जवाब दें।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अत्यधिक अनुचित है। हम इसे सहन कर रहे हैं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं नहीं मान रहा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह लोक सभा का दुरुपयोग है।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लोढ़ा साहिब आपने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है। मैं श्री सोमनाथ जी को बोलने के लिए कहूंगा। आप कितनी देर बोलेंगे? मैंने सोमनाथ जी को बोलने लिए कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ज्योति बसु से कहा है कि मैं मृत सेन की

पत्नी से मिला हूं। वह चिल्ला-चिल्लाकर कह रही थी कि मेरी शादी हुए 14 महीने हुए, मेरे पेट में आठ महीने का बच्चा है। एक महीने बाद जब वह होगा तो मैं काम कैसे करूंगी, कौन सेवर कराएगा, कौन बच्चा कराएगा ?...(व्यवधान)...मेरा कहना है कि वहां पर 7 परिवारों के जो लोग मारे गए हैं उनको कम्पनसेशन दिलाया जाए। जो गांव के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए... (व्यवधान)...गृह मंत्री वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरे दल का नाम लिया है और मेरे दल के विरुद्ध बेबुनियादी आरोप लगाए हैं, मेरा कर्तव्य है कि एक या दो शब्द कहने के लिए आपकी अनुमति लूं।

जो घटना घटी है उससे कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। हमने अपनी तरफ से अत्यधिक खेद प्रकट किया है। न सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाही, बल्कि न्यायिक जांच का आदेश भी दे दिया गया है। अगर श्री लोढ़ा को नहीं पता तो मैं इसमें मदद नहीं कर सकता।

श्री गुमान मल लोढ़ा : उस समय श्री बसु इसके लिए सहमत नहीं हुए। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पर जोर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव के कारण वह सहमत हो गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह सभा में गलत उद्धरण नहीं दे सकते और दुर्व्यवहार नहीं कर सकते।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक मान्य प्रक्रिया है। मान लीजिए अगर एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं और जब तक वे नहीं मानते कोई अन्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमें इन मानदण्डों का पालन करना पड़ता है। यदि आप जानबूझकर इसका उल्लंघन करेंगे तो बहुत कष्टदायक होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब एक न्यायिक जांच लम्बित है तब श्री लोढ़ा जो पहले न्यायाधीश थे एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वह उन आरोपों और घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, जो इस जांच का विषय है। मुझे विश्वास है कि न्यायिक प्राधिकारी इसका पता लगाएंगे। लेकिन जब वह ऐसे आरोप लगा रहे है तो क्या वह इसका उत्तरदायित्व ले रहे हैं।

मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आधार बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने तीन बीघा में भरसक प्रयास किए लेकिन उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां पर वे अयोध्या के मुद्दे पर विशेष रवैया अपना रहे हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्होंने कांग्रेस से सहयोग कर रखा है। हम यह जानते हैं। इसलिए उनका पता चल चुका है।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राज्य के मामले में आपने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी है। मैंने कहा, ठीक है वह बोलें। "हमने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। उन्हें इन सभी घटनाओं का विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहिए था उनके अनुसार यह घटना है और इस मामले पर जांच की जानी है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं इस प्रयास का पुरजोर विरोध करता हूं श्री गुमान मल लोढ़ा भविष्य मे होने वाली जांच को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। यह महसूस करने के बाद कि न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। वे लोकसभा के मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं।·· (व्यवधान)·· वे भाजपा मित्रों से कुछ नहीं सुन रहे। दूरदर्शन का दुरुपयोग किया जा रहा है। कल के प्रदर्शन को दूरदर्शन पर क्यों नहीं दर्शाया गया? मैं इस बारे में मंत्री महोदय का उत्तर चाहता हूं।···(व्यवधान)·· मुझे विश्वास है कि प्रधान मन्त्री ने भी कहा कि अगर कामगारों को शिकायतें हैं तो सरकार उन्हें सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने यह कहा है। मैं नहीं जानता कि उनके पास मुद्दा है या नहीं। हमें इस पर सन्देह है। लेकिन लाखों लोग यहां पर एकत्र हुए। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। क्या दूरदर्शन पर दर्शाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना है या नहीं और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में कहें। क्या वह ऐसा करेंगे?···(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : मेरे विभाग का उल्लेख किया है इसलिए क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं?···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : कल जिस तरह से सरकारी मीडिया का मिसयूज हुआ, उसका हम भी विरोध करते हैं। कल की रैली को टी. वी. पर नहीं दिखाया गया। भारत बंद की खबर को भी रेडियो के बाद विदड्रा कर लिया गया।···(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, हमेशा सरकारी मीडिया का मिसयूज होता है। कल कलकत्ता में हुई कांग्रेस की रैली को तो दिखाया गया, लेकिन यहां जो इतनी बड़ी रैली हुई, उसे टी. वी. पर नहीं दिखाया गया। (व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना : कल की घटना को जिस तरह टी. वी. पर दिखाया गया, कलकत्ता की रैली को दिखाया गया और यहां हुई रैली को नहीं, यह डिस्क्रीमिनेशन शो करता है कि टी. वी. वालों को इन्सट्रक्शन्स हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने दूरदर्शन के निदेशक से 9 बजे म० प० पर सम्पर्क किया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : मेरे एक प्लाट अर्थात तुमरीबन्ध में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। (व्यवधान)

श्री अजीत पांजा : यह अलग मामला है (व्यवधान) मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि हम बंगाल में भाजपा से निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। यह गलत है।

दूसरे, कल अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। जैसे ही मुझे इस बारे में बताया गया, कल रात ही मैंने हिन्दी समाचारों के बाद तुरन्त ही जांच के निर्देश दे दिए। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरा निवास बोट क्लब के निकट है और मैंने हजारों लोगों को वहां पर जाते हुए देखा और यह बैठक समाचार के योग्य थी। (व्यवधान) यह समाचार के योग्य थी। इसलिए मैंने जांच के आदेश दिए हैं। मुझे प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट मिल गई है जिसे मैं सभा में रख रहा हूं। यह कल 25 तारीख को हुई ट्रेड यूनियन रैली को समाचार बुलेटिन में कवर न करने से संबंधित है।

महानिदेशक ने ए. डी. जी. एन. से बात की उन्हें सूचित किया गया कि अतिरिक्त निदेशक, समाचार ने चार्ट तैयार करते समय इस घटना को पूर्णतः अनदेखा कर दिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यह समाचार के उपयुक्त है और इसीलिए इसे कवर किया जाए। जब अनदेखा करने की इस बड़ी घटना का पता चला तो अतिरिक्त महानिदेशक ने मुख्य निर्माता (समाचार) को हिदायत दी कि तत्काल निजी संवाद प्रेषक को सम्पर्क करें जिन्होंने इस घटना को कवर किया होगा ताकि इसे समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा सके। मुख्य निर्माता ने इस बारे में अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की। इसके फलस्वरूप निजी संवाद प्रेषक से दृश्य प्राप्त नहीं हो सके। जब अतिरिक्त महानिदेशक ने पूछा तो मुख्य निर्माता ने कहा कि नियम नुसार कार्य के कारण अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए दूरदर्शन के आपातकालीन कार्य के लिए व्यवस्था की जा रही थी और ट्रेड यूनियन की सभा को कवर नहीं कर सके। मुख्य निर्माता ने सूचित किया कि वे समाचार इकाई के कार्य प्रीतमपुरा ले जाने के लिये आपात योजना बना रहे थे ताकि किसी भी आपात स्थिति में सार्वजनिक सेवाएं रखी जा सकें। अतिरिक्त महानिदेशक (समाचार) ने सूचित किया है कि ट्रेड यूनियन रैली को 9.30 म० प० के समाचारों में मुख्य समाचारों में शामिल किया गया था और एक 'मुख्य विषय' के रूप में इसे व्यापक रूप से कवर किया गया था, क्योंकि इसके दृश्य उपलब्ध नहीं हो रहे थे। इसे अंग्रेजी समाचारों में लिया गया था। इसके अलावा उन्होंने सूचित किया कि उन्होंने एक निजी व्यावसायिक संवाद प्रेषक से सम्पर्क करने का प्रयास किया और जैसे उन्हें इसके दृश्य मिले तो यथाशीघ्र इसे बुलेटिन में शामिल किया गया।

महोदय, इसे प्राप्त करने के बाद मैंने तत्काल आदेश दिया कि जब स्वयं दूरदर्शन ने यह पाया कि इस समाचार का महत्व है। मुझे यह घोषणा करने में अत्यन्त प्रसन्नता है कि वह दृश्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं और इसे आज शाम के समाचार बुलेटिन में कवर किया जाएगा। (व्यवधान) क्या मैं इसे पूर्ण कर सकता हूं? श्रीमती गीता मुखर्जी ने इस मामले को स्वयं उठाया। समाचार विभाग के मुख्य समाचार अधिकारी अर्थात अतिरिक्त महानिदेशक (समाचार) ने उनसे क्षमा मांगी है। जैसा कि उन्होंने कहा है, वह बगैर किसी दुर्भावना के बगैर ही इसे कवर नहीं कर पाए।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ऐसा बम्बई की ऐतिहासिक, रैली के दौरान भी हुआ है। मैंने अनेक बार मंत्री महोदय को सूचित किया है। यह जानबूझ कर किया गया प्रयास है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : राम जन्म भूमि के बारे में आपने यह कहा है कि इसको अंडर-प्ले किया जाए। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूं कि दूरदर्शन का पक्षपातपूर्ण रवैया अपोजीशन के साथ हमेशा से रहा है और पिछले कुछ दिन से बढ़ता जा रहा है। मंत्री जी को याद होगा, मैंने आपसे कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में कहा था कि पार्लियामेंट में जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कन्वेंशन हुई थी, उसमें आपका कोई रिपोर्टर डिस्यूट नहीं किया गया, बम्बई में हिस्टोरीकल रैली हुई, उसमें कोई रिपोर्टर आपकी तरफ से डिप्यूट नहीं किया गया, यहां दिल्ली में कल रैली हुई, उसमें आपका कोई रिपोर्टर डिप्यूट नहीं किया गया, जो कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट में है कि इन-इन जगहों पर यदि रैली या कोई फंक्शन होता है, तो उसको कवर करने के लिए रिपोर्टर डिप्यूट किए जाएंगे, लेकिन वह काम भी नहीं किया गया, परन्तु कल कांग्रेस की रैली, कलकत्ता में हुई, तो उसको दिखाया गया। आपके पास कलकत्ता में होने वाली कांग्रेस की रैली को दिखाने के लिए रिपोर्टर और समय तो है, किन्तु यहां दिल्ली में आपकी नाक के ठीक नीचे जो ऐतिहासिक रैली हुई, उसको नहीं दिखाया गया, यह पक्षपातपूर्ण रवैया आपका स्पष्ट होता है और यह विपक्ष के साथ बढ़ता जा रहा है।

इस देश में कम से कम अखबार तो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखे हुए हैं, किन्तु दूरदर्शन अपनी विश्वसनीयता को खोता जा रहा है। जिस प्रकार से पहले लोग भारत के आकाशवाणी के कार्यक्रमों और समाचारों को सुनने की बनिस्बत बी. बी. सी. को सुनना पसन्द करते थे, वैसे ही अब स्थिति यह होती जा रही है कि स्टार टी. वी. को भारत में देखना ज्यादा पसन्द किया जा रहा है बनिस्बत दूरदर्शन के। आप वैसे तो स्टार टी. वी. से कम्पटीशन करने जा रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से यदि बायस्ड ओपिनियन लेकर स्टार टी. वी. से कम्पटीशन करना चाहते हैं, तो कभी नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस घटना के लिए जो अधिकारी दोषी हैं, उनको सजा दीजिए और इस संबंध में पूरी रिपोर्ट लीजिए। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 3 नवम्बर के भारत बंद को सुबह से ही असफल करने के लिए संचार माध्यम से यह प्रसारित करने का प्रयास किया कि यह बंद फेल हो गया। इसी प्रकार से इन्होंने अयोध्या के मामले को अंडर-प्ले किया। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन्स आपने दिए प्रतीत होते हैं कि विपक्ष को मीडिया पर न दिखाया जाए। इससे टी. वी. भारत में अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : मैंने इस सभा के माननीय सदस्यों के मुद्दों और उनकी भावनाओं को नोट कर लिया है। (व्यवधान)

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : दूरदर्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचार धारा वाले लोग भरे पड़े हैं। कृपया उनके पूर्ववृत्त की जाँच कीजिए। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ग्रस्त हैं। यही समस्या है जिसका आप सामना कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मृत्युंजय नायक : आप में अनुशासन की भावना नहीं है। आप अन्य सदस्यों को बोलने नहीं देते। यह बहुत अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री अजित पांजा : महोदय, माननीय सदस्य ने दूरदर्शन के बारे में कहा है कि बाहरी लोगों की मिली भगत है। माननीय सदस्य ने कुछ नाम लिए हैं। कृपया मुझे ये नाम दे दें। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बता सकता हूं कि हम दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सामान्यतः

हस्तक्षेप नहीं करते। हम नीतिगत मामलों पर विचार करते हैं। लेकिन अगर सभा चाहती है कि मैं इसे ठीक करूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन सभा यह न कहे कि मैं समाचारों में हस्तक्षेप कर रहा हूं। महोदय, मैं कर सकता हूं। यहां बैठे मेरे साथियों के सहयोग, से हम इसे सही परिपेक्ष्य में रख सकते हैं। लेकिन यह ऐसा मामला है कि इस विभाग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए लेकिन वहां कुछ हो रहा है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं। अगर सभा ऐसा समझती है तो हमें सात दिन का समय दीजिए और मैं साक्ष्य दूंगा कि हम ऐसा करने में सक्षम हूं। लेकिन सभा इसका पूर्णत: समर्थन करे। मैं ऐसा करूंगा। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): आप समाचार के महत्व के अनुसार क्यों नहीं चलते ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री नायक का कथन कार्यवाही वृतान्त में शामिल होगा।

(व्यवधान)

श्री मृत्युंजय नायक: महोदय, यह बहुत ही कष्टदायी तथ्य है कि तीन व्यक्ति जब अस्पताल में इलाज करवा रहे थे तब भोजन की कमी पोषक तथा दवाओं की कमी के कारण वे वहां पर मर गए। मेरा खण्ड तुमरीबन्ध लगातार कठिन स्थिति से गुजर रहा है। यहां पर खाद्यान्न और दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह सर्वाधिक पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र है। महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार तत्काल कार्यवाही करे क्योंकि राज्य सरकार इस विषय के प्रति पूर्णतया उदासीन है। यह प्रश्न मेरे जिले में हुई भुखमरी और मौत से संबंधित है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में केन्द्र सरका तत्काल कार्यवाही करे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.15 म० प० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.16. म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.20 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

2.20 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद विनियम, 1992 इत्यादि

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय पशु चिकित्सा (पशु चिकित्सा व्यवसायियों के लिए व्यावसायिक आचरण का स्तरमान, शिष्टाचार और सदाचार संहिता) विनियम, 1992, जो 1 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 395(अ) में

प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक शुद्धिपत्र जो 1 जुलाई, 1992 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 651(अ) में प्रकाशित हुआ था, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2728/92]

(2) (एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के वर्ष 1990-91 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2729/92]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी परिसंघ लिमिटेड, आनन्द का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 842(क), जो 17 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमे 1 अक्तूबर 1992 से 31 मार्च, 1992 तक (रबी 92-93 मौसम) तक की अवधि के दौरान स्वदेशी उर्वरक उत्पादकों द्वारा विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्ड को की जाने वाले उर्वरक की पूर्ति को दर्शाने वाला आदेश सम्मिलित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2730/92]

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 199192 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2731/92]

———

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 377 के अधीन मामले लेगी। श्री इरा अन्बारासु।

2.22 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विवाह-विच्छेद के कारणों में से एक कारण "मिर्गी" को हटाने के लिए हिन्दू और विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री अम्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : मिर्गी में मुख्यत: तंत्रिका तंत्र के दोषपूर्ण हो जाने के कारण मुख्यत: या सामान्यत: शरीर में ऐंठन हो जाती है और मुंह में झाग आते हैं और यह मूत्र अथवा मल संबंधी दोष से संबंधित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस रोग को असाध्य माना जाता था और यह आम पारिवारिक जीवन जीने नहीं देता और यह संतान को भी हो सकता है। इसके आधार पर मिर्गी को तलाक के लिए पर्याप्त आधार माना जाता था।

दुर्भाग्य से भारतीय कानून मिर्गी के रोगी को अस्थाई पागलपन से युक्त या स्वयं की देखभाल करने में अक्षम मानता रहा है। यह भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के विभिन्न उपबन्धों पर आधारित उच्चतम न्यायालय के न्यायिक फैसलों से स्पष्ट है।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस उपबन्ध के तहत 1984 में विवाह विच्छेद की अनुमति दी थी। यद्यपि 'मिर्गी' शब्द मुसलमानों, इसाइयों और पारसियों के कानूनों में नहीं पाया जाता, इनमें तलाक के लिए मानसिक अस्वस्थता, मानसिक अव्यवस्था का उल्लेख किया गया है। मिर्गी के आधार पर तलाक का मिर्गी के रोगियों पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ता है।

परिवार को एक रखने के लिए वैधानिक रूप से मिर्गी को दिमागी पागलपन अस्वस्था या अन्य दिमागी कमी से पृथक करने की अत्यन्त जरूरत है क्योंकि मिर्गी का इलाज हो सकता है और इस पर नियंत्रण हो सकता है और व्यक्ति सामान्य पारिवारिक जीवन जी सकता है। मिर्गी वंशानुगत नहीं है और यह संतान को नहीं हो सकती।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हिन्दू और विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन करे ताकि तलाक के लिए मिर्गी आधार मानना समाप्त किया जा सके।

(दो) राजस्थान में घग्घर नियंत्रण नहर के आसपास के गांवों में पानी जमा होने की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में घग्घर नदी की बाढ़ हर साल आती है। इस बाढ़ से बचाव के लिए एक घग्घर कण्ट्रोल नहर इस बाढ़ के पानी को सूखे इलाके में पानी डालने के लिए बनाई गई थी और इस पानी से रेत के बड़े-बड़े टीबों के बीच में 18 डिप्रेशन बनाए गए थे और उन डिप्रेशनों में घग्घर कण्ट्रोल नहर द्वारा पानी भरा गया था। इन डिप्रेशनों के नीचे जिप्सम होने के कारण पास के नीचे के इलाके के 20-25 गांवों में सेम (वाटर लोगिंग) आ गई और एक लाख एकड़ के लगभग कृषि भूमि खराब हो गई।

इस वाटर लोगिंग से बचाव के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने इंजीनियरों की एक टीम भेजी। इसके अलावा पिछले दिनों योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भी एरियल सर्वेक्षण

किया। लेकिन अभी तक इस पर कार्य रूप में कार्य शुरू नहीं हुआ है जबकि इंजीनियर्स का मत यह है कि डिप्रेशनों के साथ-साथ एक सेम नाला बनाकर इंदिरा गांधी नहर की सूरतगढ़ ब्रांच में इस वाटर लोगिंग का पानी डाल दिया जाय तो इन गांवों की भूमि, जो बहुत उपजाऊ है, दोबारा खेती के लायक बन सकती है। इसलिए केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इस सेम के नाले की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करे।

(तीन) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार को और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, उ० प्र० के उत्तरांचल (पर्वतीय क्षेत्र) की विषम भौगोलिक स्थिति तथा विशेष समस्याओं के दृष्टिगत वहां पर कार्यक्रमों के लिए अधिक विनियोजन की आवश्यकता है। परन्तु 3 वर्षों से इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता में कोई बढ़ोत्तरी न किए जाने के फलस्वरूप विकास कार्यक्रमों में गति नहीं लाई जा सकी है। उ० प्र० के पर्वतीय क्षेत्र को वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 में विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि प्रत्येक वर्ष में मात्र 182.01 करोड़ रुपये की आबंटित की गई जबकि अन्य सभी राज्यों, पर्वतीय राज्यों, क्षेत्रों के लिए भारत सरकार की केन्द्रीय सहायता में निरन्तर वृद्धि की गई है। प्रदेश की क्षमताएं और समस्याएं इससे लगे हुए पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के समान हैं और दोनों की जनसंख्या और क्षेत्रफल लगभग समान हैं परन्तु हि० प्र० की तुलना में प्रदेश का उत्तरांचल में आयोजनागत विनियोजन में आशातीत बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। फलस्वरूप यहाँ के लोगों में काफी असंतोष व्याप्त है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए योजनागत विनियोजन में समुचित बढ़ोत्तरी आवश्यक है।

(चार) दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाले राजमार्ग में बदलने की आवश्यकता

डा० रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राज मार्ग की हालत इतनी खराब है कि दिल्ली बार्डर से लोनी तक सड़क की चौड़ाई (एक लेन) कम होने के कारण और यातायात अधिक होने के कारण रोज अनेक दुर्घटनाएँ होती रहती हैं और वर्ष 1991-92 में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं।

महोदय, दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राज मार्ग पर अब इतना अधिक यातायात हो गया है कि सड़क की चौड़ाई जितनी पहले थी उससे अब आवागमन की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और लोनी से दिल्ली बार्डर तक पहुंचने तक 30 मिनट से भी अधिक लग जाते हैं, जबकि इसके बीच की दूरी केवल 3 किलोमीटर है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय राज मार्ग को चार लेन करवाया जाए ताकि यहां की जनता को होने वाली परेशानी न हो और उनके जान-माल की सुरक्षा भी हो सके।

(पांच) सासाराम, बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सासाराम से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपमार्ग बनाए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : महोदय, बिहार स्थित सासाराम के बीचों-बीच से गुजरने

[श्री छेदी पासवान]

वाली राष्ट्रीय राजमार्ग एक बहुत ही व्यस्त मार्ग है। इस नगर के हिस्से में पड़ने वाले मार्ग के ही दोनों तरफ जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय अवस्थित हैं। इस नगर की आबादी भी बहुत घनी है तथा इस नगर के सभी अच्छे, एवं बड़े दुकान इसी मार्ग के दोनों तरफ अवस्थित है जिसके चलते सड़क पर आदमियों का हमेशा जमघट लगा रहता हैं। दूसरी तरफ यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण राष्ट्रीय स्तर के सभी माल वाहक गाड़ियां इस मार्ग पर प्रवेश करती हैं जिसका परिणाम है कि आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

अत: सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त मार्ग की व्यस्तता को देखते हुए अन्य शहरों जैसा सासाराम नगर के बाहर से एक राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास रोड का निर्माण कराया जाए।

(छः) तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में मादा शिशु हत्या की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय योजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० राजगोपालन श्रीधरण (मद्रास दक्षिण) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन मामले के तहत निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों जैसे सलेम जिला, उसीलमपट्टी और अन्य क्षेत्रों में नवजात कन्याओं की काफी अधिक हत्याएं हो रही हैं। बच्चे को मारने के लिए दर्दनाक तरीके अपनाए जाते हैं। तमिलनाडु सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि विभिन्न स्थानों से नवजात कन्याओं को एकत्र करें और उनकी रक्षा करें तथा उनका पालन पोषण किया जाए। यह एक अनूठी योजना है ऐसी समस्या से ग्रस्त दूसरे किसी भी राज्य ने इस बारे में प्रयास तक नहीं किया है। इस योजना पर काफी व्यय होगा और इसके लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी काफी व्यय करना होगा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस योजना के महत्व पर गौर करे और राज्य प्रशासन की भागीदारी के साथ एक केन्द्रीय उपाय के रूप में इस योजना को लागू करे।

(सात) आन्ध्र प्रदेश में मद्य-निषेध लागू करने और इसके कारण राजस्व की होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, हमारे राष्ट्रपिता ने मद्य-निषेध की जोरदार वकालत की थी क्योंकि गरीब जनता की दुर्दशा के लिए यह कुछ हद तक जिम्मेदार है। हमारे संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार केन्द्र सरकार इसे अनुच्छेद-47 के अधीन राज्य नीति में शामिल करती है। किन्तु अनेक राज्य सरकारों ने इसे लागू नहीं किया है। हालांकि इस पर बिक्री कर मद्य-निषेध के घाटे को पूरा करने के लिए लगाया गया था फिर भी मद्य-निषेध समाप्त करने के बाद भी इसे वसूल किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न राज्य इस पर उत्पाद-शुल्क बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं क्योंकि यह उनके लिए कामधेनु साबित हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पा रहे। वे अपने परिवार के सदस्यों को अच्छी शिक्षा अथवा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। आन्ध्र प्रदेश में लगभग दो माह से लाखों महिलाएं अरक तथा अन्य नशीले उत्पादों पर पाबंदी लगाने के लिए आंदोलन कर

रही है। इसके लिए उन्हें कामगारों, स्वरोजगार वालों, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों आदि का भी समर्थन प्राप्त है। लगभग सभी राजनैतिक दलों ने भी उनकी मांगों का समर्थन किया है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि इस पर तुरन्त विचार करे और आंध्र प्रदेश में मद्य-निषेध लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करे तथा इसके कार्यान्वयन से राज्य सरकार को होने वाली उत्पाद-शुल्क की हानि की भरपाई के लिए 50 प्रतिशत तक अंशदान करें।

———

2.33 म० प०

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

वास्तव में इसी तरह का एक संशोधन विधेयक लोक सभा में मई, 1990 में प्रस्तुत किया गया था। मार्च, 1991 में लोक सभा के विघटन के साथ-साथ विधेयक भी व्यपगत हो गया। इसलिए मैं माननीय सदन से निवेदन करता हूं कि विधेयक पर दोबारा विचार किया जाए।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 वकालत करने वालों के बारे में बने कानून में संशोधन करने और उनके समेकन तथा विधिज्ञ परिषदों के गठन के लिए प्रावधान करने की दृष्टि से बनाया गया था। इसे अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय, विधिज्ञ परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। हाल ही में भारतीय विधिज्ञ परिषद तथा कुछेक अन्य निकायों और व्यक्तियों से बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हुए है कि अधिनियम में और अधिक संशोधन किया जाए। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर तथा प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इस अधिनियम में और संशोधन किया जाए जिससे भारतीय विधिज्ञ परिषद तथा राज्य विधिज्ञ परिषदों को कानून संबंधी व्यवसाय की बेहतरी के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 6 और 7 में अन्तर्विष्ट क्रमशः राज्य विधिज्ञ परिषदों तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद के कार्यों का उल्लेख किया गया है। इन धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव इस आशय से किया गया है ताकि अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के प्रयोजन से विधिज्ञ संगमों के गठन हेतु भारती विधिज्ञ परिषद के निदेश पर विश्वविद्यालय का दौरा और निरीक्षण करने तथा कानूनी पुस्तकों संबंधी पुस्तकालयों को स्थापना के लिए निधियों की व्यवस्था करने के लिए राज्य विधिज्ञ परिषदों को शक्ति प्रदान की जा सके।

यह देखा गया है कि कुछेक विधिज्ञ परिषदें समय पर चुनाव आयोजित नहीं करती। चुनाव नियमित रूप से न कराने की अवस्था में परिषद के चयनीत सदस्य अनिश्चितकाल तक अपने पद पर बने रहते हैं और न्यायालयों ने यह महसूस किया है कि समय पर चुनाव आयोजित न कराया जाना एक अप्रजातान्त्रिक बात है। भारतीय विधिज्ञ परिषद से परामर्श करने के बाद यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे सदस्यों की सदस्यता को स्वतः समाप्त करने के लिए धारा-8 में समुचित संशोधन

[श्री एच० आर० भारद्वाज]

किया जाए जो ऐसी राज्य विधिज्ञ परिषदों के सदस्य हों जिन्होंने पांच वर्ष की निर्धारित अवधि में अथवा भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा स्वीकृत 6 माह की अतिरिक्त अवधि में चुनाव न करवाया हो। चयनित निकाय न होने की अवस्था में राज्य विधिज्ञ परिषद के कार्यों को चलाने और चुनाव आयोजित कराने के प्रयोजन से तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जानी चाहिए। यह समिति अपने गठन के छ: महीनों के अन्दर अथवा भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बढ़ायी गई अवधि में चुनाव भी आयोजित करायेगी।

इस समय अधिनियम की धारा-10-क के अन्तर्विष्ट यह उपबंध किया गया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद की बैठक नई दिल्ली में होगी और राज्य विधिज्ञ परिषद की बैठक परिषद के मुख्यालय में होगी। प्रारम्भ में भारतीय विधिज्ञ परिषद अथवा राज्य विधिज्ञ परिषदों की बैठक के स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं था। 1974 में धारा-10-क के अन्तर्गत इसका उल्लेख किया गया था ताकि मुख्यालय के बाहर आयोजित की जाने वाली बैठकों के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च में कटौती की जा सके। व्यवहारिक रूप से यह पाया गया कि मुख्यालय में बैठक करने से कोई बचत नहीं हो पायी। अत: धारा 10-क में इस आशय का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद और राज्य विधिक परिषदें मुख्यालय के बाहर भी बैठकें आयोजित कर सकें।

अधिनियम की धारा-24 में राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों के बारे में निदेशों का उल्लेख है। इस धारा के अन्तर्गत अधिवक्ता के रूप मे शामिल किए जाने वाली शर्तों में एक शर्त यह है कि उसने राज्य विधिज्ञ परिषद को 250/- रुपये नामांकन फीस के रूप में जमा कराये हों। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को नामांकन फीस 125/- रुपये देनी होती है। अधिनियम की धारा-46 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान वसूल की गई कुल नामांकन फीस की राशि की 20 प्रतिशत राशि भारतीय विधिज्ञ परिषद को अदा करेगी। भारतीय विधिज्ञ परिषद तथा राज्य विधिज्ञ परिषदों ने यह अभ्यावेदन दिया था कि भारतीय विधिज्ञ परिषदें तथा राज्य विधिज्ञ परिषदों की प्रशासन संबंधी खर्च प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है इसलिए फीस को 250 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया जाये। यह बढ़ोतरी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वकीलों पर लागू नहीं होगी। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने यह भी सुझाव दिया था कि राज्य विधिज्ञ परिषद अपनी फीस की धनराशि को भेजने में अनावश्यक देर करती हैं, जिसके कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अत: धारा 46 का लोप करने का प्रस्ताव किया गया है तथा धारा 24 में यह प्रावधान करने हेतु संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है कि राज्य नामावली में शामिल होने के लिए भुगतान करते समय अधिवक्ता अलग से कुल फीस का 20 प्रतिशत भारतीय विधिज्ञ परिषद के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजें।

धारा 21-क में नामांकन के लिए निरर्हता हेतु प्रावधान है। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने इस बात का उल्लेख किया है कि वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत नैतिक अधमता के कारण संविधान के अनुच्छेद-12 में यथा परिभाषित राज्य की अधीन नोकरी से या कार्यालय से बर्खास्त किए गए व्यक्ति को नामांकन की दृष्टि से निरर्ह नहीं घोषित किया गया है। अत: ऐसे व्यक्ति को निरर्ह घोषित करने के लिए धारा-24क में समुचित संशोधन हेतु प्रस्ताव किया गया है।

अधिनिमय की धारा 52 संविधान के अनुच्छेद-145 के अधीन उच्चतम न्यायालय को ऐसी

शर्तें तय करने के लिए शक्ति प्रदान करती है जिसके अध्यधीन किसी न्यायालय में कोई वरिष्ठ अधिवक्ता वकालत करने का हकदार होगा तथा वह यह भी निश्चित करेगा कि कौन व्यक्ति उस न्यायालय में काम करने का हकदार होगा। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सुझाव दिया है इस धारा में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे उस न्यायालय को इस बात को निश्चित करने के संबंध में नियम बनाने के अधिकार दिए जा सकें कि कौन व्यक्ति उस न्यायालय में वकालत करने का हकदार होगा।

वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने की बात कही गई है ताकि उपर्युक्त बातों को लागू किया जा सके।

अतः विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में और अधिक संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और इसके बाद इस पर संशोधन भी हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 31 मार्च, 1993 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 11 मार्च, 1993 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।"

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 15 मार्च, 1993 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुल एक घंटा निश्चित किया जाता है जिसमें से कांग्रेस को 26 मिनट; भारतीय जनता पार्टी को 12 मिनट; जनता दल को 6 मिनट; सी. पी. आई. (एम.) को 4 मिनट; सी. पी. आई. को 1 मिनट; आई ए. डी. एम. के. को 1 मिनट; तेलुगुदेशम को 1 मिनट; जे. एम. एम. को 1 मिनट; जनता पार्टी को 1 मिनट और शेष सभी छोटे ग्रुपों को एक एक मिनट का समय दिया जाता है।

अतः यह तो हम लोगों को ही देखना है कि अपने लिए निश्चित समय-सीमा पर ही कायम रहें। अब मैं चर्चा आरम्भ करने के लिए श्री लोढ़ा को आमंत्रित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एडवोकेट्स संशोधन बिल का मैं सब मिलाकर मोटेतौर से स्वागत करता हूं और इस बिल की भावना के अनुकूल मैं चाहूंगा कि

[श्री गुमान मल लोढा]

माननीय मंत्री जी इस समस्त बिल के अनुकूल भारत के एडवोकेट्स के क्षेत्र में कानून की स्वतन्त्रता कानून का राज व न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धतापूर्ण तौर से जाहिर कर क्रियान्वित करें, ऐसी आशा है। हम कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात एडवोकेट्स के साथ करते हैं और एडवोकेट्स की बात करते समय न्यायपालिका की बात न की जाए तो वह अधूरी रह जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्री वी० पी० सिंह जी के समय में दो महत्वपूर्ण बिल आए थे। एक बिल था जिसके द्वारा सारे भारत में न्यायाधीश विशेषकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों के बारे में आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव था। कालेजियम और ट्रिब्युनल जिसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में जब कभी भी आरोप लगाए जाते हैं भाई-भतीजावाद की धांधली राजनीतिकरण जैसे आरोपों को समाप्त किया जा सके। परन्तु वह बिल भी वी० पी० सिंह की सरकार की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गया। उसे अभी तक न इन्टोड्यूस किया गया और न उसे लाने की किसी प्रकार की इच्छा आपने बताई है। मैं जानना चाहूंगा कि आप उत्तर देते समय स्पष्ट करें कि क्या आप न्यायाधीशों की नियुक्ति के अन्दर कालेजियम ट्रिब्युनल कमीशन का प्रस्ताव जो उस बिल में लाया गया था, उसके साथ में सैद्धान्तिक रूप से सहमति रखते हैं, और रखते हैं तो क्या आप उस बिल को उसी रूप में या अन्य रूप में लाएंगे और इस सेशन में लाने का प्रयास करेंगे। बिल कभी राज्य सभा और कभी लोक सभा में घूम रहा है। वह कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बिल है जिससे लोग अपने यहां गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता दें। लोक अदालत के निर्माण के लिए जो बिल बनाया गया था और जो पारित कर दिया गया था लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीशों ने अपनी कान्फ्रेंस में जिसमें मुझे रहने का मौका मिला था यह निर्णय किया था कि इस बिल के द्वारा एक्जीक्युटिव सरकार की सुप्रीमेसी रहती है और न्यायपालिका के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश अपनी लोक अदालत द्वारा गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता का फोरम बनाने का अधिकार अपने तरीके से नहीं रहता। उनकी स्वायत्ता और सार्वभौमिकता का हनन होता है, इसलिए दुबारा विचार किया जाए। विचार चल रहा है। सम्भवत: राज्य सभा में हो गया है या हो रहा है लेकिन वह लोक सभा में अभी तक नहीं आया है। यदि लोक अदालत निशुल्क कानूनी सहायता गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय देने के कानून पास कराने में हमें पांच-सात साल का समय लगे तो कैसे काम होगा। 1986 के पहले यह बना था उसके बाद 1988 में कांफ्रेंस में आया, आज हम 1992 में हैं तो क्या हम यह आशा करें कि 21वीं सदी का इन्तजार किए बिना इस सत्र में या अगले सत्र में इसे पास कर दिया जायेगा।

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिल है जिसके द्वारा सारे भारत में न्यायपालिका का सब तरह से वर्चस्व है वह स्वतन्त्र न्याय, निष्पक्ष न्याय तो है ही, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मूलन करने का एक लोकपाल बिल था वह भी इसी प्रकार से पड़ा हुआ है। मैं समझता हूं आज समय है इस बिल को पास करते समय हम विधि मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या आप लोकपाल बिल को पास कराने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे? संयुक्त संसदीय समितियां चाहे हर्षद मेहता का प्रश्न हो या बोफोर्स का प्रश्न हो या अन्य प्रश्न हो उसके लिए बैठती हैं। लोकायुक्त बिल के अन्दर राज-नेताओं को, मुख्य मंत्रियों को और मंत्रियों को लाना चाहिए और उसको अधिकार देना चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामलों में वे उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें, इसमें प्रधान मन्त्री को भी लाना चाहिए। क्योंकि आवश्यक हो तो प्रधान मन्त्री को भी भ्रष्टाचार के आरोप के अन्दर डॉक के अन्दर खड़ा किया जा सके। मैं ये तीन बिल आपके सामने रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इन्हें भी पास कराया जाये। मैं चाहता हूं विधि मंत्री समस्या पर विचार करें, दर्शन पर विचार करें और

छोटे-छोटे हमारे एडवोकेट्स के लिए जो शुल्क है उसको ढाई सौ से बढ़ाकर साढ़े सात सौ रुपये कर दिया गया है, ठीक है, समय की आवश्यकता है, पैसे की कीमत लगातार गिर रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। यदि आपने कर दिया तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि साढ़े सात सौ रुपये करके आपने बार कौंसिल आफ इंडिया को यह अधिकार दे दिया कि वे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक घूमते रहें और फाइव स्टार होटल्स में बैठकें करते रहें, दिल्ली में नहीं करें। मैंने देखा है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, असम में ये लोग बैठकें करते हैं। मैं समझता हूं कि यह वकीलों की कमाई पर, जो गरीब वकील हैं उनकी कमाई पर बहुत बड़ा हमला है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बैठक करके भी काम चल सकता है इसलिए कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं जो बार कौंसिल आफ इंडिया के वकील आते हैं उनमें कोई ऐसा वकील नहीं होता जिसकी कमाई पचास हजार या एक लाख रुपये महीने से कम न हो। मैं दक्षिण में तमिलनाडु में गया तो मुझे बताया कि वकीलों को वहां अपना गाऊन गिरवी रखकर अपने लिए रोजी-रोटी का प्रबन्ध करना पड़ता है। मैं कलकत्ता, बम्बई भी गया हूं। वहां की एसोसिएशंस में ऐसे-ऐसे वकील हैं जो कि बहुत गरीब हैं। ओथ कमिश्नर की छाप लगाने के लिए जिस प्रकार से हाकर्स दौड़ते हैं वैसे ही वे दौड़ते हैं। अब दो रुपया मिलता है, पहले तो एक रुपया ही मिलता था। उसमें भी दलाली आदि काटकर दस-बारह आने बचते हैं। यह है इनकी करुण कहानी लाखों वकीलों की जो पहले संघर्ष करते हैं। आज आप देखें कि टेक्नोक्रेट्स, डाक्टर्स और इंजीनियर्स नौकरी के लिए जाते हैं तो उनको तनख्वाह मिलती है, जब वकील जाता है तो उसको इनरोलमेंट के लिए 750 रुपये देने पड़ते हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर आप विचार करें। यंग एडवोकेट्स को सरकारी बैंक्स से लोन दिया जाए जिससे वे अपनी लाइब्रेरी बनवा सकें। आप बार कौंसिल को लोन दें बिना ब्याज के दें ताकि वहां लाइब्रेरी बन सके, फर्नीचर आ सके और उनका भवन बन सके। इसके लिए आपको अनुदान भी देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात सोशल वेलफेयर स्कीम की है। हमारे अन्य सभी क्षेत्रों के अन्दर चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों, कार्पोरेशन या बैंक के कर्मी हों सभी को पी० एफ० और पेंशन तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन एडवोकेट्स के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और जहां जहां साधन कराने का प्रयास किया गया है, वहां सफल नहीं हो सका। इसलिए मैं चाहूंगा कि बार कौंसिल ने एडवोकेट की अनेबल तो किया है लेकिन वह फण्ड कहां से बनायेगी ? जब तक राज्य से पब्लिक एक्सचेकर से पैसा या लोन या अनुदान नहीं मिलेगा—या तो स्टेट से दिया जाए या केन्द्र की ओर से दिया जाए—हमको इसकी चिन्ता करनी चाहिए कि सोशल वेलफेयर स्कीम एडवोकेट्स के बारे में बहुत प्रभावी हो और उसमें से सरकार का पैसा अनुदान के रूप में बार एसोसिएशन या बार कौंसिल को दिया जाए, यह मेरी मांग है।

उपाध्यक्ष जी, माननीय भारद्वाज जी स्वयं एडवोकेट रहे हैं और आपको एडवोकेट की व्यथा और कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, उनकी वेदना के बारे में चेतावनी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जानते हैं कि किस प्रकार से पहले पांच साल वह दुख भरे समय में निकालता है। श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके उत्तर में एडवोकेट के बारे में एक घोषणा होनी चाहिए। एडवोकेट एक्ट की सेक्शन-30 में लिखा हुआ है कि एडवोकेट को यह अधिकार है कि कहीं भी प्रैक्टिस करे और उसके लिए चाहे कोई भी ट्रिब्यूनल अथॉरिटी हो या अन्य किसी प्रकार का कोर्ट या फोरम हो, उसे पैरवी करने का अधिकार है। पिछले कई वर्षों में ऐसे कानून बने हैं जहां एडवोकेट को रोक दिया गया है। जैसे फैमिली कोर्ट्स हैं या एक्साईज कमिश्नर या अन्य अथारटीज

[श्री गुमान मल लोढा]

हैं जबकि सैक्शन-30 सन् 1961 में बनाया गया। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि समय के अभाव में मेरे शब्दों का उच्चारण न करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर आचरण करेंगे निर्णय 1988 में दिया गया कि एडवोकेट एक्ट की सेक्शन-30 का एनफोर्समेंट किया जाए। यह 1961 से जिन्दा है लेकिन अब मूर्च्छित हुआ पड़ा है जिसकी मूर्छा को आप मिटाइये। यह बड़ा कल्याणकारी कार्य होगा। उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में लिखा है :

[अनुवाद]

"अधिनियम 1961 में पारित हुआ था और अधिनियम को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त किए हुए 27 वर्ष बीत चुके हैं। गत वर्षों में वकीलों के कतिपय सम्मेलनों व उनकी बैठकों में संकल्प पारित किए गए हैं जिनमें केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि अधिनियम की धारा-30 को लागू किया जाए। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रश्न पर, कि क्या अधिनियम की धारा-30 को लागू की जानी चाहिए, कभी अपनी विचार शक्ति लगाई है। इन परिस्थितियों में, हमारा यह विचार है कि केन्द्र सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि उपयुक्त समय के अन्दर इस प्रश्न पर विचार किया जाये कि क्या अधिनियम की धारा-30 को लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं। यदि ऐसे विचार करने पर केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि वर्तमान परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि अधिनियम की धारा-30 को तत्काल लागू नहीं किया जाना चाहिए तो यह एक अलग बात है। परन्तु इस प्रश्न पर विचार शक्ति का प्रयोग किए बिना इस बात को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। भले ही अधिनियम की धारा-30 (उपधारा) 1 (3)) के अन्तर्गत उल्लेख की गई शक्ति, स्वेच्छिक शक्ति है, केन्द्र सरकार को इस मामले में इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि सरकार को अपनी स्वेच्छा शक्ति का प्रयोग किस तरह से करना है और इसमें इस तथ्य को मद्देनजर रखा जाना चाहिए कि अधिनियम को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिलने की तिथि के बाद 25 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। भारत के महान्यायवादी ने इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मामले का, उपर्युक्त ढंग से रिट जारी करने का गम्भीरता से खण्डन नहीं किया।

इसलिए हम केन्द्र सरकार को परमादेश के रूप में एक रिट जारी करते हैं कि 6 महीने के अन्दर इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या अधिनियम की धारा को लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं। इससे रिट-याचिका पर कार्रवाई हो सकेगी।"

[हिन्दी]

श्रीमान्, यह फैसला अगस्त 4, 1988 को हुआ है जो 1988 सुप्रीम कोर्ट केसेज, पेज 54 पर लिखा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हमारी मिथोलॉजी में कई उदाहरण हैं जिनमें सुरक्षा के मुंह के बारे में कहा गया है कि यह इलास्टिसिटी हो जाता है। क्या आपके ये 6 महीने पूरे हुए या नहीं ? यदि 6 महीने पूरे हो गए तो आपने इसके बारे में क्या निर्णय लिया ? यह सदन और इस देश को बतायें और भारत के लाखों एडवोकेट यह जानना चाहेंगे कि यह उनके लिए आक्सीजन है, संजीवनी बूटी है, वे हर तरह से हर जगह जाकर पैरवी कर सकते हैं ताकि

नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकें, सुगम, सस्ता न्याय मिल सके और सच्चे न्याय के लिए उनकी रक्षा कर सकें। क्या आप सेक्शन-30 को तुरन्त लागू करने की घोषणा करेंगे ? अन्यथा आपने जिस प्रकार से सेक्शन 30 को मूछित और मृत करके रखा है वैसे ही यदि आपने यह अमेंडमेंट ऐक्ट पास करवाया और उसके बाद उसको एक सुन्दर अलमारी में रखवा दिया अपने को रिहोर्स में या आपके आफिस में तो इससे एडवोकेट्स को क्या फायदा होगा ? इसलिए इसका लाभ क्रियारूप में मिलना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप से निवेदन करूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात दर्शन की है। सारे भारत में एडवोकेट्स की अपोइंटमेंट होती हैं चाहे अटॉर्नी जनरल की हो या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो या सिविल लॉयर हो, डिपार्टमेंट के लॉयर्स हों मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इन अपॉइंटमेंट्स में जिनमें हजारों एडवोकेट्स अपॉइंट किए जाते हैं वह अपाइंटमेंट्स पैनल के द्वारा होनी चाहिए और उस पैनल में बार काउंसिल का चेयरमैन होना चाहिए। आप स्वयं उसमें हो जाएं और एक बार काउंसिल के चेयरमैन को ले लीजिए और आप देखिए कि उसमें लालफीताशाही न हो, भाई-भतीजावाद नहीं हो और उसमें राजनीतिक रंगत नहीं हो, कोई जातिवाद नहीं हो और उसमें प्रांतीयवाद नहीं हो। यह भी कहा जाता है कि एक विशिष्ट मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री दक्षिण से हो तो सारे एडवोकेट्स के पैनल चेन्ज होकर दक्षिण के लोग आने लगे। दक्षिण और उत्तर में कोई अन्तर नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा भारत एक है लेकिन श्रीमन् मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह मेरिट पर होना चाहिए। आप पैनल बनाकर अपॉइंटमेंट करिए। आपने अटॉर्नी जनरल का त्यागपत्र स्वीकार किया और नया अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि उनका त्यागपत्र बहुत पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था। पिछले अटॉर्नी जनरल ने जिस प्रकार से न्यायपालिका का इतिहास बनाया उसके बारे में चर्चा न करें तो अच्छा है। उसे सब मंत्री जानते हैं, सारा सदन जानता है कि यहां पर संसद में क्या फैसला हुआ, हमें किस प्रकार से ऐविडेंस मिले, रिकार्ड मिले, कौन व्यक्ति उसमें उलझा हुआ है, उसको वहां से प्रोटेक्शन दिलाने की कार्यवाही हुई। उस कार्यवाही में क्या ज्ञात या अज्ञात, प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी न किसी रूप में भारत के सबसे बड़े न्यायाधिकारी अटार्नी जनरल जिसका नाम लेते ही हमारा नाम गुंजित होता था सेटलवाड जैसे महान् व्यक्ति थे जिन्होंने देश में नए आयाम कायम किए उनकी परम्परा में पिछला जो हमारा इतिहास रहा, लोकसभा स्पीकर ने एक कमीशन की अपाइंटमेंट की और कहा कि एक न्यायाधीश की जांच की जाए और हमारे अटार्नी जनरल ने राय दे दी कि सदन भंग हो गया है इसलिए स्पीकर की आज्ञा भी लैप्स हो गई है, इसलिए इसकी जांच न की जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडीशयल आज्ञा दी कि स्पीकर का आर्डर लैप्स नहीं होता है। रामास्वामी की जांच होनी चाहिए और फिर उसकी जांच की गई। उसमें भी कई प्रकार के रोड़े अटकाए गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अटार्नी जनरल का जो पद है वह बड़ा पवित्र है, पुनीत है, गरिमामय है और इसलिए संविधान को बनाने वाले लोगों ने संविधान में ऐसा लिखा। संविधान के अन्तर्गत उसको राइट ऑफ ऑडिएंस है। वह हमें राय दे सकता है कि आप यहां गलत कर रहे हो, आप यहां सही कर रहे हो। ऐसे महान् पद के ऊपर जो कालिख लगी उसके लिए हम सब शर्मिन्दा हैं पर आपने जो वर्तमान अपाइंटमेंट की है, उसके लिए मैं निश्चित रूप से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी की हुई अपाइंटमेंट कतई सच्ची है और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं और इसलिए करता हूं कि इस देश में एक विवाद चल रहा है। उस विवाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अटार्नी जनरल से राय लेते हैं। लेनी भी चाहिए क्योंकि अटार्नी जनरल एक बहुत गरिमामय और निष्पक्ष व्यक्ति होता है जो कानून में दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है,

[श्री गुमान मल लोढा]

लेकिन कहीं ऐसा न हो कि यह प्रयास किया जाए कि उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से कोई आज्ञा ली जाए। सुप्रीम कोर्ट को हमारे भारत की कैबिनेट की पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। आज्ञा जो चाहें वह दें, और अटार्नी जनरल को गृह मंत्री बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। वह अपनी ओर से जो चाहें वह करें, उसके लिए उनको पूरी छूट है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और भारद्वाज साहब के मुझसे बहुत मधुर संबंध रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र में लोक अदालत के लिए विशेष रूप से कार्रवाई करें क्योंकि हमारे गरीब व्यक्ति 25-30 और 40-50 साल तक इन कोर्ट के गलियारों में घूमते हुए, गवाहों को लेते हुए, क्रॉस ऐक्जामिनेशंस ऐविडेंसेज और अपील करते हुए 50-60 साल तक उनके मुकदमे चलते हैं।

3.00 म०प०

मैंने एक किताब लिखी है—लॉ ज्यूडीशियरी फ्यूल, फ्लेम्स एण्ड फायर—जिसमें एक उद्धरण दिया है कि हिन्दुस्तान में एक केस 762 साल तक चलता रहा। मैंने उसे "गिनीज बुक" के रिकार्ड से लिया है। आप सोच सकते हैं कि कैसे 762 साल तक एक गरीब, निरपराध और साधारण व्यक्ति किसी मुकदमे को चला सकता है, उसकी तो कई जेनरेशन्स मिट गयी होंगी, कहां से वह पैसा लाया होगा, कहां से समय निकाला होगा और कितना लाभ उसे मिला होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारी चीजों का सरलीकरण कीजिए—सैकेण्ड अपील, स्पेशल लीव पिटीशन आदि, इन सबका सरलीकरण कीजिए। हमें सच्चा और साफ न्याय चाहिए, हमें तकनीकी न्याय नहीं लेना है। हमें लार्ड क्लाइव का न्याय नहीं चाहिए; डलहौजी का न्याय नहीं चाहिए, मैकाले का न्याय नहीं चाहिए, उस न्याय पद्धति को आप आग लगा दीजिए। हमें भारत में सच्चा और गरीब के लिए सुलभ न्याय, शीघ्र न्याय, सस्ता न्याय सारभूत न्याय, सब्सटेंशियल जस्टिस चाहिए। हमें टेक्नीकैलिटीज में नहीं जाना चाहिए। इसलिए इन सारी टेक्नीकैलिटीज को समाप्त करने के लिए, आप विशेष अभियान चलाइए। जहां-जहां हमारी प्रक्रिया में टेक्नीकैलिटीज है, उन सबको समाप्त करके तुरन्त न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था कीजिए।

मैं आपको मंत्री महोदय बताना चाहता हूं कि जब मैं चीफ जस्टिस बना तो मेरे पास 50-60 लोग आए, जिनमें एक पति-पत्नी भी थे। महिला की आंखों में आंसू थे और हाथ में एक मिठाई का बंडल था। मैंने पूछा कि तुम मिठाई भी लेकर आए हो और रो भी रहे हो, क्या मामला है। उसने कहा—लोढा साहब, शायद आप भूल गए कि मैं कमला की मां हूं, जिस कमला को मेरे जमाई ने जला दिया था। इसलिए जला दिया था क्योंकि उसके दहेज के लोभ को हम पूरा नहीं कर सके थे। हमने हाई कोर्ट और सभी जगह कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाए, चीफ मिनिस्टर के पास भी गए, एस०पी० के पास भी गए, सबने कहा कि वह अपने आप मरी है लेकिन आपने हमारी चिट्ठी लेकर आज्ञा दे दी कि सी०बी०आई० की जांच कराई जाए। सी०बी०आई० ने जांच के बाद कहा कि उसे विष देकर मारा गया था। जैसे ही आपको पता चला कि उसे विष देकर मारा गया है तो आपने उस जल्लाद को जेल में डाल दिया, वह आज जेल में है। आपने वह काम किया कि कमला जैसी अनेक लड़कियों के भविष्य से, इस देश में फिर कोई जघन्य अपराध नहीं कर पायेगा, किसी को मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, दहेज के लिए किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। मैंने अपने समय में बिना किसी व्यवस्था की परवाह किए जांच करने को आज्ञा दी थी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में भी आप ऐसा संशोधन करें ताकि आम आदमी

को यह पता चले कि जिस प्रकार हमारे यहां महिलाओं के साथ अन्याय होता है, उसकी कड़ी सजा दी जाएगी, उस सजा के प्रावधान से दूसरे लोगों को भी दहशत होगी।

अन्त में, एक बात और कहकर मैं समाप्त करूंगा कि आप एडवोकेट्स की ऐज डिटरमाइन कीजिए। अभी क्या स्थिति है कि जैसे ही कोई आदमी रिटायर हुआ, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, कोई दूसरा आफिसर रिटायर हुआ, वह हाई कोर्ट चला गया लेकिन वे नोजवान एडवोकेट्स क्या करें जो 10-10 और 15-15 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह फोरफ्रंट में आ जाएं। यदि मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस की हैसियत से कहीं जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो एक प्रकार से उनकी आकांक्षाओं पर हम कुठाराघात करते हैं। इसलिए आप 50 वर्ष की आयु सीमा फिक्स कर दीजिए और उसके बाद कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस न कर सके, चेम्बर में प्रैक्टिस करे, अपनी राय दे, यदि उनकी राय का लाभ होना हो तो वह लाभ लिया जाए लेकिन चेम्बर में ही वह प्रैक्टिस करे, कोर्ट में न जाने पाए, 50 साल आप मैक्जिमम ऐज रख दीजिए।

इसके साथ-साथ, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं जो कोर्ट फीस से सम्बन्धित है। इसे मैं अपनी न्याय पद्धति के ऊपर एक जघन्य धब्बा मानता हूं। इस देश का गरीब कोर्ट फीस के कारण हमेशा मार खाता है, मारा जाता है। कोर्ट फीस को एबोलिश करने के सम्बन्ध में, मेरी जानकारी के अनुसार, सभी कमीशन्स ने राय दी है। कोर्ट फीस के माध्यम से, न्याय को सोने और चांदी की तराजू पर नहीं तोलना चाहिए कि जिसके पास छनछनाती चांदी होगी या चमचमाता सोना होगा, उसे ही न्याय मिल सकेगा और गरीब आदमी उसके अभाव में टकटकी लगाकर ही देखता रह जाएगा, न्याय से महरूम रहेगा, ऐसा मंत्री जी आपके काल में नहीं रहना चाहिए। इसलिए कोर्ट फीस को आप एबोलिश कीजिए। यदि इसे एकदम एबोलिश करना सम्भव न हो तो कम से कम ऐसा कर दीजिए कि कुछ विशेष प्रकार के मुकदमों में कोर्ट फीस न ली जाए, अन्य मामलों में ली जाए, इस कमी को पोपर के प्रावधान से पूरा नहीं होता है। हमारी अबलाएं, हमारी माताएं, हमारी बालिकायें जिस जघन्य कुकृत्य का शिकार होती हैं, समाज में, वे कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकती हैं क्योंकि कोर्ट फीस उनके आड़े आती है।

एक निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में, चाहे हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, आप कम्पलसरी लीगल ऐड और लोक अदालतों में जिसने कम से कम तीन साल काम किया हो, उसी की नियुक्ति करें, यह अनिवार्य अर्हता आप उनके लिए रख दीजिए। जैसे किसी डाक्टर की नियुक्ति के लिए आपने किया है कि एक निश्चित समय तक उसने रूरल एरिया में काम किया हो, एडवोकेट के लिए भी रखते हैं लेकिन जो कोई सामाजिक कार्य न करे, समाज की सेवा न करे, गरीबों की सेवा न करे, उसे आप फोरन बार कौंसिल की कुर्सी पर बिठा देते हैं। उसको फोरन आप 5 फुट ऊपर, कुर्सी पर बैठा देते हैं और इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या दूसरी जगह, जहां पर भी अपाइंटमेंट हो, वहां पर कम से कम आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब गोस्वामी जी जज थे, तो मैंने पत्र लिखकर दिया था कि जो हाईकोर्ट का यह मीणा, जो मैम्बर था डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, उसकी रिकमेंडेशन नहीं आई, आप इसको नियुक्त कर दीजिए। मैं बधाई देना चाहूंगा आज उनकी आत्मा को क्योंकि वे स्वर्ग सिधार गए हैं, उन्होंने मेरे पत्र के ऊपर मीणा की अपाइंटमेंट कर दी और वह मीणा आज राजस्थान हाईकोर्ट में अन्य जजों से अच्छा कार्य कर रहा है।

इसलिए यदि आपको करना है, तो आप टैक्नीकलिटीज में मत जाइए कि पहले चीफ जस्टिस

[श्री गुमान मल लोढा]

रिकमेंड करे, फिर चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करे, फिर चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर के चारों तरफ घूमने वाले रिकमेंड करें, फिर आप उसकी अपाइंटमेंट करें।

आपके समय में हम चाहते हैं कि कुछ नये क्रांतिकारी आयाम ऐसे पैदा हों, ऐसी फिजा पैदा हो कि लोग कह सकें कि भारद्वाज गरीबों का मसीहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री एच० आर० भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1992 का समर्थन करने के लिए बोलने को खड़ा हुआ हूं। यह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए है। श्री गुमान मल लोढा ने इस विधेयक से संबंधित तथा असंबंधित अनेक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्हें महाधिवक्ता की नियुक्ति से लेकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग तक पूर्ण जानकारी है और उन्हें राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी अनुभव प्राप्त है।

जहां तक मैं समझता हूं कि यह अविवादित निवेदन है जिसमें राज्यों की बार कौंसिल तथा भारतीय बार कौंसिल को कुछ और अधिकार दिए गए हैं। यह बार कौंसिलों के स्वयं के सुझाव हैं। इसीलिए यह अविवादित उपबंध है और कुछ सुझाव उच्चतम न्यायालय ने भी दिए हैं। इसमें राज्य बार कौंसिल के दो कार्य ही बढ़ाए गए हैं। इनका एक कार्य कल्याणकारी योजन एं लागू करना है। लेकिन इस खंड के बारे में विचार करते हुए मैं यह नहीं समझ पाता कि कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बार एसोसिएशनों के विकास हेतु इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है। मेरे विचार से दिखावटी मसौदा बनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि कल्याणकारी योजनाएं लागू की जानी चाहिए और राज्य बार-कौंसिलों का यह कार्य होना चाहिए।

राज्य बार कौंसिलों को दूसरा कार्य विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने का सौंपा गया है जहां विद्यार्थियों को विधिक शिक्षा दी जाती है। जहां तक भारत की बार कौंसिल का संबंध है राज्य बार कौंसिल के माध्यम से विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने जैसा कार्य नहीं सौंपा गया है।

जहां तक धन जुटाने का संबंध है, बार कौंसिल और राज्य बार कौंसिल को विधिक ग्रंथालय स्थापित करने के लिए कोष स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। यह अत्यन्त प्रशंसनीय मुद्दा है और इसकी लम्बे समय से आवश्यकता थी। जहां राज्य बार कौंसिल द्वारा चुनाव नहीं कराये जाते थे वहां अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि बार कौंसिल ऐसे मामलों के लिए एक विशेष समिति गठित कर सकेगी ताकि चुनाव हो सकें।

जहां तक बैठक करने के स्थान का संबंध है यह राज्य मुख्यालय से बाहर किसी भी स्थान पर की जा सकती है। इस संबंध में मैं पूर्व वक्ता से सहमत हूं कि इन उपबंधों का दुरुपयोग किया जा सकता है और राज्य अथवा पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर बैठक करने के नाम पर बहुत अधिक धन खर्च किया जा सकता है। अतः जहां तक इस उपबंध का संबंध है इस पर कुछ रोक लगानी चाहिए।

विधेयक में शुल्क 250 रु० से बढ़ाकर 750 रु० कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिवक्ताओं के लिए यह उतनी ही है।

अधिवक्ताओं के लिए सूचीबद्ध होने के लिए अनर्हता का उपबंध जोड़ दिया गया है। नैतिक भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों में शामिल व्यक्ति स्वयं को अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध नहीं करा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय को उन अधिवक्ताओं के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है जो उच्चतम न्यायालय में मुकदमे लड़ना चाहते हैं। अब तक उसके पास उन अधिवक्ताओं के संबंध में सीमित शक्तियां प्राप्त थीं जो उच्चतम न्यायालय में कार्य कर रहे थे।

जैसा कि मैंने कहा कि यह विधेयक न केवल अविवादित है बल्कि स्वागत योग्य भी है। इसकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी और इस संबंध में बार कौंसिल, उच्चतम न्यायालय तथा इन उपबंधों से संबंधित अन्य अनेक संस्थानों ने सुझाव दिए हैं।

मैं एक-दो और मुद्दों पर भी बल देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं लोढा जी की इस बात से सहमत हूं कि अधिवक्ताओं के कल्याण संबंधी योजनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं के व्यवसाय के बारे में आम आदमी की गलत धारणाएं हैं। वे महसूस करते हैं कि वे अच्छे संभ्रांत वर्ग के व्यक्ति हैं। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़ी जातियों के बारे में कहा है कि उसमें एक प्रतिभाशाली वर्ग (लेयर ऑफ क्रीम) है, इसी प्रकार इस व्यवसाय में भी 'लेयर ऑफ क्रीम' है, लेकिन इस व्यवसाय में अधिकांश व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि लोढाजी ने कहा है कि विधान बनाकर उनके लिए अनेक लाभकारी अथवा सामाजिक विशेषतायें विशेषरूप से उनके आवास के लिए योजनायें बनाई जायें। जो अधिवक्ता अपंग है, निर्धन हैं उनके लिए उपबंध किए गए हैं लेकिन अनेक अधिवक्ता जो वृद्धावस्था के कारण प्रैक्टिस नहीं कर सकते है, उनके लिए कुछ सामाजिक योजनायें शुरू करनी होंगी।

मैं सभा और विधि मंत्री के समक्ष यह गम्भीर मुद्दा भी रखना चाहता हूं कि आजकल अधिवक्ताओं में किसी न किसी कारण से न्यायालयों का बहिष्कार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसे रोका जाना चाहिए। वे 'न्यायालय का बहिष्कार' शब्द का प्रयोग उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार कामगर लोग 'हड़ताल' शब्द का प्रयोग करते हैं। जब न्यायालयों का बहिष्कार किया जाता है तो मुकदमे कराने वाले व्यक्ति ही परेशानी का सामना करते हैं। पहले ही प्रत्येक न्यायालय में बहुत अधिक मामले बकाया हैं और इस बहिष्कार की नीति के कारण इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। कभी-कभी यह बहिष्कार दिखावटी कारणों से होता है। उदाहरण के लिए यदि एक बार छुट्टियों की सूची घोषित की जाती है तो वे यह कहते हैं कि अमुक दिन का अवकाश घोषित नहीं किया गया है अथवा कभी-कभी एक न्यायालय की छुट्टियों की सूची उच्चतर न्यायालय की छुट्टियों की सूची से भिन्न होती है तो भी यही कहा जाता है कि हमें भी वही छुट्टियां, अवकाश दिए जायें। यदि पीठासीन अधिकारी अथवा न्यायाधीश उनकी पसन्द के नहीं होते हैं तो भी वे न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। कभी-कभी यह बहिष्कार औचित्यपूर्ण होता है लेकिन प्राय: यह जबरदस्ती गढ़े गए कारणों में ही होता है। इससे न्यायालयों का समय बर्बाद होता है और विवादी परेशान होता है। उदाहरण के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में तीन-चार न्यायाधीशों ने बहिष्कार किया था। उन्हें कोई काम नहीं दिया गया था। वे केवल वेतन ले रहे थे। उनका कार्य इकट्ठा हो रहा था और उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा था। मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में बार कौंसिल को हस्तक्षेप करने का अधिकार देना चाहिए। आजकल ऐसे मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। मुख्य न्यायाधीश भी इस कार्य को नहीं चाहता है। चूंकि यह किसी औद्योगिक कानून अथवा श्रम कानून के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। सब लोग तमाशा देखते रहते हैं। कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इस पर रोक नहीं लगा सकता है।

[श्री शरद दिघे]

अतः बार कौंसिल को यह अधिकार प्रदान करना चाहिए कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे अथवा बीच-बचाव करे अथवा ऐसी कड़ी कार्यवाही करे अथवा कम से कम इन अनौचित्यपूर्ण बहिष्कारों की निन्दा करते हुए कोई संकल्प पारित करे। यदि इसका कोई औचित्यपूर्ण कारण हो तो उसे इन मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बार कौंसिल को और अधिक अधिकार देने चाहिएं। उन्हें अधिकार और कृत्य सौंपे तो गए हैं लेकिन उनके पास धन बहुत ही कम है। जहां तक अधिक अधिकारों की बात है वह उनके पास नहीं हैं।

अतः सरकार को बार कौंसिलों को,—चाहे वह राज्य बार कौंसिल हो अथवा भारतीय बार कौंसिल हो, अधिक अधिकार देने पर विचार करना चाहिए। मेरे विचार से यदि ऐसा किया जाता है तो इससे सभी उच्च न्यायालयों और राज्यों के निचले न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया का निपटान हो जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन उपायों का स्वागत करता हूं और सुझाव देता हूं कि सरकार बार के सुझावों पर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता श्री मोहन सिंह हैं। श्री राजागोपाल नायडू रामासामी को पांचवें नंबर पर हैं ने यह अनुरोध किया है कि उन्हें पहले की अनुमति दी जाए, क्योंकि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र जहां अब बाढ़ आई हुई है में कुछ कार्य है। श्री मोहन सिंह यदि आप सहमत हों तो श्री रामासामी पांच मिनट तक बोल सकते हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, श्री रामासामी अब बोल सकते हैं।

श्री राजागोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय अन्ना डी॰ एम॰ के॰ की ओर से मुझे अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1992 पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विधेयक के सभी संबंधों का पूरे सदन द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। यह प्रावधान बहुत अच्छा है कि जिन व्यक्तियों को राज्य की सेवाओं से मुअत्तिल कर दिया गया है, क्योंकि उनके विरुद्ध नैतिक भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्हें अधिवक्ताओं की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही यह उपबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जिन्होने सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर किया और सरकार उससे हार गई है। ऐसे मामलों में व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के रूप में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है।

मैं उस संशोधन का भी स्वागत करता हूं जिसमें यह उपबंध किया गया है कि भारतीय बार कौंसिल को राज्य बार कौंसिल अपने मुख्यालयों से अलग किसी स्थान पर बैठक कर सकती है। इससे विधिक प्रथा में एकरूपता और इस व्यवसाय में सार्वभौमिक प्रभाव भी आ जाएगा।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि विधि व्यवसाय में कई कठिनाइयां हैं। उदाहरण के लिए कानून का अध्ययन केवल वकालत करने के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि विधि का अनुकरण करने, विधि नियमों का पालन करने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भी किया जाता है। यह भावना लुप्त होती जा रही है। जो भी युवा व्यक्ति कानून का अध्ययन

करते हैं वे समुचित मौद्रिक सहायता बिना कनिष्ठ के रूप में वकालत करने लगते हैं। इसलिए मेरा सरकार से यह सुझाव है कि वह कनिष्ठ के रूप में वकालत करने वाले सभी वकीलों को दो वर्ष तक न्यूनतम सम्भरण राशि मुहैया कराए।

वकालत कर रहे कई वकील अपने मुवक्किलों को लूट रहे हैं क्योंकि कानून के अन्तर्गत कोई न्यूनतम फीस निर्धारित नहीं है। यह फीस निर्धारित होनी चाहिए ताकि मुवक्किल को कानूनी राय देने का मामला मात्र व्यापार और वाणिज्य का मामला बनकर न रह जाए। श्रेणीवार मुकदमों के लिए मुवक्किलों से ली जाने वाली फीस का कानून के अन्तर्गत निर्धारण किया जाना चाहिए। ऐसा किए जाने से मुवक्किल वकीलों के बहकाए के भय के बिना निःसंकोच अपने मुकदमे दायर कर सकेंगे। देश में कानून का शासन सर्वप्रथम वकीलों के माध्यम से ही चलाया जाता है और उसके बाद ही न्यायालय के निर्णय लागू होते है। इससे अपनी हैसियत से न्यायालयों को प्रभावित करने वाले वकीलों के माध्यम से बिक रही न्याय की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी।

'ई मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उन सभी वकीलों को प्रैक्टिस न करने संबंधी अनुग्रह राशि दे जो इस व्यवसाय से निवृत्त होना चाहते हैं इसके लिए उन्हें 'बार' से अपनी सदस्यता समाप्त करने हेतु आवेदन करना होगा। यह 58 से 60 वर्ष की उम्र तक दो वर्ष के लिए दिया जाय। और इन लाभभोगी व्यक्तियों को दुबारा प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी जाए।

इसमे एक सांविधिक प्रावधान और कर दिया जाय कि सरकारी खर्च पर उन सभी श्रमिकों को, जो प्रबन्ध व्यवस्था के अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, वकीलों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध व्यवस्था में मजदूरों की भागीदारी हो। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वह उन सभी महिलाओं को सरकारी खर्च पर वकीलों की सेवाएं उपलब्ध कराए जो दहेज प्रथा की बुराइयों और पुरुषों द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना चाहती हों। और न्यायालय में मुकदमा दायर करने से पहले भी आपराधिक कार्यवाही के अलावा सभी प्रकार के मुकदमों में इस तरह का निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि किसी मामले का निपटारा लोक अदालत में हो गया है, तो उसके पश्चात् मामले को न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लोक अदालत से निपटाए गए मामलों में विवादास्पद मुद्दे होने पर ही हमें मामला न्यायालय में दायर करने की अनुमति होनी चाहिए। इससे मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक में न तो कोई स्वागत करने योग्य चीज है और न ही बहुत विरोध करने वाली चीज है। कुछ अनावश्यक चीजों के लिए सदन का 2 घंटे का समय लेने के लिए मंत्री महोदय ये संशोधन विधेयक लाए हैं। नियमावली से भी काम चलाया जा सकता था। यदि केवल अधिवक्ताओं की फीस बढ़ानी है तो बार-कौंसिल की नियमावली में एक स्थायी प्रावधान कर दिया जाए कि समय और परिस्थिति के अनुसार जब भी आवश्यक हो बार कौंसिल अधिवक्ताओं को एनरोल करने के लिए फीस में बढ़ोत्तरी और घटोती करेगी, इसके लिए एक्ट में निरन्तर संशोधन करते रहना, मैं समझता हूं कि कोई वाजिब बात नहीं है।

दूसरा संशोधन आपका है कि बार कौंसिल की बैठक उसके हैड क्वार्टर में ही नहीं होगी,

[श्री मोहन सिंह]

कहीं भी हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसके पीछे मंतव्य क्या है । यह नियम पास हो जाने के बाद किसी भी स्टेट की बार कौंसिल की बैठक वहां पर न होकर, लखनऊ या इलाहाबाद में न होकर उसके सदस्य हवाई जहाज में बैठ कर अंडेमान में ही बैठक करेंगे और इसका दुष्परिणाम आने वाले समय में सामने आने वाला है । जो बार कौंसिलें पैसे के अभाव में अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रही हैं, उसको अब और पैसा हैड-क्वार्टर से बाहर होने वाली बैठकों में व्यय करना होगा । मैं समझता हूं कि यह बात कोई बहुत सोच-विचार करके नहीं की गई है ।

इसके अतिरिक्त एक प्रावधान है कि विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय हैं, बार-कौंसिल के मेंबर उसका निरीक्षण करेंगे । पठन-पाठन के लिए जो एल. एल. बी. का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी सुविधा के लिए पुस्तकालय की उपयुक्त व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है, इसका निरीक्षण बार-कौंसिल के मेंबर करेंगे । मैं समझता हूं विश्व-विद्यालय का जो व्यापक स्वरूप है, उनका जो पठन-पाठन का स्तर है, उसके ऊपर प्रश्न-चिन्ह लगाने जैसी स्थिति है । इस बारे में सदन द्वारा विधेयक में संशोधन करना मैं समझता हूं कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ।

इस एडवोकेट एक्ट में जिन संशोधनों की आवश्यकता है, उन 3-4 बिंदुओं की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारे एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 35 में अनुशासन कायम करने का अधिकार बार-कौंसिल को दिया गया है, लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि निचले स्तर पर, खास तौर से जिला स्तर पर, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में तो है, लेकिन जो जिला अदालतें हैं, वहां बैंच और बार का रिश्ता बहुत खराब है । आए दिन इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं और निजी अनुभव से भी देखा गया है कि निचली अदालतों में काम करने वाले अधिवक्ताओं का व्यवहार निरन्तर बैंच के साथ खराब होता चला जा रहा है, वे दुर्व्यवहार करते हैं, जिला जजेज के साथ, सी. जे. एम. के साथ, ज्यूडिशल्स के साथ और जो अनुशासन कायम करने का काम बार-कौंसिल को सौंपा गया है, उस काम में बार-कौंसिलें सर्वथा विफल रही हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुझाव के तौर पर कि इसमें एक परिवर्तन यह होना चाहिए कि अनुशासन का अधिकार अधिवक्ताओं के बारे में बार-कौंसिल को नहीं रहना चाहिए । यदि उसके लिए आप अलग से ट्राइब्यूनल बना सकते हों तो अच्छी बात होगी क्योंकि नीचे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के चलते अधिवक्ताओं के लिए कार्य करना अधिक मुश्किल होगा ।

उसी के साथ मेरा दूसरा सुझाव है, जिसकी ओर थोड़ा सा इशारा लोढ़ा साहब ने किया । बहुत अच्छा सुझाव है । अमूमन देखने में आता है कि एक सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर, इनकम टैक्स कमिश्नर हो गए, सेवा निवृत्त हुए, उसके बाद अधिवक्ता का गाउन पहनकर उन्हीं के नीचे काम करने वाला जो इनकम टैक्स का अधिकारी होता है उसकी अदालत में खड़े हो जाते हैं । ऐसे अधिकारी जब सेवा निवृत्त होकर गाउन पहन कर उन्हीं की अदालतों में आते हैं, बिक्री कर कमिश्नर रहे, सेवा निवृत्त हो गए और बिक्री कर अधिकारी के कार्यालय में जाकर वकालत कर रहे हैं, वे वकालत कम करते हैं, पैरवी का काम ज्यादा करते हैं । अधिवक्ता का जो दायित्व है वह इस तरह से बरबाद हो रहा है । खास तौर से जो आर्थिक अपराध के मामले हैं उन आर्थिक अपराध के मामलों में सेवा निवृत्त अधिकारी, जो उसी विभाग के हैं, इस तरह की नियमावली बननी चाहिए कि

उन सेवा निवृत्त अधिकारियों का उसी कार्यालय में अदालतों में जाने के ऊपर प्रतिबंध हो, उसके ऊपर रोक लगायी जाए। ऐडवोकेट्स एक्ट में इस तरह के परिवर्तनों की आवश्यकता है।

तीसरी चीज, जिसकी ओर लोढ़ा जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने इशारा किया, कि अधिकारियों में जो निचले स्तर के अधिवक्ता हैं उनकी आर्थिक हालत निरन्तर खराब हो रही है। सेवा के बीच में ही अधिवक्ता का देहावसान होता है, 45-46 या 48 साल की उम्र में, उनके परिवार की देख-रेख करने वाला कोई नहीं होता। वैलफेयर स्कीम चलाएगी बार-कौंसिल, इसका कानून में प्रावधान है। उसकी धारा 2 कहती है कि अधिकारियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाने का काम बार कौंसिल को होगा। लेकिन बार कौंसिल इस सिलसिले में कोई व्यापक और ठोस योजना अधिकारियों के सामने रखने मे असमर्थ रही है। एक कम्पलसरी इंश्योरेंस स्कीम चलनी चाहिए। सेवा अवधि के बीच में ही यदि अधिवक्ता का देहावसान होता है तो उसके परिवार के रख-रखाव का इन्तजाम सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसके लिए स्पेशल फण्ड का इन्तजाम होना चाहिए। इस तरह से संशोधन यदि आप अधिवक्ता कानून में करें तो मुझको खुशी होगी। लेकिन बुनियादी परिवर्तन करने के बजाए कुछ ऐसे सतही परिवर्तनों को लेकर हमारे मंत्री जी इस सदन के सामने आए हैं। बहुमत के आधार पर इसको पास कर देंगे। कोई एतराज की बात नहीं है, पास तो हो जाएगा। लेकिन बुनियादी परिवर्तन हो अधिवक्ता एक्ट में, इसके लिए सदन की समिति बनाइए क्योंकि आपने प्रावधान बना रखा है कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता होगा और एक कनिष्ठ अधिवक्ता होगा, जब दो वरिष्ठ अधिवक्ता एक ही उम्र के हो जाएंगे, एक ही दिन उनका एनरोलमेंट होगा तो जिसकी उम्र अधिक होगी वह वरिष्ठतम माना जाएगा। ऐसा आपने नियम बनाया हुआ है। यह नियम, मैं समझता हूं कि कोई उचित नियम नहीं है। इसमें संशोधन करिए कि जब दो वरिष्ठ अधिवक्ता एक दिन एनरोल होंगे जिस अधिवक्ता की प्रैक्टिसिंग ऐज अधिक होगी वह वरिष्ठ अधिवक्ता माना जाएगा। मैं समझता हूं कि यह समुचित संशोधन होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इन सुझावों को मद्दे-नजर रखते हुए 1961 का जो अधिवक्ता एक्ट है उसमें मूलभूत परिवर्तन करने के लिए इस सदन की समिति बनायें और समिति के बाद अधिक व्यापक सुझाव ले कर, व्यापक परिवर्तनों का मसौदा लेकर इस सदन के सामने आएं तो उचित बात होगी। छोटे और फुटकर संशोधनों से कोई व्यापक परिवर्तन हम नहीं कर सकते। आज की जो न्याय प्रणाली है उसमें भी इन्हीं सुझावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हू तथा अपने संशोधन पर बल देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन का स्वागत करता हूं। यह कहा है कि वकालत का, व्यवसाय एक सम्मानजनक व्यवसाय है। वक्तव्य में संशोधन का प्रयोजन का स्पष्ट उल्लेख है। मुख्य प्रयोजन वकीलों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना है। ऐसा करना नितान्त आवश्यक है। निस्सन्देह कुछ ऐसे वकील होते हैं जिनका काफी प्रभाव होता है। वे काफी धनी होते हैं लेकिन कुछ वकील काफी निर्धन भी होते हैं। निर्धन वकीलों की किसी को चिंता नहीं है इन वकीलों को सामान्यतया उन्हें 'सन्डे लायर्स' कहा जाता है। 'सन्डे लायर्स' से आशय है कि वे काला कोट और गाउन पहनते हैं लेकिन उन्हें कुछ उपलब्धि नहीं होती। प्रतिदिन वे सुबह दस बजे तैयार होकर न्यायालय चले जाते हैं और 'बिना' कुछ अर्जन किए सायं वापस चले आते हैं। ऐसे वकीलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है।

[श्री एम॰ रमण्णा राय]

3.31 म॰ प॰

[श्री तारासिंह पीठासीन हुए]

इस प्रकार इस संशोधन का यहां पर स्वागत है। नया संशोधन अर्थात् खण्ड 24(ग) वास्तव में अनिवार्य हो गया है। लेकिन खण्ड (ख) के पश्चात् मुझे कुछ सन्देह है। ऐसा कहा गया है कि निम्न खण्ड को सम्मिलित किया जाएगा :

"यदि उसे नैतिक चरित्रहीनता के आरोप पर राज्य के अन्तर्गत रोजगार अथवा कार्यालय से हटाया अथवा बरखास्त किया जाता है··।"

निस्सन्देह यदि उसे बर्खास्त कर दिया जाता है तो वह न्यायालय आदि के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता। लेकिन मूल धारा इस प्रकार है :

"यदि छुआछूत अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत उसे किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो वह अयोग्य हो जाएगा।" उसके मुक्त होने के दो वर्ष बीतने के पश्चात् नामांकन के लिए उसकी अयोग्यता का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।"

अब खण्ड(ख) के पश्चात् सशोधित खण्ड (ग) आता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह चरित्र हनन के आधार पर भी सेवा से बर्खास्त किए गए व्यक्तियों पर भी लागू होगा कि उन पर दो वर्ष के लिए रोक लगा दी जाए और उसके पश्चात उन पर कोई रोक नहीं होगी। यदि इस प्रकार की पेचीदगी है तो वास्तव में यह संशोधन न्यायोचित नही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को चरित्र हनन के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया जाता है, दो वर्ष के पश्चात वह वकील के रूप में नामांकन कराने का पात्र हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कुलीन व्यवसाय को अनैतिक व्यवसाय माना जाएगा। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि यह प्रतिबंध केवल दो वर्ष के लिए है अथवा स्थायी है। यदि किसी व्यक्ति को चरित्र हनन के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है और यदि इस तरह उस पर केवल दो वर्ष का प्रतिबंध लगाया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध का कोई मतलब नहीं रह जाता। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस पहलू को स्पष्ट करें।

इस संशोधन विधेयक के माध्यम से अन्य वांछित प्रावधानों को लागू करने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं खण्ड 24(ग) के अलावा सभी उपबंधों से सहमत हूं। इस खण्ड के बारे में मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय सभापति जी, आपने हमें अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम-1992 जो आज पेश किया गया है, उसका उद्देश्य मोटे तौर से अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी कुछ स्कीम्स को बनाना और उसे क्रियान्वित करना है और उनके लिए जो संस्थाएं हैं उनको प्रभावी बनाना है। भारतीय विधि परिषद और राज विधि परिषद के सामने जो वित्तीय समस्याएं हैं उन समस्याओं को मजबूत बनाना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है।

मान्यवर, आपने बिल में एक पाइंट से शुरू किया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिवक्ताओं को छोड़कर बाकी लोगों के लिए 750 रुपए फीस लगेगी, जो कि अब तक 250 रुपए थी। मैं इसका स्वागत करता हूं। मंत्रीजी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को छोड़ा है इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सरकार का ध्यान इधर गया यह बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं अधिवक्ताओं का पेशा दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। अमरीका के बाद हिन्दुस्तान का इसमें दूसरा स्थान है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस पर कुछ लोगों का एकाधिकार है। ग्रामीण अंचलों से जो अधिवक्ता हैं वे बहुत कम तादाद में हैं। यदि वे आते हैं तो उनके साथ समुचित ढंग से ऐसा कुछ नहीं हो पाता जिससे कि उनका मान बढ़े और उनका हौसला ऊंचा हो। यही स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भी है। इस पेशे में यदि वे आते हैं तो उनको उचित ढंग से संरक्षण नहीं मिल पाता। अच्छा होता कि इस बिल में ग्रामीण अंचलों से आने वाले और अनुसूचित जाति के अधिवक्ताओं को उचित ढंग से संरक्षण देने की बात भी होती।

मैंने यह देखा है और सभी लोग जानते भी हैं कि ज्यादातर केसेज ग्रामीण अंचलों से आते हैं। वहां के लोग जो मुवक्किल होते हैं वे शहरों में आकर बड़े-बड़े वकीलों के बीच में किस ढंग की परेशानी महसूस करते हैं, यदि मंत्री जी सर्वेक्षण कराएं तो इनको भली-भांति ज्ञात होगा। आज प्राय: प्रत्येक गांव में यही स्थिति होती है। हम न्यायालय में जाते हैं तो हम किस वकील को रखें, उसकी क्या स्थिति होगी, इन सब बातों पर आम तौर से हमारे ग्रामीण लोगों को सोचना होता है।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जजों के पदों पर आरक्षण के द्वारा नियुक्ति होती है। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिवक्ताओं की भी होनी चाहिए और उनको यह संरक्षण देना चाहिए।

दूसरी बात हम यह देखते हैं कि अधिवक्ताओं का न्यायालयों में करीब-करीब पूरा एकाधिकार सा हो गया है। कुछ अधिवक्ता बहुत ही बड़े होते हैं। छोटे अधिवक्ता उनसे दबे रहते हैं। इस बिल के अंतर्गत इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था।

एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिवक्ता की जब सरकारी वकील के रूप में नियुक्ति होती है, वह डी. जी. सी. या ए. जी. सी. बनता है उसमें भारी भेदभाव होता है, पक्षपातपूर्ण ढंग से उसकी नियुक्ति की जाती है। सरकार जब यह नियुक्तियां करती है तो उसमें भाई-भतीजावाद होता है और तरह-तरह की बातें उत्पन्न होती हैं। हम यह प्रस्ताव रखते हैं कि इस पर मंत्री जी का ध्यान रखना चाहिए। जब ये नियुक्तियां हों जैसा और माननीय सदस्यों ने कहा है कि नियुक्तियों को एक पैनल बनाना चाहिए। उसमें योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। इन नियुक्तियों को करते समय अधि-वक्ताओं की केपेसिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। जबकि ये बातें नहीं रखी जाती हैं। मान्यवर, आज देश में दो करोड़ के करीब मुकदमे लम्बित हैं। इसका कारण मैं समझता हूं कि अगर ऐसे ही अधिवक्ताओं की नियुक्ति होती रही, अच्छे अधिवक्ता नहीं होंगे तो इस ढंग से मुकदमे लम्बित होते जायेंगे, अगर ऐसा नहीं होता अच्छे अधिवक्ताओं की नियुक्तियां होतीं तो मुकदमें लम्बित नहीं होते।

हमारे लोढा जी काफी अनुभवी हैं। उन्होंने एक फण्ड की ओर ध्यान दिलाया है। यह फण्ड करोड़ों रुपयों का है जिसका खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। देश के दूसरे स्थानों पर मीटिंग्स होती हैं। यदि ये मीटिंग्स केन्द्र में हों या राज्यों में हों तो इस फण्ड का सदुपयोग हो सकेगा। इस फण्ड

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

का सदुपयोग लाइब्रेरीज के लिए होना चाहिए, अधिवक्ताओं को किताबें खरीदने के लिए इस फण्ड से सुविधा मिलनी चाहिए। जैसा दूसरे साथियों ने कहा कि जब अधिवक्ता वृद्धावस्था में आ जाता है तो इस फण्ड से उसके परिवार की सहायता करनी चाहिए। कई दफा अधिवक्ता अपने काम में इतना तल्लीन रहता है कि उसके परिवार की आर्थिक दशा कमजोर हो जाती है तो इस दशा में उसको सहायता मिलनी चाहिए।

मान्यवर, मैं आखिरी बात यह कहूंगा कि जब मुकद्दमें न्यायालयों में ले जाये जाते हैं तो अधिवक्ता का वकालतनामा लगाया जाता है। इसके द्वारा उसका पूरा अधिकार बन जाता है और ऐसी स्थिति में अनेकों परेशानियां हो जाती हैं। इसलिए अदालत में कार्य करने की प्रक्रिया पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। कानूनी मामलों में जब अधिवक्ता को प्रतिनिधित्व मिल जाता है तो वह अपनी फीस लेता है लेकिन अदालतों में अक्सर हड़ताल रहती है, फलस्वरूप केस की तारीख पर तारीख बढ़ती जाती है। इससे मुअक्कल परेशान रहता है और हड़ताल के चलते किसान/ग्रामीण भी अपने गांव वापिस चला जाता है। ऐसी स्थिति में वहां पर हड़तालों पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा होता यदि इसका जिक्र इस बिल में किया गया होता। जब अदालत बंद हो जाती है और काम नहीं करती है तो उस दिन की फीस नहीं लगनी चाहिए लेकिन प्रायः अधिवक्ता उसकी फीस ले लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, बनारस में एक साल में 100 बार हड़ताल हुई और कोई काम नहीं हुआ तो इस बिल के माध्यम से इस बात पर भी विचार होना चाहिए था कि हड़तालों का क्या नियम होगा? यह रोज न हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। अमूनन अधिवक्ता हड़ताल पर चला जाता है...

सभापति महोदय : खासकर पिछले 3-4 सालों में ऐसा हो रहा है।

श्री नीतीश कुमार : लीजिए, सभापति महोदय ने भी इस बात का समर्थन किया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए बस यही कहना चाहता हूं कि यह बिल ठीक है जिसमें अन्य बातों का जैसा मैंने जिक्र किया है, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसका अमेंड करना चाहिए। धन्यवाद। (**व्यवधान**)...हम लोगों को बता रहे हैं कि जब हम बोलते हैं तो ये बीच में टोकते हैं। आदमी जो कहना चाहता है वह नहीं कह पाता है। हमने कहा है कि आपने हमारे भाषण में गड़बड़ की है, अब आप बोलेंगे तो हम गड़बड़ करेंगे।

सभापति महोदय : ये प्रेम की बातें आप बाहर करना, यहां नहीं।

[अनुवाद]

श्री कोडी कुन्नील सुरेश (अडूर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक में निहित उपबन्धों का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य एवं लक्ष्य धारा 7 में उल्लखित कल्याणकारी योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन के लिए 'बार एसोसिएशन्स' की प्रगति को प्रोत्साहन देना है।

'बार काउन्सिल' का कार्य उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देना होगा जिनसे प्राप्त डिग्री के

आधार पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 'बार काउन्सिल' विश्वविद्यालयों का दौरा करेगी और उनकी जांच पड़ताल करेगी। मुझे इस बात का खेद है कि ये दौरे नियमित रूप से नहीं किए जा रहे हैं। मैं विधेयक में निर्दिष्ट उद्देश्य और कारणों से सहमत हूं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राज्यों के बार काउन्सिलर्स को अधिवक्ताओं द्वारा मुवक्किलों से मुकदमों के लिए ली जाने वाली फीस को निर्धारित करने हेतु दिशानिर्देश जारी करें क्योंकि फीस के निर्धारण के अभाव में अधिवक्ता विधेयक की खामियों का लाभ उठाकर उनसे अनुचित फीस ले लेते हैं। यदि मंत्री महोदय संबंधित खण्ड में संशोधन प्रस्तुत करें तो मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी।

विधेयक में निहित उपबन्धों के परिप्रेक्ष्य में नामांकित एक अधिवक्ता को शपथ लेकर सुस्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि वह किसी भी मुवक्किल से उसके मुकदमों के लिए औचित्यपूर्ण राशि से अधिक नहीं लेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर चूंकि कहना जरूरी था इसलिए यह सब कहा गया। मैं केवल इसके एक ही जुमले की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दो शब्द कहना चाहता हूं और वह है जो सेक्शन 24(ए) में आपने संशोधन किया है। यह हैं :

"रोजगार अथवा कार्यालय से बरखास्त या हटाया गया"

सभापति महोदय, मेरा यह सुझाव है कि एक और शब्द आप उसमें जोड़िए जैसा सुधार उसमें करने की जरूरत है उस वाक्य में और यह है :

"या इस्तीफा देता है"

[हिन्दी]

बाकी ज्यों का त्यों रहने दीजिए क्योंकि हिन्दुस्तान में बड़े लोग कभी डिसमिस नहीं होते हैं। बड़े लोग इस्तीफा देकर जाते हैं। जैसे आपके अटार्नी जनरल को डिसमिस करना चाहिए था। अगर किसी छोटी अदालत में किसी छोटे आदमी ने ऐसे पाप किए होते जो रामास्वामी ने किए थे, विधि मंत्री इस बात को कुबूल करेंगे कि उनको न केवल डिसमिस किया जाता बल्कि उनके ऊपर फौजदारी चलाई गई होती लेकिन चूंकि बड़ा आदमी है, अटार्नी जनरल के पद पर है तो कोई भी पाप कर सकता है और जब पाप का घड़ा बिल्कुल भर जाता है तब बड़े मान सम्मान के साथ इस्तीफा देकर चला जाता है। इसलिए इसके अन्दर जब आप संशोधन करने आ रहे हैं तो आपकी तरफ से भी इसमें संशोधन आए कि

[अनुवाद]

"चरित्र हनन के किसी आरोप के आधार पर रोजगार अथवा कार्यालय से बरखास्त किया गया, हटाया गया अथवा उसने इस्तीफा दे दिया"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, जबकि आप यहां कानून के बारे में बात कर रहे हैं तो इस देश में अमीर के लिए, बड़े आदमी के लिए एक कानून का अमल एक ढंग से होता है।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

और गरीब के लिए, छोटे आदमी के लिए उसी कानून का अमल दूसरे ढंग से हो, इसे जब तक आप चलाते रहेंगे तब तक कौन-सी बड़ी बात होगी, कौन-सा इन्साफ, कौन-सा कानून, कौन-सी लोक अदालत, कौन-सी दूसरी चीज काम में आने वाली है। इसलिये आज आप जो कानून में संशोधन लेकर यहां आए हैं, मैं उसमें एक और सुधार का प्रस्ताव आपके सामने रखते हुए, यह बताना चाहता हूं कि एटोर्नी जनरल के बारे में सरकार ने जो रुख लिया था, वह बिल्कुल गलत रखा था। मैंने प्रधान मंत्री को 19 सितम्बर को एक पत्र लिखा था और उनकी हर हरकत के बारे में पूरी जानकारी उन्हें दी थी कि कैसे उन्होंने एक विशेष एकाउन्ट, क्लीन लोन स्टैन्चार्ट बैंक से लिया है। यहां तक कि उस एकाउन्ट का नम्बर भी मैंने उन्हें दिया था। प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया था कि एटोर्नी जनरल के पद पर रहते हुए कैसे वित्त मंत्रालय का ब्रीफ लाकर, उसी वित्त मंत्रालय के जो दूसरे विभाग हैं, इन्कम टैक्स की जांच करने वाला विभाग है, जिसने बम्बई के इस घोटाले में फंसे हुये अनेक लोगों के सैकड़ों करोड़ रुपये के शेयर जब्त किये थे, इन एटार्नी जनरल ने अदालत मे खड़े होकर कहा कि मैं भारत सरकार का वकील हूं, इन्कम टैक्स डिपार्टमैंट अभी तक भारत सरकार का ही एक विभाग है, सरकार का मैं सबसे बड़ा विधि अधिकारी हूं, मैं आपसे कहता हूं कि इन शेयरों को वापस देना चाहिये, सैकड़ों करोड़ रुपये के शेयर उन घोटाले वाले लोगों को वापस दिलाने का काम आपके अटोर्नी जनरल ने किया। एक एकाउन्ट खोल दिया, वह एकाउन्ट नहीं था, वह कर्ज नहीं था, जिस एटोर्नी जनरल ने ऐसा लिखित स्टेटमैंट दिया है कि पिछले साल एक करोड़ 8 लाख रुपये मेरी आमदनी थी, वह 15 लाख का कर्ज क्यों लेगा। वे 15 लाख घूस थी। उस वक्त किसने सोचा था कि यह जानकारी बाहर आयेगी, किसने सोचा था कि खोज होगी जो 15 लाख का ओवरड्राफ्ट एकाउन्ट था, वह बाहर आयेगा। पैसा ले जाने का काम होता था। जमीन खरीदने के सौदे हो रहे थे। जब यह घोटाला सामने आ गया, सारा भाण्डा फोड हो गया, कोई उपाय नहीं रहा तब कहा गया कि यह एकाउन्ट क्लीन लोन था। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखकर कहा था कि आप इसकी जांच करायें. आप इस एकाउन्ट के बारे मे जाँच करें कि कैसे इन्होंने पैसा लिया। एटोर्नी जनरल के पद पर रहते हुये कैसे बैंक से, और उस बैंक से जो अपराधी नम्बर एक था। तमाम बैंकों में अगर आप सिटि बैंक को अपराधी नम्बर एक मानेंगे तो स्टैन्चार्ट अपराधी नम्बर दो है, एक हजार करोड़ रुपये का घपला उसमें है। विदेश से जो पूंजी लानी चाहिये थी, वह पूंजी नहीं लाई गई और वह हर प्रकार के रिजर्व बैंक के और देश के कानून को तोड़ने का काम वह बैंक कर रहा है। उसको सलाह देने का काम, घोटाला सार्वजनिक होने के बाद, एटोर्नी जनरल करें।

सभापति जी, जून महीने की 29 और 30 तारीख को, दो दिन के लिए वे पूना में जाते हैं और स्टैन्चार्ट वाले उनके लिए कमरे की बुकिंग कर लेते हैं, वहां के फाइवस्टार होटल में, ब्ल्यू डायमंड होटल में, और वहां वे अपराधियों के साथ दो दिन तक बैठते हैं। देश का एटोर्नी जनरल, जब ज्वाइन्ट पार्लियामेंटरी कमेटी यहां बैठी है, सी. बी. आई. की जांच हो रही है, आई. बी. की जांच हो रही है, दूसरी सब जांच हो रही हैं, एटोर्नी जनरल पूना में जाकर, स्टैनचार्ट का पैसा लेकर, उनके पैसे पर होटलों में बैठकर, दो दिन तक चोरों को सलाह देने का काम करे इस सरकार के खिलाफ सलाह देने का काम करे, जिससे वह तनख्वाह पाता है।

वे लन्दन जाते हैं और लन्दन जाकर उस स्टैन्चार्ट बैंक के सबसे बड़े अधिकारी से उनकी मुलाकात होती है, यहां वे गवाही देने के लिए आते हैं और गवाही के लिए आने के एक दिन पहले,

एटोर्नी जनरल के घर जाकर, उनको सलाह देकर आते हैं और फिर गवाही देने के लिए बैठ जाते हैं, और वे एटोर्नी जनरल के तौर पर यहां बैठते हैं। एक पत्रकार महिला बम्बई में हैं, गौरी गुरूमूर्ति जिनका नाम है। उन्होंने इन सब चीजों की खोज करने की कोशिश की, जब वे इनके पीछे लगीं तो जो जानकारी उनके हाथ में थी, उसकी कन्फर्मेशन के लिए जब उन्होंने कुछ प्रश्न उनको भेजे तो इन्होंने लिखकर दिया कि जो-जो प्रश्न आपने छेड़े हैं, वे सारे के सारे गलत हैं जबकि बाद में सिद्ध हो गया कि उनकी एक-एक बात सही थी मगर उनका लिखा हुआ उत्तर है कि ये सारी बातें असत्य हैं और वे एटोर्नी जनरल आकर बैठ जाएं...और उस महिला को सितम्बर के प्रथम सप्ताह में उन्होंने कहा कि ये उत्तर और दक्षिण का मामला है, चूंकि लड़की दक्षिण की है गौरी गुरूमूर्ति, सितम्बर के प्रथम सप्ताह में अटोर्नी जनरल उनको बोलता है तुम तो दक्षिण की हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि कैसे दक्षिण के लोगों को ये उत्तर के लोग तबाह करने के लिए लगे हुए हैं और अन्त में वही बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कह दी और उसके बाद भी वे अटोर्नी जनरल बन कर के बैठे रहे और आप विधि मंत्री, आपकी इतनी तारीफ हमारे मित्र लोढा जी ने की और आपने इस पर कुछ नहीं किया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): कर तो दिया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने कहां किया ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : वे अब अटोर्नी जनरल नहीं हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब कोई उपाय नहीं बचा था, तब तो आदमी निकल गया। इसलिए मेरी आज आपसे यहां प्रार्थना है कि इस विधेयक पर मुझे कुछ बोलना नहीं था, मोहन सिंह जी ने कहना था कह दिया, गुमान मल जी ने जो कहना था कह दिया, लेकिन सभापति जी, मैं इसलिए यहां पर खड़ा हुआ हूं कि एक मौका मिला इस संशोधन विधेयक के चलते कि इस सवाल को मैं सदन के सामने रखूं और विधि मंत्री से यह प्रार्थना करूं, अगर आप चाहें, तो प्रधान मंत्री को लिखे हुए पत्र को मैं आपको भी देने के लिए तैयार हूं। प्रधान जी मंत्री जी ने आपको दिया ही होगा। आपके पास तो यह होगा ही।

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : जो कुछ आपने कहा हम उससे पूरी तरह अवगत हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो फिर मेरा आज आपसे प्रस्ताव है नंबर एक कि इस कानून के अंदर उस संशोधन को जिस तरह प ला सकते हो, उस तरह से लाने का काम करिए, नंबर दो इस्तीफा देकर गए हुए आदमी को आराम से बैठने मत दीजिए, उन पर जहां मुकदमा चलाना हो, मुकदमा चलाइए। जो कारंवाई उनके ऊपर करनी जरूरी हो उस कारंवाई को आपके मंत्रालय में विचार-विमर्श करके, गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श करके और वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श करके, वह कारंवाई करने के लिए कदम बढ़ाईए। धन्यवाद।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : सभापति जी, एडवोकेट्स एक्ट में संशोधन कुछ खास उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और इसमें इन उद्देश्यों की चर्चा की गई है। उन उद्देश्यों में लीगल

[श्री विनय कुमार यादव]

प्रोफेशन को और ज्यादा सुदृढ़ करने और साथ-साथ वैलफेयर स्कीम को कैसे और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए, हैं।

सभापति जी, अभी जो स्थिति है उसमें न्याय पर से आम जनता का असर या उसके बारे में विचार बदलता जा रहा है और विश्वास उठता जा रहा है। आम लोगों में इस बात को महसूस किया जा रहा है कि न्याय बिकता है. न्याय के मिलने में करप्शन है और जो उसका स्तर है, वह स्तर काफी नीचे गिर रहा है। इसलिए विधि मंत्री के लिए यह आवश्यक था कि एडवोकेट्स एक्ट में संशोधन तो इन्होंने लाया है, ठीक है, बार-कौंसिल और स्टेट बार-कौंसिल के जिम्मे कुछ काम है, जिसके बारे में इन्होंने कुछ सुझाव दिया है, लेकिन केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी लेगी या नहीं ?

अभी जो स्थिति एडवोकेट्स की है, उसमें खासतौर से जो यंग एडवोकेट्स हैं, तो उनकी ओर से देश के हर राज्य में आन्दोलन चल रहा है। वे इस प्रोफेशन को ज्यादा गौरवशाली बनाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और इस तरह से मदद चाहते है जिसमें वे इस प्रोफेशन को ज्यादा आकर्षक बना सकें। केन्द्रीय सरकार जब एक एम्पलोई को बहाल करती है, तो उसके ऊपर कम से कम एक करोड़ रुपए उसके पूरे सर्विस टेन्योर में खर्च करती है और आज जो बेकारी का आलम चल रहा है, अच्छे पढ़े-लिखे जिनको नौकरी नहीं मिलती है वे लीगल प्रोफेशन को एडाप्ट करते हैं, लेकिन चूंकि फायनेंशियल वीक हैं, कमजोर हैं, न उनके पास किताब है, न उनके पास कोई बैठने की जगह है जहां वे मुवक्किल को बुला सकें, लीगल सवालों पर डिसकस कर सकें, अपने प्रोफेशन की तैयारी कर सकें, और जब प्रैक्टिस का शुरूआती दौर होता है तो उनका दिन काफी असहाय अवस्था में गुजरता है।

4.00 म० प०

भारद्वाज जी ला मिनिस्टर हैं। मैं 1980 से यहां हूं और उस समय से जितने भी ला मिनिस्टर हुए हैं, मैंने पर्सनली उनसे अनुरोध किया है और इनसे भी पहले अनुरोध किया है कि ऐडवोकेटस के बारे में केन्द्र सरकार को कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनकी फंडिंग के बारे में, उनकी किताबों की मदद के बारे में, उनके अपना चैम्बर बनाने के बारे में, यदि प्रीमच्योर डेथ हो जाए तो ये उनकी क्या मदद कर सकते हैं, पेन्शन की व्यवस्था हो सकती है या नहीं आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको यदि केवल बार काउन्सिल के ऊपर या स्टेट बार काउन्सिल के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो यह काम जितनी सफलता से या संतोषपूर्वक चलना चाहिए, नहीं चल सकेगा।

आपने इस अमेंडमेंट में फीस को ढाई सौ रुपए से साढ़े सात सौ रुपए बढ़ा दिया। एस० सी०, एस० टी० को उससे बरी रखा है, यह बहुत अच्छी बात है।

सभापति महोदय : आप कितना समय और बोलना चाहेंगे ?

श्री विजय कुमार यादव : मैं 3-4 मिनट और बोलूंगा।

सभापति महोदय : आप कल कन्टीन्यू कीजिए।

नियम 193 के अधीन चर्चा

4.01 म० प०

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि तथा गेहूं के आयात के कारण कृषि तथा किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि और गेहूं के आयात के कारण प्रभावित कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों की क्षति से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर आगे चर्चा करेगी। श्री वी० पी० सिंह।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): धन्यवाद, महोदय, जब यह सरकार सत्ता में आई थी। तो इसने राष्ट्र को कहा था कि इसकी विषय सूची में पहला और सबसे बड़ा मुद्दा भुगतान सन्तुलन से निपटना है। **(व्यवधान)**

श्री नितीष कुमार (बाढ़) : वित्त मंत्री महोदय अनुपस्थित है। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं अभी इस बात का उल्लेख कर रहा था। जब मैंने वित्त मंत्री महोदय को देखा तो मैंने चर्चा भुगतान सन्तुलन से प्रारम्भ की। **(व्यवधान)** उसके अनुसार उनके विमान ने उड़ान भर ली है। और हमारे संसाधन अर्थात विदेशी मुद्रा गेहूं की खरीद में चली गई है।

संसदीय कार्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद) : वे पूर्व वित्त मंत्री से उलझना नहीं चाहते।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय गेहूं का मुद्दा, किसानों का मुद्दा व अन्य मुद्दे होने के बावजूद मैं सर्वप्रथम भुगतान सन्तुलन का मुद्दा उठाना चाहूंगा।

यह हमारी आज की अत्यन्त गम्भीर समस्या है। आज सवाल उठाया जाता है कि हम अपने विदेशी मुद्रा भण्डार का उपयोग किस तरह करते है। हमारे पास कर्ज लिया हुआ विदेशी मुद्रा भंडार है। यह हमने कठिन परिश्रम से अर्जित नहीं किया है बल्कि यह तो बड़े अनुनय विनय से उधार रूप में प्राप्त हुई राशि हैं। इस राशि में से सरकार ने गेहूं के आयात पर 1500 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। इस राशि का हमें वापस भुगतान भी करना है। और आप इसका प्रयोग इस तरह कर रहे हैं? क्या आप इसका आधारभूत ढांचे के रूप में खर्च कर रहे है? क्या आप इसका पूंजीगत निवेश कर रहे हैं जिससे पुनर्भुगतान के लिए धनराशि प्राप्त हो? दो वर्ष के पश्चात आप इस 1500 करोड़ रुपए का वापस भुगतान किस प्रकार करेंगे? यह एक बहुत बड़ा विषय है। यह इसलिए भी बड़ा विषय हैं क्योंकि यह हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता से संबंधित है। गेहूं के आयात पर खर्च की जा रही 1500 करोड़ रुपए की राशि का वैकल्पिक प्रयोग क्या होगा? इसे विद्युत उत्पादन पर खर्च किया जाता क्योंकि विद्युत परिवहन में आधारभूत ढांचे संबंधी अड़चनें हैं। यहां तक कृषि क्षेत्र में हम सदैव समस्याग्रस्त ही रहते है कि इस क्षेत्र में पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है—तर्क यह दिया जाता है कि तत्काल राज सहायता प्राप्त होने के कारण इस क्षेत्र में पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है। आपका सदा यही तर्क रहता है। क्या यह सही मामला नहीं बनता कि यदि हम 1500 करोड़ रुपए यहां खर्च करते तो इस राशि को हम कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए खर्च कर

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

सकते थे ? 1500 करोड़ रुपए में 3 लाख नलकूप लग सकते थे अथवा नहरों या अन्यथा इतनी ही सिंचाई क्षमता सृजित हो सकती थी। तीन लाख नलकूपों से पांच करोड़ हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती थी और हमें कम से कम 50 लाख टन गेहूं प्राप्त हो सकता था। हम यह मात्रा प्रति वर्ष प्राप्त करते। इससे आत्म-निर्भरता आती। लेकिन इसकी बजाय सरकार ने अपराधिक कार्यवाही करके गेहूं के आयात के लिए एक ही बार में विदेशी मुद्रा व्यय करने का निर्णय लिया और यह भी 30 लाख टन मात्रा है जबकि इससे प्रतिवर्ष 50 लाख टन गेहूं की उत्पादन क्षमता उत्पन्न हो सकती थी। यह एक बात है। मैं इस सरकार पर विदेशी मुद्रा के अपव्यय और इस देश के भविष्य को कर्ज की जकड़ में रखने का आरोप लगाता हूं। इस सरकार ने यही किया है। यह एक पुराना फैशन है। इसका सार यह है कि हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं : उधार लो और फिर इसे खर्च करने का आसान तरीका अपनाओ।

हमने भी इसका सामना किया। माननीय कृषि मंत्री यहां हैं। आपको याद होगा जब हम सत्ता में थे तब खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। तब बहुत दबाव पड़ा कि विदेशी मुद्रा खर्च की जाए और खाद्य तेलों का आयात किया जाए। मैंने उन्हें कहा : क्या आप इस देश की आर्थिक स्वतन्त्रता चाहते हैं या सस्ते खाद्य तेल चाहते हैं ? मैं खाद्य तेल प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा व्यय कर सकता हूं और स्वयं को लोकप्रिय बना सकता हूं। शायद आपको कुछ सुख का समय मिला है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह तो देश के भविष्य को दांव पर लगाना होगा। मुझे लोगों से बहुत स्पष्ट उत्तर मिलेगा : नहीं हम आर्थिक सार्वभौमिकता चाहते हैं। सरकार ने इस देश की त्याग की भावना के तहत देशभक्ति की भावना को नहीं आंका है।

देश में गेहूं की एकदम कमी नहीं थी। हमारी फसल लगातार अच्छी रही हैं। अगली फसल भी अच्छी होगी। अगर व्यापारियों या अन्य के पास अनाज जमा था तो उसे निकालने की बजाय आयात करने और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यय करने का सरल तरीका अपनाया गया है।

अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बनावटी सहानुभूति दर्शाई जा रही है। मैं कहना चाहता हूं : क्या यह सच नहीं है कि आपके भंडार से 6.47 लाख टन गेहूं अक्तूबर 1991-92 के दौरान खुले बाजार के लिए जारी किया गया, न कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए। मैं बाहर जाने वाले गेहूं का उल्लेख नहीं कर रहा। आपने इसे खुले बाजार में जारी किया। अब आप विदेशी मुद्रा व्यय करके इतना ही भण्डार पूरा करना चाहते हैं। यह आपकी विदेशी मुद्रा का कम से कम एक तिहाई होगा। आपने 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा इस प्रकार व्यर्थ गवां दी है और गेहूं की कमी उत्पन्न कर दी है जिसे आप अपने भण्डार में रख सकते थे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सप्लाई कर सकते थे। यह तो घोर कुप्रबन्ध है। यह लोगों, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों तथा आमतौर पर अर्थव्यवस्था के साथ अत्यधिक अन्याय है। यह हमारे लिए एक स्पष्ट उदाहरण है।

स्थिति क्या है ? आप यह विदेशी मुद्रा उस समय व्यय कर रहे हैं जब अगली फसल आने वाली है और अच्छी फसल होने वाली है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। आप अपने मापदंडों के तहत भी ये तथ्य देखेंगे। आपने कितना निर्यात किया है ? मैं इस गेहूं के मामले को उद्धृत नहीं कर रहा बल्कि आपके मापदंड और नीति उद्धृत कर रहा हूं।

आपकी बड़ा भण्डार बनाने की नीति है। विभिन्न अवधियों के दौरान न्यूनतम भण्डारों की

सिफारिश की गई है। जैसा आप तर्क दे रहे हैं नौ मिलियन टन की हमेशा जरूरत नहीं होती। यह मात्रा तो संभवतः मौसम के शुरू में चाहिए। लेकिन जब नई फसल आने वाली होती है तो आपकी जरूरत कम होती जाती है। उदाहरण के लिए अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है तो आप 10 लीटर पैट्रोल डालते हैं ऐसा नहीं है कि आपको सदैव अन्त में भी 10 लीटर की ही जरूरत रहेगी। इसलिए नौ मिलियन टन का आंकड़ा काल्पनिक है।

मुझे याद है, जनवरी में जब हम सत्ता में थे तब भण्डार केवल 6 मिलियन टन थे। मेरे पास यह प्रस्ताव आया और मैंने कहा, "नहीं नई फसल आ रही है, मैं विदेशी मुद्रा व्यय नहीं करूंगा। हम इस छः मिलियन टन से स्थिति का सामना कर सकते हैं और नई फसल के आने पर हमें नया गेहूं प्राप्त होगा।" मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बड़ा भण्डार रखने की नीति के तहत 1 अप्रैल को जरूरत 3.7 मिलियन टन थी और आपके पास 1-4-1992 को 2.23 मिलियन टन गेहूं की मात्रा उपलब्ध थी। इसका मतलब है कि आपके पास केवल आधा मिलियन टन की कमी थी। जब नई फसल आई तो केन्द्रीय और राज्य पूल में गेहूं का कुल भण्डार 7.42 मिलियन टन था। इस नौ मिलियन के काल्पनिक आंकड़े को पाने के लिए आपकी गणनानुसार भी आपको वास्तव में डेढ़ मिलियन टन गेहूं ही चाहिए था। तीन मिलियन टन क्यों आयात किया गया? क्या यह विदेशी मुद्रा की आपराधिक फिजूलखर्ची और हमें कर्ज के जाल में फंसाना नहीं है? क्या मजबूरियां थीं? मेरे साथी जार्ज फर्नान्डीज ने इन मजबूरियों का उल्लेख किया था। अब समय आ गया है कि आप इन बातों को छिपाने की बजाय सही बात बताएं। इसलिए, गेहूं का यह आयात किसान विरोधी और उपभोक्ता विरोधी है और राष्ट्रीय आर्थिक हित के विरुद्ध है। यह भारतीय किसान के प्रति अविश्वास है। हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। गेहूं का उत्पादन बढ़ता आ रहा है। 1979-80 में यह लगभग 32 मिलियन टन था। मैं तो केवल आंकड़ों को मोटे तौर पर बता रहा हूं। 1990-91 के लिए यह आंकड़ा 54.5 मिलियन टन था। उत्पादकता 1036 क्विंटल प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 2274 क्विंटल हो गई है। इस प्रकार डरने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि यह बाजार में भी उपलब्ध था। आप दो ही परिस्थितियों में आयात कर सकते हैं अथवा आयात करना सही कहा जा सकता है जो इस प्रकार हैं कि या तो पूर्ण अभाव हो अथवा प्रचलित मूल्य बहुत अधिक हों। इसकी पूर्ण कमी नहीं है। मूल्य अधिक होने का कारण जमाखोरी है। इसका अर्थ है कि आपने कोई कार्यवाही नहीं की। मूल्यों में अस्थायी वृद्धि हुई थी। मैं हरियाणा में मोगा गया हुआ था। वहां प्रचलित बाजार मूल्य 3.20 रुपये अथवा 3.25 रुपये या 3.15 रुपये है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी शामिल है। वे हमारे घोषित मूल्य के बहुत समीप हैं। अतः न तो मूल्य वृद्धि है और न ही उपलब्धता का अभाव है। फिर भी आपने इस बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को व्यय करने का निर्णय लिया। आप इसके लिए किसके प्रति उत्तरदायी हैं? आप भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। हम आपको यूं ही विदेशी मुद्रा खर्च करने तथा हमें कर्ज के बोझ में लाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। यह संभव नहीं है और हम इसे सहन नहीं कर सकते हैं। यह कमी क्यों हुई? ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि बोनस और अन्य वस्तुओं के बाद 280 रु० का प्रस्ताव किया गया था। इसका अर्थ है 250 रुपये+25 रुपये+5 रुपये। यह ठीक है, आप ऐसा कीजिए। प्रचलित बाजार मूल्य अधिक था अर्थात् 225 रुपये अथवा कुछ इतना ही था और किसानों ने आपको वही मूल्य दिया था। यहां तक कि पंजाब सरकार भी अब उच्चतर मूल्य 370 रुपये की मांग कर रही है। लेकिन यदि आपने इसे 375 रुपये के हिसाब से दे दिया होता तो आपकी भण्डार की समस्या सुलझ जाती। चूंकि आप इसमें असफल रहे इसलिए आप किसानों को इसकी सजा दे रहे हैं। आप किसको

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

राज-सहायता दे रहे हैं ? आप कनाडा से 526 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहे हैं और आपने औसत 501 रुपये दिए हैं। यदि आप उस औसत को लें—मैं उस गणना के विस्तार में नहीं जा रहा हूं लेकिन इस मुद्दे की आम व्याख्या करने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप इसे घोषित मूल्य 3 रुपये की दर पर ले आएं, आपको इसमें लगभग 2 रुपये की राज-सहायता देनी होगी। यदि आप बाजार से 3.20 रुपये की दर से खरीदते हैं तो 20 पैसे की राज-सहायता होगी। आप किसी भी दर पर खरीदें, चाहे आपने इसे देश के किसी भी बाजार से ही खरीदा था, आपकी राज-सहायता काफी होगी। आप किसे राज-सहायता दे रहे हैं ? आप अमरीकी किसान की सहायता कर रहे हैं और उसके उत्पादन को यहां बेचने के लिए राज-सहायता दे रहे हैं, आप भारतीय किसान को सहायता देने की बजाय उसे सहायता दे रहे हैं ! मुद्दा यही है। भारतीय किसान की तुलना में कनाडा, आस्ट्रेलिया और अमरीका के किसान आपके लिए अच्छे हैं।

कल डंकल प्रस्ताव पाठ जिसे आम भाषा में डी. डी. टी. कहा जाता है के बारे में कहा गया था। यह डी. डी. टी. हमारे लिए है और भारतीय किसानों पर इसका छिड़काव किया जा रहा है; इसके पाठ में यह उल्लिखित है कि 3.3% कृषि उत्पादन का प्रावधान है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप इससे सहमत हैं। यदि आप इससे सहमत नहीं है तो आप इसका उल्लेख किए बिना इसे लागू क्यों कर रहे हैं ? श्री डंकल के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता लेकिन श्री डंकल यहां पहले स्थान पर बैठे हैं।

क्या यह सत्य नहीं है कि जो गेहूं पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके स्थान पर मक्का का उपयोग शुरू कर दिया गया था। इससे गेहूं की मांग कम हो गई और गेहूं को विदेशों में बेचने के लिए दबाब डाले जाने लगे। अब इसी का भार हम पर लादा जा रहा है। इससे हमें इस बात की याद आती है कि हम पी. एल. 480 के समय में वापिस चले गए हैं। वह एक गौरवपूर्ण दिन था जब हम यह कहते थे कि हम गेहूं का और आयात नहीं करेंगे और हम भारतीय किसान को अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता का संरक्षक मानते थे। आज यह दुखद क्षण आ गया है। सरकार ने विभिन्न अवसरों पर जो वक्तव्य दिए हैं उनसे यही पता चलता है कि हम आयात कर रहे हैं और लगातार आयात कर रहे हैं। कृषि मंत्री इस बारे में अवश्य चिंतित होंगे। मुझे विश्वास है कि वे इस मुद्दे पर विचार कर रहे होंगे जबकि वह इसे यहां स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर वे मंत्रिमंडल में इस बारे में अपनी आवाज उठाते होंगे।

महोदय, यह पद्धति अत्यन्त खतरनाक है। मैं इसकी अधिक व्याख्या नहीं कर सकता। मैं कुछ मुद्दों के बारे में बोल रहा हूं और उनकी समग्र रूप से व्याख्या कर रहा हूं कि यह इस देश में कृषि उत्पादन को कैसे प्रभावित करेगा। आप देखिए कि आपने क्या किया है। आप गेहूं का यहां भण्डार एकत्रित कर रहे हैं, और इससे उसकी कीमत कम हो रही है। जो किसान इसका उत्पादन करते हैं वे भी परेशान हैं। इसके साथ-साथ आपने किसान द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आदानों की कीमतें बढ़ा दी हैं। खाद की कीमतें इतनी अधिक बढ़ा दी हैं कि यह एक आम किसान की हैसियत से बाहर हैं। इससे क्या होगा ? यह ज्ञातव्य तथ्य है कि 1980 के बाद पूंजी निर्माण में गिरावट आई है। मैं एक प्राधिकृत स्रोत अर्थात् श्री हनुमन्था राव, जो कृषि के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं, के माध्यम से यह बता रहा हूं कि 20 वर्ष अर्थात् सन् 1960 से 1980 के बीच पूंजी निर्माण 1000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5000 करोड़ रुपये हो गया था। उस समय से इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई

और 1987 तक यह राशि 4,000 करोड़ रुपये ही रह गई। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ही पूंजी निर्माण की यही प्रवृत्ति रही। पूंजी निर्माण में यह स्थिरता या गिरावट क्यों है ? इसका कारण यह है कि व्यापार शर्तें किसानों के अनुकूल नहीं है। वास्तव में खाद्यान्न की वास्तविक कीमतों में गिरावट आई है। यदि हम 1971 में खाद्यान्न का सम्बन्धित मूल्य 100 रुपये लें उसकी तुलना में 1991 में खाद्यान्न की वास्तविक कीमत 80 रुपये ही बैठती है। पिछले बीस वर्षों के दौरान सामान्य कीमतों में वृद्धि के बावजूद खाद्यान्न की वास्तविक कीमतों में गिरावट आई है। यह एक अच्छी बात है। इससे उपभोक्ता और मजदूरी कमाने वालों को मदद मिली है। लेकिन जब पूंजी निर्माण नहीं हुआ हो, वास्तविक कीमतें गिर रही हों, उस समय आपने क्या किया ? यदि आप कच्चे माल की कीमतें बढ़ा देते हैं और अन्तिम उत्पाद की कीमतों को कम कर देते हैं, इससे पूंजी निर्माण में और भी कमी आयेगी। आप मुख्य क्षेत्रों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक बात है। इस तरह के कदम हमें खाद्यान्न के मामले में औरों पर निर्भर कर देंगे। यदि आप खाद्यान्न के मामले में औरों पर निर्भर हो जाते हैं खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हों इसका यही अर्थ निकलता है कि आपने अपनी आजादी बेच दी है आप खुद आत्मनिर्भर रूप से अपना रास्ता नहीं चुन सकते हैं।

उत्पादन का क्या होगा ? मांग में लोच के कारण खाद की कीमतों में 30 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। यह लोचविहीन मांग नहीं है। अध्ययनों से यही पता चलता है। यह इससे भी ज्यादा हो सकती है।

जहां तक फास्फेट खाद का संबंध है यह दो-तीन गुना ज्यादा मंहगा हो चुका है इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है वास्तव में यह बहुत बड़ी कमी है।

इसका रोजगार पर क्या असर होगा ? इन सबके कारण श्रमिक, मजदूर और किसानों को नुकसान होगा। इसके अलावा मिट्टी का क्या होगा ? फास्फेटीक खाद की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप किसान खाद का कम इस्तेमाल करेंगे। आप नाइट्रोजन देते रहेंगे लेकिन उतना नहीं दे पायेंगे जितनी आवश्यकता है। इससे मिट्टी में असमानताएं आयेंगी। जिक का ज्यादा उपयोग होगा और ज्यादा से ज्यादा पौधे रोगग्रस्त होंगे। इसका हल कौन खोजेगा ? क्या कोई सरकार इसका हल खोजेगी ? दुर्भाग्यवश विश्व को एक बैंक चला रहा है और यह देश लेखाकारों के समूह द्वारा चलाया जा रहा है। हम केवल वित्तीय संतुलन की चिंता कर रहे हैं और दूसरी ओर देश के वास्तविक आर्थिक संतुलन को भूल रहे हैं। देश का तुलन पत्र क्या होगा ? समर्थन मूल्य में वृद्धि और खाद की कीमतों में वृद्धि से कैसे निबटा जायेगा ? प्रधानमन्त्री ने ऐसा ही कहा है। सीमान्त किसानों को किस प्रकार लाभ होगा जैसे वह किसान जिनके पास बेचने के लिए अतिरिक्त उत्पाद नहीं है ? हमारे यहां इस प्रकार के किसानों का प्रतिशत 76 प्रतिशत है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : 500 करोड़ रुपये हैं···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या आप उनसे 9000 करोड़ रुपये लूट रहे हैं। आपने खाद पर सब्सिडी को वापिस ले लिया है। प्रधानमन्त्री ने स्वयं यह कहा है कि यदि हमने खाद पर सब्सिडी जारी रखी होती तब हमें 9000 करोड़ रुपये देने पड़ते। आप किसानों के 9000 करोड़ रुपये लूटकर उन्हें केवल 500 करोड़ रुपये दे रहे हैं। यह किसानों को बड़ी सफाई से लूटना है और

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

किसानों को लूटने का यह तरीका बहुत लाभदायक है। माननीय कृषि मंत्री, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें दबाव डालना चाहिए। सारी स्थिति विकृत हो रही है सामान्यतः यह तर्क दिया जाता है कि यदि आप सारे संसाधन ले लेते हैं तब हम पूंजी निर्माण नहीं कर पायेंगे। अतः हमें राजसहायता वापिस ले लेनी चाहिए। ठीक है। कृपया इस बात की पुष्टि करें कि 9000 करोड़ रुपये लिए गए हैं। हम 6000 करोड़ रुपये लें या जो भी अतिरिक्त राशि आप लेना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे हमें 6000 करोड़ रुपये लेने चाहिए क्योंकि प्रधानमन्त्री महोदय ने 9000 करोड़ रुपये के बारे में कहा है और यदि मैं कहूं कि हमें 9000 करोड़ रुपये लेने चाहिए तो आप मेरी बात में संशोधन करके कहेंगे कि हमें 6000 करोड़ रुपये लेने चाहिए।

अब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि 6000 करोड़ रुपये कृषि के आधारभूत ढांचे पर खर्च होंगे? क्या ऐसा होगा? क्या मैं अगले बजट में ऐसा पाऊंगा? क्या आप अपने उत्तर से इस संबंध में कुछ कहेंगे? सिर हिलाने को रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाता। विशेषाधिकार का प्रश्न तब पैदा होता है जब आप खड़े होकर अपनी बात कहते हैं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसे भी घटक हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। केवल मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है। मूलभूत ढांचा, आपकी प्रौद्योगिकी, आपकी सिंचाई व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

अब आपको इस राजसहायता की पुष्टि करनी चाहिए, मैं इसे आधारभूत ढांचे में लगाने को तैयार हूं। यदि आप 1500 करोड़ रुपये खर्च करते तो आप इससे 3 लाख टन उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 6000 करोड़ रुपये खर्च करते है तो आप देखेंगे कि इससे क्या होगा? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। इसी कारण श्री मनमोहन सिंह विदेश चले गए हैं यदि आप इस संबंध में कोई टिप्पणी लिख भेजेंगे तो वे इसे अस्वीकार कर देंगे।

यह उर्वरक मूल्य संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट है। अन्य सिफारिशें तत्काल लागू कर दी गई हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्री सैयद शाहाबुद्दीन की टिप्पणी एकीकृत नहीं की गई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो गया है कि कृषि क्षेत्र को उर्वरक अक्षमता का दण्ड भुगतने के लिए कहा जा रहा है। कई एकक ऐसे हैं जहां क्षमता उपयोग मात्र 53 प्रतिशत है। इसका मूल्य किसानों को चुकाना पड़ता है, इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं नहीं जानता कि अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। वास्तव में हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम आदान लागत को कम करने का प्रयास करें। आदान लागत में वृद्धि न होने से व्यापार में सुधार आएगा, लाभांश प्राप्त होगा। किसानों की पूंजी बढ़ेगी और इसके साथ-साथ उपभोक्ता भी लाभान्वित होगा, क्योंकि खाद्यान्नों पर कोई लागत नहीं आएगी। यह एक महत्वपूर्ण समझने की बात है। लेकिन इस समिति की अन्य सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अब हम प्राकृतिक गैस के मुद्दे पर आते हैं। प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य बाजार मूल्य प्रणाली से नियत होता है लेकिन इसके बारे में निर्णय सरकार करती है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 101 में निम्नलिखित तथ्य दिया गया है :

> "समिति के देखने में आया है कि प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता मूल्य निर्धारित करने के लिए आयातित 'फरनेस आयल' को आधार रूप माना जाता है जिसका कि वास्तविक उत्पादन लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार उत्पादित गैस के मूल्य निर्धारण के लिए दक्षिण बेसिन क्षेत्र से प्राप्त गैस के उत्पादन लागत को आधार माना जाता है। इसमें गैस की लागत के भारित औसत को नहीं लिया जाता है।"

अपने वित्त मंत्री काल में मैंने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके पश्चात् मैं वित्त मंत्रालय से हट गया था। और यह गैस की समस्या अभी तक वहीं की वहीं है। यह एक काफी नाजुक मुद्दा है।

श्री बलराम जाखड़ : हम ऐसा करेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम आपको हर तरह का समर्थन देंगे। यह एक तरीका है। निस्संदेह उर्वरक उद्योग द्वारा दी गई रायल्टी जैसी अन्य बातें आती हैं। उसके पश्चात् एच॰बी॰जे॰ पाइप लाइन के लिए बेची गई गैस की सप्लाई करने संबंधी प्रभार इसकी लागत से अधिक प्रतीत होते हैं। यह सब इस तरह उत्तरोत्तर चलता रहता है जिससे उर्वरक के मूल्य बढ़ जाते हैं और उर्वरक मूल्य वृद्धि का भार पुनः किसानों पर लाद दिया जाता है। अतः हमारे समक्ष यह सब बातें स्पष्ट है। और इस परिदृश्य का वास्तविक मतलब क्या है ? अब यह मुद्दा भोजन अर्थात् गेहूं पर आ गया है। जब आप भोजन की बात करते हैं तो यह मामला किसानों का ही नहीं रह जाता। इसका संबंध उपभोक्ता, मजदूर हर किसी से हो जाता है। यह एक मुख्य क्षेत्र है। यह हमारी प्रभुसत्ता का प्रतीक है और रोजगार के लिए भी यह सबसे बड़ा क्षेत्र है और अब इस तरह की धमकी दी जा रही है, अपनी नई आर्थिक नीति बनाते समय यदि आप उद्योग के पुनर्गठन की बात सोचते हैं तो औद्योगिक पुनर्गठन, अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन वास्तव में कृषि क्षेत्र से ही किया जा सकता है। आज तक कृषि नीति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। डेढ़ वर्ष बीत गया है लेकिन जब तक किसानों ने इस संबंध में रामकोला में एकजुट होकर अपनी आवाज बुलन्द नहीं की तब तक कृषि नीति का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मैं रामकोला, कर्नाटक में देवानगेरे और कई अन्य स्थानों के इन गरीबों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। केवल उसके पश्चात् ही हमने केवल दूरदर्शन पर ही देखा कि किसान पगड़ी बांधे आ रहे थे और शायद आपने भी किसानों के बारे में कुछ कहने की अनुमति ली थी। आप पहले भी कुछ कहना चाहते थे।

श्री बलराम जाखड़ : मैं अनुमति नही लेता।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं जानता हूं, लेकिन उसके पश्चात् ही हम किसानों के बारे में और अधिक सुनने लगे। यह एक अच्छा प्रतीक है।

यदि आप पुनर्गठन की बात सोचते हैं तो कृषि उद्योग में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन करने संबंधी नीति पर बल दो। इससे हम गांवों में ही रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे जिससे कृषि भूमि पर भी जनता की निर्भरता कम हो जाएगी और लोगों का शहरों को पलायन भी कम होगा। वहां सृजित मांग और पैदा हुई खरीद शक्ति से जन उपभोग की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी जिससे जन

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

उपभोग की वस्तुओं में निवेश करना अधिक लाभदायक हो जाएगा। हो सकता है कि मारुति की मांग में वृद्धि न हो लेकिन हो सकता है साईकल और मोटर साईकल की मांग बढ़े और यह मांग तथा फिर क्रय करने की शक्ति से उद्योग पर पुनः प्रभावपूर्ण परिवर्तन आयेगा तथा इससे इसमें निधियां लगाना भी लाभकारी हो जाएगा।

अतः नयी आर्थिक नीति में कार्य शैली का आधार यही रहेगा। मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना और मैं इसके बारे में जानना नहीं चाहता हूं। दुर्भाग्य से किसान ही मुख्य घटक हैं क्योंकि एक कारखाने में आप साईकल, मोटर साईकल, हवाई जहाज, बम, परमाणु बम, कुछ भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी कारखाने को एक दाना गेहूं या चावल का उत्पादन करने को कहें तो इसका उत्पादन नहीं हो सकता है। इस तरह की स्थिति में मैं समझता हू कि हमारे यहां एक व्यापक कृषि नीति होनी चाहिए जिसके माध्यम से वहां काम करने वाले श्रमिक, किसान तथा कृषि उद्योग के ट्रान्सपोर्टरों का भी ख्याल रखा जा सके। मैं इसमें डीलरों को भी शामिल करता हूं। यही कृषि गतिविधि का आधार भी है और देश की आवश्यकता भी यही है।

श्री बलराम जाखड़ : हम इस संबंध में आशावान हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, आप तो ऐसा ही फरमायेंगे। यदि आप 1980 से 1991 तक की पूंजी निवेश व्यवस्था को देखें तो देखेंगे कि कृषि में केवल 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि इसी अवधि में उद्योग में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारी प्राथमिकताएं कहां हैं ?

इस वर्ष के बजट में टेलीफोन के लिए लगभग 4819 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है अर्थात् लगभग 50,000 करोड़ रुपये का जबकि सिंचाई के लिए 231 करोड़ रुपये रखे हैं। आप तो कहेंगे कि यह राज्य विषय है, मैं इस बात से सहमत हूं। अतः देश में होने वाले सम्पूर्ण निवेश को राज्यों में होने वाले निवेश सहित ही लिया जाना चाहिए। यह एक केन्द्र का विषय है, आप तो यही तर्क देंगे लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि यदि खाद्य समस्या आये तो क्या किया जाए ? क्या राष्ट्रीय प्राथमिकता को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है ? क्या आप यह नहीं कहेंगे कि टेलीफोन वाले निवेश में से आधा सिंचाई के लिए आबंटित कर दिया जाए ? खाद्य आवश्यक है या टेलीफोन आवश्यक है ? क्या हमें केवल इतनी ही आवश्यकता है कि हम टेलीफोन पर यह कह सकें कि हम भूखे हैं और मर रहे हैं ?

अतः राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संबंध में पुनः गौर करने की आवश्यकता है, इस तरफ धन आबंटित करने, व्यापार में सुधार लाने, कृषि आदानों की लागत घटाने की जरूरत है तथा इस देश में इस बात की भी जरूरत है कि कृषि उत्पादों का एक जगह ढेर न लग जाए।

जब मैंने खाद्य तेल का आयात नहीं किया तो एक वर्ष के लिए कीमतें बहुत बढ़ गयी थीं लेकिन अगले वर्ष और बाद के वर्षों में किसान ने इतना अधिक उत्पादन किया कि आयात नीचे आ गया और कीमतें भी गिर गयीं। अतः बजाय इसके कि फालतू में ही कमर कसी जाए और कीमत मे वृद्धि नहीं होने पर भी 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जायें, ऐसा ही साहस दिखाया जाना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि कल ही मध्य प्रदेश से खबर

मिली है कि यद्यपि धान को लाने ले जाने में सरकारी तौर पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा सरकारी तौर पर कोई भी किसान 100 क्विंटल धान बिना अनुमति लिए ले जा सकता है तथा एक प्रावधान भी किया गया है कि समाहर्ता से अनुमति ली जानी चाहिए। यह अनुमति चार माह तक भी नहीं मिलती है और यही तरीका पंजाब और अन्य जगहों में अपनाया जाता था। इस तरह से खाद्यान्न को लाने ले जाने पर अवैध रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाता था अतः यहां इस बात के बावजूद कि कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिए राज्य भी अवैध ढंग से कार्य करते हैं। फिर यदि कोई भी प्रतिबन्ध हो तो इसे हटाया जाना चाहिए।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी यहां आकर भारतीय बाजार में कहीं भी अपना माल बेच सकती है और एक किसान होने के नाते मैं जो कि यहां पैदा हुआ हूं तथा इसी मिट्टी से मैं जो उत्पादन करता हू उसे भी मैं अपने बाजार में अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में नहीं बेच सकता हूं। क्या किसान अपनी ही भूमि में विदेशी है? एक सुविधा जो कि एक विदेशी को प्राप्त है वही किसान को नहीं मिलती है। अतः मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहूंगा कि हम खाद्यान्न लाने ले जाने पर लगे इस प्रतिबन्ध का उल्लंघन करेंगे। हम तो आगे इस संबंध में अनुमति भी नहीं लेंगे। हम खाद्यान्नों को सारे राज्यों में लायेंगे और ले जायेंगे और यदि राज्य की शक्ति आड़े आयेगी तो किसान शक्ति भी पूरी तरह से विरोध में लग जाएगी।

श्री बलराम जाखड़ : आपका बहुत धन्यवाद। हम आपका समर्थन करेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं जानता हूं कि मैं तो आपका मित्र हूं लेकिन आपका कोई दोस्त नहीं बना है। यही मेरी समस्या है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : राजा साहब, आपको बहुत देर से याद आई। जब आप कर सकते थे तब आपने क्यों नहीं किया? अब मैं कर रहा हूं तो आप अब कह रहे हैं।

डॉ० कृपासिंधु भोई (संबलपुर) : 11 महीने में क्या कर सकते हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां दस्तखत होगा वहां करना पड़ेगा चाहे मंडल हो चाहे अन्य चीजें हों। इस पर आप बहस मत कीजिएगा। वह दूसरी बहस हो जाएगी।···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

अतः यह खाद्यान्न लाने ले जाने की एक मांग है। यहां ट्रांसपोर्टर ही एजेंट भी है। मैं मोंगा गया था, वहां 'आल इंडिया परमिट' वाले ट्रक भी थे ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होते है लेकिन ट्रक मालिकों को पंजाब में यह परमिट प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। यह परमिट व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। बल्कि एक शुल्क प्रणाली होनी चाहिए। जैसे कि हम रेडियो टेलीविजन के लिए शुल्क देते हैं लेकिन हमें अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। अधिकांश परेशानियां नकली अभाव के कारण हैं जिन्हें उत्पन्न किया गया है। सोनीपत में गेहूं की बिक्री दर 310 रुपए या 315 रुपये अथवा 320 रुपये प्रति क्विंटल है और मुम्बई में यह 8 रुपये या 7 रुपये प्रति किलो है। ऐसा इन अड़चनों के कारण है।

अतः मेरी दूसरी मांग है कि जहां तक वाहक का सम्बन्ध है, यदि वह खाद्यान्न ले जा रहा है तो कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अन्यथा एक शुल्क व्यवस्था होनी चाहिए परन्तु अनुमति प्राप्त

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इन अड़चनों को दूर किया जाना चाहिए।

साथ ही, जहां तक उपभोक्ता का सम्बन्ध है, यद्यपि कि यह राज्य से सम्बन्धित विषय है, परन्तु यदि हम इस पर बात करें तो समझौते द्वारा आम राय तैयार की जा सकती है। भोजन ही जीवन है। अतः जीवन पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए। खाद्यान्न पर बिक्री कर अथवा चुंगी नहीं लगायी जानी चाहिए। हमें राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता की शुरुआत करनी चाहिए और इस विषय पर पहल करनी चाहिए। अतः जीवन पर कर के रूप में कम से कम खाद्यान्नों पर बिक्री कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

फिर कृषि पर आधारित उद्योगों की बात आती है। यहां जब आप सभी प्रकार के लाइसेंस प्रणाली की अनुमति दे रहे हैं तो आप कानून भंग कर रहे हैं। हम इससे सहमत नहीं है लेकिन इस कृषि उद्योग के लिए मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 70 प्रतिशत गन्ने की पेराई मिलों द्वारा नहीं होती है। यदि आप चीनी मिल की मांग करते हैं तो यह उपलब्ध नहीं है। एक या दो मिल उपलब्ध हो सकते हैं। हमने निर्णय लिया था परन्तु इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। यदि गन्ने के क्षेत्र से 15 कि०मी० की दूरी के बाद चीनी मिल लगाया जाना है तो इसे स्थापित कर देना चाहिए। इसमें और प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।

अनेक लघु कृषि उद्योग हैं। उत्पाद शुल्क का ढांचा इस प्रकार है कि इससे इनकी संख्या आधी होती जा रही है। ब्याज दरों के कारण भी लघु उद्योग क्षेत्र में कमी आती जा रही है। मैं सिर्फ उद्योगों की बात कर रहा हूं क्योंकि यही किसानों का बाजार है। जब तक किसानों के बाजार का हम विकास नहीं करते हैं, हम किसानों को उन्नत नहीं बना सकते हैं। इससे श्रम को भी रोजगार प्राप्त होगा। अतः यह मेरी पूरी बात है जिसके लिए मैं आपसे सिफारिश करूंगा और अनुरोध करूंगा कि आप इस नई नीति को तैयार करें। हम नहीं जानते हैं कि किस रूप में इसे तैयार किया जाएगा।

मैं सिर्फ एक या दो बातों का और उल्लेख करूंगा। माननीय मंत्री जी ने यह उल्लेख किया है कि क्षतिपूर्ति पर कोई सम्पत्ति कर नहीं लगाया जाएगा। यह सम्पत्ति कर नहीं है बल्कि पूंजीगत लाभ है। लेकिन प्रश्न सिर्फ़ क्षतिपूर्ति का है। अब बाजार के दबाव के कारण औषधियों की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है। लेकिन जब आप किसान की जमीन खरीदते हैं क्यों क्या आप उसे बाजार का मूल्य देते हैं?

श्री बलराम जाखड़ : प्रश्न अधिग्रहण का है। सरकार भूमि का अधिग्रहण करती है। किसान को इसे बेचना नापसंद हो सकता है और उसे इसे बेचने के लिए बाध्य किया जाता है क्योंकि इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। मैंने उस सन्दर्भ में यह बात कही है और मैं सोचता हूं कि मैं सही हूं। उस पर कर क्यों लगाया जाए क्योंकि यह इससे अलग नहीं है? यह ऐसी सम्पत्ति नहीं है जिसे उसने लाभ प्राप्त करने हेतु लिया है। उसे यह विरासत में प्राप्त हुई है और वह इसे छोड़ना नहीं चाहता है। जब उसे विवश किया जाता है तभी वह ऐसा करता है। इसी कारण मैं ऐसा कह रहा था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह मेरी मांग भी है। लेकिन मैं तकनीकी रूप से आपकी सहायता कर रहा हूं। जो कर लगाया जाता है वह पूंजीगत लाभ है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं कोई विज्ञान नहीं जानता हूं। मैं एक किसान हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह प्रश्न बाद में उठेगा। उसे क्या कीमत प्राप्त होती है? मैं इस बात से सहमत हूं कि देश शायद सड़कों और नहरों के लिए इन मूल्यों का वहन नहीं कर सकता है क्योंकि हमें विकास की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी ये कीमतें प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन जब शहरीकरण की बात होती है, सरकार इसके पश्चात् अच्छा मुनाफा लेती है। जो चीज उसे पीढ़ियों से प्राप्त है उससे वह क्यों वंचित हो जाए जिसे नाममात्र की कीमत पर ले लिया जाता है मैं सोचता हूं कि नई नीति को इसी मुद्दे पर आधारित किया जाना चाहिए।

दूसरी बात बकाये राशि की आती है। हमें बकाए राशि का मुद्दा उठाना चाहिए। रामकोला में किसानों को एक वर्ष से बकाए राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यह राशि एक वर्ष से यह किसानों विशेषकर हरिजनों तक नहीं पहुंच पायी है। मैंने एक किसान के पुत्र से यही प्रश्न किया था।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : रामकोला में किसी भी किसान का बकाया नहीं है इस वर्ष तक यही मेरा आपसे कहना है। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशखबरी आपने दी है कि सारा बकाया अदा हो गया, लेकिन जब मैं गया था ··**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

दलित किसान अथवा श्रमिक जो भी हो, उसके लिए सिर्फ 800 रुपया ही था। प्रश्न यह नहीं है। मैं रामकोला को उजागर नहीं कर रहा हूं। मैं आपके समक्ष बातों को रखना चाह रहा हूं। **(व्यवधान)** मैं यह कहना चाहता हूं कि जब किसान गेहूं बेचता है तो राशि बकाया नहीं होती है। जब वह धान की बिक्री करता है तो धनराशि बकाया नहीं होती है लेकिन जब वह गन्ने की बिक्री करता है तो बराबर ही पूरे देश में इसकी राशि बकाया रह जाती है। यदि आप पूरे देश में इस बकाये राशि की बात करें तो यह एक बहुत ही बड़ी धनराशि होगी। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में यह 320 करोड़ रुपया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उपस्थित न करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसानों को दी जाने वाली उद्योग की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, तो उसमें जब चीनी मिलें गन्ना किसानों को पर्ची देती हैं कि हमने उनसे इतना गन्ना प्राप्त किया है, तो इस पर्ची को ही चैक माना जाना चाहिए और 15 दिन के भीतर इसका भुगतान होना चाहिए। भुगतान न किए जाने की स्थिति में इसे दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए क्योंकि भले ही उसने अपना सामान सुपुर्द न किया हो यदि किसी चैक का भुगतान नहीं होता तो इसमें जेल की

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

सजा हो सकती है। लेकिन यहां तो इसने अपना सामान सुपुर्द किया है। इसलिए एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सभी को भुगतान के लिए बाध्य किया जा सके।

अन्त में, मैं यह कहूंगा कि आपको हमें अर्द्धसत्य बताने की अपेक्षा, कि गेहूं का फ्री-आन-बोर्ड मूल्य 267 रुपये है और फिर इसे सही करते हुए यह कहना कि ऐसे क्रय आदेश तो सूखे की स्थिति के समय दिए गए थे और फिर बरसात के बाद भी और अधिक क्रय आदेश देना, आदि मामलों को अधिक गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं यह नहीं कहना चाहता कि बार्सिलोना में हमें कोई मेडल क्यों नहीं मिल पाया, लेकिन मैं यह सोचता हूं कि आधी सच्चाई कहने के मामले में यदि इसमें कोई मेडल आदि रखे जायें तो इस सरकार को मेडल जरूर ही मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि उर्वरकों के मूल्य कम करके पुराने स्तर पर बहाल किए जाएं और जितना गेहूं विदेश से आना बाकी है, उसका निर्यात तुरन्त रोक दिया जाए।

इन्हीं दो मांगों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं : (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : चेयरमैन सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। जब मैं यहां से कभी गांव जाता था, तो कुछ बच्चे और हरिजन मुझे घेरकर इकट्ठे हो जाते थे और कहते थे कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है कुछ बातें हमें बताओ, मैंने कहा कि वहां हरिजनों और किसानों के बारे में कोई बात ही नहीं होती, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे 8 महीने हो गए, उस दौरान किसी ने कोई बात नहीं की और पंजाब के बारे में अब गेहूं की बात चली है, तो यह सारी पंजाब के बारे में ही है, तो अब इस बारे में कहूंगा। नहीं तो मैं देखता था कि एक राजा अर्जुन सिंह यहां बैठे हैं और उधर दूसरे राजा वी० पी० सिंह बैठे हैं, दोनों राजा बातें करते रहते हैं, इनके अलावा मैंने कोई बात नहीं सुनी।

चेयरमैन सर, पंजाब में बड़े पैमाने पर गेहूं पैदा होता है। 80 फीसदी लोग पंजाब में खेती-बाड़ी का कारोबार करते हैं, खेती पर निर्भर करते हैं। गेहूं की कीमत के बारे में उपज के बारे में बात हो रही है। गेहूं की उपज के बारे में जो कुछ हो रहा है, वह तो जब हम 1947 के पहले मिंटगुमरी में थे, तब जितनी पैदावार होती थी, उतनी ही आज हो रही है। एक बार का मुझे मालूम है, मैंने अपने खेत में एक एकड़ जो उस समय 36-40 का होता था, उसमें गेहूं बोआ और 38 मन गेहूं पैदा हुआ, उतना ही आज हो रहा है, जब कि अब तो खाद भी डालनी पड़ती है और तब खाद के बारे में, रासायनिक खाद के बारे में हम जानते भी नहीं थे।

चेयरमैन सर, इससे पहले साल कनक का भाव ठीक रहा था। 6-7 रुपये किलो आटा पंजाब में मिल रहा था और अब कनक 3 रुपये किलो बिक रही है। पहले जब हम हिन्दुस्तान आए थे, तो आटे का एक टीन, 16 किलो का पीपा भरकर एक रुपए मिलता था और अब वही एक टीन 16 किलो का 100 रुपये में आता है। उस वक्त और इस वक्त का आप रेट देख लें। कहने को तो गांधी जी कहा करते थे कि हम जमीनों का नैशनलाइजेशन कर देंगे। यही बात पं० नेहरू भी कहा करते थे। वे जमीनें कहां नैशनलाइज हुयीं, किसने कीं, किसी ने नहीं कीं। अब तक कांग्रेस का ही राज रहा है। तीन साल मोरारजी भाई आए थे, वे भी कांग्रेसी ही थे। अभी भी कांग्रेसी ही हैं।

एक बार मैं और पंजाब के पैप्सू के चीफ मिनिस्टर वृषभान जी प्राइम मिनिस्टर के पास

आए थे। प्राइम मिनिस्टर के सैक्रेटरी ने कहा था कि हाँ, तुमको टाइम तो दिया था मगर प्राइम मिनिस्टर बिजी हैं, आप होम मिनिस्टर से बात कर लें। हम होम मिनिस्टर के पास चले गए। होम मिनिस्टर पंडित गोबिंद बल्लभ पंत थे। उन्होंने दूर से आवाज लगाई कि आये आ जाएं और बोले पैप्सू वाले क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो पैप्सू के मर्ज होने में तीन महीने रह गए, कोई बात नहीं हो सकती। मैंने कहा कि पंडित जी, पंडित नेहरू, गांधी जी, आप भी कहा करते थे कि जमीनें नेशनलाईज कर देंगे। आपने पैप्सू में तीन ऐसे वजीर बना रखे हैं जिनके 7-7 गांव हैं, जमीने हैं। वे पहले एक रियासत में राज करते थे, अब आठ रियासतों में राज करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इतनी जमीन है तो लैंड सीलिंग कर दो। मैंने कहा कि तीन महीने तो पैप्सू के मर्ज होने में रह गए, वृषभान जी खड़े हैं, उन्होंने तो असेम्बली की मीटिंग भी नहीं बुलाई है तो लैंड सीलिंग कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि मीटिंग बुला देंगे। हम पटियाला चले गए। जिस समय वहां पहुंचे तो हमारे घरों में स्पीकर की, सैक्रेटरी की चिट्ठी पड़ी थी कि फलां तारीख को विधान सभा का सेशन है, लैंड सीलिंग के बारे में डिस्कशन होगी।

ये जो वजीर बैठे हैं मैं इनको बता रहा हूं कि उस समय के वजीर क्या काम करते थे और ये क्या करते हैं। मीटिंग हो गई। मीटिंग में कमेटी बना दी। पंडित पंत ने लैंड सीलिंग करके छोड़ी। जो बात कही वह करके दिखाई। राजे बैठे रह गए कि लैंड सीलिंग न करें, पंडित नेहरू ने भी दखल दिया, मगर पंत जी ने करके दिखाया।

यही बात है, पंजाब में जमीनें जमीदारों के पास हैं, वे भी किसान की बात कर रहे हैं, ये भी किसान की बात कर रहे हैं। जमीन में तो किसान और खेत मजदूर, दोनों काम करते है तब अनाज पैदा होता है। किसान तो बाजार में चाय पीता रहता है। खेत में खेत मजदूर ही काम करता है। उसका भी इसमे हिस्सा होना चाहिए। उसकी किसी ने बात ही नहीं की। हरिजन की बात तो कर दी। कांग्रेस तो हरिजन से वोट लेती रहती है लेकिन उनकी बात नहीं करती है।

मेरा कहने का मतलब है कि गेहूं के रेट के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। इन्होंने गेहूं की पैदावार के बारे में बहुत अच्छी बात उठाई है लेकिन यह बात अब नहीं, मार्च-अप्रैल में करनी थी। अब तो रेट बढ़ने-घटने की कोई बात नहीं है। एक ही बात को देखते हुए आठ महीने हो गए। इन्होंने बाहर से गेहूं मंगाया है। अगर वह गेहूं हिन्दुस्तान में न आता तो पंजाब में सात रुपये किलो गेहूं होता। उस गेहूं ने पंजाब में, हिन्दुस्तान में रेट नहीं बढ़ने दिए।

वाजपेयी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं। ये पंडित नेहरू के समय में भी यहीं बैठे थे जहां अब बैठे है। मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे पंडित नेहरू को कि जो गलती की बातें होती हैं वह जनसंघ के सिर पर डाल देते हैं। ये बहुत वाकफियत वाले और समझदार आदमी हैं। इन्होंने किसान की जो बात उठाई है वह किसान की बात नहीं है। अब तो अनाज व्यापारी के पास है, किसान के पास नहीं है। ये व्यापारी की बात कर रहे हैं कि अनाज के भाव बढ़ने चाहिएं। अगर बहां से गेहूं आ गया है तो व्यापारी के भाव नहीं बढ़े, व्यापारी रो रहा है कि पिछले साल बहुत लूट मचाई थी, अब लूट नहीं मच रही है।

अभी बलराम जी ने एक ही बात अक्लमंदी की की है। जो बाहर से गेहूं मंगाकर गेहूं के भाव नहीं बढ़ने दिए तो बाकी बात यह है कि किसान का पहले ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आबादी बढ़ रही है तो गेहूं और चावल की भी जरूरत पड़ेगी। पंजाब वाले चावल की एक गट्ठी

[श्री हरचन्द सिंह]

भेजते हैं, यहां दिल्ली के फूड मिनिस्टर साहब बैठे होंगे, यह जो रेल गाड़ी पंजाब से चावल की जाती है उसके चार हजार रुपए लेते हैं यह किस चीज के हैं क्या वे रिश्वत के हैं और कहते हैं कि यह कांग्रेस की सरकार है। (व्यवधान) वे क्या काम कर रहे हैं इनको तो पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है। आपको तो किसान के लिए यह करना है कि जो चीज उसको जिस भाव पर पिछले साल मिल रही थी जैसे डीजल मिल रहा था उसका वही भाव होना चाहिए, जिस भाव पर खाद मिल रहा था उसका वही भाव होना चाहिए। जिस रेट पर उसको बिजली मिल रही थी उसका वही रेट होना चाहिए तो उसी रेट पर किसान अपना गेहूं देता रहेगा। आपको कोई दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

महोदय, आपने किसान के जिम्मे जो इतना बड़ा बोझ डाल दिया। पंजाब के 80 परसेंट आदमी खेतों में काम करते हैं और 80 परसेंट किसान कर्जे के नीचे दबे हुए हैं और यह कर्जा सरकार की गलतियों से चढ़ता है। (व्यवधान) व्यापारी को रियायत दे देते हैं। अब भाव के डिसकशन करने की यहां क्या जरूरत थी। (व्यवधान) आप रेट क्यों बढ़ा देते हो, क्योंकि अब किसान के पास तो गंदम है नहीं अब तो व्यापारी के पास है उनसे कुछ लेना है तो रेट बढ़ा दो। मेरा कहना तो यह है कि अब तो गेहूं बीजा है, बीजने का वक्त है उसमें खाद डालने का वक्त है। आप खाद के रेट कम करो, बिजली के रेट कम करो। आपने जो बिजली का रेट बढ़ाया है वह कम करो और चेयरमैन साहब, आप मेरी एक बात सुनिए जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनता है तो देखा जाता है कि कौन किसान बढ़िया है उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाओ और वह सबसे बढ़िया किसान छांटकर बनाया है। सबसे बढ़िया खूबसूरत है और लम्बा भी, सबसे बढ़िया किसान बनाया है लेकिन इस किसान को क्या पता कि यह गरीब मजदूर ने भी मेरे साथ काम करना है। खेत मजदूर की भी तो बात करो, खेत मजदूर को पहले किसान छठा हिस्सा देते थे उसको सीरी बोलते थे लेकिन अब बलराम जी ने किसानों को समझा दिया कि हरिजनों को सीरी बनाने की क्या जरूरत है उनको नौकर बना लो, पैसे दे दो क्योंकि गेहू का भाव तो बहुत बढ़ जाएगा। (व्यवधान) लेकिन ये जो हिन्दुस्तान में इतने सारे गरीब हरिजन हैं वे तो भूख से मर जायंगे अगर आप गेहूं का भाव बढ़ाएंगे। इसलिए गेहूं का भाव नहीं बढ़ना चाहिए।

किसान को भी तंग न करो। जब बिजाई के दिन आ गए उस वक्त जिस चीज की जरूरत थी उनका रेट बढ़ा दिया। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करता हूं, आज मैं सरकार से यह कहूंगा कि पंजाब का भला इसमें है कि किसान को जिस चीज की जरूरत है जैसे डीजल, बिजली की जरूरत है इसके लिए जो रेट आप पहले लेते थे वही दाम पर आप अब भी दो।

5.00 म० प०

किसी चीज के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाने वाले भी हैं। दिहाड़ी पर जो मजदूर काम करता है, उसको भी खाने की जरूरत है। गेहूं का भाव तो है 3 रुपये किलो और आटे का भाव है 6 रुपए किलो, क्या बात है, क्या कहने हैं। उनको कोई नहीं देखता क्योंकि व्यापारी तो इलेक्शन के लिए हर पार्टी को पैसा देते हैं, लेकिन यह किसने देखना है। पंजाब पर रहम करो, पंजाब बड़ी मुश्किल में है, पिछले कई वर्षों से पंजाब ने बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजारी है। लाखों हिन्दू वहां से निकल कर आ गए हैं, लाखों लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं और ये लोग जब बिजनेस करते हैं तो इनको भी तंग न किया जाए, उनसे चावल की गाड़ी का

4000 रुपया रिश्वत का न लिया जाए। कारखानों के लिए जो बिजली दी जाती थी उस रर 5-10 पैसे नहीं एकदम 65 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, पहले एक रुपया रेट था, अब 1.65 रुपया रेट कर दिया गया है, जिससे व्यापारी भी कारखाने छोड़कर बाहर चले जाएं। इन सारी चीजों की तरफ और पंजाब की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, पंजाब बड़ी मुश्किल में है, वहां के लोगों ने बड़ी मुश्किल से जिंदगी काटी है। हम सरदार बेअंत सिंह को धन्यवाद देते हैं कि अब से उन्होंने वजारत ली है, लोग खेतों में काम करने लगे हैं और खेतों में काम होने का परिणाम यह है कि इतनी ज्यादा वहां पैदावार हुई है और लोगों के कर्जे कुछ कम हुए हैं।

आप पंजाब से जिस भाव पर गेहूं और चावल लेते हो, उसी भाव पर वह अनाज दक्षिण में भी मिलना चाहिए। गाड़ियां तो सरकार की हैं, आप क्या करते हैं। व्यापारियों को कह देते हैं कि जिस भाव मर्जी हो जाकर बेच लो। आप व्यापारियों पर कंट्रोल करो, जो गेहूं खरीद कर मनमाने भाव पर बेचते हैं, चावल मनमाने भाव पर बेचते हैं। देश इधर से लेकर उधर तक एक है तो भाव भी एक ही होने चाहिए। यहां पर कुछ भाव हैं और वहां पर दूसरे भाव हैं, यह नहीं होना चाहिए। एक बार फिर मैं बलराम जी को बधाई देता हूं जो इन्होंने गेहूं मंगाया है, जो भाव बढ़ने से इन्होंने रोके हैं, नहीं तो भाव बहुत तेज हो जाते। गेहूं और चावल के सवाल से पंजाब का सवाल जुड़ा हुआ है, इसलिए, आप किसान का ध्यान अवश्य रखें। वी० पी० सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि किसान को खाद, डीजल उसी भाव पर मिलने चाहिए, जिस भाव पर पहले मिलते थे, लेकिन उनके भाव बढ़ा दिए गए हैं और अब आप व्यापारियों से सौदा कर रहे हैं कि गेहूं के भाव भी बढ़ा दिए जाएंगे, तो फिर खाने वाले क्या करेंगे, मजदूर को कौन पूछेगा, मजदूर का खास ध्यान रखना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, जो बातें हो गई हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। मुझे खुशी है कि मुझसे पहले जो मित्र बोले हैं, उन्होंने गांवों के गरीबों के बारे में कुछ बातें कही है। अभी मैं सब विषयों में न जाकर सिर्फ 2 विषयों पर जोर दूंगा, एक तो उर्वरक का जो अनुदान छीना गया है और जो विदेशों से गेहूं आयात कर रहे हैं, इससे संबद्ध जो मामले हैं, उन पर बात करूंगा।

उर्वरक के बारे में सरकार जवाब दे रही है कि हमने इसके बदले में गल्ले का, गेहूं, चावल का मूल्य बढ़ा दिया है। सभापति महोदय, मैं सभी मित्रों से कहना चाहूंगा कि सीधे किसान से कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसान भी विभाजित है। कोई भी मित्र, स्वयं कृषि मन्त्री जी सारे भारत के किसी एक गांव का नाम बता दें, जहां पर बहुमत खेती करने वालों का हो और उनके पास सालभर के लिए पेट भरने के लिए गल्ला बचता हो। बहुमत किसान की यह हालत है कि 4-6 महीने की कमी या 2-3 महीने की कमी उसको गल्ले की हो ही जाती है और उसको भी गल्ला बाजार से खरीदना पड़ता है।

5.05 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

बिहार में 100 में 85 ऐसे सीमान्त और लघु किसान हैं, केरल और बंगाल में 100 में 93 सीमान्त और लघु किसान हैं। सारे भारत में विशाल बहुमत है। वे भी किसान हैं या नहीं ? इसलिए मैं चाह रहा हूं, जब किसान मैं कहता हूं तो जरा सा समझिए कि क्या हमारे समाज का गठन है।

[श्री भोगेन्द्र झा]

पंजाब की बात हमारे मित्र ने कही है। पंजाब ही एक राज्य सारे भारत में है जहां अमीर लेते हैं ठेकेदारी, दूसरे राज्यों में गरीब लेते हैं बटाई ज्यादा जमीन वालों से। पंजाब ही है जहाँ 1-2-4-6 एकड़ से ज्यादा वाले जमीन बटाई पर लेते हैं कोई पोटैटो किंग है, आलू का राजा है, 88 ट्रैक्टर वाला। वहां हदबंदी कानून बन जाता है। उनकी जमीन, इनकी जमीन, कइयों की जमीन ठेके पर लिए हुए है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारा समाज है उसमें जब उर्वरक की कीमत बढ़ाते हैं, अनुदान छीनते है तो नुकसान सभी को हो रहा है। ज्यादा जमीन वाले को भी, कम जमीन वाले को भी। नुकसान सभी को होता है, सभी को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है।

मैं सभी मित्रों से कह रहा हूं कि यह सदन केवल अमीरों का सदन नहीं है। इसलिए जरा इसे सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं कि ज्यादातर किसान, 85-87 और 93 परसेंट एक-दो-तीन एकड़ पर खेती करते हैं, लगातार घाटे की खेती करते हैं। खेती भी करते हैं, लेकिन अपनी जमीन से अपना पेट नहीं भर सकते। कोई मजदूरी करता है, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब और बम्बई में मजदूरी करते है, फिर खरीद कर खाते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि दोहरी लूट हो जाता है उन किसानों की, बड़े बहुमत की। एक तो उर्वरक का आपने दाम बढ़ा दिया, अनुदान हटाकर, दूसरी ओर जब गल्ले का दाम वह किसान आपसे बढ़ाने के लिए कहते हैं तो बढ़े हुए दाम पर एक-दो-चार-छः महीने उनको खरीदना पड़ता है। हरएक गांव की बात मैं कह रहा हूं। कमी-पेशी है, मगर ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां का किसान बाजार से खरीदने पर मजबूर न हो। इस स्थिति को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। इन्होंने मजदूरों के नाम पर कहा है, मैं गरीब किसान की बात कह रहा हूं, सीमान्त और लघु किसान की बात भी कह रहा हूं। इसके साथ जिस बात को मैं जोड़ना चाह रहा हूं वह यह है कि उर्वरक का मूल्य बढ़ाते है तो उत्पादन पर चोट करते हैं। उत्पादन पर चोट करने का मतलब उससे चीजें महंगी होगी या उत्पादन में कमी आएगी। किसानों का बड़ा बहुमत, जिनका अपना फाजिल गल्ला भी नहीं है कि बेचकर अन्य चीजों के लिए महंगा दाम दे। वे उत्पादन नहीं कर सकेंगे। किसान का नुकसान होगा वह तो होगा ही, उनको नुकसान में रखने के लिए यह समाज, यह सरकार की व्यवस्था है कि मेहनत करने वाला भूखों मरे। इससे देश का नुकसान होता है। अगर वह गन्ने की पैदावार में कमी कर दे तो चीनी मिलों के लिए संकट। क्या फिर वे दिन लाना चाहते हैं जब क्यूबा की चीनी हमारे यहां आती थी और जैसे आपने अभी चीनी का आयात किया है? क्या फिर पटसन उत्पादन घट जाए और पटसन मिलें बन्द होनी शुरू हो जाएं? हमारे उद्योगों के लिए कृषि का कच्चा माल भी चाहिए। उसके बिना उद्योग कैसे चलेंगे। किसानों के पास ज्यादा उत्पादन न हुआ, उनकी क्रय शक्ति न बढ़ी, घर में गल्ला नहीं आया, जेब में पैसा न हुआ तो बाजार का माल कौन खरीदेगा, उद्योग का माल कौन खरीदेगा?

सारे विश्व में मन्दी का संकट आ रहा है महंगाई भी है। आज पूंजीवाद मार्शल का पूंजीवाद नहीं है, एडम स्मिथ का पूंजीवाद नहीं है। आज का पूंजीवाद है उत्पादन घटाओ, मुनाफा बढ़ाओ। कैसे। उत्पादन घटाओ, महंगाई बढ़ाकर मुनाफा बढ़ाओ। यह आज का पूंजीवाद है।

इस संकट में अगर हमारे देश की क्रय शक्ति आपने घटा दी, 3/4 आबादी की क्रय शक्ति आपने घटा दी उत्पादन घटा कर तो बाजार में भी संकट और उद्योग के लिए भी संकट। उद्योग के लिए संकट तो बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी। कारखाना क्यों पैदा करेगा। राजकीय क्षेत्र को खत्म कर रहे

हैं, लेकिन निजी क्षेत्र को भी मुनाफा नहीं मिलेगा तो वह पैदा क्यों करेगा। इसलिए बहुत भारी चक्रव्यूह में हम अपने अर्थतन्त्र को फंसाने जा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि किसानों की गेहूं के दाम बढ़ाओ, चावल के दाम बढ़ाओ या उर्वरक के दाम बढ़ाओ, 500 या 900 बढ़ाओ, मैं कह रहा हूं कि दोनों परिस्थितियों में हम घाटे में हैं।

कृपा करके कुछ मूल्य की नीति के आधार पर तय करें कि क्या नीति होनी चाहिए। क्या सरकार में कोई जिम्मेदारी लेगा कि हम दाम तय कर देंगे। वास्तविक उत्पादक किसानों को वह दाम मिलेगा। अधिकांश किसान मुसीबत में बेचते हैं जिसको डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। धान और गेहूं कटा नहीं तो पेट में जाने के पहले दुकान में चला जाता है। वह नमक, तेल, किरोसिन, कपड़े या बीमारी के लिए जाए, तो वहां आपका निगम खरीदने नहीं जाता है। वह व्यापारियों के हाथ सस्ते में लूटा जाता है। जब आप गल्ले का दाम तय करते हैं तो उसका मुनाफा व्यापारियों के पास चला जाता है। व्यापारी गांवों का हो गया है तो अपने को किसान भी कहता है मैं खासकर थोक व्यापारी को कहता हूं जब आप उनसे खरीदते हैं। 1990 में श्री वी० पी० सिंह की सरकार के समय एक साल में गेहूं की कीमत दो बार बढ़ी थी। जब कीमत दूसरी बार बढ़ी तो एक भी किसान बेचने वाला नहीं था सिवाय उसके जो किसान के नाम पर मुनाफाखोरी करता है। मई-जून में कीमत बढ़ाने का मतलब क्या होता है।

यह नीति रखिए कि उत्पादक किसान को उसका लाभकर मूल्य मिले। केवल घाटा और लागत को पूरा कर दीजिए जैसा लाभकर हो, जैसा उद्योग और अन्य पेशे के लिए करते हैं। जो वास्तविक उपभोक्ता है उसको सस्ता मिलेगा। कैसे मिलेगा आप बीस-पच्चीस फीसदी तय कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा फर्क न हो। अगर उत्पादक किसानों को हमने तय कर दिया तो पांच सौ रुपया क्विंटल मिलेगा या हजार रुपया क्विंटल मिलेगा। जो उपभोक्ता है उसको बीस या पच्चीस फीसदी से ज्यादा नहीं लगे। मनमोहन सिंह जी नहीं हैं लेकिन हमारे कृषि मंत्री जी इसको दृढ़ता से पकड़ें तो बहुत मददगार हो सकते हैं। बैंक के पैसे से मुनाफाखोरी होती है। किसान को वह पैसा मुनासिब नहीं हो पाता है। मुनाफा व्यापारी कमाता है जबकि उपभोक्ता को ज्यादा लग जाता है।

वह व्यापारी जानता भी नहीं कि कितने पानी में अरहर की खेती होती है और किस रेगिस्तान में धान की खेती होती है। खेती के बारे में वह जानता नहीं है और थोक व्यापारी है। सारे भारत में एक भी थोक व्यापारी नहीं है जो अपने पैसे से थोक व्यापार करता हो। बैंक के पैसे से सस्ता माल किसान से खरीदकर गोदाम में बंद कर देते हैं जिससे बाजार से माल गायब हो जाता है जबकि बाजार से उपभोक्ता गायब नहीं हुआ तब एडम स्मिथ और मार्शल का अर्थशास्त्र चलने लगता है कि बाजार में माल कम है और ज्यादा कीमतें बढ़ने लगती हैं। गोदाम से निकालकर दुगुने दामों पर बेचते हैं। जिसको कुछ पता नहीं तो वह बैंक से पैसा लेता है और माल खरीदकर मुनाफा कमाता है जबकि उसके पास हिसाब लिखने वाला नहीं तो वह अरबों रुपया कमा रहा है और देश को लूट रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि उस पर नियंत्रण करें···(व्यवधान) बीच में मत बोलिए। मैं भी तो ढाई एकड़ का किसान हूं और उससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं हूं···(व्यवधान)·· इसलिए जो बैंक का पैसा थोक व्यापारी को देते हैं, वह देना बन्द करवायें। किसान के लिए ऋण की व्यवस्था करायें। अनुदान को जो घटाया है उसको वापस लें। जो 40 फीसदी अनुदान था, जो डेढ़ साल पहले बढ़ाया इसी सदन में हम लोगों ने संघर्ष किया, नतीजा हुआ कि पांच एकड़ वालों के लिए आपने 40 फीसदी का अनुदान रखा। जहां तक मुझे मालूम है पूरे भारत में शायद ही किसी राज्य में उसका लाभ सीमान्त

[श्री भोगेन्द्र झा]

किसान को या छोटे किसान को मिला हो। मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं। इस साल फरवरी में कृषि मंत्री और अधिकारी लोग आए तो मंत्री जी को मालूम नहीं था कि एक पैसा भी केन्द्र से नहीं आया। जब मैंने जोर दिया तो उनके आयुक्त ने कहा कि 28 करोड़ एक और 7 करोड़ एक यानि 35 करोड़ रुपया आया है।

इस साल अभी नहीं मिल रहा है। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे अनुदान पूरा हो और सब किसानों के लिए हो चाहे वे गरीब हों या अमीर हों। इसलिए आप 40 फीसदी का अनुदान कायम रखें। इससे देश का उत्पादन बढ़ेगा, धनी लोगों का ही बढ़े, कम से कम आयात की तो जरूरत नहीं होगी। हम स्वावलम्बी बनेंगे। उत्पादक को पैसा मिले इसके लिए थोक व्यापारी को बैंक का पैसा देना बन्द कर दें। मैंने यही बात तत्कालीन प्रधान मंत्री से कही तो उन्होंने कहा कि अगर वे काले धन से खरीद लेंगे तो, इस पर मैंने कहा कि वह पैसा सफेद हो जायेगा। हमारे ही चिराग से घर को आग लगेगी, कोई बात नहीं, हम कंगाल तो नहीं होंगे। अब तो हमारे ही किसान और उपभोक्ता लुट रहे हैं। इसलिए हमारी स्वदेशी नीति होनी चाहिए, स्वावलम्बन की नीति होनी चाहिए, परावलम्बन की नीति हमारे स्वाभिमान पर चोट है। जो कि सरकार की नीति है। क्या आप फिर से पी. एल. 480 पर आना चाहते हैं। जब अमरीका ने शर्त लगाई थी कि गल्ले के बदले आपको तम्बाकू, बाजरा भी लो, लिपस्टिक भी लो। मैंने तब तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से पूछा था कि यह भी क्या गल्ला है तो उन्होंने कहा यह अलग किस्म का तम्बाकू है। इसलिए क्या फिर से पी. एल. 480 में जाना चाहते हैं। हमारे मित्र वी० पी० सिंह ने ठीक कहा है कि जो आ गया वह आ गया, जो बाकी है करार में ऐसा न हो कि आप दुनिया में झूठे बनेंगे, जो आना है उसको विदेशों में ही बेच दो, मुनाफा भी मिलेगा और विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। प्रधान मंत्री ने कहा कि अब बारिश आ गई है समय अनुकूल हो गया है यह हम नहीं जानते थे। मेरा कहना है कि अब जो गल्ला नहीं आया है उसको मगाना बन्द कर दो। अब अगर मंगाओगे तो जैसा वी० पी० सिंह ने कहा कि इसका विरोध करेंगे. वह ठीक बात है। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है स्वदेशी के हित में बात करना, स्वावलम्बी बनना।

आप मूल्य नीति का भी एलान करें। पहले से खरीदना शुरू कर दें। जो उत्पादक हैं जो मुसीबत में बेचते हैं उनसे खरीदें ताकि उसका लाभ उनको मिले, बिचौलियों से बन्द करें। जहां पर आयात है वह बंद करें। बाहर ही बेच दें। जिस देश में कमी है उसको बेचें। इस बात का सबूत दें कि भारत अनाज की आयात की नीति के खिलाफ है।

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : ट्रेडर्स से खरीदें।

श्री भोगेन्द्र झा : अभी जरूरत नहीं है। प्रधान मंत्री ने कह दिया कि अगली फसल बेहतर हालत में है इसलिए बैंक का पैसा थोक व्यापरियों को देना बंद करें जिससे सारा मुनाफा किसानों के पास जाए और सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

5.20 अ० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : आज दूसरा दिन है और तीन मंत्रियों ने भी उत्तर देना है। मुझे हैरानी है कि क्या इस गति के साथ हम इसे पूरा कर पायेंगे।···(व्यवधान)। सत्तारह दिनों में आपको एक विषय के लिए एक सप्ताह का समय नहीं मिल सकता।···(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री गुलाम नबी आजाद : महत्वपूर्ण का यह अर्थ नहीं कि कोई कई घण्टों अथवा महीनों तक एक ही विषय पर बोलता रहे। इस पर दो दिन तक पहले भी चर्चा हो चुकी है। वास्तव में हमने इसके लिए एक दिन निश्चित किया था। परन्तु हमने इस पर दूसरे दिन भी चर्चा जारी रखी। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है लेकिन इस सूरत में हमें 6-00 बजे के बाद भी बैठना होगा। दोनों बातें तो पूरी नहीं हो सकतीं कि आप बोलना भी चाहते हैं और आप 6-00 बजे के बाद बैठना भी नहीं चाहते।··(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : यदि आपको दो बजे शुरू किया होता तो यह हो जाता। यदि आजाद साहब जवाब करते है तो 8 बज सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मंत्री महोदय रिप्लाई कल दे देंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद : आप लोग 8 बजे तक बैठ जायें।·· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सबसे अच्छा तो यह होगा कि चर्चा आज पूरी कर ली जाए और मंत्री अपना उत्तर कल दे दें।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम की जानकारी आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। यह चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत आती है। इस नियम के अंतर्गत यह कहा गया है :—

> "अध्यक्ष एक सप्ताह में ऐसी दो बैठकें निश्चित कर सकते हैं जिनमें ऐसे मामलों पर चर्चा की जा सकती है परन्तु चर्चा के लिए निश्चित समयावधि 2 घण्टे से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

नियम यह कहता है : "दो घण्टे से अधिक न हो।" मैंने आपको बताया है कि कल भी हमने साढ़े तीन घण्टे दिये हैं और आज भी दो घण्टे हो गये हैं, इस प्रकार कुल मिलाकर 5 घण्टे और 30 मिनट का समय दिया जा चुका है। इस सभा में अन्य सदस्य भी अपनी बात रखना चाहते हैं। आपको ज्ञात होगा कि हमने सूखे की स्थिति तथा अन्य स्थितियों पर भी चर्चा करनी है। यदि केवल एक विषय के लिए ही सारा समय दे दिया जाये तो अन्य विषयों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। कृपया हमारी

कठिनाई को समझने की कोशिश करें और चर्चा आज ही पूरी हों जानी चाहिए। यह मेरा अनुरोध है। यदि आवश्यकता हुई तो हम 6·00 बजे के बाद भी बैठेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने छः घण्टे तक इस पर चर्चा कर ली है और यदि आप चाहते हैं तों हम एक घण्टा और भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। अन्य सदस्य भी अपनी बात कहना चाहते हैं। सदस्यगण काफी नाराज हैं। केरल के सदस्य भी अपनी बात कहना चाहते हैं।

मैं श्री देवगौड़ा से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात सभा में रखें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : महोदय, मैं कुछेक उर्वरकों पर नियंत्रण हटाए जाने के परिणामों के संबंध में चर्चा करना चाहूंगा। मैं गेहूं के आयात के बारे में बारीकी से चर्चा नहीं करना चाहता। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी० पी० सिंह जैसे वरिष्ठ सदस्य इस बारे में पहले से हीं काफी कुछ बोल चुके हैं।

पिछले सत्र के अंतिम दिन उर्वरकों से संबंधित संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन इस सभा में प्रस्तुत किया था। सरकार सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के 70-72 घंटे के अन्दर प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिए उत्सुक थी। अपने विधायक होने के 30 वर्षों में मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था कि किसी सभा समिति रिपोर्ट को इतनी जल्दी, इतना तत्काल स्वीकार कर लिया गया हो, जबकि उस पर सर्वसम्मति भी न हुई हो। यह प्रतिवेदन केवल बहुमत की राय को दर्शाता है। समिति के तीन माननीय सदस्यों ने अपनी असहमति की टिप्पणी दर्ज करायी थी। सरकार ने इसके भावी परिणामों के बारे में अपनी तर्कशक्ति का प्रयोग नहीं किया और प्रतिवेदन को आंशिक तौर पर स्वीकार करने की अवस्था में, इसके भावी प्रभाव क्या होंगे, इसके बारे में सरकार ने कभी नहीं सोचा।

महोदय, मैंने एक स्पष्ट असहमति नोट दिया था जिसमें मैंने कहा था कि इन मदों पर नियन्त्रण समाप्त करना विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए तथा सामान्य रूप से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिए खतरनाक होगा।

महोदय, आज, जहां तक इस मुद्दे का संबंध है मैं राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहता हूं। कोई राजनीतिक दल कृषकों को अपना विरोधी बनाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे स्पष्ट रूप से कहने दीजिए। यह केवल एक विशेष राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं है अथवा किसी राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं है कि केवल वे ही कृषकों के लिए लड़ रहे हैं। सभा में जो लोग बैठे हैं, वे भी समान रूप से कृषक समुदाय का पक्ष लेने के इच्छुक हैं क्योंकि यह एक अनियोजित और विभाजित क्षेत्र हैं। मुझे स्पष्ट रूप से कहने दीजिए। कृषक समुदाय के विभाजन में, चाहे वह लघु अथवा सीमान्त अथवा जो कुछ भी है, विभिन्न कारणों से इसमें सरकार की भी भूमिका थी।

अपने असहमति नोट में मैंने यह स्पष्ट किया है कि उर्वरक की खपत के कारण ही राज-सहायता नहीं दी जा रही है। आपके कुछ नौकरशाह यह दलील देते हैं कि खपत 30 प्रतिशत तक बढ़

गई है, वर्ष 1991 की खपत से अधिक हो गई है। फिर भी पिछली बार इस सभा द्वारा ही उर्वरक के मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। उर्वरकों की खपत में वृद्धि हुई और यही दलील नौकरशाहों द्वारा दी गई है। मुझे स्पष्ट रूप से कहने दीजिए। राज सहायता की राशि में वृद्धि कैसे हुई इसे मैंने समिति को दी गई सूचना के आधार पर काफी स्पष्ट कर दिया है। कृषकों को राज सहायता और 15 प्रतिशत खाड़ी अधिकार तथा रेलवे भाड़े में वृद्धि के साथ-साथ विदेशी मुद्रा दर में वृद्धि ने 5.60 करोड़ रु० के अतिरिक्त व्यय को बढ़ावा दिया है जिससे रुपए का अवमूल्यन 9 करोड़ रु० के अतिरिक्त भार के साथ रुक गया है। इसके अतिरिक्त मुद्रा बाजार दर फास्फोरिक एसिड का मूल्य लगभग 675 करोड़ रु० होगा। यही वे संघटक हैं जिससे हाल ही की वित्तीय तथा आर्थिक नीतियों के कारण कृषकों पर अतिरिक्त भार पड़ा है।

वर्ष 1991-92 के पिछले बजट में वित्त मंत्री जी से लगभग 4,800 करोड़ रु० की राज सहायता की मांग की गई थी जिसमें से 35 0 करोड़ रु० भारतीय उर्वरकों के लिए था और 1300 करोड़ रु० विदेशी उर्वरकों के लिए था। 1992-93 के बजट प्रस्तावों में उनसे 5,000 करोड़ रु० की मांग की गई थी।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मामलों को उलझाए बिना, यहां तक कि प्रधान मंत्री जी भी गुमराह हो गए थे। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से कहने दीजिए। एक अवसर पर प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि केन्द्रीय राजकोष पर राज सहायता के पड़ने वाले भार की कुल राशि 9,000 करोड़ है। आपके अपने नौकरशाहों द्वारा यही राय दी गई है। उनकी गणना के अनुसार 1995 में राज सहायता की राशि 9,000 करोड़ अथवा 10,000 करोड़ रु० तक जा सकती है। समिति के सामने साक्ष्य के दौरान वित्त विभाग द्वारा यही विचार व्यक्त किए गए हैं।

महोदय, मैं इस माननीय सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 1991 में सरकार ने विश्व बैंक को एक स्पष्ट आश्वासन दिया था कि तीन वर्षों के भीतर राज सहायता की मांग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए उस वचनबद्धता को सम्मान देने के लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के 70 अथवा 75 घंटों के भीतर ही सरकार ने जल्दबाजी में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आंशिक भाग को स्वीकार कर लिया था जो कि उन्हें उपयुक्त लगता है।

मुझे माननीय कृषि मंत्री जी पर भी कुछ टिप्पणी करनी चाहिए जिन्होंने इस मुद्दे पर लड़ने की कोशिश की। उन्होंने इस मुद्दे का विरोध किया लेकिन दुर्भाग्यवश वे अकेले थे और वे सी. सी. पी. ए. की उप समिति की बैठक में लड़ाई जीतने में असमर्थ थे। मैं मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हूं और मैं नहीं जानता कि सी. सी. पी. ए. की भूमिका क्या है। कृपया मुझे स्पष्ट तौर पर कहने दीजिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आखिरकार प्रधान मंत्री जी ने माननीय कृषि मंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को दबाने की कोशिश की। तथापि प्रधानमंत्री के तर्क से यह मुद्दा तय हुआ कि जब संयुक्त संसदीय समिति विनियंत्रण के पक्ष में है तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। परन्तु प्रधाम मंत्री ने निर्णय नहीं लिया या संयुक्त संसदीय समिति की अन्य सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। यह बताई गई बातों में से एक है। मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कितने उत्सुक थे, मैं प्रधान मंत्री नहीं कहना चाहता हूं बल्कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक जहां से उसने वित्तीय सहायता ली है, की वचनबद्धता का सम्मान करने के लिए कितनी उत्सुक थी।

[श्री एच० डी० देवगौड़ा]

एक बात जिससे मैं चिन्तित हूं या जिससे मुझे चोट पहुंचती है उनमें से एक बात यह है कि एक केंद्रीय मंत्री श्री राजेश पायलट के नेतृत्व में उनके सरकारी निवास पर उनसे मिलने ग प्रतिनिधि मण्डल के लगभग चार हजार किसानों को संबोधित करते हुए जब प्रधान मंत्री ने कह कि उन्हें समाज विरोधी तत्वों के बहकावे में आकर गुमराह नहीं होना चाहिए। उसी सम उन्होंने यह कहा कि यह 9,000 करोड़ रुपए निर्माताओं और बिचौलियों के पास जा रहा है सरकार इस बात का पता नहीं लगा सकी कि वह लोग कौन हैं जो किसानों के नाम पर इ 9,000 करोड़ रुपए को छीन लेते हैं। पिछले बजट के दौरान इसी सदन में संयुक्त संसदीय समि की मांग करने का मेरा मात्र उद्देश्य ही यह था कि राजसहायता की यह राशि किसानों को बिल्कु नहीं मिल रही है। यह राशि केवल कुछ उद्योगपतियों और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की जेबों में ही जात है। मैं इस मुद्दे पर बहुत ही स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान श्र अशोक गुलाटी ने कहा था कि कुल राजसहायता का 52 प्रतिशत वास्तविक उद्देश्यों के लिए खर्च होता है और मेरे विचार से 48 प्रतिशत भ्रष्ट नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों में बांट दिया जाता है वह राजनीतिज्ञों के नाम नहीं बताना चाहते हैं परन्तु मुझे मालूम है और मैंने इस पर उनके सा उस समय चर्चा की थी जब उन्होंने संसदीय समिति के समक्ष साक्ष्य दिया था।

मैंने जिन विचारों का पता लगाने की कोशिश की सरकार उन विचारों की ओर ध्यान नह देना चाहती है। जिन्हें मैंने अपने विनम्रतापूर्वक लिखे गए नोट में यह जानने के लिए देने की कोशि की है उद्योगपति कैसे हेराफेरी करने की कोशिश करते हैं। मुझे मालूम है कि सारे कृषक समुदा की इसमें रुचि है। एक कारखाना प्रति टन प्रति कि० मी० यूरिया भेजने के लिए 180 पैसे परिवह के रूप में वसूल करता है। इसके साथ ही वही कारखाना डाई-अमोनिया सल्फेट के प्रति टन प्र कि० मी० के परिवहन के 280 पैसे वसूल करता है। यह कैसे संभव है? यह मुद्दा किसी एक विशे विभाग तक ही सीमित नहीं है। लगभग 5-6 विभाग हैं जो सभी बातों को एक साथ मिलाने ज रहे हैं। इनके नाम इस प्रकार है कृषि विभाग, उर्वरक विभाग, तेल विभाग और वाणिज्य विभाग अनेक एजेंसियां हैं जो अपने हित के अनुसार इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तेल एवं प्राकृति गैस आयोग आज लगभग 3,000 करोड़ रुपए का लाभ कमा रहा है। किसके सहारे? मैं यह पूछन चाहता हूं। वे तथाकथित कृषक समुदाय जोकि, उपेक्षित समुदाय हैं को बिल्कुल भी छूट नहीं देन चाहते हैं। यह एक विडम्बना है।

स्पष्ट बात यह है कि यद्यपि हमारे शासक, हमारे मंत्री चाहे वे किसी दल से संबंधित हो निर्णय लेना चाहते हैं। अन्ततः नौकरशाह शासकों और मंत्रियों पर, चाहे वह कोई भी हों, पर भार पड़ते है और वे यह नहीं चाहेंगे कि मंत्री की इच्छाओं को कार्यान्वित किया जाए। यह हमार प्रशासनिक तंत्र का निचोड़ है।

विनियंत्रण के बाद इसे कैसे लागू किया जाएगा? प्रधान मंत्री ने जटिलताओं को बाद कैसे समझा? उनके अनुसार हम सब समाज विरोधी तत्व हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने इन्हीं शब्द का प्रयोग किया था। मैं गलत हो सकता हूं। हम सब किसी विशेष कारण से यहां आए हैं, हम स समाज के किसी वर्ग को संतुष्ट करने और कोई कड़वाहट पैदा करने नहीं आए हैं।

देश में शांति रहना सबसे महत्वपूर्ण है। एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि

शांति अधिक महत्वपूर्ण है और किसानों को समाज-विरोधी तत्वों के बहकावे में आकर गुमराह नहीं होना चाहिए।

मैं शुरू से ही इस उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैं शुरू से ही जानता हूं कि नौकरशाह कैसे किसानों के विरुद्ध अपने मामले का तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक या दो उदाहरण उद्धृत करूंगा। उर्वरकों पर से नियंत्रण हटाने के बाद पोटास की कीमतें 1,760 रुपए प्रति टन से बढ़कर 5,000 रुपए प्रतिटन हो गई है। सुपर फास्फेट की कीमत 1,240 रुपए प्रति टन से बढ़कर 3,000 रुपए प्रति टन हो गई है और डाइ अमोनियम फास्फेट जिसमें नाइट्रोजन और फास्फेट दोनों शामिल हैं, की कीमत 4680 रुपए प्रतिटन से बढ़कर 9,000 रुपए प्रति टन हो गई है।

मैंने हाल ही में एक लेख पढ़ा है जिसका शीर्षक "गेहूं के वसूली मूल्य में अधिक वृद्धि होने का कोई औचित्य नहीं" था। इसमें श्री बलराम जाखड़ खरीद वसूली बढ़ाकर किसानों के हितों के लिए लड़ रहे थे। इसमें कहा गया है :

> "परन्तु कृषक समुदाय शान्त नहीं हुआ है। यह अब गेहूं के मूल्यों में भारी वृद्धि करने के लिए कह रहा है और जिनकी किसी भी तिन घोषणा की जा सकती है। कृषि मूल्य और लागत आयोग के पिछले वर्ष गेहूं की 250 रुपए प्रति क्विटल की तुलना में इस वर्ष गेहूं के वसूली मूल्य में 9 प्रतिशत की वृद्धि करके 305 रुपए प्रति क्विटल करने की सिफारिश की है। परन्तु कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ ने गेहूं की कीमत 340 रुपए प्रति क्विटल करने की सिफारिश की है।"

उन्होने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि ऐसा कोई मामला नहीं था क्योंकि वे नीति निर्धारक हैं। समाचार-पत्र कृषक-समुदाय के विरुद्ध एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहे हैं। यह एक अति महत्वपूर्ण घटक है, जिसे हम सभी को महसूस करना है। इस प्रकार निहित स्वार्थ हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे है। यही मेरी वास्तविक चिन्ता है।

मैं एक अथवा दो बातें और कहना चाहूंगा। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और बहुत-सा धन इन चालीस वर्षों में इस पर व्यय किया गया है। एक लेख में लिखा था :

"कृषि आय पर कर क्यों ? जब से नियोजित आर्थिक विकास प्रारम्भ किया गया है, सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक बहुत भारी निवेश की है।"

> "कृषक बहुत अमीर हो गये हैं और वे अमीर वर्ग हैं; लेकिन उन पर कर नहीं लगाया गया है।"

मिथ्या-अर्थशास्त्रियों द्वारा यह एक दलील दी गई है। उन्होंने जो निवेश किया है, वह क्या है ? मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं कुछ सरकारी आंकड़े उद्धृत करूंगा। प्रथम योजना और दूसरी योजना में, कुल योजना आबंटन में से 32 प्रतिशत राशि कृषि पर व्यय की गई थी; तीसरी योजना में यह राशि घटकर 25 प्रतिशत हो गई; चौथी योजना में यह राशि 21.4 प्रतिशत थी; पांचवीं योजना में यह 18.32 प्रतिशत थी; छठी योजना में 27.54 प्रतिशत और सातवीं योजना में यह राशि 20.35 प्रतिशत थी।

इस तरह हमने उनसे घटिया व्यवहार किया; हमने कृषि क्षेत्र से इस तरीके का व्यवहार किया है। यह एक कटु सत्य है।

अध्यक्ष महोदय : आपका बोलने का समय पूरा हो चुका है ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं सभा का समय अनावश्यक रूप से नहीं लेना चाहता । लेकिन मैं मध्य-रात्रि तक भी बैठने को तैयार हूं। विधान सभा में हम रात के दो बजे तक बैठे हैं । इसी सभा में अविश्वास-प्रस्ताव का निबटारा करने के लिए हम रात को दो बजें तक बैठे है । आप नियमों का उल्लेख कर सभा का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे है । आपके पास नियमों को निलंबित करने की शक्तियां हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नियमों को निलंबित करके ही हमने इस चर्चा के लिए साढ़े पांच घण्टे का समय दिया है ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैंने कभी भी अध्यक्षपीठ की अवमानना करने की कोशिश नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहें । आपके पास कुछेक शब्दों में ही अनेक बातें कहने की क्षमता है ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : आज सुबह, कृषि मंत्री महोदय ने इस सभा में जानकारी दी है । मुझे माननीय कृषि मंत्री का उसकी तरफ ध्यान दिलाने का प्रयत्न करने दें । उन्होंने कहा है :

> "कृषि क्षेत्र की प्रति व्यक्ति (सकल संवर्द्धित मूल्य) 1980-81 में 878 रु० से बढ़कर 1990-91 में 1075 रु० हों गई है ।"

अधिकारी वर्ग बहुत चतुर है । यद्यपि आपको एक प्रशासक के रूप में अधिक अनुभव है, आपने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तथापि वे आपको भी गुमराह करने में बहुत चतुर हैं । मुझे इस मुद्दे पर बिल्कुल साफ-साफ कहने दें ।

भानु प्रताप सिंह समिति की रिपोर्ट इसी सभा में आप ही के नौकरशाहों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रस्तुत की गई थी । यह उनका निजी दृष्टिकोण नहीं है । यदि आप 1970-71 को आधार वर्ष के रूप में लें तो कृषि क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय 445 रु० है और 1980-81 में यह प्रति व्यक्ति आय 420 रु० है । क्या इसमें 5.7 प्रतिशत की कमी होगी । इस ही सभा में आज आप यह न्यायोचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, कि कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है । यह रिपोर्ट किसने दी है ? यह सूचना किसने दी है आप कृपया इसका उत्तर दें ।

श्री बलराम जाखड़ : मैं भी यही बताने की कोशिश कर रहा था । समाज के अन्य वर्गों की प्रति व्यक्ति आय अब चार गुणा बढ़ गई है ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : नहीं, नहीं । मैं अगले मुद्दे को ले रहा हूं । और कृषि-क्षेत्र में यह आय केवल चार अथवा पांच गुणा ही नहीं है । यह किस अनुपात में बढ़ी है ? दूसरी ओर, पिछले 20 वर्षों के दौरान कृषि-क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में पांच प्रतिशत की कमी हुई है, जबकि गैर-कृषि क्षेत्र की आय में 83.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं । क्या इसका कोई औचित्य है ? गैर-कृषि क्षेत्र से मुझे कोई द्वेष नहीं है । लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से जिसकी लगभग 65 करोड़ जनसंख्या है, क्या यही व्यवहार आप उनसे करने जा रहे हैं ?

तथाकथित सकल घरेलू उत्पादन भी पुन: एक हेराफेरी है । सकल घरेलू उत्पादन (स० घ० उ०) के तीस प्रतिशत हिस्से का योगदान कृषि क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला है और कार्य-बल लगभग

65 प्रतिशत है। लेकिन, औद्योगिक क्षेत्र में स०घ०उ० मुश्किल से लगभग 18-19 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में कार्य-बल लगभग 18 प्रतिशत है और स०घ०उ० लगभग 26-27 प्रतिशत है। आप इसे कैसे उचित ठहराएंगे ?

मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि शहरी क्षेत्र निर्धनता से मुक्त है। शहरी क्षेत्र में भी अनेक ऐसे लोग हैं, जोकि गरीबी रेखा के नीचे हैं। शहरी क्षेत्रों में लोग गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं। लेकिन सकल धन-सम्पदा कुछेक शहरियों के हाथों में समाहित है। आज हम सभी निहित स्वार्थों के वशीभूत हो गये हैं। इस मुद्दे पर मुझे बिल्कुल स्पष्ट कहने दें।

यहां तक कि उर्वरक मूल्यों में कैसे परिवर्तन किया जा रहा है और उद्योगपतियों द्वारा राज सहायता कैसे ली जाने वाली है, इसकी जांच-पड़ताल करने के लिए गठित एक संयुक्त संसदीय समिति को इसी सभा में एक आश्वासन दिया गया था। परन्तु आप जानते हैं कि सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने हेतु माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को कार्यरूप देने के लिए लगभग चार महीनों का समय लिया। मैं इसके बारे में जानता हूं। मैंने एक पत्र लिखा है। सभी पत्राचार विद्यमान हैं। मैं इन सब के बारे में कहना नहीं चाहता।

अब प्रत्येक व्यक्ति खाद्यान्नों को निर्बाध आवाजाही के लिए कह रहा है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि आप देश के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्यान्नों की आवाजाही पर जो प्रतिबन्ध है उसे हटाने के लिए कदम उठाएंगे। यह अपनी बात है। किसानों को सहायता देने का यह केवल एक तरीका है। यह सब कुछ नहीं है। मैं इस विषय पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा।

आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयातित खाद देश में बनाई जा रही खाद से सस्ती है। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा क्योंकि वह बहुत संगत है। हम आपसे खैरात नहीं मांग रहे हैं। यह, निर्यात और आयात को कुल मात्रा में, कृषि निर्यात आयात का हिस्सा है। 1965-66 में यह हिस्सा 41.6 प्रतिशत था। अब निर्यात हिस्सा 30 प्रतिशत हो गया है। काफी मेहनत से अर्जित की गई कृषि उपज का कुल विदेशी मुद्रा में 30 प्रतिशत योगदान होगा। तब आप किसानों के लिए कौन-सा आयात घटक प्राप्त करेंगे ? आपको केवल 19.8 प्रतिशत ही मिलेगा। यह कृषि क्षेत्र के लिए एक आयात घटक है। उस स्थिति में, आप हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ते दर पर खाद खरीदने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान गौड़ा जी, आप और कितना समय लेंगे ? आप बीस मिनट ले चुके हैं।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, आप भी एक किसान हैं और मैं जानता हूं कि आप कृषक समुदाय के प्रति दयालु हैं। मैं जानता हूं कि आप समय की कमी के कारण मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं यह प्रश्न सत्ताधारी दल से नहीं अपितु हर एक राजनैतिक दल से पूछना चाहता हूं। हमें इस बात की मांग करनी चाहिए कि यदि घरेलू खादों का मूल्य आयातित खाद के मूल्य से 10 से 15 प्रतिशत अधिक न हो तो उनको चाहिए कि वे मेहनत से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा से खाद आयात करने की अनुमति दें। वह हमारा योगदान है। मैं इतना ही मांग रहा हूं। खाद्यान्नों की आवाजाही

[श्री एच० डी० देवगोड़ा]

के लिए मात्र अनुमति देना ही इसका समाधान नहीं है। मुझे इस मुद्दे पर स्पष्ट बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है आप केवल एक ओर की सहायता करेंगे। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार खाद्यान्नों के निर्बाध लाने और ले जाने की अनुमति नहीं दे रही हैं। यह जनता दल अथवा भाजपा अथवा कांग्रेस दल का सवाल नहीं है। मैं इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। अधिकांशतः सभी राजनैतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध दोषारोपण करने का प्रयत्न करते हैं। हम जब भी सत्ता में आते हैं, हम उसी व्यवस्था के कारण निस्सहाय हो जाते हैं। यह व्यवस्था इस तरह के सभी मौलिक परिवर्तनों में रुकावट उत्पन्न करेगी। हालांकि कार्यवाही करने में आपकी रुचि है, यह नौकरशाही व्यवस्था आपको इसकी अनुमति नहीं देगी और राजनीतिज्ञों में यह व्यवस्था प्रचलित रहेगी··· (व्यवधान)···

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। यदि आप 6000 करोड़ रुपए अथवा 9000 करोड़ रुपए की राज सहायता अथवा राजसहायता घटक की तुलना करेंगे और देखेंगे कि अन्य देशों में किसानों की किस तरह से मदद की गई है, तब आप हमारी स्थिति को जान जाएंगे। मैं यहां पर केवल कुछ जानकारी ही दूंगा, अर्थात् देश वार गेहूं पर दी गई राजसहायता क्या है? भारत में —3.5 प्रतिशत है जबकि तथाकथित लोग जो कि हम पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं वे, यानि कि अमेरिका, 40.67 प्रतिशत दे रहा है। चावल के संबंध में भारतीय आंकड़ा —1.17 प्रतिशत है जबकि अमेरिका का आंकड़ा 46.50 प्रतिशत है। कल, श्री वाजपेयी जी सोयाबीन के बारे में बात कर रहे थे। मैं उसकी जानकारी भी दूंगा क्योंकि यह जानकारी कुछ दस्तावेजों पर आधारित है। मैं सभा को कोई काल्पनिक जानकारी नहीं दूंगा। इसके बाद कॉर्न को दी जा रही राजसहायता की बारी आती है। कॉर्न के संबंध में भारत का आंकड़ा —19.83 प्रतिशत है और अमेरिका का 30.67 प्रतिशत है। हमारा आंकड़ा ऋणात्मक है और उनका धनात्मक है। कल हमारे कांग्रेस नेता, सांसद, श्री वाजपेयी जी के सुझाव पर वाद-विवाद कर रहे थे। सोरगम के संबंध मे, हमारा आंकड़ा —29.17 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि हम किसानों का शोषण कर रहे हैं, सरकार ही सबसे बड़ी साहूकार है और सरकार ही एक बिचौलिया है। इस संबंध में अमेरिका का आंकड़ा 31.83 प्रतिशत है। इस तरह से इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का शोषण हो रहा है। मैं आपको ऐसे अनगिनत उदाहरण दे सकता हूं। परन्तु मैंने माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर ही आकर्षित किया है। खरीद मूल्य 7 से 8 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है? मैंने आपको भी एक पत्र लिखा था। विनियन्त्रण के बाद डी. ए. पी. 19 : 19 : 19 की कीमत में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नियंत्रण से पूर्व और नियंत्रण के पश्चात् डी.ए.पी. 15 : 15 : 15 के मूल्य में 187 प्रतिशत वृद्धि हुई है और प्लास्टिक एम.ओ.पी. के मामले में यह वृद्धि 267.71 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कौन अधिकारी ऐसे हैं जिसने गेहूं के मूल्य को 304 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की सलाह दी थी? क्या यह किसी भी ढंग से न्यायोचित है? उनसे यह कहिए कि गांवों में जाकर खेतों में हल चलायें। केवल तब ही उन्हें किसानों की समस्याओं का आभास होगा। मैं ऐसा इसलिए कहूंगा क्योंकि यह एक ऐसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो कि हमारे देश के 65 प्रतिशत ग्रामीण किसानों के बलबूते पर मौज-मस्ती करने का प्रयत्न करते हैं। मैं स्पष्ट बात कहना चाहूंगा। वास्तव में यदि मैं चाहूं, तो मैं भी अ०प्र०सं० का अधिकारी बन सकता हूं। परन्तु मैं मंत्री नहीं बन सकता और किसी निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 15 लाख जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा। हमें इन

नौकरशाहों के निर्देशानुसार नहीं चलना चाहिए। मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं। आप हमेशा के लिए मंत्री नहीं बने रह सकते है। वास्तविक बात तो यह है कि आप समुदाय के लिए, समाज के हित के लिए क्या करते है। समुदाय अथवा समाज से मेरा अभिप्राय किसी जाति समुदाय से नहीं है। समुदाय का अर्थ है कृषक समुदाय। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कर ली है। धन्यवाद। कृपया बैठ जाइये।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, केवल एक अंतिम बात और कहनी है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं। हम कृषक समुदाय का उस तरह से शोषण नहीं कर सकते जैसा कि राजा-महाराजाओं के जमाने में किया जाता था। निसंदेह स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी उनका शोषण किया जा रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 45 वर्षों के बाद भी हमारे शासक उन महाराजाओं और चक्रवर्ती सम्राटों से कम नहीं है जिनको किसान लोग वार्षिक लगान दिया करते थे जिसे हमारी कन्नड़ भाषा में पगड़ी शब्द के नाम से जाना जाता है। यह अन्य किस्म का शोषण है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कृषक समुदाय का अब आगे और अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कि शहरी क्षेत्रों की ओर अग्रसर होकर कुछेक उद्योगपतियों, नौकरशाहों और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के हाथ में सिमठ कर रह गयी है, उसे वापिस ग्रामीण क्षेत्रों की ओर नहीं मोड़ दिया जाता तो क्रान्ति हो सकती है। आप रूस की, अन्य देशों के साथ तुलना कर सकते हैं जो कि अब विघटित होकर रह गया है। यदि आप स्थिति को सही नहीं करेंगे, तो इसके खतरनाक परिणाम निकलेंगे।

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। देश की सारी भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। मुझे इसकी वास्तव में कोई भी परवाह नहीं। मेरे परिवार के पास भी कुछ एकड़ भूमि है। मैं यह कहूंगा कि सारी की सारी भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये और हमें इण्डियन एयरलाइन्स से एक चपरासी अथवा सफाई वाले को जितना वेतन मिलता है, उतनी राशि देते रहें। मैं कृषक समुदाय की ओर से दलील देना चाहूंगा कि भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये क्योंकि मुझे किसानों की दुर्दशा का पता है। मुझे यह बात कहने का पूरा अधिकार है। संगठित क्षेत्र ग्रामीण वर्ग का शोषण करना अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप हमारी सारी भूमि ले लीजिए और मुआवजे के रूप में हमें केवल इण्डियन एयरलाइन्स के चपरासी के वेतन के समान राशि देते रहें।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप किसानों को इस तरह से अधिक देर तक गुमराह नहीं कर पाएंगे। अब ग्रामीण क्षेत्रों में युवा शिक्षित हो गये हैं और वे समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि राजनीतिज्ञ उनका किस तरह से शोषण कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यह मेरी उन लोगों को चेतावनी है जो कि ऐसी बातें निर्धारित करते है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात को समाप्त कर अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : जब तक कि आप इन सारी बातों को विपरीत ढंग से लागू नहीं करते, स्थिति में सुधार नहीं आ सकता। प्रधान मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने पहले से ही एक मंत्री मंडलीय दल से कहा है, जिसमें कि पेट्रोलियम मंत्री तथा तीन अथवा चार अन्य मंत्री भी शामिल हैं, कि इन बातों की जांच की जाये कि जो क्षति हुई है, क्या उसकी भरपाई कर पाना संभव

[श्री एच० डी० देवगोड़ा]

है। दल इस मामले की जांच करने के लिए बैठक का निर्णय लेने वाला है। यदि वह क्षति की भरपाई करने का निर्णय लेते हैं, तो मैं इसका स्वागत करूंगा।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : मैं, उर्वरकों की कीमतें बढ़ाने और राज-सहायता वापस लेने से संबंध में अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं।

आज से 20 वर्ष पहले कृषि मंत्रालय इस बारे में काफी प्रचार करता था कि कम्पोस खाद कैसे तैयार की जा सकती है और कम्पोस खाद का उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। बहुत से अन्य विभाग भी इस बारे में काफी प्रचार कर रहे थे कि कम्पोस खाद का उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जा सकता हैं। आज हम देखते हैं कि मऊओ का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। आज हम हरी खाद को पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे किसान उर्वरकों को उपयोग में लाने के लिए विवश हैं। यहां तक कि कृषि मंत्रालय ने भी इसका काफी प्रचार किया है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक किसान ने अपने खेतों में इन उर्वरकों को ही इस्तेमाल में लाने की आदत डाल ली है।

अब भारत सरकार राज-सहायता को वापस लेने पर विचार कर रही है और साथ-साथ सरकार उर्वरकों की कीमतो में वृद्धि करने पर भी विचार कर रही हैं। ऐसा करने से सरकार को तो लाभ होगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आ जायेगी।

आजकल, अधिकतर राज्यों में भूमि सुधार लागू किए जा रहे हैं। कर्नाटक में एक व्यक्ति अधिक से अधिक 54 एकड़ भूमि रख सकता है। छोटे और सीमान्त किसान केवल उतना ही उत्पादन कर पा रहे हैं जितना उनके परिवार के लिए जरूरी होता हैं। जिन लोगों के पास अधिक भूमि है, वे अधिक खाद्यान्न पैदा कर सकते हैं और यदि उनके पास अतिरिक्त खाद्यान्न होता है तो वे बाजार में बेच सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है। किसान जो धान, अथवा मूंगफली का उत्पादन करता है, उससे उसका काम नहीं चलता और इसके परिणामस्वरूप वह पूरी जमीन पर खेती करने की आदत को छोड़ नारियल अथवा पूगी अथवा आम का उत्पादन करता है। इससे भी बढ़कर इसके कारण खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो जाता है और यह उत्पादन उन लोगों के पास चला जाता है जो कि गैर-खाद्य उत्पादों का उत्पादन करते हैं। इसलिए, हमें विदेशों से गेहूं का आयात करना पड़ता है।

आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले गेहूं की भारी कमी हो गयी थी। हमें विदेशों से गेहूं मंगवाना पड़ा। वर्तमान परिस्थितियों के रहते, देश में खाद्यान्नों की भारी कमी हो जायेगी और हमें विदेशों से गेहूं का आयात करने को विवश होना पड़ेगा। आप जो कुछ राज-सहायता दे रहे हैं, उससे किसानों को लाभ नहीं पहुंचेगा क्योंकि हम तो विदेशों से गेहूं खरीद रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि विकसित देश भारतीय बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं। यद्यपि देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। फिर भी हम अपनी पूरी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। यदि यही स्थिति रही, तब स्वाभाविक तौर पर कोई भी किसान बढ़ी हुई कीमतों पर खाद नहीं

खरीद सकेगा और अपने खेतों में खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं कर सकेगा। इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में निश्चित तौर पर कमी आयेगी।

दूसरी बात यह है कि वह सब्जियां और फल भी नहीं उगा सकता। अतः इन चीजों की भी हमारे देश में कमी आयेगी जिसके परिणामस्वरूप हमें विदेशों पर निर्भर होना पड़ेगा।

हमें रियायती दरों पर खाद्यान्नों का वितरण भी करना है। हम उचित दर की दुकानें खोल रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उपभोक्ता उच्च कीमतों पर खाद्यान्नो की खरीद करने की स्थिति में नहीं है हमें दोनों चीजों में सन्तुलन कायम करना चाहिये। जब आप यह अनुभव करते हैं कि उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि करना उचित है और राज-सहायता वापस ले लेना भी उचित है तो उससे आप वास्तव में एक ऐसा रास्ता अपनाने जा रहे हैं जिससे खाद्यान्नों का आयात हो सके और जिसके परिणामस्वरूप हमारा देश दिवालिया बन जायेगा।

इसलिए मैं यह उम्मीद करूंगा कि सरकार को बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी तर्क-शक्ति का प्रयोग करना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि दूरदर्शन पर अथवा अन्य ऐसे प्रचार माध्यमों पर उर्वरकों के विज्ञापन के लिये हम 30 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं।

6.00 म० प०

विज्ञापनों को अन्य बहुत से तरीके हैं जिन पर हम काफी बड़ी रकम खर्च करते है। उर्वरक कम्पनियां भी प्रबंधकीय लागत के रूप में भारी रकम खर्च करती हैं। यद्यपि सरकारी उपक्रम काफी घाटे में चल रहे है, तथापि उन्हें धन उपलब्ध कराया जा रहा है। हम राज-सहायता की प्रतिपूर्ति करने के लिए विभाग से धन की बचत नहीं करना चाहते। बहुत से विभागीय खर्चे है जिनमें काफी हद तक बचत की जा सकती है और इस धनराशि को बिदेशों से उर्वरकों के आयात पर खर्च किया जा सकता है ताकि जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है, उनमें हम आत्म-निर्भर बन सकें।

कृषि मंत्री वास्तव में किसान हैं; वह सभी कठिनाइयों को जानते हैं। इसके साथ-साथ अन्य साथियों को भी जिन्हें ये कार्य करने होते हैं; अपनी तर्कशक्ति का गहराई से प्रयोग करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि उर्वरकों पर राज-सहायता वापस न ली जाये और उर्वरकों की कीमतें भी नहीं बढ़नी चाहिये अन्यथा देश में खाद्यान्नों की भारी कमी हो जायेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे इन सभी सुझावों पर अपनी तर्कशक्ति का प्रयोग करें।

अध्यक्ष महोदय : आज कृषि मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी मंत्री चर्चा में भाग लेंगे। इसके साथ-साथ सभी माननीय सदस्य भी इस विषय पर अपने विचार रखेंगे ताकि कल कृषि मंत्री चर्चा पर अपना उत्तर दे सकें।

अब श्री कमालुद्दीन अहमद चर्चा में हस्तक्षेप करेंगे।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : पंजाब में जैसी स्थिति है, उस पर मैं भी चर्चा में भाग लेना चाहता हूं।

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा। मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह हस्तक्षेप कर रहे है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं संक्षेप में कहूंगा अपनी बात और आयात से पहले भाग तक ही रखूंगा। वास्तविकता यह है कि जनवरी मध्य में सरकार ने तीन मिलियन टन गेहूं आयात करने का निर्णय किया था। यह निर्णय दो तथ्यों और दो वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि में लिया गया था। एक कारण था कि गत वर्ष गेहूं की वसूली में कमी आई थी। 11 मिलियन टन लक्ष्य की तुलना में सरकार ने गत वर्ष केवल 7.7 मिलियन टन की गेहूं की वसूली की थी और इस प्रकार इसमें काफी कमी आई। दूसरी बात यह थी कि यह आम धारणा थी कि लगातार तीन वर्ष तक अच्छा मानसून होने के बाद चौथे वर्ष अकाल अवश्य पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों मे हमें मजबूर होकर यह निर्णय लेना पड़ा ताकि परिस्थितियां और बिगड़ने से पहले हम उस स्थिति में हों कि हमारे पास खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार हो और कोई भी दूरदर्शी सरकार ऐसा ही निर्णय लेती।

हमने यह निर्णय पूर्व सरकार द्वारा गेहूं का निर्यात करने के निर्णय पर रोक लगाने, यानि, गेहूं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था और बाद में हमने यह निर्णय लिया कि हमें गेहूं आयात करना चाहिए। मेरा सभा से अनुरोध है कि वह दो या तीन तथ्यों पर विचार करे। वसूली मूल्य दो तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। कृषि लागत और मूल्य संबंधी समिति उत्पादन की लागत और उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर विचार करती है। यह समझा जाता है कि घोषित मूल्य उपभोक्ताओं की पहुंच तक होगा। यह प्रथा वर्ष 1990 तक ठीक प्रकार से चलती रही। उसके बाद इसमें अचानक ही अन्तर आ गया। यदि हम वर्ष 1991 के वसूली मूल्य को देखें और फिर गेहूं के खुदरा मूल्य को देखें तो पाएंगे कि बाजार में गेहूं का खुदरा मूल्य 50% से भी अधिक है। गत वर्ष अधिप्राप्ति मूल्य 225 रुपए प्रति क्विंटल था और दिल्ली में इसका खुदरा मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल अर्थात 4.50 रु० प्रति कि. ग्रा. था। यह अंतर दो कारणों से था। इसका एक कारण था कि गत वर्ष के 70 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में गेहूं का सफल उत्पादन अनुमान 54 मिलियन टन था।

इस 54 मिलियन टन उत्पादन होने से अधिप्राप्ति 7.7 मिलियन टन की हुई थी। देश में गेहूं की कमी के साथ-साथ वसूली कम हुई थी। इन दो तथ्यों के कारण बिचौलिए लाभान्वित हुए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या मैं मंत्री महोदय को स्मरण करा सकता हूं, चूंकि मेरे पास कृषि आंकड़े है, कि 1989-90 के दौरान गेहूं का उत्पादन 70 मिलियन टन नहीं था बल्कि 49.85 मिलियन टन था। 1990-91 के दौरान यह 5.52 मिलियन टन था। यही आंकड़े सही हैं तथा सभा को गुमराह किया जा रहा है। 54.52 मिलियन टन कभी भी 70 मिलियन टन नहीं था जैसा कि इस बारे में बताया गया है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं बता रहा हूं कि यह 54 मिलियन टन है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जैसा कि वह कह रहे हैं उसमें ऐसी कोई कमी नहीं आई।

श्री कमालुद्दीन अहमद : 54 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 7.7 मिलियन टन वसूली हुई थी। गत वर्ष हमने 11 मिलियन टन की वसूली की थी जबकि उस वर्ष में गिरावट इतनी ज्यादा थी कि हम केवल 7.7 मिलियन टन की ही वसूली कर सके। वसूली मूल्य 225 रुपए था और खुदरा मूल्य धीरे-धीरे बढ़कर 450 रुपए हो गया था। इस प्रकार यह अंतर रहा तथा

इसको कौन वहन करता। उपभोक्ता ने ही इसे वहन किया था। श्री भोगेन्द्र झा ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत हूं और मैं उनके यथार्थवादी रवैये के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उन्होंने यहां यह बताया कि किसानों के अनेक वर्ग है, अधिकांश कृषक अपनी जीविका के लिए भी उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इनके अलावा कुछ बड़े किसान भी हैं जो अपनी जीविका को पूरा नहीं कर पाते लेकिन अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनाज को बाजार में बेच देते हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जिसे हम कृषक नहीं कह सकते क्योंकि उनका कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय भी हैं।

यह वर्ग खाद्यान्नों को जमा करके रख लेता है, गत वर्ष जब खाद्य वसूली में कमी आई थी तो हमें बताया गया था कि व्यापारियों के साथ इन बड़े किसानों की मिली-भगत है और उन्होंने इस अनुमान से यह खाद्यान्न जमा कर लिए हैं कि इसकी कीमत बढ़ेगी। उन्होंने ऐसा व्यापारियों के कहने तथा उनकी मिली भगत से किया था। व्यापारी भी विभिन्न भंडार नियंत्रण आदेश से बचना चाहते हैं क्योंकि इन खाद्यान्नों के खुदरा तथा थोक व्यापारियों के लिए सीमाएं निश्चित की जाती है। गत वर्ष ऐसा ही होता रहा। इस वर्ष हमने यह सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग को स्थानीय वसूली से पूरा किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम 10 मिलियन टन गेहूं तथा 10 मिलियन टन चावल देना चाहते हैं। यह गेहूं कहां से आएगा ? इस वर्ष जो 6.4 मिलियन टन गेहूं प्राप्त हुआ है उससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग पूरी नहीं हो सकती है।

माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह बहस शुरू की थी और यह वास्तविकता है कि उनका राज्य पश्चिम बंगाल, जो गेहूं के एक भी दाने की वसूली नहीं करता है, 10 लाख टन प्रति वर्ष गेहूं लेता है। यदि हम यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त कर दें या इसे समाप्त करने के लिए हमें मजबूर होना पड़े तो इस राज्य को कहां से गेहूं मिलेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इतना ही महत्व देते हैं तो आपने अक्तूबर 1991-92 में 6.47 लाख टन खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेचने के स्थान पर खुले बाजार में बेचने का निर्णय क्यों लिया। अब आप 500 करोड़ रुपए के खाद्यान्न का आयात करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : इस प्रश्न का उत्तर मेरे सहयोगी, खाद्य मंत्री देंगे, मैं केवल यही कह सकता हूं कि जानबूझकर यह निर्णय लिया गया था कि कुछ खाद्यान्न खुले बाजार में बेचे जाएं क्योंकि जिस प्रकार से गत वर्ष अक्तूबर में कीमतें बढ़ रही थीं वह बहुत गलत था और हम मूल्य-वृद्धि को रोकना चाहते थे ताकि उपभोक्ता पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया। इस बात से हम इंन्कार नहीं कर रहे हैं और कुछ भंडार खुले बाजार में बेचा गया।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : खुले बाजार में किसे बेचा गया।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मिल मालिकों और अन्यों को बेचा गया। मैं पूर्ण ब्योरा नहीं दे रहा हूं। वे पूर्ण ब्योरा देंगे।

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : यह नागरिक पूर्ति निगमो, सुपर बाजारों तथा अन्यों को बेचा गया।

श्री कमालुद्दीन अहमद : यह मुद्दा खाद्य मंत्रालय से संबंधित है और वही इसका ब्योरा देंगे।

श्री श्रीकांत जेना : केवल आटा मिलों ने ही लिया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आटा मिलें ले सकती है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : अतः मेरा कहना है कि कम वसूली के कारण हमें यह निर्णय लेना पड़ा और मुझे विश्वास है कि सभा इसका स्वागत करेगी।

अब आप यह कहेंगे कि जिस मूल्य पर गेहूं का आयात किया जा रहा है, वही मूल्य किसानों को भी देना चाहिए। खाद्यान्न कहां से प्राप्त होगा ? मेरा कहना है कि खाद्यान्नों की कुल मात्रा इतनी नहीं है कि पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जा सके।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं, नहीं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह सही नहीं है। वास्तव में यह सच नहीं है। उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम नहीं हुआ है। कमी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यह सच्चाई नहीं है। उत्पादन कम नहीं हुआ है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : यदि हम कहें कि यह एक अलग मुद्दा है। अनेक किसानों ने तिलहन का उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

श्री बलराम जाखड़ : 1989-90 के दौरान 176 मिलियन टन खाद्य उत्पादन हुआ था जो बाद में गिरकर 167.4 मिलियन टन रह गया। यह गिरावट अगस्त-सितम्बर मे वर्षा द्वारा हुई क्षति के कारण आई थी। अच्छी फसल हुई थी लेकिन बाद में यह 174 मिलियन टन से कम होकर 167 मिलियन टन हो गया। वास्तव में ऐसा ही हुआ था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : लेकिन गेहूं का उत्पादन हुआ था।

श्री बलराम जाखड़: गेहूं का उत्पादन हुआ था लेकिन कम हुआ था।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं कह रहा था कि दो या तीन वर्ष पहले हमने खाद्य तेल का आयात किया था। हमें मलेशिया से बड़ी मात्रा में पामोलीन और खाद्य तेलों का आयात करना पड़ा था। मैं इस सभा की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि गत वर्ष हमने 1.5 लाख टन आयात किया था और इस वर्ष कुछ हजार टन खाद्य तेल आयात किया था और इसे हमने विभिन्न राज्यों में बांट दिया था। राज्य इसे लेने में असमर्थ थे क्योंकि खाद्य तेल स्थानीय स्तर पर काफी मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। स्थानीय खाद्य तेलों में कोई गिरावट नहीं आई। इस बात से यही पता चलता है कि काफी बड़े हिस्से में तिलहन का उत्पादन किया जा रहा है।

इस पृष्ठभूमि में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले भी यह कहा था कि यदि गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति नहीं होती है तब माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अथवा श्री इन्द्रजीत गुप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए क्या करेंगे ? क्या इसे हमें अनाज के वर्ग विशेष के लिए ही निश्चित करना चाहिए तथा अन्यों को छोड़ देना चाहिए अथवा हमें इसे वसूली से संबद्ध करना चाहिए ? यदि हम आबंटन को वसूली से जोड़ दें तो मुझे खेद है कि ऐसी स्थिति आ जाएगी जब केरल तथा अन्य राज्यों को केन्द्रीय पूल से अनाज नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए।

मेरा निवेदन है कि आप स्थिति को समझें और हमें इससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। कृपया इस निर्णय की सराहना करें और मेरा निवेदन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्यान्न उपलब्धता में सहायतार्थ ही गेहूं के आयात का निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि इस सरकार पर एक कहावत लागू होती है :

"अरबा सत्तां ज्यों का त्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों।" कमालुद्दीन साहब ने आंकड़ों का कमाल दिखा दिया और हमारे कृषि मंत्री जी भी आंकड़ों का कमाल दिखाएंगे और हालत यह है कि आंकड़ेबाजी में किसान मर रहा है।

मैं तो इस मामले में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और वह आपकी पार्टी के ही नेता थे, कम से कम आप उनके कामों से तो कुछ सबक लीजिए। उन्होंने "जय जवान जय किसान" का नारा दिया। देश भुखमरी के कगार पर खड़ा था और आप भीख का कटोरा लेकर विदेशों से गेहूं मांगते थे। उन्होंने देश के किसानों में स्वाभिमान जगाया और हिन्दुस्तान के किसान को प्रेरणा दी कि तुम ढंग से काम करो और तुम्हें सम्मान मिलेगा। इसलिए उन्होंने "जय जवान जय किसान" का नारा लगाया और किसानों ने लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान का बहुत अच्छा जवाब दिया। आप भीख का कटोरा लिए दुनिया के देशों में फिरते थे और कोई आपको गेहूं नहीं देता था और पी. एल. 480 का कलंक आपके माथे पर लगा हुआ था। उससे हिन्दुस्तान के किसान ने आपको मुक्त कराया, मगर आपने उसको क्या दिया ?

जब बहस चल रही थी तो हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि गेहूं का उत्पादन गिर गया और आंकड़े कह रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन बढ़ गया और उसके बाद आपने विदेशों से गेहूं आयात करने की कोशिश की क्योंकि गेहू का उत्पादन घट गया। कल माननीय प्रधान मंत्री जी कह रहे थे कि गेहूं का आयात इसलिए किया गया कि इस देश में सूखा पड़ने की संभावना बढ़ गई थी और जून-जुलाई में वर्षा नहीं हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इतने बड़े कृषि विशेषज्ञ है, आप बताइए कि जून और जुलाई में तो वैसे भी वर्षा हमेशा से कम होती है। पिछले कई सालों से वर्षा जुलाई के अन्त से शुरू होती है और अगस्त में भरपूर होती है, मगर आप मौसम विज्ञान के आंकड़ों से चलते रहते हैं। अब प्रकृति बदल रही है उसको आप देखें। उसके बाद आपने कहा कि सूखा पड़ रहा है और गेहूं मंगा लो, और सूखा नहीं पड़ा और 10 लाख टन गेहूं का आपने निर्यात कर दिया। कल मैंने प्रधान मंत्री जी से पूछा कि जब सूखा पड़ रहा था और देश में गेहूं की उपज कम हो गई थी तो आपको ऐसा कौन सा शोक था कि आपने 10 लाख टन गेहू का निर्यात शुरू कर दिया ? हमारे यहां एक कहावत है—"घर में नहीं दाने, अम्मां चली भुनाने।" आपके पास खाने को नहीं है और आप विदेशों को गेहूं निर्यात कर रहे हैं। आप गेहूं निर्यात कर रहे हैं और तुरन्त एक महीने बाद आपको इलहाम हो गया कि देश में गेहू का अकाल है इसलिए आपने 30 लाख टन गेहूं का आयात करने के आदेश दे दिए। पिछली बार हमने कृषि सलाहकार समिति की बैठक मे भी बात उठाई, लोक सभा में भी बात उठाई। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि एक दाना भी आयात नहीं किया जाएगा। हमने कहा - मान्यवर, आप यहां यह कह रहे हो और आपके दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि हम आयात

[श्री राजबीर सिंह]

करेंगे। इसमें एक बात है कि गेहूं के वसूली मूल्य पर दो मंत्रालयों में टकराव हो गया। हमारे कृषि मंत्री वहां शायद हल्के पड़ जाते हैं। मनमोहन सिंह आपका मन मोह लेते हैं। आप उनके सामने नहीं बोल पाते हैं। आपने कहा कि 340 रुपये प्रति क्विंटल किसान को मिलना चाहिए मगर आप वह नहीं दिला पाए और 280 रुपए प्रति क्विंटल पर आपने किसान की हत्या कर दी।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : कब की बात कर रहे हो ! ये दाम तो कब के बढ़ा दिए हैं।

श्री राजबीर सिंह : नहीं बढ़ाए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 240 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर आपने विदेशों को निर्यात किया और 300 से 550 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर आपने आयात किया। आप हिन्दुस्तान के किसान को 350 से 400 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं की कीमत नहीं दे सकते मगर आप विदेशी किसान को 550 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य देने की स्थिति में हैं। या तो इसमें कोई गोलमाल है या फिर आप इतने मजेदार व्यापारी हैं कि आप सस्ते में बेचते और महंगे में खरीदते हैं। कोई साधारण दुकानदार भी इस तरह की गलती नहीं करेगा।

मेरी समझ में नहीं आ रहा है और मेरा तो यह मानना है कि जिस दिन से आपकी सरकार आई है, उस दिन से कोई न कोई घोटाला आपके ऊपर लागू हो रहा है—चाहे वह बैंक घोटाला हो या ए. बी. बी. इंजन का घोटाला हो या गेहूं के आयात/निर्यात का घोटाला हो। क्या इसका मतलब यह है कि आप घोटालों के शिरोमणि हो गए हैं। मगर इन सबसे आप किसान को मत मारिए। हिन्दुस्तान के किसान को आप उसका लागत मूल्य देने की स्थिति में नहीं हैं, लाभकारी मूल्य की बात तो छोड़ दीजिए, लागत मूल्य देने की स्थिति में नहीं हैं। यहां कृषि मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।

देश में आपकी जितनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें आप गेहूं भी पैदा करते है, चावल भी पैदा करते हैं, गन्ना भी पैदा करते हैं और उन सबका कृषि मूल्य या उपज मूल्य आप निकालते है। क्या वही मूल्य आज आप किसान को देने की स्थिति में हैं। सारी यूनिवर्सिटीज आपकी है, मेरी नहीं हैं, किसी किसान की नहीं हैं, क्या उनमें जो कृषि जिन्सों का उपज मूल्य निकाला जाता है, उसे आप देने की स्थिति में हैं। लाभकारी मूल्य देने की स्थिति में तो हैं ही नहीं, लाभकारी मूल्य की तो आप परिभाषा भी शायद नहीं जानते। लाभकारी मूल्य अगर आपने देना है तो आपको लाभकारी मूल्य की परिभाषा करनी पड़ेगी। लाभकारी मूल्य का मतलब है खाद, बिजली, बीज और पानी, इन सबकी कीमत लगाइए, खेती में काम करने वाले किसान परिवार की कम से कम 30 रुपये रोज की मजदूरी लगाइए, उसकी जो जमीन है, जो कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट लगाइए, उसके बाद मुनाफा लगाकर, क्योंकि 20 या 25 परसेंट तो वह होना ही चाहिए जब आपका इंकम टैक्स डिपार्टमेंट 14 प्रतिशत मुनाफा राउण्ड फीगर में हर चीज पर लगा देता है, उतना ही लगाइए, उसके बाद जो फीगर आए, वही हमको दे दीजिए। लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। फिर आप कर क्या रहे हैं। आप किसान को उपज मूल्य नहीं दे सकते, लाभकारी मूल्य नहीं दे सकते, लागत मूल्य नहीं दे सकते, आप हमको इनाम दे रहे हैं, और वह इनाम यह दे रहे हैं कि आपने खाद महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी, पानी महंगा कर दिया। यानी हमें आप लागत मूल्य तो नहीं दे रहे हैं बल्कि लागत को और बढ़ा रहे हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने खाद पर सबसिडी हटा ली तो क्या यह आपने किसान के साथ हमदर्दी की हैं, क्या इस तरह इस देश के किसान को आप जिन्दा रखना चाहते हैं, क्या इस देश के 72 प्रतिशत लोगों कों भूखों मारना चाहते हैं या चन्द लोगों की गोटी फिट करना चाहते हैं, लाल करना चाहते हैं, उन चन्द लोगों को मालामाल कर रहे हैं। इस सौदेबाजी में कहीं न कहीं घोटाला है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच के लिए आपको एक जे० पी० सी० बिठानी चाहिए, वह इस सबकी जांच करे क्योंकि एक जे० पी० सी० बैंक स्कैम के मामले में आप लोगों को काफी अच्छा खोल रही है और इसमें भी खोलेगी। आपको हर मन्त्रालय के लिए एक जे० पी० सी० बिठानी पड़ेगी, ऐसा लगता हैं क्योंकि आप लोगों ने तय कर लिया है और मुझे तो यह डर लग रहा है कि कहीं आपके मन में यह भय तो व्याप्त नहीं हो गया है, जो इन चार वाक्यों में कहा गया है—

ऋण कृत्वा घृतं पीवेत, यावत जीवेत सुखम् जीवेत।
भष्मि भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः॥

यानी मौज से जीओ, उधार लेकर घी पीओ, क्योंकि आपको तो वापस करने का मौका मिलना नहीं है, वापस तो हमें करना पड़ेगा, सारे कष्ट हमें ही उठाने पड़ेंगे, इसलिए आप तो लुटाए जाओ, लूटे जाओ, सारे कष्ट तो हिन्दुस्तान की जनता को भोगने पड़ेंगे।

अध्यक्ष जी, मुझे एक दो बात और कह लेने दीजिए, कल से प्रतीक्षा करते-करते तो आज मेरा नम्बर आया है और मुझे लगता है कि किसानों की किस्मत में ही यह है कि आज भी उनके बारे में कुछ बोला जाता है तो घण्टी बज जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आप घी की बात छोड़कर बोलिए।

श्री राजबीर सिंह : किसान जब भी बोलना शुरू करता है तो घण्टी बज जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप घी की बात छोड़कर ज्वार की बात कीजिए।

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इन मंत्री-त्रय से कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां मंत्री-त्रय बैठे हैं, त्रिमूर्ति जिनको कहना चाहिए··· **(व्यवधान)**

हां, त्रिमूर्ति कहूं, तिलंगे कहूं लेकिन यह तीन का अक्षर है ही ऐसा···

अध्यक्ष महोदय : इसका और धान का आपस में क्या सम्बन्ध है।

(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : राजबीर सिंह जी, और तो सब कुछ सही है, लेकिन मैं आपसे कोई अपशब्द सुनने की उम्मीद नहीं करता।

श्री राजबीर सिंह : मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा है, आप बताइए।

श्री बलराम जाखड़ : आपने अभी कहा है।

श्री राजबीर सिंह : मैंने सिर्फ मंत्री-त्रय कहा है, और बताइए क्या कहा है। यदि आपको मेरा कोई शब्द बुरा लगा हो, अपशब्द आप मानते हैं तो मैं उसे वापस लेने को तैयार हूं। मैं आपसे साफ कह रहा हूं।

श्री बलराम जाखड़ : मैं कह रहा हूं कि अपशब्द कहना आपको शोभा नहीं देता।

श्री राजबीर सिंह : मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यहां जो मंत्री-त्रय बैठे हैं, उनका आपस में तालमेल नहीं है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे कृषि मन्त्री जी के पास है क्या, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। कृषि मंत्री जी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। खाद का मामला है, फर्टिलाईजर का महकमा किसी और के पास हैं इनको पता ही नहीं है कि कितना फर्टिलाईजर पैदा हो रहा है और उसमें क्या-क्या परेशानियां आ रही हैं। सिंचाई का महकमा किसी तीसरे मंत्री के पास है। बीज और खाद का मामला कोई और देखता है। रसायनिक खादों का मामला किसी और के पास है। इसैक्टीसाइट्स कौन देता है, यह पता ही नहीं है। अलग-अलग महकमे हैं। कृषि मंत्री जी को तो ऐसा लग रहा है कि केन्द्र की जो सरकार है, उसका इस बात से शायद मतलब ही नहीं है। किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए कोई दीर्घगामी नीति बनाई जाए, कम से कम कोई बृहद् योजना बनाई जाए।

अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जब मैं सूखे पर बोला था, तो मैंने एक दीर्घकालीन नीति के बारे में बोला था, किन्तु दीर्घकालीन नीति नहीं बनाई गई। आप तो टुकड़ो में विचार करते हैं। जब सूखा पड़ता हैं, तो सूखे के ऊपर विचार कर लेते हैं, गेहूं कम पैदा होता है, तो आप इम्पोर्ट कर लेते है और अगर ज्यादा पैदा हो जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको एक दीर्घकालीन नीति किसानों और कृषि के बारे में बनानी चाहिए ताकि देश के किसान आश्वस्त हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं कहना चाहता था, किन्तु श्री वी०पी० सिंह जी ने रामकोला कह दिया और यहां कोकाकोला और रामकोला की बात चल रही है, राम कोला आप कहते हैं और कोका कोला वे कहते हैं, इस राम कोला और कोका कोला के सम्बन्ध में न पड़ कर मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गन्ने के किसानों की भुगतान की समस्या उठ खड़ी है। इसका कारण यह है कि लेवी चीनी केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश से नहीं उठा रही है बल्कि दूसरे प्रदेशों से उठाकर उत्तर प्रदेश में बेचने के लिए भेज रही है। अगर लेवी शुगर आपका विभाग उत्तर प्रदेश से उठा ले, तो किसानों को पैसे का भुगतान मिल जाए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर आप ध्यान दीजिए। आप बी० जे० पी० की सरकार को परेशान करने के लिए कम से कम किसानों की तो हत्या मत कीजिए। आप बी० जे० पी० सरकार को परेशान करने के लिए लेवी शुगर उत्तर प्रदेश से न उठाकर किसानों की हत्या कर रहे है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उत्तर प्रदेश के किसानो की हत्या मत कीजिए और उत्तर प्रदेश से लेवी चीनी उठाइए, ताकि किसानों को उनके बकाया का भुगतान हो सके।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे और यह कहनी है कि उत्तर प्रदेश में जिन चीनी मिलों को किसानों के गन्ने का बकाया देना हैं, उसमें वे चीनी मिलें ज्यादा संख्या में हैं, जो केन्द्रीय सरकार की हैं। बाकी चीनी मिलों की ओर से किसानों को उनके बकाया का भुगतान कर दिया गया है। इसके

बारे में केन्द्र सरकार ध्यान नहीं देती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और यदि कहीं चीनी की पैदावार कम हुई, तो यह सरकार चीनी का इम्पोर्ट करने से भी नहीं चूकेगी। अतः मेरा निवेदन हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चीनी का क्या केन्द्र का विषय है? यह राज्यों का विषय है। चीनी गन्ने से बनती है और गन्ना राज्यों में पैदा होता है। लेकिन चीनी की मिल लगाने के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था आपने की हुई है जब कि आपने अपनी नई औद्योगिक नीति के तहत तमाम लाइसेंस समाप्त कर दिए हैं, चीनी की मिलों के लिए लाइसेंस देने की शर्त यहां अपने पास रखी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100 चीनी मिलों को खोलने की बात कही है और 52 के तो आपके पास प्रस्ताव भी भेजे हैं, लेकिन आपने उनमें से केवल 12-13 चीनी मिलों को लगाने की अनुमति दी है और वह भी इस शर्त के साथ दी है कि जहां आप चाहेंगे, वहां बे चीनी की मिलें लगाई जाएंगी। इसलिए मेरा यहां आज आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि चीनी की मिलों को लाइसेंस देने की प्रणाली को समाप्त करना चाहिए और इस विषय को राज्यों के विषयों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि जो राज्य सरकार जहां चाहे, वहां चीनी की मिल अपने प्रदेश में होने वाली गन्ने की पैदावार के आधार पर लगा सके। इस प्रकार से चीनी की मिलों को केन्द्र द्वारा लाइसेंस देने की प्रणाली लागू करके भी आप किसानों को ही परेशान कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आप हर प्रकार से किसानों को परेशान करने की नीति अपना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि आप यानी सरकार विदेशी मुद्रा को बचाए। इस विदेशी मुद्रा को आप विदेशों में मत जाने दीजिए। इस विदेशी मुद्रा को आप तब बचा सकते हैं जब हिन्दुस्तान में खाद के मूल्यों को कम करेंगे, घटायेंगे। जब खाद के मूल्य कम होंगे, तो किसान अच्छा खाद लगाएंगे और जब किसान अच्छा खाद लगाएंगे, तो उपज ज्यादा होगी और जब उपज अच्छी होगी, तो आपका विदेशी मुद्रा का भण्डार जो अब गेहूं या अन्य चीजें इम्पोर्ट करने में खर्च हो रहा है वह बचेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते है और खाद की कीमतें नीचे नहीं आती हैं, तो किसान खाद कम लगाएगा और जब किसान खाद कम लगाएगा, तो उत्पादन भी कम होगा और जब उत्पादन कम होगा तो आप इम्पोर्ट करेंगे, तो फिर कुछ होगा और फिर जे० पी० सी० बैठेगी। इसलिए अच्छा है आप इम्पोर्ट न करें।

अध्यक्ष महोदय : कानून कौन बनाएगा ?

श्री राजबीर सिंह : मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना है कि सरकार किसानों की खाद पर दी जाने वाली सबसिडी को समाप्त न करे बल्कि सबसिडी दे और एक बार हिन्दुस्तान के किसान को अपने पैरो पर खड़ा होने का मौका दे। अगर किसान अपने पैरों पर खड़ा होगा, उसके पास 4 पैसे आएंगे, तो वह पैसा भी तो लौटकर आपके पास ही आएगा। उस पैसे से वह खाद, बिजली, पानी आदि खरीदेगा और खेत में लगाएगा, फिर अच्छी फसल होगी और फिर 4 पैसे आएंगे, तो वे आएंगे तो लौटकर आपके पास ही। यह क्रम चल जाएगा। जब किसान के पास चार पैसे आएंगे तो आपके सारे उद्योग धन्धे चलेंगे, आपका टेलीविजन बिकेगा, मारुति कार बिकेगी, औद्योगिक क्रान्ति हो जाएगी। आज आप 5-7 प्रतिशत क्रेताओं के ऊपर बाजार चलाना चाहते हैं, 72-80 प्रतिशत उपभोक्ता हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। आप 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं की उपेक्षा करके चल रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। किसान निर्माता भी है और उपभोक्ता भी है।

[श्री राजबीर सिंह]

मैं पुनः आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे। यह राजनीतिक आपस की लड़ाई नहीं है कल को किसी को भी सरकार चलानी पड़ सकती है। अगर नीतियां सही होंगी तो देश आगे बढ़ सकता है, अगर नीतियां गलत होंगी तो देश गड्ढे में चला जाएगा। दुर्भाग्य यह है कि इस समय की सरकार की नीतियां भी गलत है और नीयत भी गलत है।

मैं मंत्री-त्रय से कहना चाहता हूं कि हमारे पंजाब के माननीय सदस्य बहुत अच्छी बात कह रहे थे। आप उनकी बात को सुनिए और उस पर गौर कीजिए। उन्होंने वह बात कही है जो गांव के खेत की मेड़ पर बैठकर किसाम करते हैं। वे आपकी पार्टी के ही हैं। वे जिस समय बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि आपके चेहरे ऊपर-नीचे हो रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कभी-कभी सही बात बहुत गड़बड़ लगती है। उन्होंने कहा था कि आप किसान के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। इस देश के किसान का भला होगा तो इस देश का भला होगा और किसान का भला तभी होगा जब कृषोन्मुख नीति बनेगी, किसान के पक्ष में नीति बनेगी। जब किसान को स्वावलम्बी बनाएंगे, जब किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तभी इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज किसान कर्जों से त्रस्त है, उस पर अन्धाधुन्ध कर्ज बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी वह जिन्दा है।

मेरे क्षेत्र में वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत एक खेती होती है। कृषि मंत्री जी, किसान के तमाम सालिक बना दिए गए हैं। वहां अफीम की खेती होती है और उसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। वे बेचारे लाइसेंस के लिए मारे-मारे घूम रहे हैं। इस समय मेरे घर में बीसियों लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, बाराबंकी, गाजीपुर में अफीम की खेती होती है।... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि या तो अफीम की खेती बिल्कुल बन्द कर दीजिए या उसको ठीक से चलने दीजिए। इतना भ्रष्टाचार होता है कि जो 500 रुपये रिश्वत दे देता है उसको लाइसेंस मिल जाता है और जो नहीं देता है उसका लाइसेंस खारिज हो जाता है।

इस समय अफीम से हिन्दुस्तान के करोड़ों बच्चे पीड़ित है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इसको बन्द करना है तो एकदम से बन्द कर दीजिए लेकिन उसकी आड़ में भ्रष्टाचार न पनपाएं। अफीम बरेली में खरीदी जाती है और छः महीने के बाद गाजीपुर में जांच होती है। उसके बाद एक नोटिस आ जाता है कि तुम्हारी अफीम में आद्रता कम थी। 35 लोगों की एक साथ अफीम भेजी जाती है और उनमें से जो रिश्वत दे देते हैं उनको अफीम अच्छी हो जाती है और जो नहीं देते हैं उनकी खराब हो जाती है। एक तो पहले ही खराब काम है और उस पर भी खराब काम हो रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और किसान हित में फर्टीलाइजर पर खत्म की गई सबसिडी को पुनः लागू किया जाए, नहीं तो किसान गेहूं की उपज नहीं कर पाएगा। हमारे डिप्टी स्पीकर जी ने जो बात कही थी, मैं कई बार कह चुका हूं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर की भी प्लानिंग कीजिए। आपको गेहूं की जितनी आवश्यकता है उतना गेहूं बोइए, धान की जितनी आवश्यकता है उतना धान बोइए। आपको कपास की जितनी आवश्यकता है उतना कपास बोइए, तिलहन-दलहन की जितनी आवश्यकता है उतना बोइए। नतीजा यह

हो रहा है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए कभी हमारे देश में चावल का संकट खड़ा हो जाता है, कभी हमारे देश में गेहूं सरप्लस हो जाता है, कभी गन्ना इतना ज्यादा सरप्लस हो जाता है कि उनको खेतों में जलाया जाता है। आप फैमिली प्लानिंग में लगे हुए है, आप अपनी मिनिस्ट्री की प्लानिंग में लगे हुए हैं आप किसान की एग्रीकल्चर की प्लानिंग करिए कितना आपको गेहूं चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, कितना घी चाहिए उसके हिसाब से प्लानिंग करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा होता है कि किसान केश-क्राप की तरफ भागता है और इसलिए वह परेशान हो जाता है।

अब जैसे आम के बाग लगाने का इस समय रिवाज चल गया, आम के बाग लगा रहा है। एक दिन यह आएगा कि आम का किसान बैठ कर रोएगा अब जैसे अंगूर का किसान रो रहा है। उसकी जो अंगूर की फसल है उसको कोई पूछता भी नहीं है वह सस्ती बिकती है, कृषि भवन में ट्रक के ट्रक लद कर आते हैं और वह सस्ती बिकती हैं। मेरा निवेदन है कृषि प्लानिंग कीजिए, किसान की उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दीजिए। अगर अमरीका के किसान, कैनेडा के, आस्ट्रेलिया के किसान रंग में गोरे हैं इसलिए आप उन गोरे किसानों को ज्यादा पैसा मत दीजिए। इस देश के काले किसानों को कुछ पैसा दे दीजिए तो उससे भला हो जाएगा, नहीं तो इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि अगर किसान मर गया तो देश मर जाएगा और उसको कोई बचा नहीं पाएगा।

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने गेहूं आयात करने संबंधी निर्णय लिया तब खाद्य मंत्री के रूप में मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। परन्तु, ऐसे वर्ष में जब उत्पादन बहुत कम रहा तब मेरे पास इसके सिवा और क्या विकल्प बचा था ? यह न्यूनतम उत्पादन 166 मिलियन टन है। यह उत्पादन चार वर्ष पहले के उत्पादन से बहुत कम है जब 1988-89 में यह उत्पादन 169 मिलियन टन था। मैं खाद्य उत्पादन की बात कर रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब आप गेहूं का आयात कर रहे हैं। गेहूं का उत्पादन कितना है ?

श्री तरुण गगोई : गत चार वर्षों से गेहूं का उत्पादन उतना ही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : गेहूं का उत्पादन घटा नहीं है।

श्री तरुण गगोई : जी हां। गेहूं का उत्पादन घटा नहीं है। परन्तु गत चार वर्षों से वह उतना ही है। गत चार वर्षों में देश की जनसंख्या 66 मिलियन से भी अधिक हो गई है। इसलिए और अधिक लोगों का पेट भरना है। गेहूं का उत्पादन नहीं बढ़ा है और इस बात को यहां कई माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : फूड का प्रोडक्शन नीचे गया इसका क्या कारण है यह तो बताइए ? (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : गेहूं का प्रोडक्शन नीचे नहीं गया है यह आपके आंकड़े हैं मंत्री जी, आप गलत बात मत करिए।

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : कृपया मेरी बात सुनिए। यह सच है कि गत चार वर्षों से गेहूं को उत्पादन उतना ही है। 1988-89 में गेहूं का उत्पादन 54 मिलियन था और अब 1991-92 मे यह लगभग 55 मिलियन रहा (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० जी०एल० कनोजिया (खीरी) : परचेज नहीं हुआ हैं। (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : आप इनकी बात को आराम से सुनिए, आपको ज्ञान नहीं है आप पहले ज्ञान प्राप्त करिए। (व्यवधान)

श्री राजबीर सिंह : यह जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि आपकी परचेज कम हुई है या प्रोडक्शन कम हुआ है आप जरा यह बता दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे थे यही वह कह रहे हैं। आप इनकी बात को सुनिए।

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : यह कुल खाद्यान्न उत्पादन पर भी निर्भर करता है। यदि किसी खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट आती है। तब स्वाभाविक है कि अन्य खाद्यान्नों पर भी दबाव पड़ेगा। यदि चावल के उत्पादन मे गिरावट आती है तो स्वाभाविक है कि गेहू पर दबाव पड़ेगा, यदि मोटे अनाज के उत्पादन में गिरावट आती है तो स्वाभाविक है कि गेहूं पर भी दबाव पड़ेगा। यह कोई नया सिद्धान्त नहीं है परन्तु यह एक सच्चाई हैं। लोगों को जिन्दा रहना है और उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जबकि खाद्य उत्पादन में गिरावट होती है और जब मांग और आपूर्ति में असन्तुलन रहता है, यह सच है कि कीमतें बढ़ जाती है और यह भी सच है कि पिछले वर्ष कीमतों में 48 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसलिए दिल्ली में भी कीमतें बढ़ गई थीं। तब यह भी सच है कि विपक्ष हम पर आरोप लगा रहा था कि हम किसान विरोधी हैं। कीमतों में 50 रुपये की वृद्धि किसने की? श्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व में हमारे द्वारा बढायी गई यह उच्चतम वृद्धि है। पहले की सरकार शायद उस समय, 6-11-1990, श्री वी०पी० सिंह जो प्रधान मंत्री थे—ने कीमतों में 10 रुपये की वृद्धि की थी। इसमे 50 रुपये की वृद्धि करके हम किसान विरोधी बन गए और 10 रुपये बढ़ाकर जनता दल किसान समर्थक बन गया है, किसानों के हित का ध्यान किसने रखा?

कितनी वसूली की गई थी? हमने केवल 15 प्रतिशत की वसूली की थी। 54 अथवा 55 मिलियन टन में से 6 मिलियन टन अथवा कभी-कभी 7 मिलियन टन खरीदी गई थी। शेष मात्रा किसानों के पास है। किसानों को बाजार मूल्य पर बेचने की छूट है। गेहूं के 85 प्रतिशत उत्पाद पर किसानों को बाजार मूल्य मिल रहा है। उन्हें अच्छी कीमत मिलती है। उन्हें लगभग 350 रुपये मिलते हैं। पिछले महीने उन्हें 450 रुपये मिले थे। हो सकता है हमको जो 15 प्रतिशत देने की बात कही गई है उस पर उन्हें बाजार मूल्य न मिलता हो परन्तु उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाने वाला एक तरह का आश्वासन है, कि आपको यह आश्वासन दिया जाता है कि यदि कीमत बाजार मूल्य से कम हो तो न्यूनतम मूल्य दिया जाएगा। उसके बाद, आप हमारे पास आइये। सरकार, जो भी दिया जाएगा, उसे खरीदने के लिए वचनबद्ध

है। यह खाद्य संबंधी आश्वासन है। और आपको किसानों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। पिछली बार, कीमतें बढ़ गई थीं। अब आयात और दूसरे कारणों से कीमतों में गिरावट आई है। अब हम उपभोक्ता विरोधी भी बन गए हैं। पिछली बार, आप लोगों ने हमारी आलोचना की थी क्योंकि कीमत बहुत बढ़ गई थी। समय की मांग को पूरा करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मेरे पास गेहूं आयात करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। खाद्य मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह मुद्दा किसानों के समक्ष ही नहीं अपितु घरेलू बाजार में भी उठाया गया है कि जब 310 या 320 रुपये में गेहूं मिल रहा है तो इसे 500 रुपयों पर बाहर से क्यों खरीदा गया? यदि आपको भारतीय व्यापारी और विदेशी व्यापारियों में से किसी एक को चुनना है तो आप भारतीय व्यापारी को क्यों नहीं चुनते? **(व्यवधान)**

श्री तरुण गगोई : मैं स्पष्ट करूंगा। खुले बाजार से खरीदकर मैं देश में कुल उपलभ्यता को बढ़ा नहीं सकता। उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता।

श्री श्रीकान्त जेना : क्या आपने प्रयास किया?

श्री तरुण गगोई : मैंने प्रयास नहीं किया। परन्तु वह जीवन की वास्तविकता है। यह बात नहीं है कि मैं विदेशी किसानों को 500 रुपये दे रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप गेहूं खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं।

श्री तरुण गगोई : भारतीयों को भी बहुत सा धन दिया गया है। भारतीयों को पत्तन प्रभार मिल रहा है। भारतीयों को परिवहन प्रभार मिल रहा है। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : परीक्षण के तौर पर आप यहां से खरीदना शुरू कीजिए। आप 310 रुपयों में सोनीपत से ही क्यों नहीं खरीदते? आप बाहर से खरीदने की कोशिश क्यों करते हैं? गेहूं की वांछित मात्रा यहां से प्राप्त होगी और आपके भण्डार भी भर जाएंगे।

श्री तरुण गगोई : यदि मैं यहां से खरीदूंगा, इससे कुल उपलभ्यता में वृद्धि नहीं होगी। इससे कीमतें और बढ़ जायेंगी। मैं तीन मिलियन टन खरीद सकता हूं। लेकिन बाकी का क्या होगा?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसका मतलब है, आप कीमतों पर दबाव डालने के लिए स्थायी रूप से गेहूं का आयात करेंगे।

श्री तरुण गगोई : यह अर्थ शास्त्र है। जब मांग और आपूर्ति में कमी होती है तब कीमतें बढ़ जाती हैं। जब कभी खाद्यान्नों की वसूली में कमी आएगी, हम ऐसा ही करेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपकी नीति के कारण हमेशा कमी ही रहेगी।

श्री तरुण गगोई : नहीं, नहीं। यह वर्षा पर निर्भर करता है। आज भी सभी खाद्यान्न वर्षा पर निर्भर है। 60 प्रतिशत खाद्यान्न वर्षायुक्त कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश, बिहार अथवा अन्य भागों में सिंचाई नहीं है। यह जीवन की वास्तविकता है। तब भी यह वर्षा पर निर्भर करता है।

[श्री तरुण गगोई]

विदेशी किसानों को हमारे किसानों से कम प्राप्त हो रहा है। मैं कनाडा के किसानों की बात कर रहा हूं… (व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनिए। कनाडा का एफ. ओ. बी. मूल्य 147.78 रुपए है। यह एफ. ओ. बी. मूल्य है, यह किसानों को दिया गया मूल्य नहीं है। एफ. ओ. बी. मूल्य 477 रुपए है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप क्या खर्च कर रहे है ?

श्री तरुण गगोई : मैं जो खर्च कर रहा हूं वह अलग है। आप आरोप लगा रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप कह रहे हैं कि आप 500 रुपये खर्च कर रहे हैं।

श्री तरुण गगोई : मैं यह कह रहा हूं कि उद्योग की अपेक्षा किसान को अधिक दे रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप मेरे प्रश्न और उत्तर को काट रहे हैं। आपने कहा कि "हम 500 रुपए खर्च कर रहे हैं जबकि 310 रुपए अथवा 320 रुपए खर्च करने पर आपको यहां से मिल जाएगा।

श्री तरुण गगोई : मैं आपको बताऊंगा। वह खर्च संबंधी जानकारी है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : आप भूतपूर्व प्रधान मंत्री है। बाजार में कुल मात्रा की क्या स्थिति है। आप किस प्रकार का तर्क कर रहे हैं ?

श्री तरुण गगोई : तब भी आर्थिक लागत कितनी है ? 275 रुपयों के लिए आपको आकस्मिक खरीदो प्रभार देना होगा। उसके बाद वितरण प्रभार देना होगा। यहां पर भी आर्थिक प्रक्रिया 455 है न कि 225। मूल्य के अतिरिक्त, आपको किसानों को भी भुगतान करना होगा। हमें खरीदी मूल्य देना होगा। हमें भण्डारण प्रभार, प्रबन्ध प्रभार तथा वितरण प्रभार भी देना होगा। हमें इस पर ब्याज देना होगा। यह केवल 275 ही नहीं है। आर्थिक मूल्य 455 है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : ठीक बात है। परन्तु वह भी 500 से कम है।

श्री तरुण गगोई : वह 275 पर मिलता है। यदि आप 300 में खरीदेंगे तो वह अधिक होगा। यदि आप 350 में खरीदेंगे, तब आर्थिक लागत 542 होगी। यह आयात लागत से अधिक है। यह सच नहीं है कि हम विदेशी किसानों को अधिक भुगतान कर रहे हैं। अब भारित औसत कितना हैं ? भारित औसत 130 है। (व्यवधान) आप मुझे बता सकते हैं। मैं प्रमाणित कर सकता हूं। कुछ भी हो, यह एक सच्चाई है।

एक माननीय सदस्य : मैं प्रमाणित कर सकता हूं। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। आपकी बातें सच नहीं है। मैं जानता हूं कि वह कैसे होता है।

श्री तरुण गगोई : आप कल की कीमतों का उद्धरण दे रहे हैं। भारित औसत 132 है। मैं भारित औसत की बात कर रहा हूं। (व्यवधान) जब आप सत्ता में थे, आप समान प्रभार दे रहे थे।

श्री नीतीश कुमार : 200 रुपए पर क्विंटल हैंडलिंग और स्टोरेज चार्जिज कैसे होता है ?

श्री तरुण गगोई : वह होता है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : कृपया मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : 500 रुपए के भाव से आप कहां गेहूं चाहते है ?

[अनुवाद]

हमारे किसान आपको 500 रुपए के भाव से गेहूं दे सकते है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 3.25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पांच किलो का बैग बना कर हजारों बैग बोट क्लब पर रखे थे। ये लोग खरीदने नही आए। पैकिंग चार्जिज और हैण्डलिंग चार्जिज सब उसमें इनक्लूड था। ये खरीदते।··· (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : स्पीकर साहब, एक बात है आरगूमेंट की, फैक्टस की और स्टैटीस्टिक्स की। ये बदले नहीं जा सकते। न ही ये आप बदल सकते हैं। जो हैण्डलिंग चार्जिज उस वक्त थे आज भी वही होंगे। जो ये बता रहे है। आप बदले नहीं है। जब वी० पी० सिंह साहब थे, आप थे, तब भी हैण्डलिंग चार्जिज इतने होंगे। एक-दो परसेंट का फर्क पड़ गया होगा। अब ये क्यों ऐसे कह रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 1500 करोड़ फारेन एक्सचेंज का मिस-हैण्डलिंग चार्जिज हैं। फारेन एक्सचेंज आप खर्च कर रहे हैं। इसका कोई सवाल नहीं है।

श्री बलराम जाखड़ : कंटीजेंसी की बात करनी चाहिए। डिसासटर अवाइड करने की बात है। (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह हम लोग नहीं मान सकते। (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : अगर यह काम सरकार न करती, कल भूखमरी हो जाती। कहते लोग अन्धे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इण्डियन करंसी में कोई भुखमरी का सवाल नहीं है फारेन करंसी 1500 करोड़ रुपए आप मिस-हैण्डलिंग कर रहे है। उसका सवाल हमने यही बेसिक क्वश्चन उठाया था। इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : आप खुद खड़े होकर कहते हैं कि सरकार अन्धी थी कि क्या। लोग मर रहे हैं, हम क्या करते। गलत बात है··· (**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : आप जो कह रहे हैं यह गलत बात है। जो उस वक्त था आज भी वही है। आपकी बात सुन ली है तो इतनी बात भी सुनिए। मन्त्री जी को अपनी बात कहने दीजिए। जो कुछ तब था, आज भी वही हैं।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : उस वक्त गलत था तो उनको ठीक कीजिए।... (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : आप आराम से इनकी बात सुनिए।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, यदि आप कोई व्यवधान नहीं चाहते तो अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री तरुण गगोई : फिर यह आरोप लगाया गया है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और 'गेट' के आदेशों पर आयात करने का निर्णय ले रहे हैं। मैं इस बात से इन्कार करता हूं। हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा 'गेट' के आदेशों पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। यह खाद्य मंत्रालय का निर्णय है। मैंने यह भारी जिम्मेदारी ली है। मैंने देश तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा है। (व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : आप कह रहे हैं कि आपने कृषकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा है, अगर आप विदेशी कृषकों को 500 रु० प्रति क्विंटल अदा कर रहे हैं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह के व्यवधान नहीं होने चाहिएं।

(व्यवधान)

श्री तरुण गगोई : महोदय, एक अन्य आरोप यह लगाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा गेट के आदेश पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जारी रहेगी। इसे कम नहीं किया जाएगा। इसकी बजाए हम इसे मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। इसे कम करने की बजाए प्रधान मंत्री जी ने इसे मजबूत बनाने की कोशिश की है। यह ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं।

इसके पश्चात् आयात तथा निर्यात का प्रश्न आता है। वे पूछते हैं कि "आप एक ही समय में आयात तथा निर्यात दोनों क्यों कर रहे हैं?" निर्यात के सम्बन्ध में मैंने सभा में दो बार दिए गए अपने विस्तृत वक्तव्य में विस्तार से बताया है कि किन परिस्थितियों के अन्तर्गत निर्यात करने का निर्णय लिया गया था। निर्यात करने का निर्णय 1990 में लिया गया था जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में थे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उस समय यह निर्णय गलत था क्योंकि तब विदेशी मुद्रा की कमी थी। इसके पश्चात् चन्द्रशेखर सरकार सत्ता में आई। (**व्यवधान**) उसके पश्चात हम सत्ता में आए तब भी विदेशी मुद्रा की कमी थी। इसलिए 10 लाख टन का निर्यात करने का निर्णय लिया गया। हमारे सत्ता में आने के पश्चात् हमने देखा कि वसूली बहुत कम थी। इसलिए हमने निर्यात को घटाकर 10 लाख टन से 7 लाख टन करने का निर्णय लिया। हमने ऐसा करने का निर्णय लिया··· (**व्यवधान**) मैं अपनी बात पर आता हूं। जनवरी में हमने फिर से यह कहा कि और आगे निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। वास्तव में, इस निर्णय के परिणामस्वरूप हमने लगभग 7 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दी। तत्पश्चात्, हमने उस पर विराम लगा दिया। यह बात वित्तीय वर्ष 1991-92 के अन्त में हुई थी। वे ऐसा कहते हैं—"पहली बार आपने एक मिलियन टन निर्यात करने का निर्णय लिया है और उसके पश्चात् तीन मिलियन टन का आयात करने का निर्णय लिया।" जी हां, पहली बार जनवरी में हमने दस लाख टन आयात करने का निर्णय लिया। उस समय कीमतें काफी बढ़ गई थीं। उसके बाद हमने आयात न करने का निर्णय लिया क्योंकि रबी की फसल शुरू होने वाली थी। मैंने कहा: "कुछ समय के लिए इन्तजार कर लिया जाए। फिर हम देखेंगे"। इसी बीच हमने रियायतें बढ़ा दीं ताकि हम केन्द्रीय पूल में और अधिक अनाज देने के लिए किसानों को मना सकें। हमने मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। मैंने स्वयं खाद्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। प्रधान मंत्री जी ने भी बातचीत की। तो विभिन्न स्तरों पर हमने बातचीत की। इस तथ्य के बावजूद भी हम केवल 6.4 मिलियन टन की ही वसूली कर सके। यही सत्य है। इसलिए, इस स्थिति में केवल एक वर्ष, वर्ष 1992 के अन्त में ही निर्यात किया गया था। यही ख्याति है। हमने फिर वर्ष 1992-93 में—एक भिन्न वर्ष में एक भिन्न संदर्भ में—एक निर्णय लिया क्योंकि उत्पादन कम हो गया है। मेरी वसूली केवल 6 मिलियन टन है। हमें लगभग 10 मिलियन टन की आवश्यकता है। उस परिस्थिति में आयात के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है फिर कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम इसे ई.ई.सी. के देशों से क्यों नहीं खरीद रहे हैं। ई.ई.सी. देशों का गेहूं हमारे कृषकों को स्वीकार्य नहीं है। वास्तव में, हमने वर्ष 1976 में इसका आयात किया था। उसमें आर्द्रता थी और कीमतें भी अधिक थीं और कचरा-मिलावट भी अधिक थी। वर्ष 1975-76 में यह स्वीकार्य नहीं था। लेकिन हमने आयात किया था। उसे बेचना बहुत कठिन हो गया था। न तो उसे उपभोक्ताओं ने स्वीकारा और न ही इसे आटा मिल वालों ने ही इसे स्वीकार किया। यह खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी नहीं था।

फिर उन्होंने हमसे पूछा कि हम आस्ट्रेलिया से क्यों नहीं खरीदते हैं। आस्ट्रेलिया का गेहूं कैनेडा के गेहूं से सस्ता है। लेकिन पिछली बार आस्ट्रेलिया में भी उत्पादन कम हुआ था और वे हमें गेहूं देने की पेशकश नहीं कर सके। उन्होंने हमें केवल डेढ़ टन गेहूं भेजने का प्रस्ताव किया। वे इस वर्ष से हमें वह गेहूं निर्यात करेंगे। उनकी फसल नवम्बर के महीने में कटेगी और दिसम्बर माह से वह हमें निर्यात करेंगे। इसके पश्चात् हमने अमरीकन गेहूं के निर्यात के सम्बन्ध में भी बात की। उन्होंने हमें 30.45 डॉलर की राज-सहायता दी।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह : सब्सिडी किसे दी।

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : उन्होंने यह सब्सिडी अपने कृषकों को दी। लेकिन हम तो सस्ते दामों पर खरीद रहे है। हमारा खरीद मूल्य 110 रु० है। यदि हम पिछले वर्षों से इसकी तुलना करें तो हम 1988 या 1983, यहां तक कि 1989 की तुलना में भी कम कीमतों पर गेहूं खरीद रहे हैं। आज हमारा मूल्य 1988 के मूल्य की अपेक्षा कम है जबकि हमने अमरीका से 170 डॉलर पर गेहूं खरीदा था तथा आस्ट्रेलिया से 159 रु० की दर पर तथा उसके बाद अमरीका से 165 रु० की दर पर गेहूं खरीदा था। इसके पश्चात् फिर 1983-84 में हमने 162 की दर से गेहूं खरीदा था। इस वर्ष हमने पिछले वर्षों की तुलना में कम कीमतों पर गेहूं खरीदा है। गेहूं का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भी अत्यन्त ऊपर नीचे जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कोई भी उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना कि मैं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री तरुण गगोई : इसके पश्चात् यह पूछा गया कि हम किस एजेंसी से खरीद रहे हैं? हम सरकारी एजेंसियों से खरीद रहे हैं। हम कैनेडा गेहूं बोर्ड से खरीद रहे हैं, हम आस्ट्रेलिया गेहूं बोर्ड से खरीद रहे हैं। (व्यवधान)

यही एजेंसियां हैं। मैंने यह इसलिए बताया है क्योंकि कल वे एजेंसियों के बारे में पूछ रहे थे जिससे हम गेहूं खरीद रहे हैं तथा रिश्वत के संबंध में जानना चाह रहे थे। पहले भी हमने सरकारी एजेंसियों से गेहूं खरीदा था। तत्पश्चात् उन्होंने पूछा कि "आप इस गेहूं को रोलर फ्लोर मिल्स को ही क्यों देते हैं?" पिछले वर्ष दिसम्बर में जब कीमतें चढ़ गई थीं तो हमने इसे सभी नागरिक आपूर्ति संगठनों को दिया। हमने इस गेहूं को सुपर बाजार को तथा रोलर फ्लोर मिलों को दिया। अनेक नागरिक आपूर्ति विभागों ने इसे नहीं खरीदा और रोलर फ्लोर मिल्स ने अधिक खरीदा। हम इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मूल्यों पर नहीं बेच रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य बहुत कम हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : आपने किस कीमत पर गेहूं बेचा? (व्यवधान)

श्री तरुण गगोई : मैं नहीं झुकूंगा। यह बाजार मूल्यों से कम हैं। फिर श्री खुराना ने मेरे 5 जनवरी के वक्तव्य का उल्लेख किया है जिसमें मैंने कहा था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं। जी हां, मैंने 5 जनवरी को ऐसा कहा था। मैंने कहा था कि 1992 में समाप्त हो रहे 10वें वर्ष में भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त हैं। लेकिन स्थिति बदल गई हैं। उस संदर्भ में, मेरे वक्तव्य से यह तथ्य सिद्ध हो गया हैं कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कायम रखने में सफल हुए है; और न सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बल्कि पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी 700 खंडों में जारी रखे हुए हैं।

7.00. म० प०

एक और प्रश्न है : "आपने 1992-93 में निर्यात क्यों किया"? हमने 1992-93 में निर्यात नहीं किया। हमने जो मात्रा भेजी थी वह मार्च 1992 के अन्त की अवधि के अन्तर्गत पहले अनुबन्ध के तहत भेजी गई थी।

इस प्रकार मैं समझता हूं कि मैंने सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया और मेरे विचार से ऐसी स्थिति में सभी हमारे निर्णय की प्रशंसा करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : जैसी कि सहमति हुई है माननीय कृषि मंत्री कल उत्तर देंगे ।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने मंत्री जी का जवाब सुना और अन्त में इन्होंने यह इच्छा व्यक्त की आप सब हमारी बात से संतुष्ट होंगे लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो गेहूं खरीदा, उसको खरीदने से पहले क्या आपकी सरकार ने यह विचार किया कि हिन्दुस्तान में जो बड़े-बड़े किसान लोग हैं, जो चोर बाजारिए हैं, बड़े-बड़े व्यापारी हैं जिनके पास काफी बड़ी तादाद में गेहूं था, उस गेहूं को उपलब्ध कराने की कोशिश क्यों नहीं की गई ? अगर गेहूं की कमी हो गई थी जबकि आप बता रहे हैं कि पिछले चार वर्षों में हमारा स्टैगनेशन था तो फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूर्ति के लिए आपने गेहूं बाहर से आयात किया । मेरा कहना यह है कि यदि यह गेहूं यहां के किसानों से खरीदा गया होता, या बड़े-बड़े किसानों से लिया गया होता तो मैं समझता हूं कि हमें फॉरेन एक्सचेंज में घाटा नहीं उठाना पड़ता । जो फॉरेन एक्सचेंज का घाटा उठाना पड़ा, वह सरकार की गलत नीतियों के कारण उठाना पड़ा ।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि आप पी. डी. एस. की बात कहते हैं तो मेरा कहना यह है कि पी. डी. एस. की क्षतिपूर्ति के लिए किसी भी हालत में कमी न हो, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के गरीब किसान, कंज्यूमर जो मर रहे हैं उनको बचाने के लिए जरूरी है कि पहले पी. डी. एस. में सुधार किया जाना चाहिए और इसके सुधार के लिए आवश्यक है कि जितने भी गरीबी की सीमा के नीचे के लोग हैं, उन सब के लिए आवश्यक रूप से आवश्यक वस्तुएं दी जानी चाहियें, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए । यह आवश्यक नहीं है कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ हैं उनको पी. डी. एस. का लाभ मिले और इनको वह लाभ नहीं मिल पाता है तो मैं समझता हूं कि देश की स्थिति में फर्क नहीं होता । लेकिन इस व्यवस्था में कोई भी आमूल-चूल परिवर्तन करने की बात नहीं कर रहे हैं । मैं पुराने प्वायंट्स को दोहराना नहीं चाहता हूं केवल संक्षेप में कहना चाहता हूं कि कुछ बातों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए । सबसे पहली बात यह है कि सरकार को अपनी कृषि नीति स्पष्ट करनी चाहिए । केवल यह कह देना मंत्री जी की ओर से कि हम पूंजीनिवेश करेंगे, इससे काम नहीं चलता है । मान्यवर, किसान को सरकार के सामने आना पड़ता है, भीख मांगने के लिए, यह कहने के लिए कि उनके गेहूं के दाम बढ़ा दिए जायें लेकिन इस संबंध में सरकार की कोई समुचित नीति नहीं है । श्री राजवीर सिंह जी ठीक कह रहे थे अगर आप ज्यादा मूल्य नहीं दे सकते हैं तो कम से कम लागत मूल्य की व्यवस्था तो की जानी चाहिए । एक तरफ तो पी० एल-480 के अन्तर्गत देश में गेहूं लाया जा रहा है जिससे हमारे देश के किसानों, नागरिकों के पेट भरे जाने चाहिये जबकि वर्षों से देश आत्मनिर्भर हो गया है । लोगों ने मेहनत की है और उस आत्मनिर्भरता पर यह कलंक की बात है कि अभी साल भर पहले हमारे देश ने गेहूं 240/-रु. प्रति क्विंटल एक्सपोर्ट किया और आज देश आयात करने की स्थिति में आ गया है । मेरा कहना यह है कि हम जो गेहूं का उत्पादन होगा उसके अच्छे दाम नहीं देंगे तो किसान निराश होगा । किसान द्वारा गेहूं बोने का जब वक्त आया तो आपने खाद के दाम बढ़ा दिए । इस समय

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

खाद का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि जब उपज होगी, उस समय हम गेहूं का उचित मूल्य देंगे। यह तो "पुटिंग द कार्ट बिफोर द हार्स" वाली मिसाल हो रही है कि जिस समय किसान के पास पैसा नहीं हैं, ऐसे समय पर आपने खाद के दाम बढ़ाकर किसान के ऊपर बोझ डाल दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में डी. ए. पी. खाद का बैग 195 रुपए में मिला करता था, वह आज 400 से 425 रुपए प्रति बैग हैं। बिना डी. ए. पी. के गेहूं पैदा नहीं हो सकता हैं। वहां की मिट्टी डी. ए. पी. खाद की आदी हो चुकी है। इस खाद के दाम बढ़ाने के नाम पर और बाहर से गेहूं आयात करने के नाम पर यह सब स्पष्ट रूप से माना जा रहा है कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, चाहे डंकल प्रपोजल के दबाव के अन्तर्गत आपने ऐसा किया कि देश के अन्दर जितना उत्पादन होगा उसका 3% आपको विदेश से आयात करना पड़ेगा। जैसे बोफोर्स के मसले पर भले ही किसी ने रिश्वत ली हो, कमीशन लिया हो या न लिया हो लेकिन खाद के दाम बढ़ाने पर खेती करने वाला आदमी जानता था कि कोई बेईमानी की गई है। आज वही हालत हो रही है कि आपने एक झटके में डीजल के दाम बढ़ाए, खाद के दाम बढ़ाए, बिजली के दाम बढ़ाए और इस सब बढ़ोत्तरी से किसान की कमर टूट गई है। इसलिए मान्यवर, मेरा साफ तौर से आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से कहना हैं कि इस समय किसान बहुत दु:खी है और उसका उत्पादन कम होगा तो अभी तो आपने तीन मिलियन टन गेहूं मंगाया है मगर अगले साल आप 6 मिलियन टन मंगाएंगे और शायद इससे भी ज्यादा मंगाने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए आपको कोई न कोई कृषि नीति तय करनी चाहिए और मेरी आपके माध्यम से मांग है कि कल जब हमारे कृषि मंत्री जी जवाब देंगे तो कम से कम और किसी विषय पर मानें या न मानें लेकिन खाद के बढ़े हुए दामों को हर हालत में कम करना चाहिए। खाद के दामों में किसान को पुन: सब्सिडी देने की घोषणा कल सदन में करनी चाहिए।

आज ये कह रहे थे कि हम किसान के बड़े भारी वफादार हैं। अभी खाद्य मंत्री जी बोल रहे थे कि हम किसानों के विरोधी हो गए जो हमने 50 रुपए दाम बढ़ा दिए और वी० पी० सिंह पक्षधर हो गए जिन्होने 10 रुपए दाम बढ़ाए। आप लोगों ने आज किसान को इतना बड़ा धक्का दिया कि खाद के दाम बढ़ाए हैं जिससे देश के 75% व्यक्ति जो किसान हैं, उनकी कमर टूट गई है और कम उत्पादन का असर यह होगा कि आपका राष्ट्रीय उत्पादन भी कम होगा। मैं मानता हूं कि कृषि नीति जो तय होगी उसके अन्दर स्वत: किसानों को उनकी उपज के दाम तय करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसे प्रतिवर्ष गन्ने के दाम के लिए अथवा अन्य बातों के लिए भागना न पड़े।

अभी रामकोला का मसला आया था। मैं खुद रामकोला गया। मैं आपसे कहूंगा कि वहां हमारे बी जे पी के भाई कह रहे हैं कि हमने भुगतान कर दिया लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि रामकोला ही एक मिल नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में 105 मिलें हैं। एक रामकोला का भुगतान हो जाने से क्या होता हैं ? बाकी मिलें हैं जिनके ऊपर 12% बकाया आज भी है, उनके भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है और इसी तरीके से बिहार के अन्दर भी 42 फीसदी गन्ना किसानों का बकाया है जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है।

वर्तमान सरकार किसान के लिए इस बात की व्यवस्था करे कि उनका जो भी गन्ना पैदा हो अथवा गल्ला पैदा हो उसके लिए केन्द्र सरकार बजाय इसके कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लिए बैंक

के माध्यम से धन दिलाए, उसके लिए आवश्यक है कि किसानों का जो उत्पादन हुआ है उसका 80 फीसदी अग्रिम पैसा उसे दिलाया जाए। बाकी जब किसान के अनाज की कीमत तय हो उस समय पर भुगतान ले ले। इस तरह कृषि नीति में व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसान को अपना गल्ला और गन्ना सस्ता बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था स्पष्ट रूप से होनी चाहिए।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंता हूं कि जहां इन्होंने उद्योगों के अन्दर उदारीकरण की नीति अपनाई हैं, वहीं पर किसानों के प्रति भी उदारीकरण की नीति अपनाई जानी चाहिए। आज स्थिति यह है कि अगर कोई किसान अपने राइस के लिए, पैंडी के लिए कोई मशीन लगाना चाहता है तो उसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई कोल्हू लगाना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर पंजाब का काश्तकार चाहे कि अपने गेहूं को महाराष्ट्र में ले जाकर बेच दे तो वह नहीं ले जा सकता। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वह अपना गन्ना या गल्ला नहीं ले जा सकता। मैं चाहता हूं और मैं मांग करता हूं अपने दल की तरफ से कि इस तरह के किसानों पर जितने प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसके उत्पादन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के संबंध में जितने प्रतिबंध हैं, सभी प्रतिबंधों को तुरन्त हटाया जाना चाहिए और किसान के लिए फ्री पौलिसी यानी उदारीकरण होना चाहिए, जिस तरह से आज बड़े-बड़े उद्योगपतियों के साथ उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही है।

इसलिए संक्षेप में, आपके माध्यम से, मेरी यही मांग है कि वर्तमान सरकार ने गेहूं का आयात करके और किसान के काम आने वाली खाद के दाम बढ़ाकर, उसके ऊपर ऐसा असर डाला हैं, ऐसा प्रभाव डाला है, जिससे ऐसा आभास मिलता है कि आप वर्ल्ड बैंक या आई. एम. एफ. के कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में सारे काम कर रहे हैं और जिनसे किसान के ऊपर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। अतः कृषि मंत्री जी को चाहिए कि कल ही फर्टीलाइजर की बढ़ी हुई कीमत को वापस लेने की घोषणा यहां करें। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हू।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : मैं गेहूं के आयात पर हुए तर्कों को ध्यान से सुन रही थी। इस मामले में विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत खराब है। इसमें तेजी से कमी आ रही है। इसलिए हमें यह देखना है कि क्या हम इसका कोई विकल्प ढूंढ सकते है। किसानों ने अपने भण्डार अपने पास रख लिए है और जमाखोरी भी हुई है। पहले हम उनसे अपील कर सकते है कि वे अपने भण्डार बाहर निकाले, और अगर यह अपील असफल रहती है तो गेहूं को बाहर निकालने के अन्य तरीके हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि सरकार जमा किये हुए भण्डारों और रोके हुए गेहूं के भण्डारों को बाहर निकालने में तत्परता नही दिखला रही है। विदेशी मुद्रा भण्डार में भी तेजी से कमी आ रही है। यह कमी काफी ध्यान देने योग्य है और अक्टूबर के अन्त में 15 727 करोड़ रु० से कम होकर 14,121 करोड़ रु० रह गई और इस प्रकार एक सप्ताह में 1600 करोड़ रु० की कमी हुई। डालर में लें तो एक सप्ताह में 6 सौ मिलियन अमरीकी डालर की कमी हुई। इसका क्या मतलब है?

अगर गिरावट की यही दर रही तो एक वर्ष के बाद हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार की क्या स्थिति होगी। आप उसी स्थिति में पहुंच जायेंगे जो आपके सत्ता में आने के समय थी। अन्यथा आपको विदेशी मुद्रा भण्डार बनाए रखने के लिए और अधिक ऋण लेना पड़ेगा। इसी कारण हम

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

सरकार से कह रहे हैं कि गेहूं के भण्डार बाहर निकालने के लिए कार्यवाही करे लेकिन सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। यही मुख्य कमी है। अगर वे तैयार नहीं होते हैं तो हम उनसे अपील कर सकते हैं और तभी हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि कुछेक जमाखोरों और बड़े किसानों से देश अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए यह किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि वे यथासंभव आयात को कम करने के लिए कदम उठा रहे है। अगर इसे रद्द किया जा सके तो वह देश के लिए बेहतर विकल्प होगा। कृषि के क्षेत्र में वर्तमान नीति देश की इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर प्रहार करेगी। हालांकि हमारा खाद्यान्न उत्पादन हमारी वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाया है। अगर हम अपनी जनसंख्या को देखें तो हमारी वास्तविक जरूरत 270 मिलियन टन है परन्तु लोगों की कंगाली के कारण 170 अथवा 180 मिलियन ही काफी है। हम निर्यात भी कर रहे है। अभी इसे स्टाक किया जा रहा है। अगर वर्तमान नीति को अपनाया जाता है तो वास्तव में यह विकास के वर्तमान तरीके के विरुद्ध होगा। सरकार के अनुसार इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 180 मिलियन टन से अधिक होगा। जबकि स्थिति इसके विपरीत होने जा रही है। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि व्याज की दरें बढ़ गई हैं। उसके मूल्य बढ़ गए हैं। बिजली और पानी की दरें बढ़ गई हैं।

यहां तक कि अगर अधिप्राप्ति मूल्य भी बढ़ जाते हैं तो क्या इससे छोटे और सीमान्त किसानों को फायदा होगा। उनके पास बेचने के लिए बिल्कुल थोड़ा खाद्यान्न है अथवा बिल्कुल है ही नहीं। अगर वे बेचने में समर्थ हों भी तो इसे खेत में ही बेच दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने ऋण लिया हुआ है और उन्हें उसे चुकाना होता है। जब तक आप खरीद करने के लिए जाएंगे तब तक वे उसे अपनी अति आवश्यक जरूरतों के कारण बेच चुके होंगे। इसलिए अधिप्राप्ति में से आवश्यक बाजार अधिशेष के 60 प्रतिशत में से केवल 10 प्रतिशत किसानों से प्राप्त करते है। इसका क्या अर्थ है? हमारे बहुत से किसानों को इससे फायदा नहीं हो रहा है। किसानों का एक बड़ा वर्ग नकदी फसल उगाने की ओर जा रहा है। केवल पंजाब में ही 30,000 हेक्टेयर भूमि को नकदी फसल के लिए तैयार किया जा रहा है। अतः खाद्यान्नों का उत्पादन या तो स्थिर है या फिर उसमें आंशिक वृद्धि हो रही है। यहां तक कि गेहूं का उत्पादन भी स्थिर हैं। यहां यही स्पष्ट किया गया है।

डी० ए० पी० के अनियंत्रण से कीमतें दुगुनी हो गई हैं। पोटाश के मूल्य भी बढ़ गए हैं। जब बहुत ज्यादा शोर हुआ था तो कीमतों में थोड़ी कमी की गई थी। लेकिन वास्तव में कितनी कमी की घोषणा की गई। यह बहुत ही कम है। उससे किसानों को कोई मदद नहीं मिलेगी। इससे न केवल खाद्यान्नों पर ही प्रभाव पड़ रहा हैं बल्कि उर्वरक उद्योग भी व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा हैं। मैं एक उदाहरण दूंगी। फैक्ट के कैप्रोलेक्टम संयंत्र ने 1 मार्च, 1991 को उत्पादन करना शुरू कर दिया था। उस वक्त आयातित कैप्रोलेक्टम का मूल्य प्रति टन 2,100 डालर था। यह मई, 1990 तक धीरे-धीरे 1450 डालर प्रति टन हो गया। माल की अधिकता का कारण अमरीका और यूरोप सहित विकसित देशों में मांग में कमी आना है। वास्तव में इन सभी देशों में मांग में कमी आई है।

वर्ष 1991 में जब हमने उत्पादन शुरू किया तो यह मूल्य केवल 2,100 डालर था। मई, 1992 तक यह कम होकर 1450 डालर तक आ गया। इसके बाद भी सरकार को संतुष्टि नहीं

हुई और सरकार विदेशी किसानों की मदद के लिए आगे आई। सरकार ने क्या किया ? सरकार ने सीमा शुल्क 80 से 50 प्रतिशत तक घटा दिया। अब आयातित केप्रीलेक्टम का मूल्य 1300 डालर प्रति टन हैं। केरल के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री से इस उद्योग को बचाने का अनुरोध किया है। फैक्ट में अब नौ हजार मजदूर काम कर रहे हैं। उनमें से 600 छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अगर उत्पाद इतना ही रहा तो क्या होगा ? यूरिया की केवल 30 प्रतिशत उत्पादन क्षमता के सहारे यह उर्वरक इकाई नहीं टिक पाएगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 9000 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। देश के किसानों को उन उर्वरकों से लाभ नहीं मिलेगा और हमें उर्वरक आयात पर अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। आपने इस उद्योग को कोई समय भी नहीं दिया। उन्होंने मार्च, 1991 में उत्पादन शुरू किया है। परन्तु अब क्या स्थिति है। आपने एक वर्ष के बाद इसके उत्पादन को कम कर दिया है। 80 प्रतिशत शुल्क को कम करके 50 प्रतिशत कर दिया है। इसका क्या औचित्य है ? कम से कम आपको इस इकाई को कुछ समय तो देना चाहिए था। वर्ष 1952 के पश्चात् आपने उद्योग को बचाने के लिए कुछ ध्यान रखा था। लेकिन अब यह समाप्त कर दिया गया है और एक-एक करके हमारे उद्योग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और उर्वरक उद्योग उन्हीं में से एक है। इसका क्या उपाय है ? क्या आप इसे कुछ समय और देकर फैक्ट को बचा सकते हैं। जब तक नीति नहीं बदली जाती इस उद्योग को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

नैफथा और बेनजोन के मूल्य में बढ़ोत्तरी के और डायमोनियम फास्फेट के असरणीकृत करने का निर्णय फैक्ट जैसे अति महत्वपूर्ण संयंत्र के अस्तित्व को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। यह संयंत्र 80 प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर रहा है। अब ये बहुराष्ट्रिक कम्पनियां हमारे देश में अपने उत्पादों का ढेर लगा रही है और हमारे बाजार में एकाधिकार स्थापित करने जा रही है। इसके लिए क्या उपाय हैं ? जब सरकार की नीति उर्वरकों पर राजसहायता जारी रखने की है तो डी० ए० पी० जैसे नाइट्रोजन उत्पादों को किस कारण से राजसहायता नहीं मिल रही है। नाइट्रोजन पर राजसहायता दी जा रही है लेकिन इन उत्पादों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण हैं ? इससे सभी क्षेत्रों को बहुत नुकसान होने जा रहा है लेकिन इन क्षेत्रों में सबसे अधिक नुकसान वहां होगा जहां भूमि सुधार लागू हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल में जमींदार नहीं हैं वहां केवल छोटे और सीमांत किसान हैं। अगर यह नीति जारी रहती हैं तो उनका क्या होगा ? अत: जब तक छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता नहीं पहुंचती तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। यहां तक कि अधिप्राप्ति के मूल्यों में वृद्धि से भी पूरे देश में और विशेषकर पश्चिम बंगाल और केरल में कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हमने भूमि विकास लागू करने का अपराध किया है। हमें ही परेशानी होगी। अत: आप इन उत्पादों को राजसहायता क्यों नहीं देते ? मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है। यह हमारे उर्वरक उद्योग को बर्बाद कर देगा। इससे हमारा खाद्य उत्पादन कम होगा और उसके परिणामस्वरूप हमारे देश में खाद्यान्नों की कीमतें प्रभावित होंगी और उच्च वर्ग के 10 प्रतिशत लोगों को छोड़कर सारे देश को मुश्किलों का सामना करना होगा। अत: इस कदम को वापिस लीजिए और देश को बचाइए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। कम से कम इस बात को तो समझिए। यहां तक कि यूरोप के देश भी अपने किसानों को काफी अधिक राजसहायता दे रहे है। फिर हमें राजसहायता क्यों नहीं दे सकते ? वे हमें बता रहे हैं कि हम राजसहायता न दें और हम उनके दबाव में आ गए है। अतः ये नीतियां वापिस ली जानी चाहिए और हमारे देश में सम्मान और भविष्य की रक्षा की जानी चाहिए।

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

*श्री वी०एस० विजयराघवन (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जीविकोपार्जन के लिए 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। कृषि अभी भी भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रीढ है। स्वतन्त्रता के पश्चात् पिछली 7वीं या आठवी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि की प्रगति के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े-बड़े सिंचाई बांध, उर्वरक फैक्टरियां और कृषिगत अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए थे। इन्दिरा जी ने देश में हरित क्रान्ति का शुभारंभ किया था। स्वतन्त्रता के समय हमें विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। सरकार की दूरदर्शी नीतियों के कारण हमारा खाद्य उत्पादन कई गुना बढ़ गया था। आज हम अपने देश में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं। हम निर्यात करने की स्थिति में है। ऐसा किसानों के अथक परिश्रम से ही संभव हुआ है। यह उनके खेतों में वर्षा, गर्मी अथवा दिन और रात की परवाह किए बगैर कठिन परिश्रम करने का ही परिणाम है।

आज इस देश में भारतीय किसान बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। फैक्टरी की वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण फैक्टरी के मालिक करते हैं। अगर फैक्टरी द्वारा प्रयुक्त की जाने वाले कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होती है तो फैक्टरी के मालिक तुरन्त ही अपने-अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि कर देंगें। उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। टूथपेस्ट की उत्पादन लागत 1.50 रुपये है और बाजार में 27 रुपये में बिक रहा है। क्या यह कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन किसानों के खाद्यान्नों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सरकार उत्पादन की वास्तविक लागत को ध्यान में न रखकर यह निर्धारण करती है। उसी प्रकार कीमतें भी निर्धारित होती हैं। कृषि उत्पादन की कुल लागत में उर्वरक एक प्रमुख वस्तु है। हाल ही में सरकार ने उर्वरकों की कीमतों पर से नियंत्रण हटा लिया है। इसके परिणामस्वरूप खुले बाजार में उर्वरकों की कीमतों में तेजी आई है। अनियंत्रण से पहले डी०ए०पी० 4680 रुपये प्रति टन पर बिक रहा था। आज इसकी कीमत 8000 रुपये तक चली गई है। इसका अर्थ 82% की बढ़ोत्तरी हुई हैं। डी०ए०पी०-17, 3,380 रुपए पर बिक रहा था। इसका मूल्य 7000 रुपये तक बढ़ गया अर्थात् 107% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार डी०ए०पी०-15 की कीमत 2,740 रुपये थी और यह 7880 तक पहुंच गया। यानि 187.59 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। कीमतों की इस तेजी से न केवल किसानों की कमर तोड़ डाली बल्कि उसका गला काटने को तैयार है। इस बढ़ोत्तरी का एक अन्य पहलू भी है। सबसे अधिक बढ़ोत्तरी उन उर्वरकों में हुई है जो दक्षिण के और विशेष तौर पर केरल के किसानों द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्तर भारत के किसान साधारणत: यूरिया प्रयुक्त करते हैं। यूरिया की कीमत 10 प्रतिशत घटा दी गई है। केरल और अन्य दक्षिण भारत के राज्यों के किसान एक कोम्पलेक्स उर्वरक जिसे डी०ए०पी० के नाम से जाना जाता है, प्रयुक्त कर रहे हैं। इन उर्वरकों की कीमतें ही इतनी तेजी से बढ़ी हैं ? परिणाम क्या हुआ ? केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसकी नकदी फसलें हैं। रबड़, इलायची, नारियल और मिर्च इत्यादि के लिए साधारणत: कोम्पलैक्स उर्वरक प्रयुक्त किए जाते है। इसमें भी अधिक यूरिया को छोड़कर चावल की फसल के लिए भी केरल के

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

किसानों द्वारा कॉम्पलैक्स उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं। महोदय, मैं एक किसान हूं और मैं अपनी जीविका एक किसान की भांति अर्जित करता हूं। आज मैं किसानों की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा हूं। नकदी फसलों से हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। उर्वरकों की कीमतों में तेजी से हुई बढ़ोत्तरी ने नकदी फसलों को बर्बाद कर दिया है। उनमें से अधिकतर छोटे और सीमान्त किसान है। वे इन ऊंचे मूल्यों को सहन नहीं कर सकते। अतः, मेरी मांग है कि काम्पलैक्स उर्वरकों की बढ़ाई हुई कीमतों को तुरन्त वापिस लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजयराघवन जी, आपके पास और कितने पृष्ठ बोलने के लिए शेष हैं ?

***श्री वी॰एस॰ विजयराघवन :** महोदय, मेरे पास दो और पृष्ठ शेष है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

***श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन :** उर्वरकों पर राजसहायता कुछ और वर्षों के लिए जारी रहनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व-बैंक के निर्देशों को हमारा मार्गनिर्देशन नहीं करना चाहिए। हमारी जनता का मूल हित ही हमारा मार्गनिर्देशन है। सम्भवत: उनका इरादा हमारे कृषि क्षेत्र को नष्ट करना और हमें विदेशों के सम्मुख भिखारी बनाना है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को सचेत करता हूं कि उन्हें उनके बताये रास्ते पर नही चलना चाहिए। इस देश में बड़े उद्योगपतियों से आयकर बकाया के रूप में कितने हजार करोड़ रुपये एकत्रित अथवा वसूल करने हैं। वित्त मंत्री महोदय को पहले उनसे इतनी भारी बकाया राशियों की वसूली हेतु कदम उठाने चाहिए। किसान, जोकि इस देश को पोषित कर रहा है, को उन द्वारा दुःखी नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं छोटे किसानों को दी जाने वाली उर्वरकों पर राजसहायता के बारे में कहना चाहता हूं। विद्यमान नियमों के अन्तर्गत, किसान को बाजार भाव पर उर्वरक खरीदने पड़ते हैं और फिर राजसहायता प्राप्त करने के लिए एक बिल प्रस्तुत करना पड़ता है। राजसहायता प्राप्त करने के लिए उसे एक लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ता है। यह राजसहायता सम्भवत: उसे मिले भी अथवा न भी मिले। इसकी बजाय उसे उर्वरक घटाई हुई कीमत पर उपलब्ध कराए जाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

किसान हमेशा शोषण का शिकार रहा है। हरेक यह विश्वास करता है कि वह चुपचाप कष्ट सहन कर लेगा। एक मलयालम-भाषी कवि ने एक किसान को नारियल समान समझा है। नारियल का बाहरी-आवरण बहुत सख्त होता है, परन्तु इसके अन्दर सभी कुछ मुलायम और रसीला होता है। किसान भी इसी के समान है। लगातार शोषण से किसान के अन्दर का वह मुलायम और रसीलापन नष्ट हो सकता है। अतः, मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि उर्वरको की बढ़ाई हुई कीमतें वापिस ली जानी चाहिए।

गेहूं के आयात के संबंध में, प्रधान मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि आगे कोई आयात नहीं किया जायेगा। दलील यह है कि भारतीय किसान को गेहूं की कम कीमत दी जाती है और जो गेहूं विदेशों से ऊंची कीमत पर आयात की जाती है, इसकी तुलना में उचित दिखाई देती है। लेकिन उन्हें कुछ वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखना है। जब कम उत्पादन हुआ था और जब सरकारी

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

खरीद कम हुई थी, तो सरकार ने अस्थाई उपाय के रूप में गेहूं आयात करने का निर्णय लिया था। क्या कोई सरकार ऐसी स्थिति में इस प्रकार की कार्रवाई करेगी। अतः मैं इस दलील को मानते हुए कि हमारे किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए, मेरा मानना है कि उस समय विद्यमान स्थिति में आयात करना आवश्यक हो जाता है। यह कोई किसान विरोधी कदम नहीं है। यह मात्र एक ऐतिहासिक उपाय है। तथापि, मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि हमें अपने किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रोत्साहन देने ही चाहिए। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत गांवों में बसा है। गांव किसानों के कारण आबाद हैं। अगर किसान नष्ट हो जाएंगे, तो गाँव भी नष्ट हो जाएंगे और देश नीचे गिर जायेंगे। अतः हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारे किसान बर्बाद हों।

श्री **दत्तात्रेय बंडारू** (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, विशेषकर जब नई औद्योगिक नीति और नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, तो इस देश के लोगों ने सोचा था कि उत्पादन बढ़ेंगे और वितरण बेहतर होगा, लेकिन इसके विपरीत उत्पादन में कमी आई थी। यहां तक कि नई उर्वरक नीति भी उसी के समान हैं। यह एक बिल्कुल विरोधाभास है। आज, उर्वरक-राजसहायता में 10,000 करोड़ रुपये की कटौती करने की वजह से किसान कष्ट सहन कर रहे हैं। किसानों पर यह एक अतिरिक्त बोझ है।

जब उर्वरकों के मूल्यों में तीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई थी, आंध्र प्रदेश में, विशेषकर नारासारावपेट और चिलाकालूरपेट में, किसानों ने इसका बिरोध किया था। गोलीबारी की घटनाएं हुई थी। किसानों में भारी रोष व्याप्त था।

मेरी जानकारी के मुताबिक, आँध्र प्रदेश में किसान फास्फेटयुक्त और पोटाशियमयुक्त उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब प्रतिबंध हटाए गए थे, इन उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी। अन्ततोगत्वा, किसानों को भारी पीड़ा का सामना करना पड़ा है।

उर्वरकों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की दस सिफारिशें थीं। उनमें से केवल चार सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था; छः सिफारिशें स्वीकार नहीं की गयीं थीं। उनमें से एक मुख्य सिफारिश यह थी कि किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए उनके उत्पादों का लाभप्रद मूल्य दिया जाना चाहिए। इस सिफारिश पर सरकार ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया था।

मैं कृषि मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि सबसे पहले वह किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य देने पर अवश्य ही विचार करें, उन्हें उनके उत्पादों का देय हिस्सा मिलना ही चाहिए। उर्वरकों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी और राजसहायता लागत के कारण 80 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसान बाजार से उर्वरकों की खरीद नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम होता है। मुझे एक अनुसंधान और विश्लेषण-प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जो कि मेरे पास उपलब्ध है। संसार में एक हेक्टेयर भूमि में औसतन 96 किलोग्राम उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यहां भारत में हम एक हेक्टेयर भूमि में केवल 16 किलो उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। यूरोप में 200 किलो, मिश्र में 400 किलो, जापान में 365 किलो, यहां तक कि पाकिस्तान में भी 89 किलो ग्राम उर्वरक प्रति हेक्टेयर में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। अन्य विकासशील देशों की तुलना में हमारे

देश में उर्वरकों के प्रयोग की यह मात्रा बहुत कम है। हम इनकी अधिक मात्रा में आपूर्ति कर पाने की स्थिति में नहीं है। आंध्र प्रदेश में हम 123 किलो उर्वरक प्रति हेक्टेयर भूमि में प्रयुक्त कर रहे हैं; पंजाब में, 137 किलो उर्वरक प्रति हेक्टेयर भूमि में प्रयोग कर रहे हैं। उर्वरकों के मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि तथा राज सहायता में कटौती के कारण, हमने पिछली बार आन्ध्र प्रदेश में इसका उत्पादन 16.9 लाख टन किया; पुनः हमने 15.7 लाख टन का उत्पादन किया। इसके परिणाम-स्वरूप, खाद्यान्नों का उत्पादन जो पहले 123 लाख टन होता था, घटकर 119 लाख टन हो गया है। अतः इससे खाद्यान्नों का उत्पादन घट रहा है, लेकिन उर्वरकों का प्रयोग दिन-प्रति-दिन बढ़ रहा है, 1981 से 1990 के दौरान उर्वरकों का प्रयोग 41 लाख टन से बढ़कर 89 लाख टन हो गया है। अतः उर्वरकों का प्रयोग और उर्वरकों का उपभोग किसान द्वारा दिन-प्रति-दिन कम होता जा रहा है। जितनी किसानों को जरूरत है हम उतनी मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है। 1991-92 में हमने 12.3 लाख टन तक नाईट्रोजन उर्वरक और 19.3 लाख टन तक फास्फेट उर्वरक का उत्पादन किया था। 1992-93 में नाईट्रोजन उर्वरक का उत्पादन बढ़कर 16 लाख टन और फास्फेट खाद का उत्पादन बढ़कर 30 लाख टन हो गया हैं खाद का प्रयोग दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक होता जा रहा है।

देश में ऐसे जिले भी है, जहां उर्वरक अधिक मात्रा में प्रयुक्त किए जाते हैं। 177 जिले 89 प्रतिशत उर्वरक और शेष जिले 15 प्रतिशत उर्वरक का प्रयोग करते हैं—मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 279 जिले ऐसे है जो कि 15 प्रतिशत उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि उर्वरकों का मुख्य भाग 177 जिलों को और गौण भाग 279 जिलों को जा रहा है। 177 जिलों में से 91 जिले चार राज्यों में फैले हुए है और ये केवल 51 प्रतिशत उर्वरक का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में उर्वरकों पर राजसहायता का उपयोग भी बहुत कम है। अन्य देशों में राजसहायता का उपयोग अधिक है।

हमारे देश में 70 प्रतिशत आबादी गांव में रहती हैं और 30 प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से आती है। इसके बावजूद, वर्तमान सरकार किसान विरोधी नीति अपना रही है। यही कारण है कि सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज सहायता घटा रही है। अन्य देशों में किसानों को अधिकतम राजसहायता दी जा रही है। जापान में अब 72.5 प्रतिशत दक्षिणी कोरिया में 60 प्रतिशत, कोलम्बो में 54 प्रतिशत, चीन में 34 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 प्रतिशत और पाकिस्तान में 22 प्रतिशत राजसहायता दी जा रही हैं। भारत म, सरकार केवल 2.33 प्रतिशत राजसहायता प्रदान कर रही हैं। अत: भारत में घटित हो रही यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कृषि मंत्री महोदय तथा प्रधान मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि किसानों को दी जाने वाली राजसहायता बिना किसी झिझक के बहाल की जाए, ताकि किसान खुश रहें। मेरे दल के अनेक सदस्यों ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं क्योंकि इससे ग्रामीण और शहरी लोगों में एक विभाजन हो सकता है कि यदि राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो जायेंगे। आंध्र प्रदेश में भी गन्ने का उत्पादन दिन-प्रति-दिन कम होता जा रहा है। आंध्र-प्रदेश में अकेले निजामाबाद जिले में एक किसान ने स्वयं को फांसी लगा ली क्योंकि वह उन कर्जों को अदा नहीं कर सका था जो उसने अन्य स्रोतों से प्राप्त किए थे। यहां तक कि वह बैंक में भी कर्जे अदा नहीं कर सका था। इसी वजह से गन्ना-उत्पादक ने स्वयं को फांसी लगा ली थी।

आंध्र प्रदेश में कुछ तम्बाकू-उत्पादक एवं पौध उत्पादक किसान कष्ट उठा रहे हैं। महबूब

[श्री दत्तात्रेय बंडारू]

नगर जिले में, भुखमरी से मौतें हुई हैं। इन बातों के कारण आंध्र प्रदेश की यह स्थिति हैं। कीटनाशक दवाओं की लागत 30 प्रतिशत बढ़ गई हैं।

पिछली बार, किसानों के कृषि उपकरण की लागत पांच गुणा बढ़ गई है। पूंजीगत बस्तुओं की लागत में सात गुणा बृद्धि हुई हैं। किसान एक लाभप्रद मूल्य पाने की स्थिति में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका भाषण बहुत अच्छा है। अपनी बात अब समाप्त करें।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि राज सहायता समाप्त नहीं की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह बात बारम्बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पहले ही कहा जा चुका है। आपने ऐसा कहा है। अन्य वक्ताओं ने भी बोलना है। कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : गुजरात में स्थित सरकारी फैक्टरी कृभको, जो कि इस देश में एक लाभकारी इकाई है, अधिक उर्वरक उत्पादन हेतु अपनी अनेकों परियोजनाओं का विस्तार करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जब आप मेरे कहने के बावजूद नहीं बैठ रहे हैं, तो अब आपकी छूट समाप्त है। मैंने आपको इतवा अधिक समय तो दिया है ?

श्री दत्तात्रेय बंडारू : कृभको को उसकी परियोजनाओं के विस्तार का मौका दिया ही जाना चाहिए, ताकि देश में अधिक मात्रा में उर्वरकों जैसे कि अमोनिया और नाईट्रिक ऐसिड का उत्पादन किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : इसमें बार-बार दोहराने की कोई बात नहीं है। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यबाद देना चाहता हूं। खाद की कीमतें बढ़ने से सारे देश की परिस्थिति अलग हो चुकी है। भोंसले कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान से देखें और उस पर विचार करें। उसमें कहा गया है कि अलग-अलग जो रॉ-मैटीरियल पर टैक्सेज हैं, उस पर थोड़ा भी कम किया तो 1934 करोड़ रुपया हम कर सकते है जिससे फर्टीलाइजर की कीमतें कम हो सकती हैं। उसमें जितने प्वाइंट्स हैं वे कंसीडर करने चाहिए। महाराष्ट्र में 40 परसेंट नाइट्रोजनीयस फर्टिलाइजर और 60 परसेंट फासफेटिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं। इसकी कीमतें 60 से 92 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। 650 करोड़ की सब्सिडी देने के बाद एन.पी.के. 23-23-0 खाद की कीमत 30 परसेंट एन.पी.के. 20-20-0 की 92% बढ़ गई और इसी प्रकार एन.पी.के. 18-46-0-डी.ए.पी. की कीमत 50 से 60 परसेंट बढ़ गई। खाद की कीमतें बढ़ाने से लोगों को बहुत दुख होता हैं। गाँव के लोगों को मालूम नहीं है कि सरकार सबसिडी देती है। सबसिडी देने के बाद भी किसान परेशान है। इसको ध्यान में रखकर कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करें। मंत्री महोदय ने कहा कि सबसिडी नहीं देंगे

तो खर्च के अनुसार भाव देंगे। सैन्टर और स्टेट की ए.पी.सी. कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालती है तो वह अलग-अलग है। स्टेट को ए.पी.सी. ने जो रिकमेन्डेशन दी है उसको ध्यान में रखें। स्टेट का कान्सेप्ट अलग है, वह मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसको अवश्य ध्यान में रखें। एक तो हायर्ड ह्यूमन लेबर है, दूसरा इंटरेस्ट ओन वरकिंग कैपिटल है, तीसरा-रेन्टल वेल्यू आफ लैंड, चौथा-पैनीजियरल फंक्शन आफ फैमिली ओन ह्यूमन लेबर, पांचवां-ट्रान्सपोर्ट एण्ड मार्किटिंग, छठा-प्राफिट्स और सातवां-प्रोडक्शन इन्सेस्टिव बोनस है। यह जो मैंने बताया है यह स्टेट का कान्सेप्ट है, इसको अवश्य ध्यान में रखें।

मैं खरीफ के बारे में आपको कहना चाहता हूं। एच.वाई.वी. पेडी की कोस्ट आफ कल्टीवेशन पर हेक्टेयर 8338 रुपये है और प्रति क्विंटल 416.9 रुपये है, हमें 500.3 रुपये मिलने चाहिए। एच.वाई. ज्वार की प्रति हेक्टेयर कास्ट आफ कल्टीवेशन 9361 रुपये है और पर क्विंटल 374.4 रुपए कास्ट आती है, हमें 449.2 रुपए मिलने चाहिए। एच.वाई.वी. ज्वार की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन की कास्ट 7549 रुपए है और पर क्विंटल 377.45 रुपए पड़ती है, हमें 453 रुपए मिलने चाहिए। एच वाई. बाजरा की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 5861 रुपए है और पर क्विंटल लागत 293.5 रुपए पड़ती है, हमें 351.6 रुपए मिलने चाहिए। एच.वाई. मेज की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 8872 रुपए है और 354 रुपए पर क्विंटल कास्ट पड़ती है, हमें 425.8 रुपए मिलने चाहिए। एच.वाई.वी. टूर की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 10698 रुपए है और पर क्विंटल लागत 713.2 रुपए पड़ती है, हमें 855 8 रुपए मिलने चाहिए। एच.वाई.वी. मूंग की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 4848 रुपए है और लागत पर क्विंटल 969.6 रुपए है इसमें भी 20 प्रतिशत जोड़कर 1163.5 रुपए और मिलने चाहिए। ऐसे ही उड़द की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट है और 4848 रुपए लागत पर क्विंटल 969.6 रुपए पड़ती है इसमें भी 20 प्रतिशत जोड़कर 1163.5 रुपए मिलने चाहिए। सेसामम की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 4991 रुपए है और पर क्विंटल लागत 998 2 रुपए आती है इसका हमें 1197.8 रुपए मिलने चाहिए। मूंगफली की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 8661 रुपए है और पर क्विंटल कास्ट 866.1 रुपए पड़ती है इसका हमें 1039.2 रुपया मिलना चाहिए। सनफ्लावर की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 8460 रुपए है और पर क्विंटल 846 रुपए लागत आती है इसमें भी 20 प्रतिशत जोड़कर हमें 1015.2 रुपए मिलना चाहिए। सोयाबीन की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 7053 रुपए है और पर क्विंटल लागत 705.3 रुपए पड़ती है इसका हमें 846.3 रुपए मिलना चाहिए। एच.वाई. काटन की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 14479 रुपए है और पर क्विंटल लागत 1205.7 रुपए पड़ती है इसमें भी 20 प्रतिशत जोड़कर 1446.84 रुपए मिलने चाहिए। एच.वाई.वी. काटन की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 8738 रुपए है और पर क्विंटल लागत 873.8 रुपए पड़ती है इसका हमें 1048.6 रुपए मिलने चाहिए। सूगर केन की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 31280 रुपये है और पर टन 417.6 रुपए लागत आती है इसमें भी 20 प्रतिशत जोड़कर हमें 500.6 रुपये मिलने चाहिए।

अब मैं रबी के बारे में कहना चाहता हूं। एच.वाई.वी. ज्वार की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 7416 रुपये है और पर क्विंटल 741.6 रुपये पड़ती है इसका हमें 20 प्रतिशत जोड़कर 889.8 रुपये मिलने चाहिए। एच.वाई. ज्वार की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 9752 रुपये है और पर क्विंटल हमें 487.6 रुपये लागत आती है, इसका हमें 585.1 रुपया मिलना चाहिए। एच.वाई. बी. व्हीट की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 9803 रुपये है और प्रति क्विंटल 392.1 रुपये लागत

[श्री अशोक आनन्दराव देशमुख]

आती है इसका हमें 470.5 रुपया मिलना चाहिए। लोकल व्हीट की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 8794 रुपये आती है और पर क्विंटल कास्ट 439.7 रुपये आती है इसका हमें 527.50 रुपया मिलना चाहिए। ग्राम की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 5424 रुपये है और पर क्विंटल लागत 678 रुपये है इसका हमें 813.6 रुपया मिलना चाहिए। सनफ्लावर की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 5485 रुपये आती है और पर क्विंटल कास्ट 685.6 रुपये आती है इसका भी हमें 20 प्रतिशत जोड़कर 822.7 रुपये मिलने चाहिए। लिनसीड की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 5585 रुपये है और पर क्विंटल लागत 917 रुपये आती है इसका हमें 1100.4 रुपया मिलना चाहिए। सनफ्लावर की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 8377 रुपये है और पर क्विंटल लागत 837·7 रुपये है इसका हमें 20 प्रतिशत जोड़कर 1005.1 रुपया मिलना चाहिए। एस. ग्राउण्ड नट की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 10189 रुपये है और पर क्विंटल लागत 848 रुपए है इसमें भी 20 प्रतिशत जोड़कर हमें 1017.7 रुपए दो। इसी तरह से एस. सनफ्लावर की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 8790 रुपए है और पर क्विंटल लागत 879 रुपए है इसमें भी 20 प्रतिशत जोड़कर हमें 1054.8 रुपए दो। एस. पैडी की पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कास्ट 9260 रुपए है, पर क्विंटल लागत 463 रुपए है इसमें भी 20 प्रतिशत जोड़कर हमें 555.6 रुपए दो।

इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मिनिमम कास्ट आफ प्रोडक्शन है, यह देना चाहिए। जो व्हीट इम्पोर्ट हुआ और जिसके बारे में अनेक सदस्यों ने कहा है, उसके लिए मेरा सजेशन है कि जो व्हीट खरीद रहे है और लाखों टन व्हीट आ रहा है, उसमें वीड (weed) सीड्स भी हो सकता है, उसको न आने दीजिए। आगे भी हम करेंगे तो इससे देश के किसानों में एक भावना आयेगी और वे उत्पादन और ज्यादा करेंगे। ज्यादा उत्पादन के लिए आई.सी.ए आर. भी कोशिश कर रहा है क्योंकि रासायनिक खाद अनाज के लिए उत्पादन के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त हमारे जाखड़ साहब, श्री लेंका साहब जी प्रयत्नशील रहते है कि देश का उत्पादन निश्चित रूप से ज्यादा होगा और इससे देश आगे बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स एक्टिव हैं और ज्यादा एक्टिव हो जायेगे जिससे देश प्रगति के मार्ग पर चला जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अन्त में बोलने का अवसर दिया। गेहूं आयात और उर्वरक मूल्य वृद्धि संबंधी दो ऐसे मुद्दे है जो हमारी खाद्य नीति के प्रमुख संघटक हैं। सरकार ने संसद की जानकारी में लाए बिना ही खाद्य नीति बदल दी है मैं समझता हूं कि संसद को विश्वास में लिए बिना इतनी महत्वपूर्ण नीति खाद्य-नीति में परिवर्तन करने में सरकार का कोई औचित्य नहीं है।

सरकार ने खाद्य आयात और उर्वरक मूल्य वृद्धि की दो दलीलें दी है पहली दलील है कि गेहूं के मूल्य बढ़ा दिए गए हैं — यह सही है कि मूल्यों में वृद्धि हुई है ; लेकिन अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार सरकार ने अन्य वस्तुओं के मूल्यों मे कमी लाने के लिए कुछ नहीं किया और इसके बजाए इस मूल्य वृद्धि के प्रत्युत्तर में उसने खाद्य आयात अर्थात गेहूं आयात का निर्णय लिया। ऐसा निणय लेते वक्त समय का मुद्दा अत्यन्त अनिवार्य है। माननीय मंत्री जी ने इस सभा में बताया है कि उक्त निर्णय जनवरी के पूर्वार्द्ध में लिया गया था, लेकिन उसके अगले दिन माननीय

प्रधान मंत्री ने सभा में बताया कि उक्त निर्णय जुलाई-अगस्त 1992 में लिया गया था। इस प्रकार यहां असमंजसता की स्थिति है। गेहूं आयात के संबंध में सरकार के नेक इरादे पर आशंका होने लगती है।

एक दलील यह है कि बाजार में गेहूं की सप्लाई क्या है। व्यापारी और किसान संयुक्त रूप से गेहूं का भण्डार रोक सकते हैं। वे बाजार में गेहूं का भण्डार जारी नहीं कर रहे है। लेकिन क्या वे ऐसा करके गलती कर रहे हैं। यदि खुले बाजार में गेहूं प्रति क्विटल 230 रुपए या इससे अधिक दर पर बिकता है और यदि आप विदेशों से 335 रुपए से 465 रुपए प्रति क्विटल की दर से गेहूं की खरीद करते हैं तो यदि हमारे किसान अपने गेहूं का अधिक मूल्य मांगते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। उनकी मांग न्यायोचित है और यदि सरकार उन्हें लाभकारी मूल्य देगी तो निश्चित रूप से वे अपना भण्डार बाजार में जारी करेंगे जिससे बनावटी संकट नहीं आएगा।

अन्य बातों पर मेरे सहयोगी ने चर्चा की है। मैं केवल एक बात पर जोर देना चाहूंगा। हम स्वाधीनता के समय से ही यह सुनते आ रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था आत्म-निर्भर होने जा रही है। हरित क्रांति के बाद हमें उम्मीद थी कि हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाएगी; लेकिन सरकार द्वारा खाद्य का आयात किया जाना सुस्थापित सिद्धान्तो के विरुद्ध जा रहा है। कामरेड सुशीला गोपालन ने विदेशी मुद्रा की समस्या पर भी चर्चा कर चुके है। मेरा भी कहना है विदेशी मुद्रा भण्डार घट रहा है। इसके बावजूद सरकार ने गेहूं आयात का निर्णय लिया। ऐसा निर्णय तो निश्चित रूप से देश के किसानों के हितों के ही नहीं बल्कि समूचे समुदाय के हितों के विरोध में जाता है। हम इससे अत्यन्त क्षुब्ध हैं। हम इससे काफी चिन्तित हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना सहित उत्तरवर्ती पंच-वर्षीय योजनाओं ने हमारे समक्ष आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था की प्राप्ति का लक्ष्य रखा हैं। लेकिन इस सत्य का उल्लंघन कर दिया गया है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह आत्म-निर्भरता के स्वीकृत सिद्धान्त से पीछे न हटे। खाद्य आयात अत्यन्त महत्वपूर्ण नीतिगत मामला हैं और यदि आत्मनिर्भरता की अपनी नीति से हटने संबंधी कदम उठाए जाते है तो व्यवहारिक रूप से निकट भविष्य में हमारी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैं पुन: कहता हूं कि कुछ वर्गों में यह शंका है कि अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं समुचित तरीके से आमन्त्रित नहीं की गई है और इस मामले की छानबीन की जानी चाहिए।

8.00 म० प०

महोदय, इस सभा का अधिक समय न लेकर मेरा निवेदन है कि सरकार अपना कदम वापस ले ले। यदि वे ऐसा नहीं करते तो मुझे आशंका है हमारे देश की जनता को गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

मैं संसद की जानकारी के बिना महत्वपूर्ण खाद्य नीति में परिवर्तन करने के लिए इस सरकार की निन्दा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब डा० परशुराम गंगवार बोलेंगे। श्री गंगवार जी, **नियम यह है कि** आप अन्य वक्ताओं द्वारा उठाए गए तथ्यों को नहीं दोहरायेंगे। जब तक आप उन तथ्यों को नहीं दोहराएंगे मैं तब तक जितना समय आप चाहेंगे। आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश ग्रामीण बाहुल्य देश है, जिसमें 73 प्रतिशत जनता किसान है या किसानी के काम से जुड़ी हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गंगवार, हम यहां देर तक बैठे हैं। यदि आप कोई महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा। जो प्वाइंट कह दिए गए है, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : मैं कहना चाहता हूं कि इलैक्शन के समय तो हम लोग किसान को याद करते है और कहते हैं कि इस देश की अधिकांश जनता किसान है लेकिन इलेक्शन्स के बाद कोई किसान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। जितने हमारे भाई लोग यहां बोलते हैं, वे इसी उम्मीद से बोलते हैं कि अखबारों में उनका नाम आता रहे जबकि उन्हें यह मालूम नहीं है कि गांवों में हमारा किसान किन हालात में रहता है। यहां तक हमें मालूम नहीं है कि ट्रैक्टरों से या हलों से, बैलों पर हल किस प्रकार रखकर खेती का काम किया जाता है, किस प्रकार बैलों पर हल लादा जाता है या किस प्रकार जुताई गहरी या उथली की जाती है। यहां पर बोलने के लिए, सिर्फ किसानो को दिखाने के लिए बातें की जाती हैं। इसके अलावा वास्तव में किसान का भला चाहने वाला यहां कोई नहीं है।

अब मैं असली बात की तरफ आता हूं। हमारा केन्द्रीय सरकार का जो आयात और निर्यात करने वाला विभाग है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि किस समय पर आयात करना चाहिए और किस समय पर निर्यात करना चाहिए। अभी हमारे यहां 30 लाख टन सरकार द्वारा जो गेहूं बाहर से मंगाया गया और उससे पहले साढ़े छः लाख टन गेहूं बाहर भेजा गया। इसके अलावा हमारे एक केन्द्रीय सरकार के मंत्री ने कहा था कि हम तिलहन की कोई चीज बाहर से नहीं मंगाएंगे लेकिन ऐसा कहने के बावजूद सोयाबीन और पाम आयल का बाहर से आयात किया गया, जिसके कारण हमारे देश के किसानों को तिलहन की चीजों का भाव बहुत कम मिला। बासमति चावल के निर्यात को बंद कर दिया गया जबकि उसका काफी मात्रा में निर्यात किया जा सकता था और विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती थी। यदि सरकार को बाहर से गेहूं का आयात करना ही था तो वह किसान को सही मूल्य देकर गेहूं की खरीद यहीं कर सकती थी, किसान के पास इतना गेहूं था जिससे आपके सारे भण्डार भर जाते, मगर उसने अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा से गेहूं मंगाना ज्यादा अच्छा समझा। अमेरिका से जो गेहूं आया है, ज्यादातर वह ऐसा निम्न स्तर का है, जैसे उसमें से खास तत्व निकाल कर हमारे देश को भेज दिया गया हो। वह गेहूं इतना पतला है और स्पष्ट रूप से शराब निकाल कर भेजा गया ऐसा लगता है, बाद में सुखा कर हमारे देश में भेज दिया गया है। इससे महसूस होता है कि गेहूं के निर्यात और आयात में कमाई (दलाली) की गयी है।

अब मैं एक बात और किसानों के सम्बन्ध में उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं। यदि कोई किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो ट्रैक्टर की कीमत उस पर आने वाली लागत के अनुसार कम्पनी द्वारा तय की जाती है जबकि गेहूं और दूसरी जिन्सों की कीमत सरकार तय करती है। यदि सरकार सभी चीजों के मूल्य ठीक तरह से तय करे, सही मूल्य निर्धारित करे, एक तरफ आपने यहां किसान को गेहूं का मूल्य 250 रुपये प्रति क्विंटल दिया, 25 रुपये बोनस के रूप में दिए, लेकिन दूसरी तरफ बाहर से 526 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मंगाया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव है। जैसा कि कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे

थे कि हमारी सरकार को विदेशों के दबाव में आकर, ऐसा निर्णय मजबूरी में लेना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय हमें फास्फेट और पोटाश खाद की आवश्यकता थी तो फास्फेट और पोटाश की खादों के दाम सरकार ने बढ़ा दिए लेकिन यूरिया के दाम कुछ घटा दिए गए। जब हमें खरीफ की फसल के लिए, धान के लिए यूरिया की आवश्यकता थी उस समय यूरिया के दाम बढ़ा दिए गए थे। इस समय रबी तथा गेहूं की फसल के लिए फास्फेट और पोटाश खाद की आवश्यकता है तो उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे गांव हैं, जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं जिनमें 73 प्रतिशत लोग गांव के खेती पर आधारित हैं और 605228 ग्राम सभाएं हमारे देश में है जिनके लिए हमारे देश की जो नीतियां चल रही हैं वे किसानों की घोर विरोधी नीतियां हैं। जो आज की हमारी सरकार चल रही है वह नेहरू और इंदिरा राजीव की नीतियो पर चल रही हैं, उनके पद-चिन्हों पर चल रही हैं,··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। ऐसा नहीं।

डा० परशुराम गंगवार : मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार लाल बहादुर शास्त्री के पद-चिन्हों पर चले जिससे जय किसान जय जवान का नारा जो उन्होंने लगाया था वह सार्थक सिद्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, आज देश का किसान परेशानी में इसलिए है कि वह जो पैदा करता है, उसकी उचित कीमत किसानों को नहीं मिलती है और जो वह खरीदता है, उसको वह महंगे दामों पर खरीदता है। लोहे की कीमत 1980 के मुकाबले 6 गुनी बढ़ गई है। लकड़ी की कीमत भी बढ़ी है, ट्रैक्टर मैसी फर्गुशन की कीमत भी काफी बढ़ गई हैं और अब एक लाख से भी ऊपर उसकी कीमत है। इस प्रकार से खेती के काम में आने वाली चीजों की कीमत बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन खेत में किसान जो पैदा करता है, उसका दाम उतना नहीं बढ़ा जितना और चीजो का बढ़ा हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष किसानों के गेहूं का सरकारी समर्थन मूल्य रु० 250/- प्रति क्विंटल है जो जनवरी, 1992 में तय किया गया है। सरकार ने इसी वर्ष जनवरी की एक तारीख को यह ऐलान किया था कि हमारे पास गेहूं और चावल का भण्डार बहुत है और हमें विदेशों से इन चीजों को मंगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुरन्त ही सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमारे पास गेहूं और चावल की कमी हो गई है और 19 जून, 1992 को 10 लाख टन गेहू कनाडा से मंगाया गया और उस समय 592 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं विदेशो से मंगाया गया। जब जनवरी में इसी वर्ष सरकार यह कहती है कि हमारे पास अन्नो के पर्याप्त और अपरंपार भण्डार हैं, तो एकदम कुछ ही महीनों बाद, 19-6-92 को 10 लाख टन गेहूं 592 रुपये प्रति क्विटल की दर पर मंगाने की क्या आवश्यकता पड़ी? जबकि हमारे देश के किसानों को सिर्फ 250 रुपये प्रति क्विंटल का दाम दिया जाता है और विदेशों के किसानों को 592 रुपये प्रति क्विटल का दाम दिया जाता है। इसका क्या मतलब है। मैं समझता हू कि आप ऐसा सोचते हैं कि यदि किसान को सही दाम दे दिया जाएगा, तो फिर किसान आपके ऊपर निर्भर नहीं रहेगा और यदि आप उसको 592 रुपये प्रति टन के भाव दे देंगे तो खुशहाल हो जाएगा, यदि आप अच्छा भाव नहीं देंगे, तो वह गेहूं कम बोयेगा और इस प्रकार से गेहूं का उत्पादन घट जाएगा और जब देश में गेहूं का उत्पादन घट जाएगा, तो हमें फिर विदेशों पर निर्भर करना पड़ेगा। हम विदेश के किसान को अपने किसान के मुकाबले में 200 रुपये प्रति क्विटल की दर से अधिक दाम दे रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारे स्टोर करने का

[श्री तेजनारायण सिंह]

इतना खर्चा आ जाता है इसलिए 200 रुपये प्रति क्विंटल यदि विदेश से गेहूं मंगाने पर ज्यादा भी दे दिया जाए, तो कोई बात नहीं है, यह बात और ऐसा सोचना गलत है। जब देश में 550 रुपये में गेहूं उपलब्ध हैं और इस दाम पर देश में ही किसान गेहूं देने के लिए तैयार हैं तो क्या कारण है कि आप विदेशों से, अमरीका और अन्य देशों से किसानों का गेहूं 550 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आयात कर रहे हैं ? मुझे ऐसा लगता है कि देश के किसानों को अगर यह भाव दे दिया जाएगा तो वह आपके ऊपर अवलम्बित नहीं रहेगा, आप यह सोच रहे हैं और इसलिए आप उसको अच्छा भाव नहीं देना चाहते हैं और देश के किसानों को आप हमेशा अवलम्बित रखना चाहते है और आप चाहते हैं कि देश का किसान बेहाल रहे और विदेश का किसान खुशहाल रहे।

अध्यक्ष महोदय, 1990 में किसानों को खाद के ऊपर जो सबसिडी मिलती थी, उसको भी काट दिया है और खेती में काम आने वाली खाद के दाम दुगने हो गए हैं। जिस खाद का दाम पहले एक पैसा था अब उसका दो पैसा हो गया है। गेहूं में काम आने वाली खाद का दाम दुगुना हो गया है। पहले एक कट्टा गेहूं के उत्पादन में काम आने वाली खाद की कीमत,...

अध्यक्ष महोदय : ये सारी चीजें एक बार नहीं, दस-दस बार कही गई हैं। आप कोई नई बात कहें।

श्री तेज नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, बस मैं समाप्त कर रहा हूं। गेहूं की पैदावार में काम आने वाली खाद की कीमत दुगुनी कर दी है, लेकिन किसान के द्वारा पैदा की जाने वाली खेती की चीजों की कीमत दुगुनी नहीं की गई है जिसके कारण किसान के ऊपर बहुत बोझ पड़ रहा है और वह परेशान है।

अध्यक्ष महोदय, देश में किसानों की हालत बहुत खराब है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आज सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को उसके द्वारा उत्पादित सामान का उचित मूल्य दिया जाए। जिस भाव पर आप बाहर से गेहूं खरीदते हैं, उसी भाव पर आप देश के अन्दर, देश के किसानों से खरीद करें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1990 में जो सबसिडी किसानों को खाद पर मिलती थी वह सबसिडी दी जाए जिससे किसान उत्पादन बढ़ा सकें जिससे हमारे देश का किसान दूसरों पर अवलम्बित न रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। आज तो हालत यह है कि हम विदेशों से चीजें लेने के लिए बेहाल हैं कि हमको विदेशों से कोई चीज मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसान के पक्ष में काम करें जिससे किसान खुशहाल हो सके।

***श्री वी० कृष्णाराव** (चिकबल्लापुर) : अध्यक्ष महोदय, आज हम दो मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। गेहूं का आयात और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि से भारतीय किसानों का जीवन दूभर हो गया है।

हमारे देश के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दुर्भाग्य से कृषि हमारे देश में सबसे उपेक्षित पेशा हैं। किसानों की दशा वास्तव में दयनीय

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

है। सरकारी कार्यालयों में जो अटेन्डेन्ट होते हैं उनका जीवन भी एक किसान से कहीं अच्छा होता है। व्यापारी, बैंक कर्मचारी अच्छा जीवन जीते हैं। हमारे देश में किसान सबसे उपेक्षित व्यक्ति हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह के भाषण की अनुमति नहीं हैं। आपको अपने मुद्दों की ही बात करनी होगी। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि सार्वजनिक मंच से बोल रहे हों।

***श्री वी० कृष्णाराव** : महोदय यह सार्वजनिक भाषण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप गेहूं के आयात और उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि की बात करें।

***श्री वी० कृष्णा राव** : कन्नड़ में एक कहावत है। एक किसान जो एक एकड़ में गन्ना उगाता है उसके पास अन्ततः केवल एक गन्ना और एक ठुकड़ा गुड़ ही रह जाता हैं। किसान के बच्चों की भी उपेक्षा होती है। उनमें से कितमे डाक्टर बनते है? उनमें से कितने इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ते हैं? किसान तो ऋणदाता के रूप में जन्म लेता हैं और कर्जदार के रूप में ही मर जाता है। उनमें से अधिकांश तो पूरे जीवन भर कर्जदार ही रहते हैं। किसान की तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऋणदाता ही बनी रहती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह के भाषणों की अनुमति नहीं दूंगा। आपको यह सोचना चाहिए कि हम देर रात तक बैठ रहे है। यदि आपका कोई विशेष मुद्दा है तो मैं आपको उसे उठाने की अनुमति दूंगा। आप यहां पर सार्वजनिक भाषण नहीं दे सकते हैं। आप मूल विषय की बात कीजिए।

* **श्री वी० कृष्णा राव** : अब हम उर्वरक राज सहायता न देकर किसान को न्याय से वंचित करेंगे। जब उसे राज सहायता दी जाती है तब भी उसे मुश्किल से कोई लाभ होता हैं। अतः हम इस राज सहायता के अभाव में किसान का दुख समझ सकते हैं। वह राज सहायता के बगैर जीवित नहीं रह सकता है। माननीय मंत्री भी किसानों की समस्या से अवगत हैं। अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस उर्वरक राज सहायता को तत्काल बहाल करें।

मुझे गेहूं के आयात के बारे में उल्लेख करते हुए दुख होता है। हम अपने स्वर्गीय नेता इन्दिरा जी के योग्य प्रशासन के तहत हरित क्रान्ति का लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। हम खाद्यान्न में आत्म निर्भर हो गए। वस्तुत हमारे किसानों में इसकी क्षमता है कि वे पूरे विश्व को खाद्यान्न उपलब्ध कर सकते है। हमारे यहां अपार प्राकृतिक संसाधन है। दुर्भाग्य से इन संसाधनों का अधिकतम दोहन नहीं किया गया है और किसानों को प्रोत्साहन भी नहीं दिया जा रहा है। अतः माननीय मंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि वह किसानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें ताकि वे ज्यादा-से-ज्यादा खाद्यान्न उत्पादित कर सकें। यदि यह कदम तुरन्त उठाया जाता है तो मुझे आशा है कि विदेशों से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री गेहूं आयात करने के निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। मुझे विश्वास है कि वह किसानों की सहायता करने के लिए सभी कदम उठायेंगे ताकि वे राष्ट्र को प्रगति और समृद्धि के एक नये युग में ले जावें।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

---

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : अध्यक्ष महोदय इस देश के किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं केवल केरल के किसानों की समस्या को उठा रहा हूं। सामान्यत: वे प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकटों का सामना करते है लेकिन यह संकट तो मनुष्य द्वारा ही पैदा नहीं बल्कि सरकार द्वारा भी उत्पन्न किया गया है। 'काम्पलैक्स' उर्वरकों पर से नियंत्रण हटाने से उनके मूल्य अत्यधिक बढ़ गए हैं। आम उपयोग वाली डी. ए. पी. उर्वरक पर से नियंत्रण के हट जाने पर, बहुत मंहगी हो गई है। उदाहरण के लिए डी. ए. पी…

अध्यक्ष महोदय : ये आंकड़े पहले ही दिए जा चुके हैं।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : इस नियंत्रण हटाने के पीछे बहुत बड़ा पहलू हैं। उन उर्वरकों के मूल्य बढ़े हैं जो ज्यादातर दक्षिण और विशेषकर केरल में प्रयोग किए जाते हैं। आप जानते हैं केरल, नकदी फसलों का बड़ा उत्पादक है और वास्तव में नकदी फसलें इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग हैं। नकदी फसलें उगाना, चावल या गेहूं उगाने जैसा नहीं है। उत्पादन लागत अधिक होती है और यह लागत सदैव बढ़ती ही रहती है। अधिकांश नकदी फसलों के संबध में समर्थन मूल्य व्यवस्था के अभाव के कारण उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि उत्पादकों को ही नष्ट कर देती है। नकदी फसलों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। जिन देशों में उत्पादन लागत कम है वे हमें बाजार से धीरे-धीरे बाहर कर रहे हैं। इससे हमारे निर्यात व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए उर्वरक मूल्य में वृद्धि से केवल उत्पादन लागत ही और अधिक होगी। डी. ए. पी. के मूल्यों में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। इन 'काम्पलैक्स' उर्वरकों का उपयोग केरल के उत्पादकों द्वारा किया जाता हैं। यह सच है कि यूरिया सस्ती कर दी गई है। लेकिन 'यूरिया की जरूरत ज्यादातर उत्तर भारत में ही होती है। दक्षिण में 'काम्पलैक्स' उर्वरकों का ही आमतौर पर इस्तेमाल होता है। सरकार दावा करती है कि यूरिया के मूल्य कम करने से देश में उपयोग हो रहे 60 प्रतिशत उर्वरक सस्ते हो गए हैं। लेकिन बाकी 40 प्रतिशत का क्या हुआ ? मेरे राज्य केरल में एक आम किसान इस 40 प्रतिशत वर्ग में आता है। उसकी उत्पादन लागत में 100 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। मैं केरल के इन आम किसानों के बारे में बोल रहा हूं। वे उत्तर में अमीर अतिरिक्त उत्पादन करने वाले किसानों से पूर्णतया भिन्न हैं। वे छोटे और सीमान्त किसान हैं जिनके पास तीन एकड़ से कम भूमि है। वे कुछ रबड़ के पेड़ों और नारियल के पेड़ों से सामान्य जीवन जीते हैं। वे ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि वापस लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बहुत बड़े-बड़े विद्वान सदस्य बोल चुके हैं, मैं भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। दो दिन से मैं बड़े गौर से इस चर्चा को सुन रहा हूं जो गेहूं के आयात पर यहां पर चल रही है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह आयात हमारी नई आर्थिक नीति और नई औद्योगिक नीति का परिणाम है।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कुछ प्रश्न उठते हैं। सरकार का तर्क है कि सरकारी भण्डार में कमी हुई, इसलिए आयात करना पड़ा। भण्डार में कमी इसलिए हुई क्योंकि वसूली कम हुई। जब हमारे यहां उत्पादन काफी हुआ तो वसूली क्यों कम हुई। हम समय पर वसूली नहीं कर सके, हमारी मशीनरी सही ढंग से काम नहीं कर सकी और लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था, उतनी वसूली नहीं कर सकी तो इसमें दोष किसका है।

दूसरा प्रश्न यह है कि जब आपका भण्डार कम हो गया तो आपने निर्यात क्यों किया और बड़ी-बड़ी आटा मिलों को गेहूं क्यों दिया। 6 मिलियन टन आपने आटा मिलों को दिया और 8 मिलियन टन निर्यात किया, ऐसा आपने क्यों किया और इससे क्या फायदा हुआ। इससे देश का कुछ फायदा नहीं हुआ। जब गेहूं बाहर से लाना था तो फिर दूसरे देशों को निर्यात क्यों किया गया, इसका क्या औचित्य था।

तीसरा तर्क सरकार ने दिया है कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए यह आयात किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली तभी मजबूत हो सकती है जब हमारे देश का किसान मजबूत होगा, हमारा देश अन्न के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगा, तभी हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत हो सकती है। बाहर से आयात करके हमारी वितरण प्रणाली मजबूत नहीं हो सकती, सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार में काम करने वाले लोग अच्छे और कुशल प्रशासक तभी कहे जा सकते हैं जब हम भण्डार में हुई कमी पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें, यह कमी क्यों हुई है।

उर्वरक की कीमत में वृद्धि क्यों हुई है। इसका कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाले कारखानों की हालत खस्ता है। इसलिए निजी कारखाने मनमाने ढंग से उर्वरकों का मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। पहले सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में काफी खाद का उत्पादन होता था और उसी के अनुसार उर्वरकों का मूल्य निर्धारित होता था, उसी के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में उत्पादित खाद का मूल्य भी रखा जाता था, लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में लगा हुआ है। इसका असर किस पर पड़ेगा, इसका असर किसान पर पड़ेगा। इसी तरह से जो राजकीय सहायता दी जाती थी, वह भी बंद कर दी गई है। वह ठीक है कि आर्थिक संकट है इसलिए सहायता बंद कर दी गई, लेकिन इसका असर किस पर पड़ा है, इसका असर भी खेती पर पड़ा है। इसका परिणाम यह है कि किसान पर्याप्त मात्रा में खाद का उपयोग नहीं कर पाएगा और जिस अनुपात में गेहूं का उत्पादन होना चाहिए, वह नहीं हो पाएगा।

इसी तरह से दलहन और तिलहन की बात की की गई, दलहन और तिलहन, खासकर तिलहन में बहुत ज्यादा खाद की आवश्यकता होती है। जब खाद का उत्पादन कम होगा, उसकी कीमतों में वृद्धि होगी और उसको भी बाहर से मंगाना पड़ेगा, इसमें भी विदेशी मुद्रा खर्च होगी तो विदेशी मुद्रा की क्या हालत हो जाएगी। इस स्थिति में किस तरह से आप देश का विकास कर पायेंगे, जिस हरित क्रांति की आप बात करते हैं, उसको आप कैसे ला पायेंगे, हमारे यहां अब हरित क्रांति कहां से आ सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से आपके माध्यम से कहेंगे कि सरकार का जो तरीका है वह मुझे सही नहीं लगता। लगता है कि इस सरकार ने किसी के दबाव में आ कर आयात करने का काम किया है। एक बार सदन में पहले भी बहस हो चुकी है कि विदेशों से जो बीज आ रहे हैं वे बीज हमारी जमीन में कामयाब होंगे या नहीं।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

अध्यक्ष महोदय, मैंने 2 हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से फूल गोभी का बीज लिया था और अपने खेत में स्वयं डाला था। एक भी पौधा जेनरेट नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि कृषि के मामले में, जो बाहर से बीज लाते हैं उनको लगाने से हम पिछड़ जायेंगे। यदि हमारा देश कृषि के मामले में आगे आ पाएगा तो हम हर मामले में मजबूत रहेंगे, विदेशी मुद्रा के मामले में भी मजबूत रहेंगे। यही हम कहेंगे। सरकार ने जो आयात किया है वह गलत किया है खाद पर जो सब्सिडी मिलती थी उसको बरकरार रखें। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री ओस्कार फर्नान्डीज** (उदीपी) : अध्यक्ष महोदय, मैं समय की कमी के कारण केवल अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों तक ही सीमित रहूंगा। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की हैं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए तीस हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

एक तरफ तो देश के अनेक भाग भीषण सूखे से प्रभावित हैं और दूसरी तरफ कुछ भागों में भयानक बाढ़ आई हुई है। वास्तव में देश हर वर्ष इन आपदाओं का सामना करता आ रहा है। हमें प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए गंगा और कावेरी को जोड़ने की चिर प्रतिक्षित परियोजना को कार्यान्वित करना होगा।

हमें जवाहर रोजगार योजना पर अपार धनराशि व्यय करनी है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत काफी धनराशि सिंचाई परियोजनाओं को दी जाए। यह न सिर्फ किसानों बल्कि पूरे देश के लिए वरदान होगा। हमारे किसानों की अनेक समस्याओं का उत्तर गंगा-कावेरी सम्पर्क है। इससे हम और अधिक खाद्यान्न का उत्पादन कर सकेंगे। मत्स्य पालन को भी बढ़ावा मिलेगा।

हमारे किसान गन्ना उगाते हैं और इसे चीनी की मिलों को भेजते है। हमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में गन्ना उत्पादकों को लगभग 900 करोड़ रुपये देने पड़ते है। दुर्भाग्य से कुछ अन्य शीरा का उत्पादन करते हैं और बहुत लाभ कमाते हैं। कठोर परिश्रम करने वाले गन्ना उत्पादकों को कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब शीरे पर नियंत्रण हटा लिया जाए।

हर वर्ष दक्षिण कनारा तथा उत्तर कनारा जिलों से 2,400 टी. एम. सी. जल समुद्र में बह जाता है। यह जल जमा कर सिंचाई और वन रोपण में उपयोग किया जाए।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री गंगा और कावेरी नदी को जोड़ने को उच्चतम प्राथमिकता देंगे और हमारे किसानों के स्वप्न को साकार रूप देंगे।

महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में काफी बातें हो चुकी हैं इसलिए मैं उन बातों को दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। सवाल यह है कि जो गेहूं है उससे

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आमदनी होती है या नहीं। इसके साथ ही दूसरा सवाल आता है कि प्रोडक्शन का फॉल हुआ है या नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है, राइस का प्रोडक्शन फॉल नहीं हुआ है और व्हीट जैसा था उतना ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा सा घटा है और साथ ही ज्वार, बाजरा और दालों का भी ऐसा ही है। दालों को ऐसे नहीं खाते हैं, उसको रोटी या चावल के साथ खाते है। जहां दाल का प्रोडक्शन घटा है तो उसकी जगह सब्जी का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा है। इसको सरकार मानने को तैयार नहीं है तो मैं दूसरा प्वाइंट रेज करना चाहता हूं। पिछले साल पूरे भारत में राशन की दुकानों में साल भर के लिए जितना चावल और गेहूं का एलाटमेंट किया था, वह सारा का सारा लिफ्ट नहीं हुआ है। मेरे पास फीगर्स नहीं हैं। जहां तक ख्याल है तीन मिलियन टन व्हीट और राइस अनलिफ्टेड रह गया। क्या इतना ही व्हीट और राइस बाहर से लेना जरूरी था।

मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं। जे.सी.आई., एफ.सी.आई. और सी.सी.आई को आप जानते हैं। इनकी हरकत यह है कि जब कोई फसल मार्किट में आती है या गरीब लोग जब फसल लाते है तो ये खरीदने नहीं जाते है तो डिस्ट्रेस सेल होती है। इनकी नजर इसके ऊपर नहीं रहती है। इसके बाद ये मार्किट में नहीं आते हैं बल्कि पंजाब से मिडिलमैन के जरिए गेहूं लेते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में आपने गेहूं खरीदने में मिडिलमैन को कितना कमीशन दिया है। मिडिलमैन को कमीशन देने की जरूरत इसलिए होती है कि मार्किट में गरीब लोग फसल लाते है। एफ.सी.आई. फूड कारपोरेशन आफ इंडिया नहीं है बल्कि वह फूड करप्शन आफ इंडिया है। साढ़े तीन रुपए किलो के हिसाब से आपने खरीदा है और अदर कास्ट भी लगाए तो वह पांच रुपए होगा। इस बारे में जरा सोचिए। आप किसान को सपोर्ट प्राइस देकर साढ़े तीन रुपए किलो के हिसाब से खरीदते हैं जबकि हैंडलिंग चार्ज दो रुपया होता है। लेकिन, पहले आप गोडाउन में पैक करते है और उसके बाद दूसरे, तीसरे या चौथे गोडाउन में ले जाते है। जब इतना ज्यादा करप्शन या लिकेज है तो इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है। जब आप इतनी सबसिडी पी.डी.एस के लिए देते है तो यह सबसिडी करप्शन और लिकेज में खत्म हो जाती है तब आपको कहना पड़ता है कि स्टाक नहीं है और मजबूरी में बाहर से लाना पड़ रहा है। मैं डुंकल प्रस्ताव की बात नही करना चाहूंगा। मैंने जो तीन सवाल पूछे हैं तो माननीय मंत्री जी साफ जवाब दे। पहली बात यह है कि सब्जी के प्रोडक्शन को शो करते हैं तो इसमें कमी है या नहीं। अनलिफ्टेड व्हीट और राइस आपके पास तीन मिलियन टन है तो उसके बाद भी इतना ही बाहर से क्यों खरीदना पड़ा और किस हिसाब से खरीदा।

[अनुवाद]

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मैं उर्वरक मूल्यों में वृद्धि की समस्या तक ही सीमित रहूंगा। अभी तक सभा इस बारे में सर्वसम्मत है और सभा की सर्वसम्मति से उर्वरक के मूल्यो में वृद्धि से किसानों को आ रही समस्या के प्रति चिन्ता व्यक्त की है। मुझे खुशी है कि सत्ता पक्ष से भी सदस्यो ने इसका समर्थन किया है। अब यह मूल्य वृद्धि क्यों हुई है? सरकार ने एक साथ दो कार्य किए है। एक राज सहायता वापिस लेना और बाद में मूल्यो पर नियन्त्रण हटाना है। जैसा कि हम सभी जानते है कि राज सहायता कीमतों का केवल 40% थी। 40% की राजसहायता वापस लेने से कीमतों में 40% की वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। आंकडे पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कीमतों में वृद्धि 60% से 40% के बीच है। इसका क्या

[श्री वी० धनंजय कुमार]

कारण है ? इसका कारण कीमतों पर नियन्त्रण हटाना हैं। आज सरकार को देश को विशेष रूप से कृषकों को यह बताना चाहिए कि सरकार ने कीमतों पर से नियन्त्रण क्यों हटाया ? न तो कृषि मंत्री और न ही सरकार के किसी प्रवक्ता ने आज तक यह बताया है कि सरकार ने कीमतों पर नियन्त्रण क्यों हटाया।

महोदय, यह भी स्पष्ट है कि सरकार अभी भी एक उर्वरक अर्थात् यूरिया की कीमतों को नियंत्रित किए हुए है, यदि यूरिया की कीमतें नियंत्रित की जा सकती हैं तो मिश्रित उर्वरक की क्यों नहीं की जा सकती ? फास्फेटिक और सल्फेटिक उर्वरकों की कीमतें क्यों नियंत्रित नहीं की जा सकती ? सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों ने इसके समर्थन में विचार व्यक्त किए हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हैं। खुले बाजार की प्रणाली स्वागत योग्य है। खुला बाजार प्रणाली में. वस्तुओं की कीमतें मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती हैं। मूल्य निर्धारण में उत्पादन लागत भी मुख्य भूमिका अदा करती हैं। हम नहीं जानते है कि क्या देश में वर्तमान भण्डार पर्याप्त है, क्या हम बाजार की मांग के अनुरूप उर्वरक का उत्पादन अथवा निर्माण करने में सक्षम है ? सरकार ने यह आंकड़े भी नहीं बताए हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार : इसका मुख्य कारण कीमतों पर नियंत्रण हटाना है। अत: इस समय जब पूरे सदन ने एक स्तर से इस बारे में चिंता व्यक्त की है तो किसी भी उत्तरदायी सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इसका समाधान अवश्य करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार इस समस्या की महत्ता से अवगत नहीं है। कीमतों पर नियंत्रण हटाने तथा राजसहायता वापिस लेने की घोषणा का विरोध होने के बाद सरकार ने यह कहते हुए छोटे-छोटे उपहार दिए कि कुछ उर्वरकों के लिए 1,000 रुपये प्रति टन राजसहायता दी जाएगी। अत: मुझे विश्वास है कि सरकार इस समस्या के प्रति सजग है। अत: सभा एकमत से यह चाहती है कि सरकार तत्काल इस समस्या का समाधान करे और इस संबंध में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करे। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

मैं केवल दो या तीन सुझाव देना चाहता हूं कि कीमतों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। निश्चित रूप से मूल कच्चे माल, जो आयात किया जा रहा है, पर लगाए गए शुल्क और अन्य करों के कारण कीमतों में वृद्धि होती है ...

अध्यक्ष महोदय : एक सुझाव करों को कम करने के लिए है।

श्री वी० धनंजय कुमार : सरकार इस चरण पर भी उनको लागू क्यों नहीं करती ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह धन चाहते हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार : वे गणना कर सकते हैं कि कितना घाटा हुआ है। वे शुल्क कम कर सकते हैं अथवा उन्हें पूर्णतया समाप्त कर सकते हैं और करों के पूर्णत: वापिस ले सकते हैं। वे बिक्री कर वापिस लेने के लिए राज्यों से कह सकते हैं और नए उर्वरक कारखाने लगाने पर विचार कर सकते हैं। यदि सरकार महसूस करती है कि विदेशों में सस्ते दामों पर कच्चा माल उपलब्ध है तो वह सस्ते दामों पर वहां से और कच्चा माल क्यों नहीं आयात करती है और फिर उन्हें उर्वरक

कारखानों को क्यों नहीं आवंटित करती हैं ? यही मुख्य कारण हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और उसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कॉफी प्रमुख नकद फसल पैदा होती हैं। कॉफी का निर्यात कर हम प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। लेकिन इस बार एक ओर कॉफी की कीमतों में बहुत गिरावट आई है और दूसरी ओर उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हुई है। कॉफी के बीज चुनने का मौसम आ गया है, लेकिन किसान तथा उत्पादक उर्वरकों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सरकार को यह सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार किसानों के हित में एक घोषणा करे और राजसहायता पुनः देना शुरू करे।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों का सभा में इस समय तक बैठने के लिए धन्यवाद करता हूं। अन्त में कुछ भाषण वास्तव में बहुत अच्छे रहे। उनके लिए बधाई।

8.40 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1992/6 अग्रहायण, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विंध्यावासिनी पैकेजिंग्स, डी-108, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053